सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

वार्षिक रिपोर्ट / ANNUAL REPORT

2017-2018

मोबाईल बैंकिंग / MOBILE BANKING

भीम सेन्ट यूपीआई / BHIM CENT UPI

एम-पासबुक/M-PASSBOOK पॉस/POS

इंटरनेट बैंकिंग / INTERNET BANKING

क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड/एटीएम कार्ड/ CREDIT / DEBIT / PREPAID / ATM CARD

डिजिटलीकरण का लेकर सहारा,
समावेशी विकास, है लक्ष्य हमारा

Targeting Inclusive
Growth Through Digitalization

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

अनुक्रमणिका / INDEX

विषय सूची / Contents	पृष्ठ क्र. / Page No.
अध्यक्ष का संदेश	02
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	03
निदेशक मंडल / Board of Directors	05
सूचना	08
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	30
निदेशक रिपोर्ट 2017-18	31
प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण	36
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	69
सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	88
दिनांक 31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र	90
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता	91
तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते की अनुसूचियां	92
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	98
लेखों से संबंधित टिप्पणियां	103
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	129
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समेकित तुलन पत्र	160
प्रॉक्सी फार्म	187
CHAIRMAN's MESSAGE	191
MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER's MESSAGE	192
Notice	194
Performance Highlights	216
Director's Report 2017-18	217
Management Discussion & Analysis	222
Corporate Governance	254
Auditors' Report to the Members	273
Balance Sheet as at 31 March, 2018	275
Profit & Loss Account for the year ended 31 March, 2018	276
Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	277
Significant Accounting Policies	283
Notes Forming part of the Accounts	288
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2018	314
Consolidated Balance Sheet as at 31 March, 2018	345
Proxy Form	371
Attendance Slip / Entry Pass	373

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय स्टेकहोल्डर्स,

मुझे खुशी है कि मैंने गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से इस बैंक में कार्य ग्रहण किया है. बैंकिंग क्षेत्र के लिए यकीनन यह चुनौतीपूर्ण समय है. दी गई चुनौतियों के बावजूद, हमारा बैंक अनुपालन एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गवर्नंस संव्यवहार को अपनाते हुए अपने शेयर होल्डरों के शेयर मूल्यों के संवर्धन के लिए महत्तम प्रयास जारी रखेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्य के अनुरूप अंतिम छोर के ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वे निरंतर काम कर रहे हैं. इस संबंध में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी स्टेक धारकों हेतु सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की कोंपलों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अवश्य होगा. उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, विशेष तौर पर यूएस, तुलनात्मक रूप से उल्लेखनीय विकास का साक्षी रहा है, जिसकी वजह से यूएस फेड को मुद्रा नीति को कठोर बनाने का सहारा लेना पड़ा. कच्चे तेल के दामों में हाल ही में आए उछाल की वजह से तेल निर्यातक देश फायदे में रहेंगे. भारत की विकास की गति को ये बाह्य कारक निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं. भारत में, वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में कृषि, निर्माण कार्य एवं विनिर्माण क्षेत्रों के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति के कारण विकास की रफ्तार में तेजी आई है. तथापि, हाल ही के महीनों में रुपए पर बढ़ता दबाव परिलक्षित हुआ है. कच्चे तेल के बढ़ते हुए दामों का चालू खाता घाटे पर दबाव पड़ेगा उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव होगा. तथापि, सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सुधारात्मक उपाय अर्थव्यवस्था को स्वयं-सिद्ध प्रगति पथ पर ले जाएंगे.

बैंकिंग उद्योग गैर-निष्पादक आस्तियों से निपटने की एक अहम चुनौती से जूझ रहा है. मुझे आशा है कि दिवाला तथा दिवालियापन कोड अधिनियमन जैसे नये सुधारों की वजह से वर्तमान वर्ष में एनपीए की वसूली एवं समाधान के संदर्भ में बैंकिंग उद्योग बेहतर स्थिति में रहेंगे. हमें समुचित सावधानी बरतते हुए इन मुद्दों का निराकरण करना होगा. बदलते परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे बैंक ने अन्य कार्यक्षेत्रों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन, ऋण, ट्रेजरी, आईटी इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों में %ान तथा कौशलवर्धन पर विशेष जोर देना जारी रखा है. विश्लेषणात्मक अध्ययन के उपयोग से बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध आंकड़ों का समुचित विश्लेषण करने में मदद मिलेगी, जो उत्पाद नवोन्मेषन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए इष्टतम समाधान सुनिश्चित करेगा. हमारे बैंक द्वारा अपने कारोबार में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है. अन्तत:, किसी संस्था की सफलता में मानव संसाधन एवं इसके योगदान के महत्त्व को भी हमारे बैंक ने भली-भांति समझा है. मुझे विश्वास है कि हम सभी मोर्चों पर अपने प्रयासों को दुगुना करते हुए इन चुनौतियों का मुकाबला करने में अवश्य सफल होंगे.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्ता/-
तपन रे

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2018

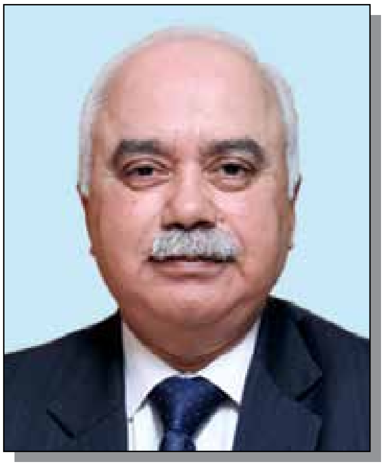

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरहोल्डर,

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य में परिलक्षित चुनौतियों को बैंकों ने भी इस वर्ष महसूस किया है. तथापि, आर्थिक परिदृश्य में हाल में दृष्टिगोचर सकारात्मक बदलावों ने हमें आशान्वित भी किया है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2017 में इस की दर 3.8% रही, जबकि वर्ष 2016 में यह दर 3.2% थी तथा ऐसी आशा है कि उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से यह वृद्धि दर वर्ष 2018 में भी बनी रहेगी. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वर्ष 2017 में वृद्धि दर 2.3% रही, जबकि वर्ष 2016 में यह दर 1.7% थी. उन्नत अर्थव्यस्थाओं के अंतर्गत; यू.एस. की वृद्धि दर वर्ष 2017 में 2.3% रही, जबकि वर्ष 2016 यह दर 1.5% थी. यू.एस. में समष्टि पैरामीटरों में वृहद आधार पर बेहतरी परिलक्षित हुई. यू.एस. में वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति बढ़ी तथा यह 2.1% के स्तर तक पहुंच गयी. यू.एस. फेड ने क्रमिक दर वृद्धि के साथ अपनी मौद्रिक नीति चक्र को कठोर बनाए रखा. यूरो के क्षेत्र में; वर्ष 2017 में वास्तविक जी.डी.पी. में 2.3% की वृद्धि हुई. इस क्षेत्र में, वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति में 1.5% की बढ़ोतरी हुई. पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2017 में सकल पूंजी निगमन तथा औद्योगिक उत्पाद, दोनों में ही वृद्धि हुई.

2रे अग्रिम राष्ट्रीय आय अनुमान 2017-18 के अनुसार; वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि वर्ष 2017-18 में सामान्य दर 6.6% पर रहेगी, जबकि वर्ष 2016-17 में यह 7.1% थी. तथापि, तिमाही आकड़ों ने यह दर्शाया है कि हाल ही में अपनाये गये कुछ सुधारात्मक कार्रवाइयों के अस्थायी प्रभाव से उभरते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ गई है. वित्तीय वर्ष 2018 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के दौरान जी.डी.पी. वृद्धि में बढ़ती प्रवृत्ति परिलक्षित हुई. वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में जी.डी.पी. 7.2% की उल्लेखनीय दर से बढ़ी, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही में यह दर 6.5% थी. वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में मूल्यवर्धित कृषि में 4.1% तथा विनिर्माण में 8.1% की वृद्धि हुई. सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत; व्यापार, होटेल, परिवहन, प्रसारण से संबंधित संचार एवं सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 में 9% की वृद्धि हुई.

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति (एम.पी.सी.) ने अगस्त 2017 में बेंचमार्क रेपो दर में 25 आधार बिंदु की कटौती करते हुए, इसे 6.25% से घटाकर 6% कर दिया है. एम.पी.सी. ने अक्तूबर 2017 में सांविधिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर.) में कटौती करते हुए इसे 20% से घटाकर 19.5% कर दिया.

नोटबंदी के बाद बैंकिंग उद्योग में ऋण वृद्धि की दर क्रमिक रूप से बढ़ रही है. वित्तीय वर्ष 2018 में ऋण एवं जमा के अनुपात में भी बेहतरी दिखायी दी. तथापि, दबावग्रस्त कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों ने वांछित स्तर तक ऋण वृद्धि को पहुंचने नहीं दिया. पूरे बैंकिंग उद्योग में आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय बना रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रों के कई बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा, ताकि कुछ जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचा जा सकें और उनके तुलन-पत्र को मजबूत करने के लिए पूंजी संरक्षित रहें. सरकार द्वारा बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है, जिसके माध्यम से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पर्याप्त पूंजी प्रदान की जायेगी. अक्तूबर 2017 में सरकार ने रुपये 2.11 लाख करोड़ पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की, जिनमें रुपये 1.35 लाख करोड़ पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड के माध्यम से एकत्र किये जायेंगे.

अब मैं आपको, आपके बैंक के इस वर्ष के कार्यनिष्पादन के बारे में बताना चाहूंगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे बैंक का व्यवसाय रुपये 4,72,323 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 4,49,679 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारे बैंक की जमा रुपये 2,94,839 करोड़ थी. कुल जमा में कासा की हिस्सेदारी 42.46% रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह हिस्सेदारी 39.20% थी. 31 मार्च, 2018 को उच्च लागत जमाओं में 93.64% की उल्लेखनीय कमी के साथ यह राशि रुपये 850 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 13,356 करोड़ थी. दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल कोर जमा 3.77% की वृद्धि के साथ रुपये 2,93,989 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 2,83,315 करोड़ थी.

पिछले कुछ वर्षों में आस्ति गुणवत्ता हमारे बैंक के लिए मुख्य चिंता का कारण बनी हुई है. सकल एनपीए और सकल अग्रिम का अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़कर 21.48% हो गया है, जो 31 मार्च, 2017 को 17.81% था. निवल एनपीए और निवल अग्रिम का अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़कर 11.10% हो गया, जो 31 मार्च, 2017 को 10.20% था. प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को सुधार के साथ 63.31% रहा, जो 31 मार्च, 2017 को 58.43% था.

हमारा फोकस सतत रुप से वसूली पर बने रहने के कारण वर्ष के दौरान परिणाम अच्छे रहे. दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़ोतरी के साथ नकदी वसूली रुपये 2403 करोड़ हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह राशि रुपये 2378 करोड़ थी, जो 1.05% की वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2018-19 के दौरान आय.बी.सी. के अंतर्गत एन.सी.एल.टी. के माध्यम से कुछ बड़े एन.पी.ए. खातों में समाधान होने की प्रत्याक्षा है. वर्ष 2018-19 के दौरान एन.पी.ए. वसूली को बढ़ाने तथा नई स्लिपेज को रोकने के लिए हमारा बैंक कारगर कदम उठाना जारी रखेगा.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में हमारे बैंक की जमा लागत घटकर 5.53% हो गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह 6.20% थी बैंक की निवल ब्याज आय घटकर रुपये 6517 करोड़ हो गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 6574 करोड़ थी. हमारे बैंक की गैर ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये 2623 करोड़ रही, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 2876 करोड़ थी.

हमारे बैंक का परिचालन लाभ रुपये 2733 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 3089 करोड़ था. तथापि, बैंक ने कुल रुपये 5105 करोड़ की निवल हानि दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल हानि रुपये 2439 करोड़ थी, इसकी मुख्य वजह उच्चतर एन.पी.ए. प्रावधान, उच्चतर स्लिपेज/ऋणावधि तथा एन.सी.एल.टी. खातों में अतिरिक्त प्रावधान, निवेशों पर ट्रेडिंग लाभ में भारी कमी इत्यादि रही.

दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक में कुल 4685 शाखाओं का नेटवर्क, 4886 एटीएम, 10 सेटेलाइट ऑफिस तथा 1 एक्सटेंशन काउंटर है. हमारा बैंक अखिल भारतीय स्तर पर व्याप्त है, जो 29 राज्यों, 6 में से 5 संघ शासित राज्यों तथा एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों और 707 में से 626 जिलों में स्थित है, जो कि बैंक की शक्ति का मुख्य स्तोत्र है. अपनी शाखाओं की व्यापक कवरेज की वजह से हमारे बैक की छवि एक रिटेल बैंक के रूप में बनी रही, जिसका विशेष फोकस रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई व्यवसाय पर है.

मुझे बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

निदेशक मंडल	BOARD OF DIRECTORS
श्री तपन रे (दिनांक 23.05.2018 से) श्री राजीव ऋषि श्री बी. के. दिवाकर श्री पी. आर. मूर्ती श्री. बी. एस. शेखावत डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (दिनांक 14.05.2018 से) श्री शेखर भटनागर श्री केतुल आर. पटेल श्री एन. नित्यानंद प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	SHRI TAPAN RAY (w.e.f. 23.05.2018) SHRI RAJEEV RISHI SHRI B. K. DIVAKARA SHRI P. R. MURTHY SHRI B. S. SHEKHAWAT DR. BHUSHAN KUMAR SINHA (w.e.f. 14.05.2018) SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI KETUL R. PATEL SHRI N. NITYANANDA PROF. (Dr.) ATMANAND
लेखा परीक्षक मे. लोढ़ा एण्ड कंपनी मे. पाठक एच. डी. एण्ड एसोशिएट्स मे. एस. के. मेहता एण्ड कं. मे. बोरकर एण्ड मुजुमदार	**AUDITORS** M/s. Lodha & Co. M/s. Pathak H. D. & Associates M/s. S. K. Mehta & Co. M/s. Borkar & Muzumdar
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्र्चिम) मुंबई - 400 083. टेलीफोन : 022-4918 6270 फैक्स : 022-4918 6060 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS** Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Tel : 022-4918 6270 Fax : 022-4918 6060 E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉईंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in	**ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK** AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री तपन रे
Shri TAPAN RAY
अध्यक्ष
Chairman

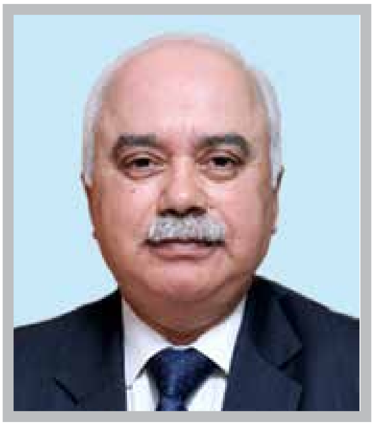

श्री राजीव ऋषि
Shri RAJEEV RISHI
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री बी. के. दिवाकर
Shri B. K. DIVAKARA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री पी. आर. मूर्ती
Shri P. R. MURTHY
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री बी. एस. शेखावत
Shri B. S. SHEKHAWAT
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

(जारी / *Contd...*)

श्री शेखर भटनागर
Shri SHEKHAR BHATNAGAR
निदेशक
Director

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
निदेशक
Director

श्री केतुल आर. पटेल
Shri KETUL R. PATEL
निदेशक
Director

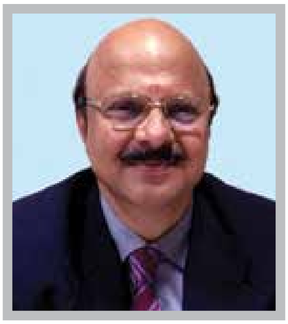

श्री एन. नित्यानंद
Shri N. NITYANANDA
निदेशक
Director

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
Prof. (Dr.) ATMANAND
निदेशक
Director

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की ग्यारवीं वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार दिनांक 30 जून, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2018 का लेखापरीक्षित स्टैन्ड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) एफपीओ / राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनो के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड" कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 8000/- करोड़ (रुपए आठ हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों, जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है** कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 ("सेबी आईसीडीआर विनिमय") के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है** कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है** कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम,

1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से ("सक्षम प्राधिकारी" के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें "आवश्यक अनुमोदन कहा गया है") निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हतापात्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतदद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों, विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल एतदद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/

अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतदद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/ वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टत: उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसको इसके पश्चात "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i), सहपठित बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक्स (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके पश्चात "योजना" कहा जाएगा), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे इसके पश्चात "विनियम" कहा जाएगा) जोकि अधिनियम की धारा 19 एवं अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (जिसे इसके पश्चात "आरबीआई अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पास कर केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के एक निदेशक का चुनाव करना.

यह संकल्प लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 9(3) (i), सहपठित योजना, उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक, जो एतद् द्वारा चुने गए हैं / चुनी गई हैं, उनके चुने जाने / चुने हुए माने जाने की अगली तारीख से कार्यभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक चुने गए / गई हैं और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्त/-

स्थान : मुम्बई **(आनंद कुमार दास)**

दिनांक : 25.05.2018 **सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव**

नोट :

1. **व्याख्यात्मक विवरणी**

   बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. **विनिर्दिष्ट तारीख**

   सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों में से निदेशकों के चुनाव में सहभागिता अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों का निर्धारण करने के उद्देश्य से मंगलवार, दिनांक 29 मई, 2018 को विनिर्दिष्ट तारीख निश्चित की गयी है.

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

5. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

7. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 27 जून (बुधवार), 2018 से दिनांक 30 जून, 2018 (शनिवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

8. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

9. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं.

11.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा, जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं, जैसे - क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- ➢ बैंक का नाम
- ➢ शाखा का पता
- ➢ बैंक खाता संख्या
- ➢ शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- ➢ शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पन्ने की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

11.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और **तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.**

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) वोटिंग समयावधि बुधवार दिनांक 27 जून 2018 को प्रात:10:00 बजे से प्रारंभ हो कर शुक्रवार दिनांक 29 जून 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान सोमवार दिनांक 25 जून 2018 की कट ऑफ तारीख को एजेंडा नं. 3 के अतिरिक्त जिसके लिए कटआफ तारीख मंगलवार 29 मई, 2018 है. बैंक के शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, वे अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं. वोटिंग के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माड्यूल को सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

(ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

(iv) अब अपना यूजर आईडी डालें

ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.

(v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.

(vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है, तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.

(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं, तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक *पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम नोटिस पर चिपकाए गए पते के स्टीकर पर छपे हुए सीक्वेंस नंबर पैन फील्ड में उल्लिखित स्थान पर प्रयोग करें,
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि	लॉग इन करने के लिए कृपया जन्म तिथि (डीओबी) अथवा लाभांश बैंक विवरण एंटर करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

(viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, "सबमिट" टेब पर क्लिक करें.

(ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे "पासवर्ड क्रिएशन" मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पासवर्ड फील्ड में अनिवार्यतः लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों, तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी वरतें.

(x) भौतिक स्वरूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई- वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.

(xi) कृपया सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर आप वोट करना चाहते हैं.

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "संकल्प विवरण" एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.

(xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो 'रिजोल्यूशन्स फाइल" लिंक पर क्लिक करें.

(xiv) 'रिजोल्यूशन" का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, "सबमिट" पर क्लिक करें. एक कन्फरमेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

(xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट 'कन्फर्म" करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर "प्रिन्ट करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर "फॉरगॉट पासवर्ड" पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.

(xviii) शेयर धारक एड्रॉयड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं. यह एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमशः एप्प स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से यह एप्प डाउनलोड कर सकते है. कृपया अपने मोबाइल से वोटिंग करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करें.

(xix) **गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट**

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
- पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक है.
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे.
- बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.

(xx) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत पर उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.

II कट-ऑफ तारीख दिनांक 25 जून 2018 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरोंधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्पोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 25 जून, 2018 को एजीएम में रिमोर्ट ई- वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

IV कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 25 जून, 2018 को शेयर धारण करते है, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है

V. इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है

VI. ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कोर्पोरेट लिगल एडवाजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों के अनब्लॉक करने ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर होंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरूद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.

VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प पारित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/ राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सामान्य इक्विटी टीयर - 1 (सीईटी – 1) अनुपात न्यूनतम 5.50% एवं ईक्विटी पूंजी (सीसीबी) के रूप में 2.50% की पूंजी संरक्षण टियर 1+सीसीबी अनुपात 9.50% एवं समग्र सीआरएआर 11.50% बनाए रखना आवश्यक है. बासेल III की आवश्यकताओं को पूर्ण करने, बैंक की भावी विस्तार योजनाओं एवं तत्परिणामी पूंजी प्रभार, के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए, अपनी पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है.

अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने ₹ 8000 करोड़ (रुपये आठ हजार करोड़ मात्र) तक की ईक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, ईक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है.

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है. ईक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे, तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेंट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श निर्धारित किया जाएगा.

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

i. ईक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारित के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है.

ii. चूंकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अत: जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है. तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों.

iii. पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा.

iv. प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबन्धकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे.

v. प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाना गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए.

vi. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये बिना प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी.

vii. आबंटित इक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों समकक्ष होंगे.

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा.

व्याख्यात्मक विवरणी

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

- निदेशकों को चुनने में शेयरधारकों का अधिकार

बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों की शेयर धारिता 13.60% है. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) का प्रतिनिधित्व करते एक निदेशक शामिल होंगे. तदनुसार उपर्युक्त पद को भरने के लिए केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों द्वारा एक निदेशक का चुनाव कराना आवश्यक है.

अत:, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक निदेशक के चुनाव कराए जाने का संकल्प पास करने के लिए एजीएम के नोटिस की कार्यसूची में एक मद जोड़ी गई है.

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना विनियम, अधिसूचना के तत्संबधी प्रावधान जो नीचे निर्देशित हैं, में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए पात्र हैं. एक निदेशक का चुनाव नामांकन की जांच (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्त पद के समान हो) अथवा यदि प्रतिभागी अधिक हों तो दिनांक 30 जून, 2018 को होने वाले चुनाव में चुने जाएंगे. चुने गए निदेशक को उनके चुने जाने अथवा चुने हुए माने जाने की तारीख की अगली तारीख से उनका कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे.

- **विधिक प्रावधान**

निम्नलिखित सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / अधिसूचनाओं की प्रावधानों को परिलक्षित करती है:

अधिनियम योजना / विनियम /अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949	धारा 20	• किसी भी निदेशक अथवा इनकी ओर से किसी को भी ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध.
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3(2ई)	• वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध.
	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा चुने गये निदेशकों की संख्या.
	धारा 9(3ए)(ए) से (सी)	• विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान.
	धारा 9(3एए)	• कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह फिट एवं ट्रेक रिकॉर्ड के आधार पर ईमानदारी एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार उपयुक्त स्थिति में न हो.
	धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी)	• भारतीय रिजर्व बैंक ने उप धारा(3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में किसी के फिट एवं उचित स्थिति का आकलन करने हेतु प्राधिकार, इस आकलन को करने का तरीका, इस आकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति एवं अन्य सभी मामले जो भी इसके लिए आवश्यक एवं प्रासंगिक हों को उल्लेखित किया है.
	धारा 13(2)	• चुने गये ऐसे निदेशक को, जो कथित अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण न करता हो, को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक अधिकार प्रदान करती हैं. • विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता.
राष्ट्रीयकृत बैंक्स (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970	खंड 9(4)	• चुने गये निदेशक के पद कार्यालय की शर्तें
	खंड 10	• बैंक के निदेशक चुने जाने से निरर्हता.
	खंड 11	• निदेशक के कार्यालय को छोड़ना.
	खंड 11ए	• चुने गये निदेशक को पद मुक्त करना.
	खंड 11 बी	• चुने गये निदेशक के कार्यालय में सामान्य पद को भरना.
	खंड 12(8)	• कुछ व्यवस्थाओं में जिसमें निरीक्षक की रूचि हो, उनमें उनके हितों का प्रकटीकरण.

अधिनियम योजना / विनियम /अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
सेन्ट्रल बैंक इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998	विनियम 10	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग.
	विनियम 61	• साधारण बैठक में मतदान
	विनियम 63	• साधारण बैठक में निदेशकों का चयन
	विनियम 64	• शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	• चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन
	विनियम 66	• नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम 67	• चुनाव विवाद
	विनियम 68	• मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	• विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
	विनियम 70	• प्रॉक्सी
भारिबैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011.	बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9(3एए) एवं खंड 9 (3एबी) के अनुसरण में.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के चयनित निदेशकों हेतु 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड.

- **वेबसाइट पर दिए गए अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं का सारांश**

  शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना, अधिनियम के सारांश सहित भारिबैं की दिनांक 1 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 46 एवं 47 /2939.001/2007-08 एवं दिनांक 23 मई, 2011 की अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11, हमारे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध होगी. ये सारांश बैंक के प्रधान कार्यालय चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 में स्थित सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सेक्रेटरी को सम्बोधित अनुरोध पर नामांकन प्रारूप को प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 15 जून, दिन शुक्रवार, 2018 को अथवा इससे पूर्व ई-मेल भी किया जाएगा.

- **अभ्यर्थी हेतु योग्यताएं**

  अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 9 (3ए) में वर्णित योग्यताओं का अनुपालन करेंगे और योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रसित न हों और विनियम के विनियम 65 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

  (ए) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होते हुए एक अभ्यर्थी जो बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है तो उसे -

  (ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, -
  कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
  बैंकिंग,
  सहकारिता,
  अर्थव्यवस्था,
  वित्त,
  विधि,
  लघु उद्योग,
  किसी अन्य मामले में कोई विशेष ज्ञान, एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो;

  (बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

  (सी) कृषकों, कामगारों, कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

(बी) अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारिबैं के अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थी को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो बैंक के निदेशक का नामांकन भरते समय ट्रैक रिकार्ड के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित", सत्यनिष्ठा और भारिबै द्वारा समय समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों को पूरा करता हो.

(सी) इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रतिज्ञापत्र विलेख निष्पादित करना होगा और इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा.

- **बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के उपरांत अयोग्यताएं**

(ए) बैंक राष्ट्रीयकरण (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति

एक निदेशक के रूप में नियुक्ति एवं निदेशक होने के लिए अयोग्य हो जाता है जब वह -

(ए) यदि वह कभी किसी समय दिवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा भुगतान आस्थगित हुआ हो अथवा लेनदारों के साथ यौगिक हो; अथवा

(बी) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति एवं विचार वाला घोषित किया गया हो; अथवा

(सी) यदि वह फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो; अथवा

(डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑ फ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम,1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर प्रबंध निदेशक सहित अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) एवं खंड (एफ) के अंतर्गत संबंधित सादृश बैंक के कर्मचारियों में से किसी कार्यालय में नामांकित निदेशक के तौर पर लाभकारी पद धारित करता हो. और

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 की के अनुसार, यदि वह बैंक की निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं उचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है उसका नामांकन वैध नहीं माना जाएगा.

- **प्रतियोगियों के लिए शेयरधारकों की सूची**

मंगलवार, दिनांक 29 मई 2018 को बैंक के शेयरधारकों की सूची दिनांक **शनिवार, 2 जून 2018** को/से "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" मुम्बई के पक्ष में देय **₹ 50,000 (पचास हजार रुपए मात्र)** के डिमांड ड्राफ्ट के साथ सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9 वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 को सम्बोधित आवेदन प्रस्तुत करने पर बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगी. इच्छुक अभ्यर्थी शेयरधारकों की सूची की जांच कर सकते है एवं उससे कुछ अंश निकाल भी सकते है.

- **शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण**

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में निरीक्षण हेतु सोमवार से शनिवार तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा (दूसरे एवं चौथे शनिवार एवं बैंक अवकाश को छोडकर). यदि कोई भी शेयरधारक इसकी प्रति अथवा रजिस्टर का कम्प्यूटर प्रिंट अथवा उसका कोई भाग प्राप्त करना चाहता है तो प्रति 1000 शब्द अथवा उसके किसी भाग के लिए ₹ 5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर यह उपलब्ध कराया जाएगा.

- **चुनाव में भागीदारी**

ऐसे शेयरधारक जिनका नाम दिनांक 29 मई, 2018 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार सदस्य /लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, वे सभी केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र होंगे.

विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो दिनांक 29 मई, 2018 के साधारण बैठक से पूर्व के विनिर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, हाथ के प्रदर्शन से एक वोट एवं मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रति शेयर हेतु एक वोट दे सकेगा.

- **नामांकन :**

नामांकनों की वैधता

विनियम 65 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना - डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार एवं विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी अभ्यर्थी का नामांकन वैध होगा बशर्ते :

(ए) वह, चुनाव में भाग लेने हेतु विनिर्दिष्ट तारीख मंगलवार, 29 मई, 2018 को बैंक के न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक हो;

(बी) शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 2018 को (नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि), वह अधिनियम, योजना अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो;

(सी) अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित नामांकन हो बशर्ते कि शेयरधारक के कंपनी होने पर यह कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो एवं जब ऐसा किया गया हो, तो जिस बैठक में यह संकल्प पास किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रामाणित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को सहायक महाप्रबन्धक- एमबीडी एवं कम्पनी सेक्रेटरी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्दर्मुखी, नरीएमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति को कथित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.

(डी) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) के साथ अभ्यर्थी का इस आशय का घोषणापत्र इस नोटिस में दिए गए घोषणा एवं नामांकन के प्रारूपों के नमूने के अनुसार किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासन (एश्श्युरेंस) रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित है कि वह नामांकन स्वीकृत करता है और चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है, एवं वह निदेशक के रूप में नामांकन हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अथवा किसी अधिनयम अथवा योजना अथवा विनियम अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसका व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) और यह पुष्टिकरण कि उक्त विवरण उसकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन सूचनाओं से संबंधित कुछ भी घटित होने पर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा.

(ई) नामांकन प्रारूप एवं घोषणापत्र, विनियम द्वारा यथानिर्धारित संलग्न प्रारूप के अनुसार हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.)

नामांकन प्रारूपों की प्रस्तुति

निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रतिभागी निम्नलिखित प्रस्तुत करें :

(ए) विधिवत भरा हुआ घोषणापत्र;

(बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;

(सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचनाएं, घोषणापत्र एवं वचन पत्र, संबंधित दस्तावेजों, अनुशंसा पत्र, अर्थात बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाणपत्र, अनुभव इत्यादि के साथ हर प्रकार से पूर्ण सभी दस्तावेज मुहरबन्द लिफाफे में सहायक महाप्रबन्धक- एमबीडी एवं कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 को बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस अर्थात शुक्रवार, 15 जून, 2018 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत किए जायं.

- **निदेशकों का चुनाव एवं दस्तावेजों की संवीक्षा**

ए) नामांकनों की संवीक्षा, नामांकन की प्राप्ति हेतु नियत तिथि के अगले कार्यदिवस अर्थात सोमवार, 18 जून, 2018 को की जाएगी एवं किसी नामांकन के वैध न पाए जाने के मामले में उसकी निरस्तगी के कारणों को दर्ज करते हुए उसे निरस्त कर दिया जाएगा.

बी) नामांकनों की संवीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 नवम्बर, 2007 एवं दिनांक 23 मई, 2011 के 'उपयुक्त एवं यथोचित" दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति की संवीक्षा के अधीन होंगे.

सी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए सिर्फ एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता हैं, तो इस प्रकार नामांकित अभ्यर्थी को चुना हुआ मान लिया जाएगा और इस प्रकार चुने जाने पर उनके नाम एवं पते प्रकाशित किएं जाएंगे. ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य हेतु आयोजित की गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा. निर्वाचित अभ्यर्थी उनके निर्वाचित घोषित होने की तारीख से अगली तारीख को पदभार ग्रहण करेंगे.

डी) चुनाव होने की स्थिति में यदि वैध नामांकन एक से अधिक हो तो चुनाव में बहुमत प्राप्त अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा और उसके नामों की घोषणा एजीएम के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा. वे दिनांक 1 जुलाई, 2018 से पदभार ग्रहण करेंगे..

ई) कोई भी विवाद होने पर उसे विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा.

नामांकनों का वापस लिया जाना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2018 को कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व तक किसी भी समय नामांकन वापस लेने का पात्र होगा.

निदशकों के हित

बैंक के निदेशकों का कारोबार के उपर्युक्त मदों से संबद्ध अथवा उनमें रुचि होना समझा जाएगा, यदि वे चुनाव लड़ते है.

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुम्बई
दिनांक 25.05.2018

आनंद कुमार दास
सहायक महा प्रबंधक - एमबीडी/कम्पनी सचिव

घोषणा पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा)

(विनियम के नियम 65 का सन्दर्भ लें)

मैं श्री/श्रीमती ____________________ पुत्र/पुत्री/ पत्नी

श्री/श्रीमती ____________________, निवास स्थान ____________________

____________________ एतदद्वारा पुष्टि करता / करती हूं कि :

ए. मैं, चुनाव में भागीदारी के लिए **निर्धारित तिथि शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2018** को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ₹ 10 /- प्रत्येक के ____________ (पूर्ण प्रदत्त) फोलियों सं. ____________/डीपी आईडी सं.____________/ग्राहक आईडी सं. ____________ के अंतर्गत शेयरधारक हूं. एवं

बी. मुझे * (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त व्यवस्था, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, अथवा ____________________ (भा.रि.बैं. की राय में जिसका विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए उपयोगी रहेगा) एवं मैं बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 ए के अनुरूप जमाकर्ताओं/कृषकों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं जिनके प्रमाण स्वरूप मैं यहां आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं; एवं

सी) मैं .... से .... संख्या तक के नामांकन स्वीकार करता /करती हूं. एवं

डी) मैं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव को लड़ने के लिए इच्छुक हूं, एवं

ई) मैं, बैंकिंग विनियम अधिनयम 1949 के प्रावधानों, बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंक राष्ट्रीयकरण (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998 एवं भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के अयोग्य नहीं हूं एवं

एफ) मैं, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक का न ही कर्मचारी हूं, न ही कोई लाभ का पद धारण करता हूं.

जी) मैं अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं संलग्न कर रहा हूं जो मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है; एवं

एच) यह पुष्टिकरण कि उक्त विवरण उसकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन सूचनाओं से संबंधित कुछ भी घटित होने पर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा एवं बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने पर मैं सहमति विलेख को निष्पादित करूंगा.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियों सं. (यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणाएं मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई हैं

हस्ताक्षर एवं मुहर ____________________

प्रमाणनकर्ता अधिकारी का नाम ____________________

नामिती द्वारा यह घोषणापत्र किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासन पंजीयक अथवा उप पंजीयक, अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाय.

* जो भी लागू हों, उस पर निशान लगाएं.

नामांकन प्रारूप

(शेयरधारक के लिए)

(विनियम के नियम 65 (डी) का सन्दर्भ)

क्रम सं.

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय,
चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुम्बई - 400021

महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके नोटिस दिनांक 25.05.2018 के सन्दर्भ में मैं, श्री/श्रीमती ________________

चुनाव में भागीदारी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, दिनांक 29 मई, 2018 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रति शेयर ₹ 10 (पूर्णतः प्रदत्त) के ____________.शेयरों का/की शेयरधारक हूं, एतदद्वारा श्री/श्रीमती ________________

पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमती ________________ निवास ________________

________________ बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970, की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के अनुसार शनिवार दिनांक 30 जून, 2018 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक में, बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक चयनित होने के लिए नामांकित करता /करती हूं.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियों सं. (यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट्स :

1. किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा नामांकन के मामले में, नामांकन प्रारूप के साथ उस बैठक, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा इस हेतु संकल्प पारित किया गया हो, के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति भी प्रस्तुत की जाय.
2. अभ्यर्थी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों के साथ मिलने चाहिए.
3. उपर्युक्त किसी कॉलम के खाली छोड़े जाने अथवा उसमें कोई विवरण असत्य पाए जाने पर नामांकन निरस्त होने योग्य होगा.

यहां अपना स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

व्यक्तिगत सूचना, घोषणापत्र एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा एवं वचन पत्र के 2018 के अनुरूप संलग्नक		
I.	**अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण**	
1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता का पूरा नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	राष्ट्रीयता	
5.	1. स्थाई खाता सं. (आयकर अधिनियम के अंतर्गत) 2. आय कर सर्कल/डिवीजन का नाम एवं पता जहां पर व्यक्तिगत कर प्राप्तियां जमा होती है.	
6.	स्थाई पता	
7.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)	
8.	(1) ई-मेल आईडी	
	(2) टेलीफोन नं. (लैंडलाइन)	
	(3) मोबाइल नं.	
II.	**योग्यता एवं अनुभव**	
1.	योग्यता (शैक्षिक/अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).	
2.	योग्यता (व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) .	
3.	ज्ञान (बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार.	
4.	अनुभव (कृपया बैंक के निदेशन से संबंधित आपके अनुभव का विवरण दें).	
5.	बैंक के निदेशन से संबंधित कोई अन्य जानकारी.	
III.	**अभ्यर्थी के संबंधियों का विवरण**	
1.	उन संबंधियों का विवरण, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से बैंक से जुड़े हो [कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77), सहपठित कंपनी (पर परिभाषा विवरण की विस्तृत जानकारी) नियम, 2014 का नियम 4 का संदर्भ लें.]	
2.	ऐसी इकाइयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें वे रुचि रखते हो [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें]	
3.	अभ्यर्थी के नाम में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के धारित शेयरों का विवरण, यदि कोई हो, पर: (कृपया धारित शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, लेजर फोलियो नम्बर(रों) अथवा डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का विवरण दें).	
4.ए	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अभिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी पर्याप्त हितधारक माना जाता हो.	
4.बी	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अभिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी से संबंधित पार्टियां पर्याप्त हित रखती है.	
5.	पिछले छः वर्षों के दौरान बैंक(कों) के बोर्ड(डों) का निदेशन/सदस्यता (कृपया बैंक(कों) के नाम, अधिनियम का संबंधित प्रावधान जिसके अंतर्गत नियुक्ति/नामांकन किया गया था एवं ऐसी सदस्यता/निदेशन की धारण अवधि).	
6.	उपरोक्त 3, 4(ए) एवं 5 में सूचिगत संस्थानों से वर्तमान में अभ्यर्थी द्वारा ली जा रही निधि एवं गैर-निधिगत सुविधाएं, यदि कोई हो.	
7.	ऐसे मामले, जिनमें अभ्यर्थी अथवा उपर्युक्त मद सं 3, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीबद्ध इकाइयां सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हैं अथवा पूर्व में चूककर्ता रही हैं.	
IV.	**व्यवसायिक उपलब्धियां**	
1.	व्यवसायिक उपलब्धियां (कृपया उन उपलब्धियों का विवरण दें जो बैंक निदेशन से संबंधित हों).	

अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा एवं वचन पत्र के 2018 के अनुरूप संलग्नक		
V.	**अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो,**	
1.	क्या अभ्यर्थी किसी व्यवसायिक संस्था/संगठन का सदस्य है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, लंबित अथवा शुरु हुई हो अथवा पूर्व में उनके विरुद्ध में दोष सिद्धि में परिणित हुई हो, का विवरण अथवा वह कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित किया गया / की गई.	
2.	आर्थिक नियम एवं अधिनियम का उल्लंघन के लिए निदेशक और/अथवा उपरोक्त III-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीगत इकाइयों के विरुद्ध अभियोजन, कोई हो, लंबित हो, शुरु हुआ हो अथवा पूर्व में दोष सिद्ध हुए अभियोजन का विवरण.	
3.	अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान मुकदमा, यदि कोई हो, सहित पूर्व में अभ्यर्थी के विरुद्ध हुए आपराधिक अभियोजन, लंबित अथवा प्रारंभ हुए अथवा दोष सिद्धि में परिणित हुए का विवरण.	
4.	क्या अभ्यर्थी/निदेशक में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खण्ड 10 में वर्णित कोई अयोग्यता है ?	
5.	क्या अभ्यर्थी अथवा उपरोक्त III-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीगत इकाइयों के विरुद्ध सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के अनुरोध पर कोई जांच हुई है?	
6.	क्या अभ्यर्थी कभी सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर / विदेशी मुद्रा विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा नियम/अधिनियम/ वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंधन का दोषी पाया गया है ?	
7.	क्या अभ्यर्थी /निदेशक को कभी सेबी, आईआरडीए, भारिबैं, एमसीए, फेमा इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है. (यद्यपि अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्णयों जिन्हें बाद में पलट / दरकिनार कर दिए गए हों उनका हू-बहू उल्लेख करें परंतु तब अवश्य किया जाय है कि जब ऐसे मामले न्याय क्षेत्र की सीमाओं अथवा कभी जैसे तकनीकी कारणों से पलटे / दरकिनार किए गए हो न कि मामले के गुणदोष के आधार पर. यदि नियामक का आदेश अस्थाई तौर पर स्थगित किया गया हो एवं अपीलेट/अदालती कार्यवाही लंबित हो तब भी उसका उल्लेख किया जाय).	
8.	अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अभ्यर्थी/निदेशक क्या किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा बैंक अथवा कम्पनियों इत्यादि के निर्देशों अथवा अनुदेशों पर कार्य करेंगे? यदि हां, तो विवरण दें.	
9.	क्या अभ्यर्थी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बैंक से कोई व्यवसाय किया है ? यदि हां, तो विवरण दें.	
10.	उपर्युक्त I से V तक की मदों के संबंध में कोई अन्य व्याख्या/सूचना एवं अन्य जानकारी जो 'उपयुक्त एवं यथोचित' स्थिति के निर्धारण हेतु प्रासंगिक मानी जाय.	

वचननामा

मैं...पुत्र/पुत्री श्री .... पुष्टि करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से पूर्णत: सत्य एवं संपूर्ण है. मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में मेरे चुनाव के अनुवर्ती घटित होने वाली ऐसी घटनाओं, यदि कोई हों, और जो ऊपर दी गई सूचनाओं से संगत हों, के बारे में यथाशीघ्र बैंक को अवगत कराते रहने का वचन देता हूं.

बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित करने हेतु वांछित सहमति विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता हूं.

स्थान:

दिनांक: अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

संलग्नक:

नोट: 1. जहां भी स्थान पर्याप्त न हो, वहां कृपया कालक्रमानुसार और समुचित अन्योन्य सन्दर्भ सहित अनुलग्नक संलग्न करें.

2. सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवश्यक है.

नामांकन समिति का अवलोकन

सदस्य के हस्ताक्षर	**सदस्य के हस्ताक्षर**	**सदस्य के हस्ताक्षर**

दिनांक:

स्थान :

निदेशकों का चयन

संबद्ध अधिनियम, योजना, विनियमन एवं अधिसूचना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, शेयर धारक निदेशकों का चयन केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों द्वारा अपने में से धारा 3 की उप-धारा 2(बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा के आधार पर किया जाएगा. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक्स (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 की संबंधित धाराएं, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के संबंधित विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 का सार संक्षेप, शेयर धारकों की सूचनार्थ नीचे उद्धरित हैं.

I. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध - धारा 16(1)

भारत में निर्गमित कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपने निदेशक मण्डल में एक निदेशक के रूप में किसी ऐसी व्यक्ति को नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी का निदेशक हो.

ऋण एवं अग्रिमों पर नियंत्रण - धारा 20

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में उल्लिखित के विपरीत होते हुए भी कोई भी बैंकिंग कम्पनी निम्नलिखित नहीं करेगी -

(ए) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं करेगा, अथवा

(बी) निम्नलिखित को अथवा इनकी ओर से किसी को ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत करने की प्रतिबद्धता नहीं दर्शाएगा -

I. अपना कोई भी निदेशक,

II. ऐसी कोई फर्म जिसमें अपना कोई निदेशक साझेदार,प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गरांटीकर्ता के रूप में हो.

III. बैंकिंग कम्पनी का कोई निदेशक किसी कम्पनी [बैंकिंग कम्पनी की अनुषंगी अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 की 1) की धारा 25 के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी अथवा एक सरकारी कम्पनी न हो] उसका अथा अनुषंगी अथवा उसकी धारक कम्पनी में निदेशक, प्रबंधक एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गरांटीकर्ता हो अथवा जिसमें उनका पर्याप्त हित हो, अथवा

IV कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसका कोई निदेशक एक साझेदार अथवा गारंटीकर्ता हो.

(2) बैंकिंग कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऐसा कोई ऋण अथवा अग्रिम जिसे पेअदान करने की प्रतिबद्धता नहीं की जाती, यदि ऋण अथवा अग्रिम दिए जाने की तारीख को उपधारा (1) का खंड (बी) लागू होता अथवा बैंकिंग नियम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के लागू होने के पश्चात बैंकिंग कम्पनी द्वारा प्रदान किया गया हो परंतु उक्त के लागू होने से पूर्व की गई प्रतिबद्धता के अनुवर्तन में दिया गया हो, तो बैंकिंग कंपनी की ऋण अथवा अग्रिम एवं ब्याज, यदि कोई हो, की बकाया राशि को ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय निर्धारित समयावधि अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं है, वहां कथित धारा 5 के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व वसूल करने के कदम उठाए जाएंगे.

परंतु भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी मामले में, बैंकिंग कम्पनी की ओर से इस बारे में लिखित रूप में आवेदन करने पर, ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि किसी ऐसी तारीख तक भारिबैं द्वारा योग्य समझी गई शर्तों के अधीन बढ़ा सकती है, जो कथित धारा 5 के लागू होने से 3 वर्ष बाद की न हो, परंतु यह भी कि यह उप-धारा लागू नहीं होगी यदि बैंकिंग कम्पनी के संबंधित निदेशक का पद निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो गया हो.

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित, ऋण अथवा अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषण नहीं किया जाएगा एवं ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगी.

(4) उप-धारा (2) में संदर्भित ऋण अथवा अग्रिम की चुकौती किसी व्यक्ति द्वारा की जानी है, उसके उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को अदा न करने पर, यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित कथित अवधि की समाप्ति की तारीख को उस बैंकिंग कम्पनी का निदेशक है तो उस कथित तारीख से उस निदेशक द्वारा पद त्याग किया हुआ माना जाएगा.

स्पष्टीकरण - इस खण्ड में -

(ए) "**ऋण अथवा अग्रिम**" में ऐसे लेनदेन को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे इस धारा के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक लेनदेन की प्रकृति, वह अवधि जिसमें, वे परिस्थितियां एवं तरीके जिनमें, लेनदेन के कारण से कोई राशि वसूली जानी हो, जमाकर्ताओं का ब्याज एवं अन्य संगत प्रतिफल को अपने विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश द्वारा ऋण अथवा अग्रिम न होने का उल्लेख करता हो.

(बी) किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में इसके सभी मामलों अथवा किसी मामले के प्रबंधन से अथवा प्रबंधन के संबंध में सलाह के उद्देश्य से गठित बोर्ड अथवा समिति के सदस्य में "**निदेशक**" शामिल हैं.

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के उद्देश्य से कोई लेनदेन, ऋण अथवा अग्रिम है अथवा नहीं, इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा एवं इस पर उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा.

II. बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

वोटिंग अधिकारों पर निषेध

धारा 3(2ई) :

सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार के अलावा अन्य कोई शेयरधारक, उस अपने धारित शेयरों के संबंध में सदृश नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का पात्र नहीं होगा.

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3)(i) :

यदि धारा (3) की उप-धारा (2बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी -

(I) कुल चुकता पूंजी का 16% से अधिक न होने पर, एक निदेशक;

(II) कुल चुकता पूंजी का 16% से अधिक लेकिन 32% से अधिक न होने पर, दो निदेशक,

(III) कुल चुकता पूंजी का 32% से अधिक होने पर, तीन निदेशक,

शेयरधारक केंद्र सरकार के अलावा, अपने बीच में से चुनेंगे :

तथापि चयनित निदेशकों की संख्या के मामलों में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के लागू होने अथवा उससे पूर्व, किसी सदृश नए बैंक में निदेशकों की सं. उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III) जैसा भी मामला हो, में निर्धारित संख्या से अधिक होने पर, उक्त के प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित ऐसे अधिक संख्यक निदेश, योजना में यथानिर्धारित तरीके से सेवानिवृत्ति होंगे तथा वे अपने पद के कार्यकाल से पूर्व अपरिपक्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी क्षतिपूर्ति की मांग के पात्र नहीं होंगे.

धारा 9(3ए):

उपर्युक्त खण्ड (i) के अंतर्गत चुने गए निदेशक -

(ए) निम्नलिखित विषयों में से एक अथवा अधिक में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो -

(i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

(ii) बैंकिंग,

(iii) सहकारिता,

(iv) अर्थशास्त्र,

(v) वित्त,

(vi) विधि,

(vii) लघु उद्योग

(viii) किसी अन्य मामले में कोई विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव जो रिजर्व बैंक की राय में सदृश नए बैंक के लिए उपयोगी हो;

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) कृषक, कर्मचारियों एवं दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

धारा 9(3एए) :

उप-धारा (3ए) के प्रावधानों पर बिना किसी पूर्वाग्रह एवं इस अधिनियम अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य नियम में निहित के विपरित होते हुए भी कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निदेशक चुने जाने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह निर्दिष्ट पृष्ठभूमि, विश्वसनीयता एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर अधिसूचित मानदंडों के आधार पर "**उपयुक्त एवं यथोचित**" स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता.

धारा 9(3बी) :

यदि रिजर्व बैंक का यह मत हो कि उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित सदृश नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा(3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता/करती है, तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, आदेश द्वारा, उस निदेशक को बर्खास्त कर सकता है एवं ऐसी बर्खास्तगी पर, निदेशक मंडल उस बर्खास्त किए गए व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति, जो उप-धारा (3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो को सदृश नए बैंक की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत निदेशक का चयन होने तक निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा एवं इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति सदृश नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत चुना हुआ निदेशक माना जाएगा.

कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता के रूप में दायित्व

धारा 13(2) :

सदृश नए बैंक के सभी निदेशक, स्थानीय बोर्ड अथवा समिति के सदस्य, अथवा लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपना दायित्व सम्भालने से पूर्व तृतीय अनुसूची में निर्धारित प्रारुप में कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता की घोषणा करेंगे.

III. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1970

चयनियत निदेशक के पद का कार्यकाल

खण्ड 9(4):

एक चयनित निदेशक तीन वर्ष तक अपने पद पर रहेगा एवं पुन: चयन के लिए पात्र होगा:

परंतु ऐसा कोई निदेशक लगातार छ: वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने पद पर नहीं बने रहेंगे.

निदेशकों की अयोग्यता

खण्ड 10:

एक व्यक्ति निदेशक के पद पर होने अथवा नियुक्ति के लिए, अयोग्य होंगे -

(ए) यदि वे कभी भी दिवालिया धोषित किया जा चुका हो अथवा भुगतान आस्थगित किए हो अथवा उसके लेनदारों के साथ संयोजित हो; अथवा

(बी) यदि वह संक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति एवं विचार वाला घोषित किया गया हो; अथवा

(सी) यदि वह अपराध जिसमें नैतिक भ्रष्टता के लिए दंड न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, अथवा

(डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, प्रबंध निदेशक सहित अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) एवं खंड (एफ) के अंतर्गत संबंधित सादृश बैंक के कर्मचारियों में से किसी कार्यालय में नामांकित निदेशक के तौर पर लाभकारी पद धारित करता हो.

निदेशकों का पद त्यागना

अनुच्छेद 11:

(1) यदि कोई निदेशक खंड 10 में उल्लिखित किसी भी प्रकार से अयोग्य हो जाता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो वह समझा जाएगा कि उन्होंने पद त्याग कर दिया है एवं उनका पद रिक्त हो जाएगा.

(2) अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (बी) खंड (सी) या खंड (डी) में उल्लिखित निदेशक, प्रबंध निदेशक सहित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्र सरकार को इस संबंध में लिखित में नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और इस प्रकार का त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर उनका पदत्याग समझा जाएगा, कोई अन्य निदेशक, केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र, केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति से प्रभावी माना जाएगा.

(3) पूर्व में कथित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित पद, सिवाय राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार जिनका वह निदेशक है, उस निदेशक के अन्य कामगार या कर्मचारी न रहने पर वह पद रिक्त माना जाएगा.

(4) एक चुने हुए निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशक का पद रिक्त होने पर उस अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के अनुसार भरा जाएगा.

चुने हुए निदेशक को पदच्युत करना

अनुच्छेद 11ए

केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, उन सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी का आधे से अधिक रखने वाले ऐसे शेयरधारकों के बहुमत

से पारित संकल्प द्वारा अधिनियम 9 के उपनियम (3) के खंड (i) के अंतर्गत चुने गए किसी निदेशक को पदच्युत किया जा सकता है तथा बदले में अन्य व्यक्ति द्वारा रिक्ति को भरा जा सकता है.

चयनित निदेशक के पद की रिक्ति को भरना

अनुच्छेद 11 बी

(1) किसी चयनित निदेशक के कार्याकाल समाप्ति से पूर्व रिक्ति होने पर उसे चुनाव द्वारा भरा जाएगा:

बशर्ते कि रिक्ति की समयावधि 6 माह से कम होने पर, शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है,

(2) उप-खंड (1) के अंतर्गत चयनित अथवा सहयोजित कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्त्ती के कार्यकाल असमाप्त अवधि के लिए उस पद पर रह सकता है,

निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण

अनुच्छेद 12(8)

एक निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा, ऋण, वित्त व्यवस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से किए गए अथवा प्रस्तावित प्रस्ताव से कोई संबंध रखता है अथवा उसमें हित रखता है तो, संबद्ध परिस्थितियों के उसके संज्ञान में आने के उपरांत यथा संभव शीघ्र, अपने हितों को बोर्ड के समक्ष प्रकट करेगा ऐसे संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के संबंध में होने वाली चर्चा की बैठक में तब तक उपस्थित नहीं रहेगा जब तक कि सूचनाओं पर प्रकाश डालने के लिए उसकी उपस्थिति अन्य निदेशकों द्वारा वांछित न हो एवं ऐसा कोई भी निदेशक ऐसी संविदा ऋण, व्यवस्था अथवा प्रस्ताव पर वोट नहीं डाल सकेगा:

बशर्ते कि इस उपखंड में निहित प्रावधान ऐसे निदेशक पर उसके निम्नलिखित कारणों के रहते हुए लागू नहीं होंगे:

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में यथा समय लागू किसी नियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम अथवा सहकारी संस्था में वह शेयरधारक (निदेशक के अतिरिक्त) उसकी कुल चुकता पूंजी का 2% से अधिक धारित न करता हो, या जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ संविदा, ऋण, व्यवस्था अथवा प्रस्ताव किया है अथवा कराया गया है अथवा ऐसा किया जाना प्रस्तावित है, अथवा

(ii) राष्ट्रीकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (ई), अथवा खंड (एफ) में विनिर्दिष्टानुसार निदेशक हो.

IV. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियम 10:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में है, रजिस्टर में नामित प्रथम व्यक्ति को शेयरों के अंतरण के अलावा मामलों यथा वोटिंग, लाभांश की प्राप्ति, सूचनाओं का प्रेषण एवं बैंक से संबंधित अन्य किसी मामलों के लिए, एकल धारक माना जाएगा.

साधारण बैठकों में निदेशक चुना जाना

विनियम 63

(i) अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (i) के अंतर्गत कोई निदेशक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की साधारण बैठक में उन्ही में से चुना जाएगा.

(ii) जब किसी साधारण बैठक में निदेशक का चुनाव किया जाना हो तब इसकी सूचना आयोजित किए जाने की सूचना में सम्मिलित की जाएगी. ऐसी प्रत्येक सूचना में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा उन रिक्तियों का विवरण दिया जाएगा जिनके लिए चुनाव किया जाना है.

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

(i) इन विनियमों के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक का चुनाव करने के उद्देश्य के लिए, रजिस्टर में दर्ज उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है.

(ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, धारित शेयरों की संख्या, शेयर प्रदर्शक संख्या शेयरों के पंजीकरण की तिथि चुनाव करने के लिए तय बैठक की निर्धारित तारीख को उनके वोटों की पात्रता का उल्लेख होगा तथा इसकी प्रतियां प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर बोर्ड अथवा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित कीमत पर बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व खरीद हेतु उपलब्ध होगी.

चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

विनियम 65:

(i) किसी अभ्यर्थी का एक निदेशक के तौर पर चुनाव के लिए नामांकन तब तक वैध नही होगा जब तक कि -

(ए) वह बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक न हो,

(बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को वह अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत निदेशक होने के अयोग्य न हो.

(सी) उसके द्वारा एकल या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में उसने किसी भी मांग की निर्धारित अंतिम तारीख से पूर्व सभी मांगों का भुगतान कर दिया हो.

(डी) अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित नामांकन हो बशर्ते कि शेयरधारक के कंपनी होने पर यह कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो एवं जब ऐसा किया गया हो तो जिस बैठक में यह संकल्प पास किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रामाणित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति को कथित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.

(ई) नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार, अथवा सबरजिस्ट्रार ऑफ एश्यूरेंस या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा हो कि उसने नामांकन स्वीकार किया है और वह चुनाव के लिए खडे होने का इच्छुक है, और यह कि वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है.

(ii) कोई नामांकन वैध नहीं होगा यदि यह सभी प्रकार से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी कार्यदिवस को बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न हुआ हो.

नामांकनों की जांच

विनियम 66:

(i) नामांकन प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अनुवर्ती प्रथम कार्यदिवस को नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी और यदि किसी नामांकन के वैध नहीं पाए जाने पर, उसे इसका कारण स्पष्ट करते हुए इसे निरस्त कर दिया जाएगा. यदि चुनाव द्वारा किसी विशेष रिक्ति को भरने के लिए सिर्फ एक वैध नामांकन हो, ऐसा नामांकित उम्मीदावार तुरंत चुना हुआ माना जाएगा और और उसका नाम एवं पता उनके इस प्रकार चुने होने पर प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी परिस्थिति में इस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि यह उपर्युक्त बैठक सिर्फ कथित चुनाव के लिए ही बुलाई गई है, तो यह निरस्त हो जाएगी.

(ii) चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो बहुमत हासिल करने वाला उम्मीदवार चुना माना जाएगा.

(iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक उसके चुने हुए माने जाने की तारीख से अगले दिन पदभार संभाल लेना माना जाएगा.

चुनाव विवाद

विनियम 67:

(i) यदि किसी व्यक्ति के चुना जाना घोषित होने, या उसे चुना हुआ समझे जाने या निदेशक के चुनाव की वैधता के योग्य अथवा अयोग्य होने पर कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता हो तो कोई इच्छुक व्यक्ति, उम्मीदवार या शेयरधारक जो ऐसे चुनाव में वोट के लिए पात्र हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के अंदर, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित में इसकी सूचना देगा और कथित सूचना में उस पृष्ठभूमि का पूर्ण विवरण देगा जिसकी वजह से उसे चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उत्पन्न हुआ है.

(ii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक तुरंत ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (बी) एवं (सी) के अंतर्गत नामांकित किन्हीं दो निदेशकों से गठित समिति को निर्णय के लिए भेजेगा.

(iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यक समझे जाने के अनुसार जांच करेगी और वह यह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो यह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, अथवा यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था, तो जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के अंदर, ऐसा आदेश देगी तथा उस निदेशक को भी समिति न्यायोचित लगी परिस्थितियों में नया चुनाव हेतु कहेगी.

(iv) इस विनियम के अनुपालन में ऐसी समिति का एक आदेश एवं दिशानिर्देश अंतिम होगा.

वोटिंग अधिकारों का निर्धारण

विनियम 68:

(i) अधिनियम के अनुच्छेद 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो एक सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व पंजीकरण की समापन की तारीख को शेयरधारक के तौर पर पंजीकृत हुआ हो, ऐसी बैठक उसका में एक वोट हाथ प्रदर्शन से और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा.

(ii) अधिनियम के अनुच्छेद 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, उपर्युक्त वोट के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित या प्रॉक्सी के तौर पर उपस्थित है या जो कंपनी है वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित है उसे इसमें उपर्युक्त उप-विनियम (i) में कहे अनुसार हाथ प्रदर्शित कर एक वोट तथा मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा.

(स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए, "कंपनी" का तात्पर्य किसी भी निगमित निकाय से है)

(iii) एक साधारण बैठक में उपस्थित होने एवं वोट के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या नहीं) को अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए प्रॉक्सी का पात्र होगा, लेकिन नियुक्त किए गए ऐसे प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग

विनियम 69:

(i) शेयरधारक जो केन्द्र सरकार या एक कंपनी है, एक संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत करेगी एवं वह प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में जिसे) "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" कहा गया है. केन्द्र सरकार या कंपनी के जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है उन सभी अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करने का पात्र होगा मानो वह बैंक का एकल शेयरधारक हो. यदि ऐसा प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक के तौर पर दिया जा सकता है. ऐसे मामले में उन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर सकता है.

(ii) बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कोई व्यक्ति तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक कि उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, से प्रमाणित सत्यापित, साधारण बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यलय में जमा न कर दी जाए.

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 एवं सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011

कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा उसे "उपयुक्त एवं यथोचित" दर्जा न दिया जाए. नामांकन के साथ अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं फील्ड निपुणता, विशिष्ट ट्रैक तथा ईमानदारी इत्यादि की जानकारी दी जाए ताकि नामांकन समिति उसके संबंध में "उपयुक्त एवं यथोचित" दर्जे का निर्णय ले सके. किसी भी प्राधिकारी विनियामक की प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन या किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण का चूककर्त्ता होना संबंधित उम्मीदवार को बोर्ड के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त करेगा.

कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)
शुद्ध लाभ/हानि	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)
गैर ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)

निदेशक रिपोर्ट 2017-18

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 472323 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2017 को ₹ 449679 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक की कुल जमा राशि ₹ 294839 करोड़ हो गयी, जो 31 मार्च, 2017 में ₹ 296671 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष 16% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 177484 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2017 में ₹153008 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 26659 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 27537 करोड़ थी.
- बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹ 2623 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2876 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ ₹ 2733 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3089 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक ने ₹ 5105 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान निवल हानि ₹ 2439 करोड़ थी. यह हानि मुख्यत: उच्चतर एनपीए प्रावधानों, उच्चतर स्लीपेज/एजिंग एवं एनसीएलटी खातों में अतिरिक्त प्रावधानों, निवेश पर विशेष रूप से घटते ट्रेडिंग लाभ, निवल ब्याज आय में कमी इत्यादि के कारण है.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय ₹ 230 करोड़ की कमी के साथ ₹ 3984 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रू. 4214 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 9.46% हो गया, जिसमें टीयर I 5.50% और टीयर II 3.96% है. दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- III के अंतर्गत) 9.04% हो गया, जिसमें टीयर I 7.01% और टीयर II 2.03% है.
- बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 14845 करोड़ रही.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली बढ़कर ₹ 2403 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2378 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 21.48% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को 17.81% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए 11.10% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को 10.20% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को प्रोविजन कवरेज अनुपात सुधरकर 63.31% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को 58.43% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.47% रहा.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 12.71 करोड़ रहा.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (1.61%) रहा.
- वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन बढ़कर ₹82834.61 हो गया है. जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹9484.37 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एएनबीसी को ऋण के आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹22030 करोड़ के पीएसएलसी का विक्रय किया है तथा एमएसएमई पोर्टफोलियों में ₹7524.50 करोड़ की पीएसएलसी की खरीद की है. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री ₹ 14505.50 करोड़ रही. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में बैंक ने ₹1500 करोड़ के आईबीपीसी का भी विक्रय किया है. पूर्वोक्त विक्रय के बावजूद, बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में एएनबीसी से ₹ 6669.28 करोड़ का आधिक्य रहा.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का कृषि अग्रिम ₹ 30,776 करोड़ है.

- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एमएसएमई अग्रिम ₹ 34,025 करोड़ हुआ जो कुल ऋण एवं अग्रिमों का 19.17% है.
- मार्च, 2018 में रिटेल ऋण 50.35% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 48,123 करोड़ हो गया जो मार्च 2017 में ₹ 32,008 करोड़ था. बैंक ने रिटेल ऋण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2017 में एक व्यापक कार्यक्रम "रिटेल धमाका" का शुभारम्भ किया. कैम्पेन अवधि के दौरान ₹ 4980 करोड़ की राशि के ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.
- बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो मार्च, 2018 में ₹ 21,392 करोड़ रहा, जबकि मार्च, 2017 में यह ₹ 12,510 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 71.00% की वृद्धि दर्शाता है. कुल रिटेल पोर्टफोलियो में दिनांक 31 मार्च, 2018 को आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 44.45% रही.
- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं. वर्ष 2017-18 के दौरान, आरसेटी ने 1280 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 33,428 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 23403 (अर्थात 70%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है.
- बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6,387 बीसी एजेन्ट के माध्यम से कवर किए हैं. हमने 177 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले है. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 184.19 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले है. दिनांक 31 मार्च, 2018 को इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 2567 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹21.42 करोड़ हुई.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4685 शाखाएं, 4886 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2017-18 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

₹ करोड़ में

		31.03.2018	31.03.2017	विचलन	%
1	**ब्याज आय**	24036	24661	(625)	(2.53)
	-अग्रिम	14478	16283	(1805)	(11.09)
	-निवेश	7138	7372	(234)	(3.17)
	-अन्य	2420	1006	1414	140.56
2	**अन्य आय**	2623	2876	(253)	(8.80)
3	**कुल आय (1+2)**	26659	27537	(878)	(3.19)
4	**प्रदत्त ब्याज**	17519	18087	(568)	(3.14)
	-जमाराशियां	16222	17330	(1108)	(6.39)
	-अन्य	1297	757	540	71.33
5	**परिचालन व्यय**	6407	6361	46	0.72
	-स्थापना	3984	4214	(230)	(5.46)
	-अन्य	2423	2147	276	12.86
6	**कुल व्यय (4+5)**	23926	24448	(522)	(2.14)
7	**स्प्रैड (1-4)**	6517	6574	(57)	(0.87)
8	**परिचालन लाभ (3-6)**	2733	3089	(356)	(11.52)
9	**प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य**	7838	5528	2310	41.79
10	**कर के लिए प्रावधान**	(2791)	(1090)	(1701)	156.06
11	**शुद्ध लाभ / (हानि)**	(5105)	(2439)	(2666)	------

3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 7838 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018	31.03.2017	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	7	(164)	171
एनपीए के लिए प्रावधान	10543	6216	4327
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	(951)	321	(1272)
निवेश के लिए प्रावधान	799	300	499
करों के लिए प्रावधान	(2791)	(1090)	(1701)
अन्य	231	(55)	286
कुल	**7838**	**5528**	**2310**

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2018	31.03.2017
जमाओं की लागत	5.53	6.20
निधियों की लागत	5.79	6.27
अग्रिमों पर आय	8.31	9.01
निवेशों पर आय	7.14	7.38
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.47	2.51
लागत आय अनुपात	70.10	67.31

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2018	31.03.2017
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	7.59	8.10
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.83	0.94
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.86	1.01
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(1.61)	(0.80)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	12.71	11.81
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(13.86)	(6.49)

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2018		31.03.2017	
	बासल-II	बासल-III	बासल-II	बासल-III
टियर-I	5.50	7.01	6.87	8.62
टियर-II	3.96	2.03	3.50	2.33
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	9.46	9.04	10.37	10.95

7. शुद्ध हानि

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 5105 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर कोई किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार डॉ. सौरभ गर्ग निदेशक, दिनांक 16 अगस्त, 2017 को बैंक निदेशक पद से कार्य समय की समाप्ति पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए.
- दिनांक 17 अगस्त, 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 17 अगस्त, 2017 को श्री गोविन्द मोहन भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए.
- दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को तीन वर्षों की अवधि के लिए श्री बी.एस. शेखावत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए.
- दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रो. (डॉ.) आत्मानंद बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए.
- पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी(पीएफआरडीए) में पूर्ण कालिक सदस्य (वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय दिनांक 17 मार्च, 2018 को अपने कार्य समय की समाप्ति पर बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद से कार्य निवृत्त हुए.

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए डॉ. सौरभ गर्ग और श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है.

8.1 दिनांक 14 मई, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल प्रभाव (अर्थात दिनांक 14 मई, 2018 से प्रभावी) से और अगले आदेशों तक हमारे बैंक बोर्ड के वर्तमान निदेशक श्री गोविन्द मोहन के स्थान पर नियुक्त किया. डॉ. सिन्हा भारतीय आर्थिक सेवा,1993 के बैच के अधिकारी हैं. वर्तमान में वे आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में नियुक्त हैं. मई 2018 में डीएफएस में नियुक्ति से पूर्व, निवेश एवं सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग में आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉ. सिन्हा का तीन वर्षों का कार्यकाल रहा था. डॉ. सिन्हा ने नेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू), कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में मास्टर डिग्री और वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री ली है.

8.2 वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मई, 2018 के अनुसार श्री तपन रे को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तीन वर्षों के लिए अधिसूचना की तारीख (अर्थात दिनांक 23 मई, 2018 से प्रभावी) से अथवा नये आदेशों के आने तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है. श्री तपन रे सचिव (कॉर्पोरेट अफेयर्स), भारत सरकार, गुजरात कैडर के आईएएस के रूप में 35 वर्षों की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं. आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है. आपने वुडरो विलसन स्कूल, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएट और मैक्सवेल स्कूल, सिराक्यूज विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है. आपने कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी डिग्री हासिल की है. आपने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, जैसे- रक्षा, कपड़ा, विद्युत उर्जा, विज्ञान एवं तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं योजना मंत्रालयों में अपनी सेवायें प्रदान की हैं. आप गुजरात राज्य में वित्तीय विभाग में मुख्य सचिव थे. श्री रे, भारत सरकार के साथ-साथ गुजरात सरकार के विभिन्न कंपनियों में 12 वर्षों से अधिक के दीर्घ कॉर्पोरेट अनुभवों से संपन्न हैं. आप गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम और इसकी समूह कंपनियों के प्रबंध निदेशक के रूप में 5 वर्षों की सेवा दे चुके हैं. आपने सचिव (कॉर्पोरेट अफेयर्स) के रूप में सेबी के बोर्ड में भी अपनी सेवायें प्रदान की है.

9. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है. निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढाने में मदद मिलती है.

10. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्राप्तियों के आलोक में बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है. बैंक को यह विश्वास है कि पीसीए से निकलने वाले सुधारात्मक उपाय बैंक के संपूर्ण कार्यनिष्पादन को सुधारने में सहायता करेगा.

11. व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है जो बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है. इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बैंक के प्रधान कार्यालय में कम्पनी सचिव को लिख कर इसे प्राप्त कर सकता है.

12. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

- महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं.
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे.
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं.

13. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरस: अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

14. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

राजीव ऋषि
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण

भाग ए : आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2017 में 3.8% की वृद्धि दर्ज की है, जब कि वर्ष 2016 में यह 3.2% थी और उम्मीद है कि वर्ष 2018 में विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से यह स्थिति बरकरार रहेगी. विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2017 में 2.3% वृद्धि दर्ज की है, जब कि वर्ष 2016 में यह 1.7% थी. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक, यूएस की अर्थव्यस्था में वर्ष 2017 में 2.3% की वृद्धि हुई है, जब कि वर्ष 2016 में यह 1.5% थी. यूएस में समष्टि मानदंडों में व्यापक सुधार हुआ है. वर्ष 2017 में यूएस में मुद्रास्फीति बढ़ गई और 2.1% के स्तर पर पहुंच गई. यूएस संघ ने क्रमिक दर वृद्धि के साथ अपनी मौद्रिक नियंत्रण प्रक्रिया को जारी रखा हुआ है. यूरो क्षेत्रों में; वर्ष 2017 में वास्तविक जीडीपी 2.3% बढ़ गया है. इस क्षेत्र में, वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति 1.5% बढ़ गई है. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में सकल पूंजी निर्माण और औद्योगिक उत्पादन दोनों बढ़ गए हैं. वर्ष 2017 में, जापान की जीडीपी 1.7% बढ़ गई है. अनुकूल घरेलू मुद्रा के सहयोग से वर्ष 2017 में निर्यात बढ़कर 6.8% हो गया है. निजी उपभोग में वृद्धि के कारण घरेलू मांग बढ़ गई. उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच, वर्ष 2017 में चीन का जीडीपी 6.9% हो गया, जो हमारे देश द्वारा वित्तीय लिवरेज को कम करने का मार्ग अपनाने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है. वर्ष 2017 में मुद्रा स्फीति 1.6% हो गई. वर्ष 2017 में अचल आस्तियों में निवेश बढ़कर 7.2% हो गया. वर्ष 2017 में उपभोक्ता वस्तुओं की रिटेल बिक्री बढकर 9.4% हो गई है. वर्ष 2017 में रूस की अर्थव्यवस्था लगातार दो वर्षों के संकुचन के पश्चात बढ़कर 1.5% के स्तर पर पहुँच गई. वैश्विक कारकों, ब्राजील की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 में 1% की वृद्धि हुई. जैसे कि यूएस में ब्याज दर चक्र, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि भारत के पूँजीगत प्रवाह, विनिमय दर इत्यादि पर प्रभाव डाल सकता है. बढ़ती हुई तेल की कीमतें भारत के समष्टि मानदंडों पर भी प्रभाव डाल सकती है.

वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2017-18 में वास्तविक जीडीपी की सामान्य वृद्धि 6.6% पर रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2016-17 में यह 7.1% थी. तथापि, तिमाही डाटा ने यह दर्शाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हाल ही में किए गए सुधारात्मक उपायों के "अस्थाई प्रभाव" से उबरकर ट्रैक पर आ गयी है. वित्तीय वर्ष 2018 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही में जीडीपी में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई है. वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.2% की प्रभावशाली दर पर है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 की दूसरे तिमाही में यह 6.5% थी. वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में कृषि वर्धित मूल्य में 4.1% और विनिर्माण में 8.1% की बढ़ोत्तरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में, सेवा क्षेत्र खंड में, होटल, परिवहन, संचार और ब्रॉडकास्टिंग (प्रसारण) से संबंधित सेवाओं में 9% की बढ़ोत्तरी हुई है.

अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 4.3% की संचयी वृद्धि हुई, जबकि माह अप्रैल 2016 से माह फरवरी 2017 के दौरान यह वृद्धि 4.7% थी. उपयोग आधारित वर्गीकरण में पूँजीगत वस्तु उद्योग ने लंबी मंदी के पश्चात अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के दौरान 5.3% की संचयी बढ़ोत्तरी दर्ज की है. वित्तीय वर्ष 2018 में आठ महत्वपूर्ण उद्योगों में 4.2% की कुल बढ़ोत्तरी हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में यह 4.8% थी. इस्पात, सीमेंट और विद्युत जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में क्रमशः5.6%, 6.3% और 5.2% की दर से मध्यम वृद्धि हुई.

वर्ष 2017-18 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 3.6% पर सीमित हो गई, जबकि वर्ष 2016-17 में यह 4.5% थी . वित्तीय वर्ष 2018 में खाद्य एवं पेय सामग्रियों के मूल्य में 2.2% की कमी हुई. जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 4.4% थी. वित्तीय वर्ष 2018 में खाद्य मदों में अनाज में मंदी रही, जबकि सब्जियों के मूल्य में बड़ा उछाल आया और दलहनों की कीमत में संकुचन रहा. वित्तीय वर्ष 2018 में आवास मुद्रास्फीति में 6.5% की बढ़ोत्तरी हुई और तेल तथा विद्युत मुद्रास्फीति में 6.2% की वृद्धि हुई.

मौद्रिक नीति के अंतर्गत, माह अगस्त 2017 में भा.रि.बैं. के मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा बेंचमार्क रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट कम करने के कारण रेपो दर 6.00% हो गया है, जो पहले 6.25% था. माह अक्टूबर, 2017 में एमपीसी ने सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में 20% से कमी करके इसे 19.5% कर दिया है.

वर्ष 2017-18 में वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों इत्यादि के बढ़ने के कारण यूएस में मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने के निर्णय के कारण, भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियों निवेश में, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में पर्याप्त रूप से कमी हुई है. वित्तीय वर्ष 2018 में भारतीय इक्विटी खंड में एफपीआई ₹ 25,635 करोड़ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में यह 55,703 करोड़ था. इसके विपरीत ऋण खंड में एफपीआई अनियंत्रित ढ़ंग से बढ़ गया. ऋण खंड में वित्तीय वर्ष 2018 में, विदेशी निवेशकों ने 1,19,036 करोड़ रखा, जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2017 में शुद्ध बहिर्वाह ₹ 7,292 करोड़ था.

वर्ष 2017-18 में भारत के व्यापारिक माल के निर्यात में 9.78% की बढ़ोत्तरी हुई और उसी अवधि के लिए व्यापारिक माल के आयात में 19.59% की बढ़ोत्तरी हुई. वर्ष 2017-18 में व्यापार घाटा बढ़कर यूएसडी 156.83 बिलियन हो गया. तेलों के आयात में हुई पर्याप्त बढ़ोत्तरी होने के कारण व्यापार घाटा बढ़ा. वित्तीय वर्ष 2018 में तेल के आयात में 25.47% की वृद्धि हुई है. रुपये ने यूएस डॉलर के समक्ष वित्तीय वर्ष 2017 की तुलना में वितीय वर्ष 2018 में बेहतर स्थिति दर्ज की है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2018 की अंतिम तिमाही में डॉलर के समक्ष रुपए में मूल्यह्रास हुआ है.

बैंकिंग का बदलता परिदृष्य

विमुद्रीकरण के पश्चात बैंकिंग उद्योग में ऋण वृद्धि धीरे-धीरे बढ रही है. वित्तीय वर्ष 2018 में ऋण-जमा अनुपात में सुधार आया है. तथापि, दबावग्रस्त कॉर्पोरेट तुलन पत्रों ने ऋण वृद्धि को वांछित स्तर तक पहुँचने नहीं दिया. आस्ति गुणवत्ता बैंकिंग उद्योग के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सावर्जनिक क्षेत्र के बैंकों को जोखिम भरी गतिविधियों से बचने के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे के अंतर्गत डाला है और उनके तुलनपत्र को मजबूती देने हेतु पूँजी सुरक्षित रखी है. सरकार द्वारा घोषित बैंकों के पुनर्पूँजीकरण योजना, भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को पर्याप्त पूँजी देने हेतु एक स्वागतयोग्य कदम है. अक्टूबर 2017 में, सरकार ने पुनर्पूँजीकरण हेतु ₹ 2.11 ट्रिलियन की घोषणा की, जिसमें से ₹1.35 ट्रिलियन पुनर्पूँजीकरण बाँड द्वारा उगाही जायेगी.

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹472323 करोड़ हो गया, जो 5.04% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष यह आँकड़ा ₹449679 करोड़ था. उच्च लागत जमा दिनांक 31 मार्च, 2018 को घटकर ₹ 850 करोड हो गई है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह ₹13356 करोड़ थी.

बैंक का परिचालन लाभ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2733 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह ₹ 3089 करोड़ था. बैंक ने बढ़े हुए प्रावधानों के कारण वर्ष 2017-18 में ₹ 5105 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 2439 करोड़ थी.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक की सकल जमा ₹ 294839 करोड़ रही जो ₹850 करोड़ की उच्च लागत जमाओं में हुई कमी के पश्चात थी. बचत जमा वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹110509 करोड़ हो गई, जो 7.18% की वृद्धि दर्शाती है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 103102 करोड़ थी तथा चालू जमा वर्ष 2017-18 में ₹14687 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2016-17 में यह ₹ 13207 करोड़ थी. कुल जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी बढकर 42.46% हो गई, जो पिछले वर्ष के दौरान 39.20% थी. कोर सावधि जमा वर्ष 2017-18 में 3.77% की वृद्धि के साथ ₹ 293989 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई है, जबकि वर्ष 2016-17 में यह ₹ 283315 करोड़ थी.

बैंक में भारतीय लेखांकन मानक का क्रियान्वयन एवं कार्य-योजना

कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा घोषित मूल रोड मैप के अनुसार सभी बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक को छोडकर) दिनांक 1 अप्रैल, 2018 के प्रारंभ से अब तक की लेखांकन अवधि के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि अथवा उसके पश्चात के लिए तुलनात्मक लेखांकन के लिए अपनी वित्तीय विवरणियाँ भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार करनी होगी. दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को भारिबैं ने अपने विकास और विनियामक नीतियों से संबंधित विवरणियों में यह उल्लेख किया है कि बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित वित्तीय विवरणियों के प्रारूप में आवश्यक विधायी सुधार किए गए हैं, जो सरकार के विचाराधीन है. इसके आलोक में, और कई बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए भी बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन को भारिबैं द्वारा, अपेक्षित आवश्यक विधायी परिवर्तन तक, एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब से, बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन हेतु संशोधित समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा उसके पश्चात समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक लेखांकन सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होगी. बैंक एक भारतीय लेखांकन मानक सलाहकार, संस्थापित कोर भारतीय लेखांकन टीम की सेवायें ले रहा है और भारतीय लेखांकन मानक को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है. प्रगति की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अगुवाई में एक संचालन समिति स्थापित की गई है. निदेशक मंडल और बोर्ड की लेखा समिति भारतीय लेखांकन मानक की प्रगति की आवधिक समीक्षा करती है. भारिबैं के निर्देशानुसार बैंक ने सितम्बर 2016 और जून 2017 के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है.

ऋण

बैंक का सकल अग्रिम ₹3600 करोड़ (शुद्ध आईबीपीसी प्रभाव) की वृद्धि के साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹1,77,484 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह ₹1,53,008 करोड़ था. यह वर्ष दर वर्ष 2.07% की वृद्धि दर्शाता है.

ऋण निगरानी विभाग

- बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.
- मई 2011 में निदेशक मंडल द्वारा इस नीति का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 1 जुलाई, 2011 से पूरे बैंक में इसे लागू किया गया है. बोर्ड के अनुमोदन के अनुरूप समय-समय पर नीति में संशोधन किए जा रहे हैं.
- महाप्रबंधक के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2011 से ऋण निगरानी के लिए एक पृथक वर्टिकल बनाया गया है.

- निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कार्यालय, सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट वित्त शाखाओं के स्तर पर प्रत्येक माह मानक अनियमित/एसएमए खातों की पुनरीक्षा करने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं एवं ऋण निगरानी की संपूर्ण कार्रवाई की संगठित पुनरीक्षा माह में एक बार की जाती है.
- निगरानी दक्षता/जागरुकता विकसित करने के लिए, उप क्षेत्रीय प्रबंधकों/ऋण समीक्षा अधिकारियों सहित फील्ड स्टाफ सदस्यों के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं हैं.
- दबावग्रस्त खातों की आस्ति गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में स्थानीय बैठकों का आयोजन किया गया एवं/अथवा फील्ड वसूली टीम/क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक/केन्द्रीय कार्यालय द्वारा एसएमए उधारकर्ताओं के साथ बैठक की गई.
- बैंक ने कॉर्पोरेट, एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर रीयलटाइम निगरानी के लिए केन्द्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) निगरानी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का भी कार्यान्वयन किया है.
- सघन ऋण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऑफसाइट निगरानी पर्यवेक्षण प्रणाली हेतु भी कदम उठाए गए हैं.
- ₹ 5 करोड़ एवं उससे अधिक के नए/ऋण सीमा वृद्धि के अग्रिमों में संवितरण पूर्व लेखापरीक्षा तथा ₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक के नए अग्रिमों में संवितरण के 30 दिन के अंदर लेखापरीक्षा करना प्रारंभ किया गया है.
- सरकार के "ईएएसई" दिशानिर्देशों के अनुसार, "दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल" के गठन को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है. अत: इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है. हमने कृषि, एमएसएमई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है.

दिनांक 31.03.2018 को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक का कार्यनिष्पादन (लेखापरीक्षित) निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2017	मार्च 2018	वृद्धि (%)
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण **(एएनबीसी)**	206155.21	166536.78	
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम **(एएनबीसी का प्रतिशत)**	78289 (37.98*)	73284 (44.00*)	(6.39)
2	विक्रय किए गए ₹ 8110 करोड़ के पीएसएलसी का सकल कृषि अग्रिम **(एएनबीसी का प्रतिशत)**	37537 (18.21)	30776 (18.48)	(18.01)
3	एमएसएमई (एएनबीसी का प्रतिशत) के साथ खरीदे गए ₹7524.50 करोड़ मूल्य के पीएसएलसी	29531	33223	12.50
4	शैक्षणिक ऋण	1909	2773	45.26
5	आवास ऋण (₹25.00 लाख तक)	9340	13392	43.38
6	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	94	106	12.77
7	नवीकरणीय ऊर्जा	8	6	(25.00)
8	सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर	10	9	(10.00)

(*₹14505.50 करोड़ के पीएसएलसी एवं ₹1500 करोड़ के आईबीपीसी बिक्री के समायोजन के पश्चात)

- वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण विनियोजन ₹ 82834.61 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 9484.37 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में एएनबीसी से ऊपर अतिरिक्त ऋण का फायदा उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन आरंभ किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत ₹ 22030 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की बिक्री की है और एमएसएमई पोर्टफोलियो के अंतर्गत ₹ 7524.50 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की खरीद की है. इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री 14505.50 करोड़ थी. बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत ₹ 1500 करोड़ के आईबीपीसी की भी बिक्री की है. पूर्वोक्त बिक्री के बावजूद बैंक का

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एएनबीसी से ₹ 6669.28 करोड़ अधिक रहा है.

प्राथमिकता क्षेत्र (₹ करोड़ में)

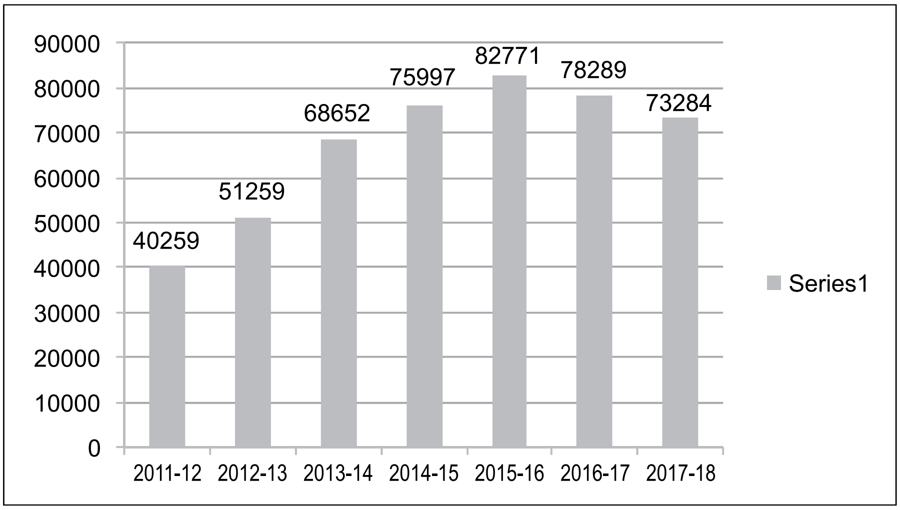

कृषि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल कृषि ऋण ₹ 673.44 करोड़ की वृद्धि दर्शाते हुए दिनांक 31.03.2017 के ₹ 33518.54 करोड़ के स्तर से बढ़कर ₹ 34191.98 करोड़ हो गया है. समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) में शुद्ध कृषि ऋण की हिस्सेदारी 18.48% रही. जबकि निर्धारित लक्ष्य 18% था.

कृषि (₹ करोड़ में)

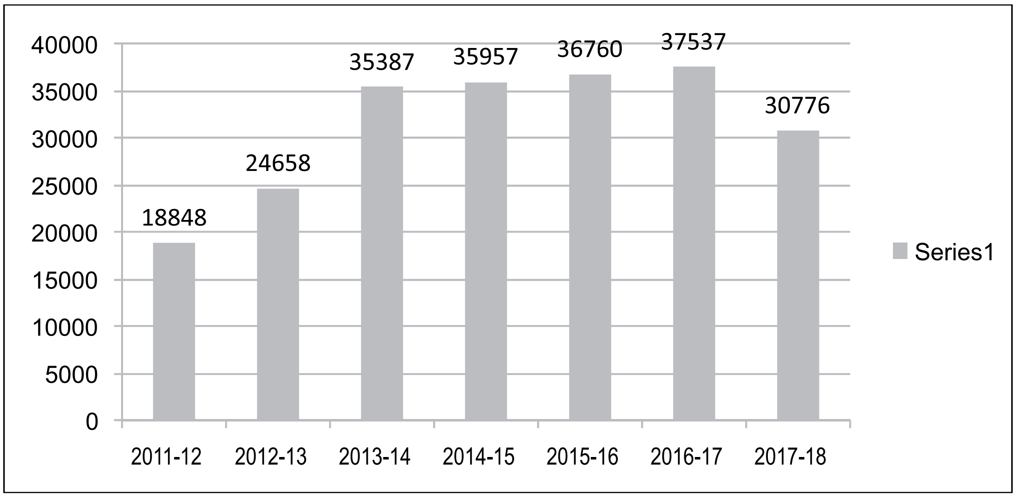

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु की गई नई पहलें :

विशिष्ट ऋण अभियान :

- हमारी सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में कृषि ऋणों के प्रचार एवं नए ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक माह के दौरान कम-से-कम एक मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया.
- वर्ष के दौरान, किसानों से संपर्क के लिए गाँव संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) के अंतर्गत पात्र ऋणकर्ता कृषकों के लिए बैंक 100% फसल बीमा सुनिश्चित कर चुका है.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

- बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम जनसंख्या के 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने इन गांवों को 6,387 बीसी एजेंटों के माध्यम से कवर किया.

1. हमने 177 शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र खोले हैं.

2. **लेनदेनो की संख्या**

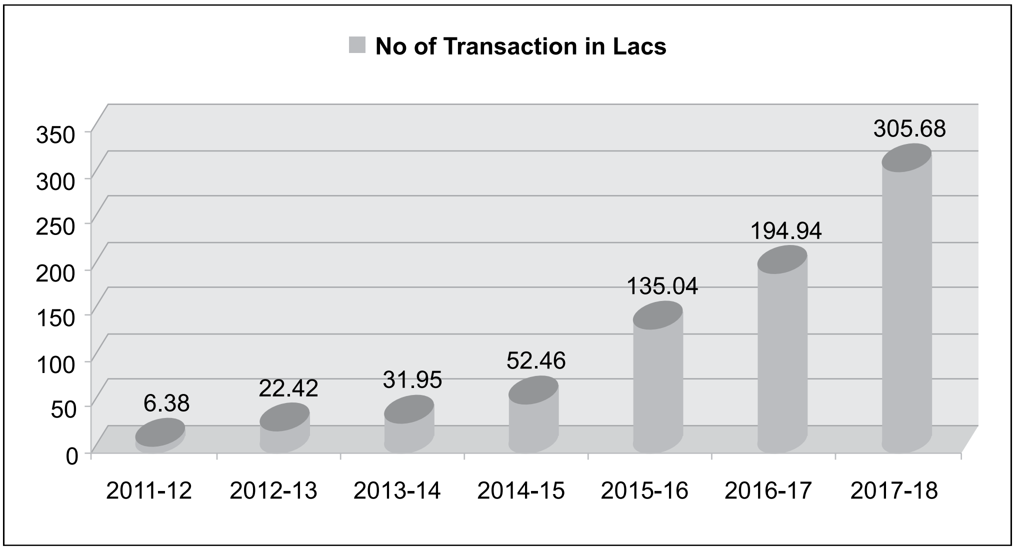

3. वित्तीय लेनदेनों में बीसी के माध्यम से खोले गए खातों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेनदेन बढ़कर 305.68 लाख (वर्ष दर वर्ष 56.81 % वृद्धि) हो गई जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 194.94 लाख थी.

4. **बीसी के माध्यम से व्यवसाय ;**

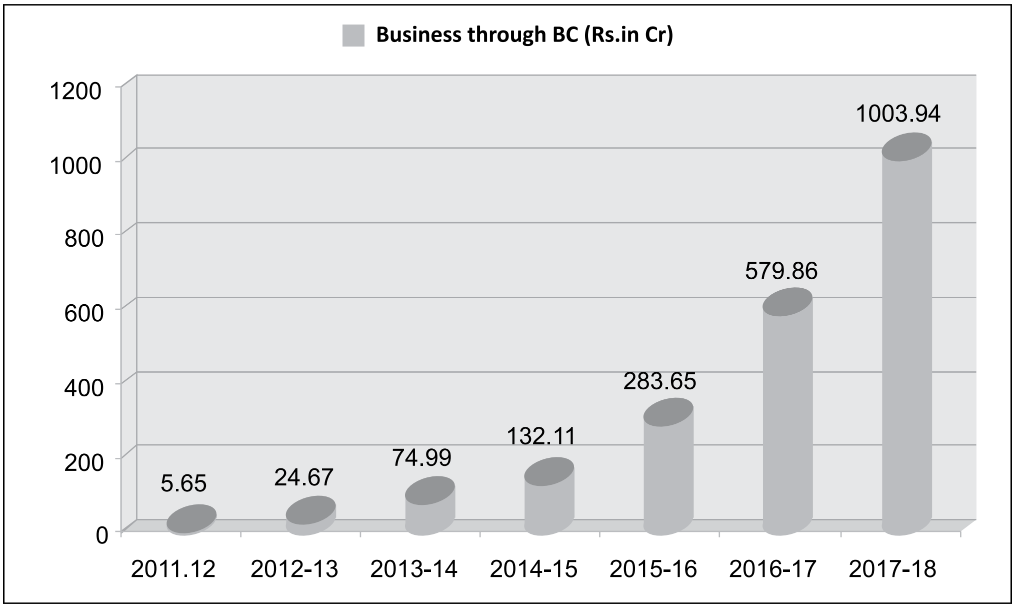

बीसी के माध्यम से व्यवसाय बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹ 1003.94 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹ 579.86 करोड़ था. 73.13 % की वृद्धि.

5. **बीसी के माध्यम से खाते खोलना:**

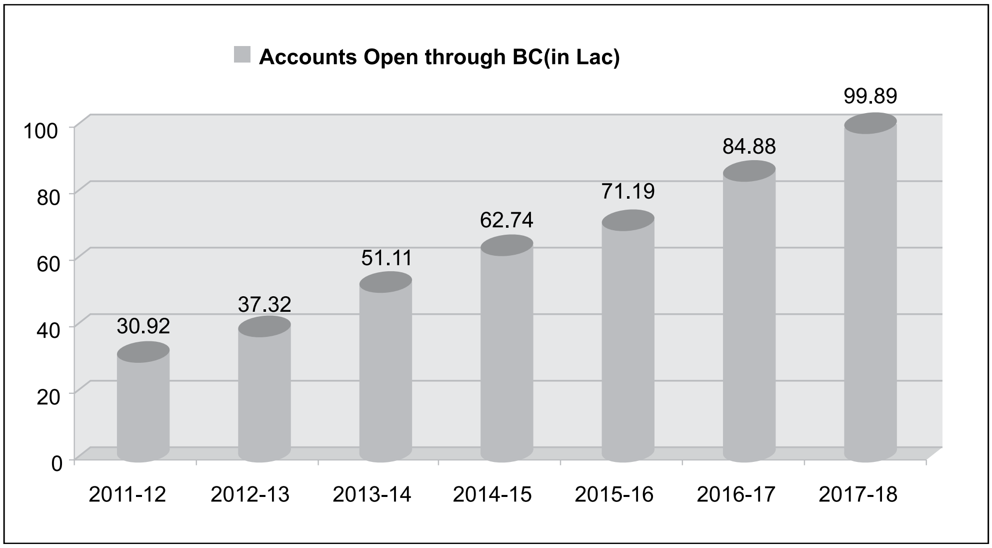

बीसी के माध्यम से खातों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2017 के 84.88 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2018 को 99.89 लाख हो गई है: 17.68 % की वृद्धि.

6. बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी की माध्यम से 184.19 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) खोले हैं. इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 2566.90 करोड़ है.

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एफआई-पीएमजेडीवाई की प्रमुख उपलब्धियां

- बीसी आउटलेट के माध्यम से व्यवसाय 73.13% की वृद्धि के साथ ₹ 579.86 करोड़ से बढ़कर ₹ 1003.94 करोड़ हो गया.
- वित्तीय समावेशन व्यवसाय 24.00% की वृद्धि के साथ ₹2070.14 करोड़ से बढ़कर ₹ 2566.90 करोड़ हो गया.
- पीएमजेडीआई सक्रिय खातों में आधार सीडिंग 81.46% से बढकर 87.35% तथा सभी सक्रिय बचत खातों में यह 74.99% से बढ़कर 88.05% हो गई.
- बीसी-आउटलेट्स के माध्यम से कुल लेनदेनों की संख्या 56.81% की वृद्धि के साथ 194.94 लाख से बढ़कर 305.68 लाख हो गए.
- बीएसबीडी खातों की संख्या 7.78% की वृद्धि के साथ 170.89 लाख से बढ़कर 184.19 लाख हो गई.
- ₹10 लाख से अधिक के व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 60.30% की वृद्धि हुई और ये 1549 से बढ़कर 2483 हो गई. इसी प्रकार ₹ 1 करोड़ से अधिक के व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 138.10% की वृद्धि हुई और ये 42 से बढ़कर 100 हो गए.
- वर्ष 2017-18 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल पंजीकरण पीएमजेजेबीवाय - 10,50,200, पीएमएसबीवाय -28,64,191, तथा एपीवाय -3,07,513 है.
- पीएमजेजेबीवाय के अंतर्गत 4250 मृत्यु दावों में से, 4106 दावों का निपटान किया जा चुका है और पीएमएसबीवाय के अंतर्गत 1203 मृत्यु दावों में से 1125 दावों का निपटान किया जा चुका है.

अग्रणी बैंक के तहत कार्यनिष्पादन

- हम सात राज्यों यथा; मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छतीसगढ़(4) के 51 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. हमारी 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं क्रमशः इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं.
- अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाओं से युक्त बनाया गया है तथा स्टाफ की समुचित व्यवस्था की गई है. साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं, यथा-पृथक/अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर/लैपटॉप (स्काइप सुविधायुक्त) तथा प्रिंटर, टेलीफोन, इन्टरनेट सुविधा, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट की स्थापना इत्यादि भी उपलब्ध कराई गई हैं.
- हमने ग्रामीण इलाकों की आम जनता/लोगों को उनसे सम्बंधित हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट्रल आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान/आधार इत्यादि को एलडीएम को प्रदत्त गाड़ियों पर प्रदर्शित किया है.

- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत अग्रणी जिलों में सभी बैंकों की उपलब्धियों की तुलना में हमारी शाखाओं की कुल उपलब्धियाँ अधिकतम और संतोषजनक स्तर पर है.
- हमने सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ऋण संबद्धता के माध्यम से समन्वित विकास के लिए प्रत्येक अग्रणी जिले में एक-एक गांव का चयन किया है. सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासपरक गतिविधियों जैसे वित्तीय शिक्षा/वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आरसेटी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह/कृषक क्लब/जेएलजी का गठन, ऋण गतिविधियों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है. अग्रणी जिले के अन्य गांवों में भी इनकी प्रतिकृति दर्शाई जा रही है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति :

- मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक एसएलबीसी का समन्वयक है. वर्ष 2017-18 के दौरान, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु तीन नियमित एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं. दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को आयोजित 164वीं/165वीं एसएलबीसी के बैठक के दौरान, राज्य के माननीय मुख्य मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने सहभागिता की थी.
- बैंकों से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए दिनांक 14 अप्रैल, 2018 से दिनांक 05 मई, 2018 तक आयोजित पीएमजेडीवाय, पीएमएसबीवाय एवं पीएमजेजेबीवाय के अंतर्गत भारत सरकार के "ग्राम स्वराज अभियान" के 100% लक्ष्य को राज्य ने प्राप्त कर लिया है.
- हमने अग्रणी बैंक योजना पर भारिबैं (एफआईडीडी) के केन्द्रीय कार्यालय को कुछ सुझाव लिखे हैं. दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को भारिबैं विभिन्न स्टेक धारकों के लिए कार्रवाई बिन्दुओं के साथ अग्रणी बैंक योजना से संबंधित सुधारों की घोषणा की है. हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि भारिबैं ने हमारे सुझावों को महत्व दिया और नये परिपत्र में कुछ बिन्दुओं को शामिल किया है, जैसे, शाखाओं हेतु कॉर्पोरेट व्यवसाय लक्ष्य, वार्षिक ऋण योजनाओं (एसीपी) के साथ जिले और राज्यों को जोड़ना, इत्यादि.
- दिनांक 06.04.2018 को जारी अपने परिपत्र में भारिबैं ने ब्लॉक, जिले के साथ-साथ राज्य से संबंधित आंकड़ों को अपलोड और डाउनलोड करने में समर्थ बनाने के लिए प्रत्येक एसएलबीसी द्वारा वेबसाइट पर एक मानक सिस्टम विकसित किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की है. इस परिपत्र के जारी होने से पहले एसएलबीसी मध्यप्रदेश ने इस कार्यप्रणाली को लागू करने का गौरव प्राप्त किया है और यह कार्यप्रणाली एसएलबीसी – एम. पी. की प्रतिकृति है.
- विभिन्न अवसरों पर एसएलबीसी - एम. पी द्वारा प्रबंधित वेबसाइट, अपनी आधुनिक विशिष्टताओं और बाह्यस्वरूप की वजह से कई स्टेक धारकों द्वारा सराही गई है.
- समय समय पर, हमने "बैंक के साथ भू-अभिलेख" को जोड़ने हेतु राज्य सरकार के साथ बैंकों के मुद्दों को उठाया है. हमें यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे फंक्शन विकसित किये जा चुके हैं और शीघ्र ही इसका शुभारंभ किया जायेगा.
- कुछ जिलों में विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद दिनांक 31.03.2018 को राज्य का सीडी अनुपात 74.69% है.
- हमारे द्वारा लगातार अनुवर्तन के कारण बैंकों ने विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं जैसे कि मुख्य मंत्री स्वरोजगार सृजन योजना, मुद्रा, पीएमईजीपी, एनआरएलएम के अंतर्गत 100% से अधिक का लक्ष्य हासिल किया.
- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन पर एसएलबीसी द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य ऋण योजना का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है.
- इस राज्य के लिए हमारा विज़न है कि "राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समन्वित विकास, जिससे सभी नागरिकों का जीवन समृद्ध बने तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ प्रयास करने के अवसर प्राप्त हों और वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें".
- वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य हासिल करने, वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन संबंधी कार्य योजना एवं इन उद्देश्यों की प्राप्ति में भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं पर चर्चा के लिए राज्य के सभी जिला अग्रणी प्रबंधकों का समीक्षा सम्मेलन/ कार्यशाला आयोजित करने में हम अग्रणी रहे है.

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- हमने 7 राज्यों में 48 एफएलसीसी खोले हैं, यथा मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(2).
- इन सभी केन्द्रों द्वारा 6048 आउटडोर विजिट की गई, जिसमें 554250 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया. इनके अंतर्गत जन-अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल है.
- लोगों में जागरुकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने उन्हें जन सम्पर्क प्रणाली युक्त गाड़ियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किए हैं. इसके अलावा गांव के दौरों एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराई है.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी की स्थापना की है अर्थात मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), ओडिसा(1) एवं असम(1).
- वर्ष 2017-18 के दौरान, आरसेटी ने 1280 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 33428 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इनमें से, 23403 (70%) प्रशिक्षु बैंक-ऋण के माध्यम से संबद्ध, मजदूरी निपटान एवं स्व-वित्त पोषण से व्यवस्थित किए गए.
- 46 आरसेटी केन्द्रों में से 45 आरसेटी केन्द्रों को एए ग्रेड और 01 केंद्र को एबी ग्रेड में रखा गया है. कोई भी आरसेटी केन्द्र सी एवं डी ग्रेड में नहीं है.
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने हमारे आरसेटी को गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिया है.
- महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत हमारी आरसेटी को महाराष्ट्र सरकार ने गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिया है.

अन्य पहलें

- आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए हमारे बैंक द्वारा ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआई-एसयूएपीएस)" नाम से एक सोसाइटी/ट्रस्ट की स्थापना की गई है.
- आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु, हमने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय परिषद का गठन किया है, इसमें हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरंक्षक, कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य हैं.
- हमने पर्याप्त मानवशक्ति के साथ यथेष्ट दक्षता प्राप्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को आरसेटी निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु अनुबंधित करना प्रारम्भ कर दिया है.
- जिला स्तर पर सभी स्थानीय विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर स्थानीय सलाहकार समितियों तथा प्रशिक्षण समितियों का गठन किया गया है.
- सभी 46 आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु, हमने एक मॉडल योजना तैयार की है. इन 46 आरसेटी में से 30 आरसेटी भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर है.

एमएसएमई विभाग :

1. **कार्यनिष्पादन :** (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 (लेखापरिक्षत)*	31.03.2018 (लेखापरिक्षत) पीएसएलसी के बिना	31.03.2018 (लेखापरिक्षत)* पीएसएलसी के साथ**	पीएसएलसी के बिना वर्ष-दर-वर्ष % वृद्धि	पीएसएलसी के साथ वर्ष-दर-वर्ष% वृद्धि
सूक्ष्म उद्यम	9397	10724	18249	14%	94%
एमएसई	26956	29503	37027	9.44%	37.36%
एमएसएमई (प्रा.क्षे.)	29531	33223	40748	12.50%	38%
कुल एमएसएमई	30701	34025	41550	10.83%	35.34%
कुल अग्रिम में एमएसएमई अग्रिम का %	20%	19.17%	23.41%		
भा.रि.बैं. अधिदेश (प्रधानमंत्री कार्यदल)	31.03.17 (लेखापरिक्षत)	31.03.18 (लेखापरिक्षत)	31.03.18 (लेखापरिक्षत)	लक्ष्य मार्च-18	लक्ष्य मार्च -18
सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या	654726	676149	676149	720200	720200
सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत खातों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	27%	3%	3%	10%	10%
भा.रि.बैं. अधिदेश (प्रधानमंत्री कार्यदल)	31.03.17 (लेखापरिक्षत)	31.03.18 (लेखापरिक्षत)	31.03.18 (लेखापरिक्षत)	लक्ष्य मार्च -18	लक्ष्य मार्च -18
एमएसई पोर्टफोलियो (राशि)	26956	29503	37027	36024	36024
एमएसई के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि	(-)4.34%	9.45%	37.36%	20%	20%
एमएसई ऋण में सूक्ष्म ऋणों का %	35%	36.35%	49.29%	60%	60%

(*) ₹ 22991 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री में एमएसएमई के आईबीपीसी के भाग ₹1637 करोड़ को छोड़कर

(**) रू. 7525/- करोड़ के पीएसएलसी सूक्ष्म उदयम खरीद और ₹876 करोड़ के सिडबी में निवेश जिसमें मुद्रा लि. ₹118 करोड़ है.

सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत कार्य-निष्पादन:

दिनांक 31.03.17 को बकाया सूक्ष्म उद्यम	पीएसएलसी के बिना दिनांक 31.03.18 को बकाया सूक्ष्म उद्यम	पीएसएलसी के साथ दिनांक 31.03.18 को बकाया सूक्ष्म उद्यम	मार्च -17 को एएनबीसी	31.03.2017 को स्थिति	पीएसएलसी के बिना 31.03.2018 को स्थिति	पीएसएलसी के साथ 31.03.2018 को स्थिति	लक्ष्य मार्च - 18 (एएनबीसी का 7.50%)
9397	10724	18249	166537	4.56% *	6.44%	10.96%	12490

(*) एएनबीसी का 4.56% (मार्च-16 को) ₹ 206155 करोड़. उपलब्धि इंडेक्स - 60.76%

संकेतक	विवरण
कार्यनिष्पादन वैशिष्टय	❖ एमएसई के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि का प्रतिशत पीएसएलसी के बिना 9.45% , पीएसएलसी के साथ 39% है. ❖ एमएसई के अंतर्गत सूक्ष्म ऋण का % पीएसएलसी के बिना 36.35%, पीएसएलसी के साथ 49.29% है. ❖ सूक्ष्म ऋण के अंतर्गत खातों की संख्या में बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष 3% वृद्धि हासिल की है. ❖ वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, सीजीटीएमएसई के अंतर्गत 489 खातों में ₹ 22.26 करोड़ के दावों का निपटान हुआ. खातों के मामले में दर्ज दावों के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत दावे 100% है. राशि के मामले में दर्ज दावों के प्रतिशत के रूप में स्वीकृत दावे 57% है. ❖ पीएमएमवाय के अंतर्गत वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य में हमारे बैंक की उपलब्धि 82% है. मार्च 2018 को नये संवितरण के अंतर्गत ₹3000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष हमारे बैंक की उपलब्धि ₹ 2477.14 करोड़ है. ❖ इस वित्तीय वर्ष में ₹ 1.62 करोड़ के 825 मुद्रा कार्ड जारी किए गए.
पहलें	फील्ड फंक्शनरियों के उपयोग एवं त्वरित संदर्भ हेतु एमएसएमई ऋणों के वर्गीकरण संबंधी **अद्यतन मास्टर परिपत्र** बैंक की इंट्रानेट साइट पर अपलोड किया गया है.
बढ़ते कदम	एएनबीसी के 7.5% के पीएमटीएफ एवं भारिबैं के द्वारा निर्धारित सूक्ष्म उद्यम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों पर जोर दिया जा रहा है. ➢ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, केवीआईसी/पीएमईजीपी योजनाओं एवं सेन्ट वीवर मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त पोषण बढ़ाने पर जोर दिया है.

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2018 को रिटेल ऋण योजनाओं में कुल बकाया राशियां ₹ 48123 करोड़ हो गयी. बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 27% से अधिक है. पिछले वर्ष की तुलना में रिटेल में 50.35% की वृद्धि हुई.

	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
रिटेल ऋण	34939	38505	32008	48123
कुल ऋण	194967	190152	153008	177484
कुल ऋण का %	17.92%	20.25%	20.92%	27.11%

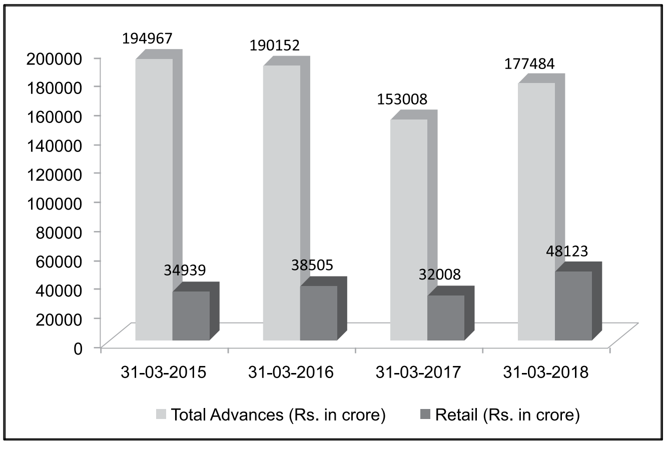

उत्पाद/सेवाएं

1. संभाव्य ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए बैंक ने आम लोगों के लिए सुस्पष्ट विविधतायुक्त 38 स्व-परिपूर्ण उत्पाद प्रस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	योजनाओं का नाम
1.	सेन्ट होम ऋण योजना.
2	सेन्ट होम डबल प्लस योजना.
3.	सेन्ट होम - सीआरजीएफटीएलआईएच योजना
4	सेन्ट होम लोन प्लस
5	सेन्ट अर्नेस्ट मनी वित्तपोषण योजना
6	प्रधानमंत्री आवास योजना
7	सेन्ट मॉर्गेज
8	शैक्षणिक संस्थानों के लिए सेन्ट मॉर्गेज
9	सेन्ट ट्रेड
10	सेन्ट रेंटल
11	सेन्ट शॉप
12	सेन्ट विद्यार्थी
13	कार्यपालकों को एमबीए करने हेतु शैक्षिक ऋण योजना
14	आईआईएमएस एवं 4 प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक ऋण योजना
15	सेन्ट व्हीकल योजना
16	सेन्ट सहयोग
17	सेन्ट डॉक्टर
18	सेन्ट पर्सनल ऋण
19	सेन्ट कॉरपोरेट कर्मचारी ऋण
20	पेंशनधारकों के लिए सेन्ट पर्सनल ऋण
21	सेन्ट सुविधा
22	सेन्ट पर्सनल गोल्ड ऋण योजना
23	शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए पर्सनल ऋण
24	चैनल वित्तपोषण के लिए व्यापक योजना
25	भविष्य में शुल्क प्राप्तियों के विरुद्ध ऋण
26	रिवर्स मॉर्गेज ऋण - 'सेन्ट स्वाभिमान"
27	सेन्ट परम
28	सेन्ट कॉम्बो
29	सेन्ट लिक्विड
30	एचएनआई ग्राहकों के लिए सेन्ट स्कूल
31	तीसरे अथवा चौथे आवास या फ्लैट की खरीदारी के लिए सेन्ट होम ऋण योजना
32	सेन्ट होम लाभार्थियों के लिए ओडी टॉप अप सुविधा
33	बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्डयोजना
34	सेन्ट स्किल ऋण योजना
35	पेंशनधारकों के लिए सेन्ट ओडी सुविधा
36	सेन्ट स्वाभिमान प्लस
37	सेन्ट विद्यार्थी - एनसीजीटीसी गारंटीकृत
38	सेन्ट टेक विद्यार्थी

ये उत्पाद विभिन्न लक्ष्य समूहों एवं विशिष्ट बाजार खंडों के लिए विविधता से परिपूर्ण हैं.

2. वर्ष के दौरान सेन्ट टेक विद्यार्थी, आईआईटी के विद्यार्थियों के वित्तपोषण हेतु एक नई शैक्षणिक ऋण योजना का शुभारंभ किया गया. योजना का उद्देश्य आईआईटी के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने हेतु बैंकिंग प्रणाली के वहनीय नियमों एवं शर्तों पर वित्तीय सहयोग हेतु शैक्षणिक ऋण प्रदान करना है.

3. रिटेल उत्पादों की विक्रेयता को बढ़ाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आवास, वाहन, मॉर्गेज, ट्रेड तथा व्यक्तिगत ऋण योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन किए गए.
4. वित्त वर्ष 2017-18 में सीसीपीसी ने कार्यनिष्पादन सूचकांक का 83.34% हासिल किया है जो वर्ष 2016-17 के दौरान 57.95% था. सभी आवासीय ऋणों का 55% से अधिक और मॉर्गेज/सेन्ट ट्रेड/ शैक्षणिक ऋण का 50% से अधिक का प्रसंस्करण सीसीपीसी में किया गया. सभी रिटेल उत्पाद केवल क्लास मॉड्यूल के माध्यम से प्रसंस्कृत किये गये हैं.
5. वर्ष के दौरान 2.50 लाख खातों में नये रिटेल ऋण स्वीकृत किए गए. वित्तीय वर्ष 2017-18 में रिटेल शाखाओं द्वारा प्रति माह खोले गए खातों की औसत संख्या 4.43 है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह 4.12 थी, स्वीकृत रिटेल ऋणों का औसत टिकट साइज 6.25 लाख रहा,जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह 4.25 लाख था.
6. रिटेल ऋण को बढ़ावा देने के क्रम में माह दिसम्बर 2017 के दौरान एक आक्रामक अभियान - "रिटेल धमाका" का शुभारंभ किया गया. इसका उद्देश्य ₹ 3968 करोड़ की नई स्वीकृतियाँ प्राप्त करना और बकाया शेष में ₹ 2000 करोड़ की वृद्धि हासिल करना था. अभियान अवधि के दौरान 125% के उपलब्धि सूचकांक के साथ ₹ 4979 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. 25% की अनुमानित स्टाफ सहभागिता के समक्ष वास्तविक स्टाफ सहभागिता 29% रही. 40% शाखाओं ने स्वीकृतियों से संबंधित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. बैंक की सभी शाखाओं ने 100% सक्रियता के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 83 प्राधिकृत डीलर ('बी" श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है, ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- दिनांक 31.03.2018 को बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो ₹ 5694 करोड़ हो गया जो दि. 31.03.2017 को ₹ 5452 करोड़ था. जो गत वर्ष की तुलना में 4.44% की वृद्धि दर्शाता है.
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मर्चेंट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर ₹ 42,332 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 38,269 करोड़ था.
- एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2017 के ₹ 4457 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 को ₹ 4764 करोड़ हो गयी, जो गत वर्ष की तुलना में 6.89% की वृद्धि दर्शाती है.
- एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2017 को यूएसडी 217.86 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 को यूएसडी 220.83 मिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.36% की वृद्धि दर्शाती है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़कर ₹ 105294 करोड़ हो गया है, (गैर-एसएलआर, गैर-अंतरण भारत सरकार पुनर्पूंजीकरण बॉड रू. 4835 करोड़) जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹ 93,792 करोड़ था, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.33% की वृद्धि दर्ज हुई. दसवर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2017 के 6.66% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2018 को 7.40% पर बंद हुआ है.
- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6.00% कर दिया था एवं पॉलिसी रेट कॉरिडोर 0.5% से कम होकर 0.25% रह गया. इसके परिणामस्वरूप बैंक रेट घटकर 6.25% हो गया.
- रेपो उधारी सीमा एनडीटीएल के 0.25% तथा मीयादी रेपो एमडीटीएल के 0.75% में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. परंतु इन दरों को रेपो रेट के आसपास रखने के उद्देश्य से एनडीटीएल के 1% से अधिक मियादी रेपो एवं रिवर्स रेपो में विवेकपूर्ण विचलन रखा गया. मियादी एलएएफ में उधारी के लिए बैंकों को नीलामी में बोली लगानी पड़ती है.
- अस्थिर बाजार एवं संकटग्रस्त तरलता प्रबंधन परिस्थितियों में, ट्रेजरी ने ₹ 576 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ दर्ज किया, जोकि पिछले वर्ष ₹ 1542 करोड़ था. निवेश पर प्रतिफल (ट्रेडिंग लाभ के अलावा) वर्ष 2016-17 के 7.38% से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान 7.14% रह गया.
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की ₹ 6262 करोड़ की प्रतिभूतियां एएफएस से एचटीएम में अंतरित कर दीं एवं ₹8344 करोड़ की राशि, एचटीएम से एएफएस में अंतरित की.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार था: (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संघटन	31.03.2018	31.03.2017
1.	एसएलआर	81613.25	74070.73
2.	गैर एसएलआर	23681.44	19720.83
	कुल	105294.69	93791.56

जोखिम प्रवंधन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है. ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है. उत्पादों की कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

जोखिम प्रबन्धन संरचना

- परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति(आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम नीति समिति(सीआरपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति(ओआरसीओ) गठित की गई है. जिसमें शीर्ष प्रबन्धतंत्र टीम के सदस्य शामिल हैं.
- ये समितियां बैंक में विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के निगरानी एवं निर्धारण के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं.
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी के अधिकारियों को "जोखिम प्रबन्धक" के तौर पर अभिचिन्हित किया है. ये जोखिम प्रबन्धक, आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबन्धन विभाग के विस्तारित भाग के तौर पर कार्य करते हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं, जोखिम प्रबन्धन से संबंधित नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं को देखने एवं जोखिम प्रबन्धन की सहायता के लिए "नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे.

बाजार जोखिम प्रबंधन

- बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पद्धति की समीक्षा कर मिड-आफिस एक्सपोजर, अवधि, प्रतिपक्षीय सीमा एवं विभिन्न संवेदनशील पैरामीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्ट करता है.
- वीएआर के प्रबंधन तथा ड्यूरेशन विश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग, अल्पकाल में बैंक की एनआईआई के जोखिम के प्रबंधन तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य हेतु सतत आधार पर किया जाता है.
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का सतत अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है तथा बाजार जोखिम के संबंध में बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे क्रियान्वित किया जा रहा है.
- पोर्टफोलियों में बाजार जोखिम पर निगरानी रखने के लिए बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति मौजूद है. प्रति-पक्ष पार्टियों की नवीनतम प्रतिष्ठा स्थिति के आधार पर ट्रेजरी परिचालन के लिए प्रति-पक्ष पार्टियों की सीमाएं निर्धारित/समीक्षित की गई है.

ऋण जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में सुस्पष्ट लिखित एकीकृत ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति है. जिसकी पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28/12/2017 को की गई.
- बैंक ने क्रिसिल लि. से रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त किया है.
- बैंक ने रिटेल ऋण की ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्कोर कार्ड) विकसित किए हैं तथा इसका उपयोग किया जा रहा है.
- ऋण जोखिम प्रबन्धन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट निगरानी हेतु, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को प्रस्तुत की जाती है.
- कॉरपोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक पीडी, ईएडी एंड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है.

परिचालन जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है.
- परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत करता है.
- बैंक, उन्नत मापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए भा.रि.बैं. को आवेदन करने हेतु मॉडल विकसित कर रहा है तथा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सूचनाएं बना रहा है. नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़ी जोखिम को न्यून करने हेतु नई उत्पाद अनुमोदन नीति संरचना बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है.

पूंजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ आईसीएएपी (आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) उपलब्ध है. बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बेसल III मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी अनुपात रखने का उद्देश्य है. पूंजी के समक्ष प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन पद्धतियां

- एएलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है. आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 23 बार बैठकें कीं.
- विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ आधार दर और बीपीएलआर का निर्धारण भी एएलएम द्वारा किया जाता है. वर्ष 2017-18 के दौरान जमा ब्याज दरों को एक (1) बार एवं एमसीएलआर में बारह (12) बार संशोधन किया गया है.
- भारिबै के नये दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना मासिक आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है एवं यह अनुपात भारिबै द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा (अर्थात, 2018 के लिए 90%) से काफी अधिक है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए औसत एलसीआर 253.30% रहा है.

बासल III दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2015 में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने बासल III अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु "मानकीकृत दृष्टिकोण", परिचालनात्मक जोखिम के लिए "मूलसंकेतक दृष्टिकोण" और बाजार जोखिम हेतु "मानकीकृत अवधि" पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है.
- आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बैंक आईआरएमएस (एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है.
- सभी आवश्यक नीतियां, जैसे ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है.
- बैंक ने आईआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित) दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं.

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है. इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्त्ता शामिल है. अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है.

1. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने ₹ 2403 करोड़ की नकद वसूली, ₹ 785 करोड़ का अपग्रेडेशन कुल मिलाकर ₹ 3188 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (₹ 50.00 करोड़ एवं अधिक के 49 खाते कुल राशि ₹ 12685 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है.
   - सकल एनपीए का स्तर ₹27251 करोड़ से बढ़कर ₹38131 करोड़ हो गया है अर्थात ₹10880 करोड़ की वृद्धि हुई.
   - शुद्ध एनपीए ₹ 14218 करोड़ से बढ़कर ₹ 17378 करोड़ हो गया है. अर्थात ₹ 3160 करोड़ की वृद्धि हुई है.
   - कुल अग्रिम की तुलना में कुल एनपीए तथा शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए क्रमश: 17.81% से बढ़कर 21.48% तथा 10.20% से बढ़कर 11.20% हो गया.
   - नकद वसूली में मामूली बढ़ोत्तरी हो ₹ 2378 करोड़ से बढ़कर ₹2403 करोड़ (84.77%) हो गई.
   - रिटन ऑफ खातों में नगद वसूली ₹121 करोड़ से बढ़कर ₹440 करोड़ (238.84%) हो गयी.
2. एनपीए खातों में वसूली के लिए एकबारगी समझौता योजना (ओटीएस) को संशोधित किया गया और तीन ओटीएस योजनाएं अर्थात (ए) सेन्ट ओटीएस स्कीम ₹ 20 लाख तक (बिना प्रतिभूति के), (बी) सेन्ट ओटीएस स्कीम ₹ 20 लाख तक (प्रतिभूति सहित), (सी) वाद दावा खाता के लिए, आरबीएल सहित से ₹ 20 लाख से अधिक एवं ₹ 5 करोड़ तक सेन्ट ओटीएस स्कीम बनाई गयी है. इन योजनाओं को फील्ड फंक्शनरियों से बेतहाशा समर्थन मिला और इन योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम एनपीए खातो का समाधान होना रिपोर्ट किया गया. ओटीएस योजना के अंतर्गत कार्यनिष्पादन - बकाया राशि (आरएलबी) ₹ 856 करोड़ एवं ओटीएस की राशि ₹ 568 करोड़ के प्रस्तावों का निपटान किया गया.

3. बैंक ने "मिशन रिकवरी" प्रारंभ की - चौथी तिमाही के दौरान एक विशेष वसूली अभियान. फील्ड फंक्शनरियों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई. ₹ 1430 करोड़ की नगद वसूली एवं अपग्रेडेशन के लक्ष्य के समक्ष बैंक ने 98% के प्राप्ति इनडेक्स के साथ ₹ 1404 करोड़ (नगद वसूली + अपग्रेडेशन) प्राप्त किए.
4. इन ओटीएस प्रस्तावों के अलावा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर विभिन्न समितियों के माध्यम से कुल ₹ 937 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 338 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं.
5. वर्ष के दौरान बैंक ने एआरसी को 2 एनपीए खाते बेचे - ₹ 289 करोड़
6. ऋणों की वसूली के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की वसूली टीम एवं शाखा के स्टाफ ने ₹ 50 लाख से अधिक बकाया राशि वाले एनपीए ऋणियों से व्यक्तिश: मुलाकात की जा रही है.
7. वर्ष 2017-18 में एनपीए खातों में वसूली को अत्यधिक महत्व दिया गया. हमारे कार्यपालकों ने दैनिक आधार पर एनपीए के संचलन पर कडी निगरानी रखी. समीक्षा बैठक के दौरान कानूनी कार्रवाई तथा सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली की नियमित तौर पर समीक्षा की गयी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक एवं आंचलिक प्रबंधकों से विडीयो कॉन्फ्रेन्सिंग की जा रही है.
8. ₹ 5.00 करोड़ से अधिक के एनपीए खातों के संबंध में चर्चा की गयी. तदनुसार आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए. क्षेत्रीय प्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों द्वारा खातों में वसूली कार्रवाई शुरु की गयी. एनपीए खातों में हुई प्रगति की समीक्षा मासिक आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में की गई.
9. प्रत्येक माह वसूली कैंप आयोजित किये जा रहे हैं. इन कैंपों में बट्टे खाते में और जेएमएफएआरसी खाते में वसूली करना भी अभियान का एक हिस्सा है.
10. वसूली कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए एआरबी शाखाओं की गहन निगरानी की गयी.
11. क्षेका/आंका तथा विधि अधिकारी की सक्रिय सहभागिता से तिमाही आधार पर जिला स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है.
12. लंबित मामलों के निपटान हेतु विधि अधिकारियों/समन्वयकों द्वारा डीआरटी में गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है.
13. बट्टा खाता में वसूली भी एक अत्यधिक ध्यान देने वाला क्षेत्र है. बट्टा खातों में वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए क्षेत्रों/अंचलों को वसूली के पृथक लक्ष्य आबंटित किए गए है.
14. ₹ 5.00 करोड़ एवं अधिक के उच्च मूल्य के एनपीए खातों को नियमित अनुवर्तन के लिए केंद्रीय कार्यालय में आंचलिक समंवयकों को सौंपा जाता है.
15. सभी फील्ड महाप्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों को अनुदेश दिए गए थे कि ₹ 10 लाख एवं अधिक के एनपीए खातों की पहचान करें. इन खातों को अपग्रेड / नगद वसूली के लिए नियमित अनुवर्तन हेतु अधिकारियों को सौंपा जाए.

बैंकाश्यूरेंस :

जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा निगम तथा गैर- जीवन बीमा उत्पादों के लिए चोला एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कॉर्पोरेट एजेन्सी के तहत हमारे बैंक द्वारा बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है.

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएँ निम्नानुसार रहीं :

- एलआईसी के सभी बैंकाश्यूरेंस साझेदारों में जीवन बीमा पॉलिसियाँ हासिल करने में पॉलिसियों की संख्या के मामले में हमारे बैंक ने प्रथम स्थान तथा बीमा प्रीमियम संग्रहण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया. बैंक ने 25659 पॉलिसियों एवं 206 करोड़ के प्रीमियम का संग्रहण किया.
- साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 2,02,218 पॉलिसियों में ₹ 87 करोड़ प्रीमियम संग्रहित किया है.
- बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹ 21.42 करोड़ की हुई है. जो वर्ष दर वर्ष में 28% की वृद्धि दर्शाता है.
- वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की सं. बढ़कर 504 हो गई. अब बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय चलाने के लिए हमारे पास 2868 विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं.
- आईआरडीएआई की ओपन आर्कीटेक्चर स्कीम के अंतर्गत बैंक नये बीमा साझेदार जोड़ने की प्रक्रिया में है. नये बीमा साझेदार की पहचान होते ही हमारे बैंकाश्योरेंस में तेजी होगी.

डिपॉजिटरी सेवाएं :

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत बैंक डिपॉजिटरी सहभागी है. सभी परिचालन केंद्रीकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोडल शाखा पूँजी बाजार सेवायें शाखा द्वारा ये सेवायें प्रदान की जा रही है. मुख्य केंद्रों की शाखाएँ खाते खोलने, शेयरों का क्रय तथा विक्रय, शेयरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवायें प्रदान कर रही हैं. बैंक के पास करीब 22645 डी-मैट खाता धारक है.

ऑन-लाइन ट्रेडिंग :

“सेन्ट ई-ट्रेड” के नाम से बैंक द्वारा “ ऑन-लाइन ट्रेडिंग” सुविधाएँ प्रदान की जा रही है. बैंक के खाताधारकों जिनके डीमैट खाते भी बैंक में हैं, उन्हें एक अग्रणी ब्रोकिंग फर्म मेसर्स एंजिल ब्रोकिंग लि. के साथ व्यवस्था के तहत बैंक इक्विटी शेयर तथा डेरिवेटिव्ज के ट्रेडिंग हेतु ऑनलाईन ट्रेडिंग़ सुविधा दी जा रही है. दिनांक 31.03.2018 को बैंक में ऑन लाइन ट्रेडिंग के लिए 690 खाते हैं.

आस्बा डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंट का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण / गारंटी जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मुंबई में विशेष रुप से कैपिटल मार्केट सेवा शाखा प्रारंभ की गई है. यह ऑन लाइन ट्रेडिंग तथा आस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है.

सूचना प्रौद्योगिकी

1. कोर बैंकिंग समाधान

- दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है.
- बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक कार्यकुशलता एवं त्वरित सेवाएं देने को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है.
- विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं के अपडेशन / संवर्धन भविष्य के व्यावसायिक पुर्वानुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं के अनुसार किया जाता है.
- बैंक द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है तथा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की नीति के अनुरुप नियमित डीआर ड्रिल की जाती है. ग्राहकों के हित एवं बैंक की आस्तियां सुरक्षित करने के लिए सभी नीतियां एवं प्रक्रियां लागू की गई हैं.
- बैंक ने नियर साईट अवधारणा क्रियान्वित की है ताकि शून्य डाटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित की जा सके.
- आवश्यकतानुसार सतत आधार पर अनेक नयी कार्यविधियां क्रियान्वित की जा रही है.

2. नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी

- बैंक के कॉर्पोरेट नेटवर्क 4923 स्थानों पर व्याप्त है जिनमें शाखाएं विस्तार पटल एवं एआरबी एवं प्रशासनिक कार्यालय शामिल है.
- बैंक ने व्यवहार्यता एवं आवश्यकता के आधार पर प्राथमिक अथवा बैंकअप के तौर पर 2 एमबीपीएस वायर्ड/ वायरलेस लिंक/आरएफ /वीसेट लिंक की खरीद के लिए कई सेवा प्रदाताओं से टाय-अप किया है
- बैंक बैंडविथ अपग्रेडेशन भी कर रहा है.
- शाखा के कारोबारी समय के दौरान लगभग 100% अपटाइम बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी रखी जाती है तथा नियंत्रण लागू किए गए है.

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल :

3. इंटरनेट बैंकिंग

- इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) सुविधा 10000 यूजर को एक साथ सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है. इस वर्ष कुछ तकनीकी उन्नयन किए गए है जिनमें संव्यवहार लेनदेन की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसएसएल 3.0 को बदल कर टीएलएस 1.2 प्रारम्भ किया गया है. इंटरनेट बैंकिंग डेटा बेस ओरेकल 11 जी से 12 सी में उन्नयन कर दिया गया है.
- इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अपने नये रूप तथा अहसास के साथ अनेक उत्पाद सेवाओं की वृहद श्रृंखला प्रदान कर रही है. इनमें खुदरा एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु ऑनलाईन पासवर्ड बनाना, अपनी इच्छा एवं सुविधा से लेन देन हेतु ग्राहकों के लिए 2एफए (ओटीपी, ग्रिड एवं डिजिटल हस्ताक्षर) विकल्प प्रारंभ किया है. निधि अंतरण, ऑनलाईन कर जमा देखना, यूटिलिटी बिलों का भुगतान, विभिन्न सरकारी, एयरलाईंस/ मूवी टिकटों, शॉपिंग, मंदिर के लिए दान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों की फीस का ऑनलाइन भुगतान, सरकारी, ई-भुगतान/ प्राप्तियाँ, खाते के नियमित विवरण के अलावा आवश्यकतानुरूप खाते विवरण, एनआरई/एनआरओ जमाओं सहित ऑन लाइन सावधि जमा इत्यादि शामिल हैं.
- नई सुविधायें इस प्रकार हैं:
  1. कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं हेतु केवल कर भुगतान की सुविधा का उपयोग करने हेतु ग्रुप 79 बनाया गया है.
  2. व्यू केवल की अतिरिक्त सुविधा के लिए आरओ के लिए एडमिन एवं जानकारी एवं सहायता उद्देश्य के लिए गैर अधिकारी सृजित किया गया है.
  3. आईएनबी के माध्यम से ऑन लाइन गोल्ड बॉन्ड अनुरोध.

4. कार्ड को समर्थ, असमर्थ एवं सीमा के नियंत्रण के लिए आईएनबी के माध्यम से कार्ड नियंत्रक की सुविधा.

5. आईएनबी के माध्यम से उच्च परिमाण संग्रहण को सुसाध्य बनाने हेतु सीबीडीटी माड्यूल का नवीनीकरण.

6. ऑन लाइन कर संग्रहण के लिए राजस्थान भुगतान पोर्टल के साथ समन्वयन.

7. आईएनबी के माध्यम से कर संग्रहण के लिए बिहार राज्य ट्रेजरी पोर्टल (सीटीएमआईएस) के साथ समन्वयन.

- आईएमपीएस सेट-अप का नवीकरण एवं यह सुविधा ग्राहकों तक पहुंचाना.
- आईएमपीएस लेनदेन, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑन लाइन रेलवे माल परिवहन बुकिंग के लिए कोर्पोरेट ग्राहकों द्वारा इ-फ्रेट आरटीजीएस/ एनईएफटी इत्यादि सुविधाएँ भी बैंकिंग द्वारा उपलब्ध है तथा कॉर्पोरेट (गैर- व्यक्ति) आईएनबी ग्राहकों के लिए बल्क अपलोड सहित आईएफबी के माध्यम से ग्राहकों को 24X7 एनईएफटी कार्यप्रणाली वर्तमान में उपलब्ध है. ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण सुविधा को द्रुतगामी बनाने के लिए लाइटवेट पेमेंट पेज सुविधा प्रारंभ की गई है.
- ओडिसा, बिहार सरकार के कर तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में संग्रहण के लिए बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से एक बिल्कुल नया मॉडल लगाया है जिसमें 40 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक कर जमा कर सकते हैं. बैंक द्वारा भुगतान पद्धति को कार्यान्वित करना, भोजन तथा अन्य ई-पीएओ.
- सेन्ट्रल बैंक ऐसा पहला बैंक है जिसने डीआईपीपी द्वारा आरंभित मिशन प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्रदान करने लिए ई-बिज से समेकीकरण किया है. विभिन्न राज्य सरकारों के कर /फीस संग्रहण हमारे बैंक के माध्यम से किया जाता है.
- कॉरपोरेट ग्राहकों हेतु आवश्यतानुरूप खाता विवरणी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के तहत एनईएफटी द्वारा बल्क अपलोड की सुविधा भी उपलब्ध है. ग्राहक अपनी जरुरतों के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करते समय विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं.
- वैयक्तिक आईएनबी ग्राहकों को पहले से ही उपलब्ध सेवाओं की तरह अब कोर्पोरेट ग्राहकों को भी सिर्फ देखने की सुविधा युक्त आईएनबी / कर एवं यूटिलिटी बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है.

4. इंटरफेस :

निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए नये इंटरफेस विकसित किए गए हैं.

- फीस विवरण को तत्कार लेने के लिए एवं शाखाओं में सफलतापूर्वक संग्रहण के पश्चात अपडेशन के लिए वेब सेवा का प्रयोग कर ग्राहकानुकूल फीस संग्रहण माड्यूल. यह मॉड्यूल अल्प अवधि की सूचना पर नये संस्थानों को जोड़ने सकने के लिए फीस संग्रहण प्रारंभ एवं खपत हेतु संस्थानों के लिए जेनरिक एपीआई उपलब्ध करा कर कॉनफिगर किया जा सकता है.
- एक क्लिक पर सामाजिक न्याय विभाग, मध्य प्रदेश, पेंशन प्रसंस्करण. मध्य प्रदेश शासन की यह एक प्रतिष्ठित परियोजना है जिसमें 36 लाख लाभार्थी एक बार में पेंशन प्राप्त करते हैं.
- हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग, पेंशन प्रसंस्करण. इस योजना का उद्धेश्य हैं कि हमारे बैंक के लाभार्थियों की जमा राशि केवल एक फाइल अपलोड के माध्यम से हो.
- मध्य प्रदेश ग्रामपंचायत विभाग (डीओजीपी) : सीधे प्रसंस्करण के लिए ग्राम पंचायत विभाग को उपलब्ध करायी गयी बैंक प्रणाली में डिजिटली हस्ताक्षरित फाइल को अपलोड करने की सुविधा. इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर खाता के लिए विवरणी सृजन एवं डीओजीपी सेटअप अद्यतन.
- राजस्थान भुगतान पोर्टल (आरपीपी): सीधे प्रसंस्करण के लिए आरपीपी को उपलब्ध करायी गयी बैंक प्रणाली में डिजिटली हस्ताक्षरित फाइल को अपलोड करने की सुविधा.
- हमारे बैंक में एफसीआरए खातों के लिए खाता विवरणी की साझेदार. हमारे बैंक के एफसीआरए खातों के संबंध में प्राप्त जानकारी को बाह्य मामलों के मंत्रालय को उपलब्ध कराने के लिए पीएफएमएस खातों के वैधीकरण के विद्यमान सेटअप को पुन: उपयोग में लाया गया.
- ईवीसी बैंक खाते का उपयोग : ग्राहक के खाता संख्या का प्रयोग कर आयकर विवरणी फायलिंग की इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की सुविधा विकसित कर ली गयी है.

5. डिजिटल हस्ताक्षकर्ता सेटअप

हमारे बैंक के ग्राहक को ई-मेल के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित खाता विवरणी प्रेषित करने के सेटअप को आरएफक्यू प्रक्रिया के माध्यम से खरीद लिया गया है. यह सुविधा ग्राहक के ई-मेल आईडी पर स्वत: ही हस्ताक्षर एवं दस्तावेजों के प्रेषण के लिए अन्य आईटी परियोजना से साझा करने का विकल्प भी उपलब्ध कराती है.

6. **एम-पासबुक :**

❖ मोबाईल एप्लीकेशन के रुप में ग्राहकों के लिए एम-पासबुक का शुभारंभ किया गया. जिसे गूगल प्लेस्टोर में हमारे ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया है.

7. **एसएमए - एनपीए ट्रैकर**

❖ ऋण एवं एनपीए की निगरानी बैंक की नियमित गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. फील्ड फंक्शनरियों की सुविधा एवं उनकी दैनिक गतिविधियों की ट्रैकिंग तथा ऋण पोर्टफोलियों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हमारे बैंक में एसएमई - एनपीए ट्रैकर सोल्यूशन क्रियान्वित किया गया है. इस सोल्यूशन को केंद्रीकृत सर्वर पर नियोजित किया गया है जिस तक मोबाइल एप्प, डेस्कटॉप/लैपटॉप / टैबलेट्स/ फोन के माध्यम से पहुंच बनाई जा सकती है.

❖ यह उत्पाद निम्नलिखित के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को उपलब्ध है :

1. बैंक के नेटवर्क से जुड़ा डेस्कटॉप पीसी.
2. एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल फोन (एंड्रायड, विंडोज , ब्लैकबेरी, एवं आईओएस)
3. इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल वेबसाइट

❖ यह उत्पाद मिशन रिकवरी के अभियान के दौरान फील्ड स्टाफ की सहायता के लिए भी प्रयोग किया गया था. मिशन रिकवरी की प्रगति की दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग में सहायता के लिए अभियान अवधि के दौरान विभिन्न स्वत: रिपोर्ट जनरेट हुई हैं.

8. **भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)**

बिल भुगतान व्यवसाय की समस्याओं के समाधान के लिए एनपीसीएल की यह एक नई पहल है. इस पहल के अंतर्गत एक ऑपरेटिंग ईकाइ के रूप में सहभागिता के लिए हमारे बैंक को विनियामक लाइसेंस प्राप्त है एवं इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है. वेबसाइट विकसित की गयी है एवं एनपीसीआई द्वारा प्रमाणित की गयी है. यह आंतरिक जांच के अंतर्गत है एवं जनता के लिए प्रारंभ होना है.

9. **एसएमएस बैंकिंग/अलर्ट :**

❖ एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन संबंधी रियल टाइम अलर्ट से उनके खातों की सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जाती है. वर्तमान में ग्राहकों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते है. 1) बचत खातें में ₹ 1000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में ₹ 10,000/- से अधिक की जमा/नामे 2) समाशोधन चेक नकारे जाने पर 3) निर्धारित न्यूनतम स्तर के खाते की शेष राशि कम होने पर 4)सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन से पूर्व सूचना.

❖ नियंत्रण एवं निगरानी बनाए रखने के लिए शाखा प्रबंधकों तथा उच्च अधिकारियों को भी एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि वे एनपीए सहित अन्य खातों एवं हाउसकीपिंग तथा शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रख सकें.

❖ नये एसएमएस वेन्डर के सूचीबद्धकरण के लिए आरएफपी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है. आरएफपी प्रक्रिया के दौरान ई-मेल एवं वॉइस मैसेज प्रेषण की अतिरिक्त सुविधा को भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दर पर खरीद लिया गया है.

कार्ड नियंत्रण विशेषताएं

ग्राहकों को डेबिट कार्ड से संबंधित मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए कार्ड नियंत्रण विशेषताएं मोबाइल बैंकिंग एप में प्रारंभ की गयी हैं :

- डेबिट कार्ड का अस्थायी निलंबन.
- निबंलित डेबिट कार्ड का पुन: सक्रियकरण.
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड की एटीएम नगद आहरण एवं ई-कॉम / पीओएस के लिए प्रति दिन की सीमा का निर्धारण.

10. **मिस्ड कॉल एलर्ट :**

❖ यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक क्रमश: 9555244442 एवं 9555144441 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर खाते में शेष राशि की जानकारी और अंतिम तीन लेनदेनों की नि:शुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस नई अभिनव ग्राहकोन्मुखी पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा भी प्राप्त हुई है.

❖ एक ही खाताधारक के बहु-खातों के खाते शेष एवं लघु विवरणियों को समाहित करने के लिए सुविधा का उन्नयन किया गया.

11. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउन्ट (आस्बा) :

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और "एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउन्ट" (अस्बा) नामक पूरक प्रक्रिया शुरू की है. हम सभी ग्राहकों को अस्बा सुविधा प्रदान करते है. जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने तथा उसके पश्चात आबंटन राशि प्रेषित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम हेतु आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा आस्बा समूहन एवं ई-आईपीओ के लिए भी विस्तारित की गई है.

12. मोबाईल बैंकिंग :

- सेन्ट मोबाइल बैंक का एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है. उपयोगकर्ता इंटरनेट समर्थित हैड सेट्स- मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से कभी भी और कहीं भी अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. सेन्ट मोबाइल एंड्राइड, एप्पल (आईओएस), विंडोज एवं ब्लैकबेरी प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध है. यह संबंधित प्ले स्टोर / एप्प स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है. प्री-लॉग इन विकल्प सभी के लिए उपलब्ध है, पोस्टलॉग-इन विकल्प सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात हासिल कर सकते है.
- सेन्ट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कार्य निम्नलिखित हैं :-

लॉगिन पूर्व विकल्प :

- कार्यालय पता, फोन नंबर, ई-मेल पता, एमआईसीआर कोड, पिन कोड, आईएफएससी कोड के साथ केन्द्रीय कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, शाखाओं का सम्पर्क विवरण.
- शाखा एवं एटीएम अवस्थिति- जीपीएस आधारित मोबाइल हैंडसेट में नजदीकी एटीएम अथवा शाखा की सूची. राज्य, जिला, केन्द्र अथवा पिन कोड आधारित अखिल भारतीय खोज विकल्प भी उपलब्ध है.
- एटीएम /शाखा/प्रशासनिक कार्यालय के लिए दूरी एवं ड्राइविंग के लिए रास्ते को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र.
- शाखाओं /प्रशासनिक अधिकारियों/कॉल सेंटर के फोन नंबर प्रदर्शित करने के लिए डायल टच.
- कोर्पोरेट वेबसाईट के लिए लिंक, अधिकारिक सोशल मिडिया पृष्ठों (फेसबुक, ट्वीटर)? ई-मेल पता.
- जूम विकल्प के साथ उत्पाद से संबंधित तथा बैंक की सेवाओं से संबंधित जानकारी का बैनर.
- अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए बचत और सावधि जमा पर ब्याज दरें.
- चयनित खुदरा ऋण योजनाओं पर ब्याज दरें.
- एसएमएस द्वारा खाते की शेष राशि तथा पिछले कुछ लेनदेनों के बारे में जानने के लिए बैंक की मिस्ड कॉल सेवा के लिए टच डायल (यह सेवा केवल पंजीकृत ग्राहकों के लिए उपलब्ध).
- योजनाओं में वास्तविक समय अधिसूचना / नई उत्पाद के संबंध में अलर्ट /प्रस्ताव/ संशोधन आदि.
- की-वर्ड पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न के मूल तत्व की खोज.
- भीम सेन्ट यूपीआई लिंक.

लॉगिन पश्चात विकल्प :

- **खाता संबंधी कार्य-विशिष्टताएँ :** खाता शेष पूछताछ (बचत/चालू/ओडी/सीसी/एफडी/ऋण/पीपीएफ खातों के लिए), खाता विवरण (बचत/चालू/ओडी/सीसी/एफडी/ऋण/पीपीएफ खातों के लिए), लघु विवरणी, निधि अंतरण, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के खाते में निधि अंतरण, एनईएफटी के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, आईएमपीएस के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, चयनित संस्थानों को दान एवं नए सावधि जमा (आवर्ती, एडीआर एवं एमएमडीसी खाते) खाते खोलना.
- **अनुरोध :** कार्ड ब्लॉकिंग, आधार नंबर से खाता लिंक करना, वैयक्तिक एटीएम (डेबिट) कार्ड हेतु अनुरोध, चेक बुक अनुरोध, अंतरण रोको अनुरोध, भुगतान रोको निरस्तीकरण अनुरोध, चेक स्थिति पूछताछ, ई-मेल पर खाता विवरण पाने हेतु अनुरोध एवं एनईएफटी स्थिति पूछताछ.
- सेन्ट मोबाइल एप्लीकेशन हेतु फीडबैक/सुझाव/रेटिंग प्रस्तुत करने का विकल्प.
- **बिल भुगतान सेवा :** यूटिलिटी बिल भुगतान, मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज.
- क्रेडिट कार्ड सेवाएं : सेन्ट्रल बैंक कार्ड संबंधी जानकारी जैसे उपलब्ध सीमा, बिल राशि, अनबिल्ड राशि, अंतिम बिल सारांश, कार्ड विवरणी, रिवार्ड पॉइन्टस, सेन्ट्रल कार्ड संपर्क विवरण एवं सेन्ट्रल कार्ड बिल भुगतान एवं क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने हेतु अनुरोध.

क्रेडिट नियंत्रण विशिष्टताएं :

i) डेबिट कार्ड नियंत्रण

- मोबाइल बैंकिंग एप्प में प्रारंभ की गयी डेबिट कार्ड नियंत्रण मॉड्यूल ग्राहक को डेबिट कार्ड संबंधी निम्नलिखित कार्य मोबाइल बैंकिंग से कर सकने में समर्थ बनाता है:
- डेबिट कार्ड का अस्थाई निलम्बन
- निलम्बित डेबिट कार्ड का पुन: सक्रियन
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए ई-कॉम /पीओएस खरीद हेतु डेबिट कार्ड दैनिक सीमा तथा एटीएम नकद आहरण सीमा का निर्धारण

ii) क्रेडिट कार्ड नियंत्रण

- सेन्ट मोबाइल एप्लीकेशन में समाहित क्रेडिट कार्ड नियंत्रण में निम्नलिखित विशेषताएं हैं
- क्रेडिट कार्ड को देखना.
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का अस्थायी निलंबन.
- निलंबित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड को पुन:सक्रिय करना
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड की ई-कॉम एवं पीओएस के लिए मासिक लेन देन सीमा निर्धारित करना.

13. किओस्क बैंकिंग:

नगद जमा, शेषराशि पूछताछ सुविधाओं के साथ बैंक ने 254 स्वंय सेवा किओस्क मशीनें स्थापित की है. इसके अलावा नकद जमा, शेषराशि पूछताछ, लघु विवरणी, पास बुक प्रिंटिंग, चेक जमा तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवा सहित 407 मल्टी-फंक्शन कियोक्स मशीने स्थापित की है.

14. यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) :

भीम सेन्ट यूपीआई, बैंक का यूनीफाइड भुगतान एप्लीकेशन (यूपीआई) एंड्रॉएड एवं आईओएस के लिए प्ले स्टोर पर निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उपलब्ध है :-

1. निम्नलिखित के उपयोग से धन प्रेषण
   - ए. वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए)
   - बी. खाता सं. एवं आईएफएससी
   - सी. मोबाइल नं. एवं एमएमआईडी
   - डी. आधार सं.
   - ई. क्यू आर कोड
2. संग्रहण अनुरोध प्रेषित कर धन प्राप्त करना
3. बैंक खातों के लिए भुगतान पता सृजित करना
4. आदाता प्रबंधन
5. शेष राशि पूछताछ
6. लेनदेन इतिहास
7. लेनदेन स्थिति की जानकारी
8. शिकायत प्रस्तुत करना
9. एम-पिन सृजित करना /बदलना
10. संग्रहण अनुरोध के लिए सूचना
11. संग्रहण अनुरोध का अनुमोदन
12. ओटीपी का स्वत: पता लगाना.
13. ओटीपी का पुन: प्रेषण
14. यूपीआई एप्लीकेशन के लिए हिन्दी भाषा का विकल्प
15. यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए भारत क्यू आर का स्कैन.
16. विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपयोगकर्ता को वीपीए ब्लॉक विकल्प.

15. भीम संप्रेषण एवं मर्चेंट कैश बैक योजना

भारत सरकार ने दो योजनाएं प्रारंभ की हैं अर्थात ए) वैयक्तिक के लिए रेफरल बोनस योजना बी) बैंक में कार्यान्वित भीम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंटस के लिए कैश बैक योजना.

अन्य परियोजनाएं

16. वेबसाइट :

- ग्राहकों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, वेबसाइट के आकर्षक प्रदर्शन एवं अनुभूति में निरतंर बदलाव किया जा रहा है. यह बेवसाइट जमा खातों एवं शाखा में उपलब्ध लॉकर्स इत्यादि के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती है.
- वेबसाइट के माध्यम से एमएसएमई ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करना
- ग्राहकों द्वारा अपनी शिकायतें भी इस पर दर्ज की जा सकती है एवं स्थिति देख सकते हैं.
- बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं. सुरक्षा लेखा परीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.
- स्मार्ट पे के माध्यम से वेबसाइट पर यूटीलिटी बिल भुगतान लिंक.
- ग्राहकों की सुविधा के लिए विभिन्न केन्द्रीय / राज्य कर भुगतान लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

17. भारिबैं भुगतान गेटवे प्रणाली :

- दिनांक 31 मार्च, 2018 को 4836 शाखाएं/विस्तार पटल/ एसएसबी/कार्यालयों को आरटीजीएस समर्थित किया गया है एवं 4824 शाखाओं / विस्तारपटल / एनबीओ / कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया गया है. आरटीजीएस/ एनईएफटी दोनों ही हमारे बैंक में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के अंतर्गत हैं.
- बहु लाभार्थियों को निधि का एक ही समय में अंतरण के लिए शाखाओं को बल्क एनईएफटी सुविधा उपलब्ध है.
- रिटेल तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से एनईएफटी सुविधा उपल्ब्ध कराई गई है. इसके अलावा बैंक द्वारा उप-सदस्य व्यवस्था के अंतर्गत 40 सहकारी बैंकों को भी एनईएफटी सुविधा विस्तारित की गई है.
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के शुरुआत करने के साथ ही हमारे बैंक में नेक्स्ट जेन आरटीजीएस (एनजी- आरटीजीएस) सक्रिय कर दिया गया.
- नेक्स्ट जेनरेशन आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) सुविधा मध्य प्रदेश के 39 उप सदस्य को-ऑपरेटिव बैंक को भी उपलब्ध करायी गयी है.
- वर्चुअल खाता संख्या के आधार पर निधि संग्रहण की सुविधा डीडीए, एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट एवं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) को उपलब्ध करायी गयी है.

18. एंटरप्राइज सर्विस बस (पेमेंट इंटीग्रेटर सोल्यूशन):

लम्बी कतार के कारण भुगतान प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को टालने के लिए क्षमता निर्माण कार्रवाई की गई है तथा समय सीमा के अनुपालन हेतु मल्टी थ्रेड प्रोसेसिंग शुरू की गई है. बैंक ने विभिन्न बेच प्रसंस्करण कार्यो जैसे - खाता सं., इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली(एनईसीएस) , सरकारी भुगतान (जीईपीजी), पेंशन प्रसंस्करण, ईएफएमएस ग्रहणाधिकार हटाना एवं लेनदेन प्रसंस्करण के माध्यम से (आस्बा एवं स्रोत) वेतन भुगतान के लिए एचआरएमएस एकीकरण, आवक स्विफ्ट संदेशों का एकीकरण (एमटीएस 103) सहकारी बैंक, एनईएफटी, त्वरित प्रेषण, एनजीआरटीजीएस, सीपीएसएमएस- डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, पैन सत्यापन (सीबीएस में सीआईएफ बनाते समय) ई-प्रेषण (फ्लैश रेमिटेंस) ट्रेजरी एकीकरण, डीडीए हेतु आरटीजीएस, आधार आधारित ईएफएमएस, मनरेगा आधार सीडींग, सीटीएस, कोर बैंकिंग पद्धति के साथ सीएमएस, आईएमपीएस, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस, खजाना,पीएमजेबीवाई इत्यादि के प्रभावी कार्यावयन हेतु भुगतान एकीकरण सोल्यूशन अर्थात आईबीएम एकीकरण बस (आईआईबी) स्थापित किया है.

19. चेक ट्रंकेशन प्रणाली :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निम्नलिखित स्थानों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है :

- दक्षिण ग्रिड में सीटीएस के लिए 77 चयनित केंद्र.
- उत्तर ग्रिड में सीटीएस के लिए 61 चयनित केंद्र.
- पश्चिमी ग्रिड में 75 चयनित केंद्र.

20. कॉल सेन्टर :

- बैंक ने दिनांक 6 जुलाई 2011 कॉल सेन्टर की स्थापना की है तथा यह सुगमतापूर्वक कार्य कर रहा है.
- वर्तमान में कॉल सेन्टर द्वारा विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं. जैसे, बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की सूचना, शाखा/एटीएम लोकेशन की सूचना, ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों पर सूचना, शेष राशि पूछताछ, लेनदेन जानकारी, चेक नंबर की जानकारी, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग, ब्याज अर्जित/ब्याज भुगतान की जानकारी, टीडीएस जानकारी, लेनदेन विवरण, जारी या जमा किए गए चेक की स्थिति, सीडी/सीसी/ओडी ऋण सीमा एवं ब्याज की जानकारी बैंक के ग्राहकों की शिकायतें रिकार्ड करना तथा उपयुक्त स्तर पर समाधान हेतु उन्हें बैंक की ग्राहक शिकायत प्रणाली में फीडिंग करना. बैंक ने सभी कॉल सेन्टरों में सीआरएम कार्यान्वित किया है.
- ग्राहकों की सुविधा के लिए आईवीआरएस प्रणाली कॉल सेन्टर में कार्यान्वित की गयी है.
- ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए तथा उन तक प्रभावी तरीके से पहुँचने के उद्देश्य से एक नया कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों के बारे में जागरुकता लाने के लिए बैंक बाहरी कॉल कर रहा है.
- फीड बैक /मार्गदर्शन उत्पाद जागरुकता इत्यादि के लिए ग्राहकों को बाहरी कॉल करने के लिए लाइन्स बढ़ाने के लिए दूसरे सेवा प्रदाता से दो लिंक संस्थापित कर लिए गए हैं.
- ग्राहकों द्वारा उठाई गयी विभिन्न शंकाओं के त्वरित निवारण के लिए कॉल सेन्टर के कार्यपालकों को डीआईटी में तकनीकी टीम द्वारा आवधिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
- बैंक एक अत्याधुनिक कॉल सेन्टर की स्थापना करने की प्रक्रिया में है, जो अधिक सीटों वाली एवं और अधिक कार्यक्षेत्र को कवर करेगी. इस नए कॉल सेंटर का नं. 1800221911 है.

21. सिंगल डाटा रिपोजटरी (एसडीआर) :

बैंक ने सिंगल डाटा रिपॉजिटरी की स्थापना की है, जो पूरे बैंक में सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का एक स्रोत होगा. यह उच्च प्रबंधन को सत्यतापूर्ण रिपोर्टिंग के विभिन्न डैशबोर्डस उपलब्ध कराते हुए रिपोर्टिंग की तारतम्यता सुनिश्चित करेगा. जिससे निर्णय सहायता प्रक्रिया में अभिवृद्धि होगी. बैंक का स्टेटिक एएलएम, विश्लेषणात्मक सीआरएम तथा कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन प्रबंधन (योजना एवं बजटिंग) मॉड्यूल एसडीआर परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए हैं.

22. एचआरएमएस :

- बैंक ने पीपुलसॉफ्ट के सहयोग से नवीन तकनीक युक्त एचआरएमएस सोल्युशन (स्वदर्पण) कार्यान्वित किया है जिसमें सभी कार्यों जैसे कर्मचारी स्वंय सेवा, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन, वेतन रजिस्टर प्रबंधन, दौरा अनुमोदन एवं दावा प्रसंस्करण, एलएफसी का प्रबंधन, अवकाश एवं उपस्थिति प्रशासन, कर्मचारी सूचना प्रणाली, स्टाफ ऋण प्रसंस्करण, चिकित्सा सहायता का प्रबंधन, एचआरडी/विधि विभाग, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभाग (डीएडी), ग्रेच्युटी प्रबंधन/भुगतान, भविष्य निधि डाटा प्रबंधन एवं भुगतान, एनआरडब्ल्यू भुगतान प्रसंस्करण, रिहायशी क्वार्टर्स का आबंटन, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति रिपोर्ट (स्टाफ संख्या, पेरोल, फॉर्म 16, अवकाश, यूनियन, वेतनवृद्धि रिपोर्ट), प्रशिक्षण प्रबंधन एवं मानव शक्ति प्रशिक्षण (एमपीटी), निवेश, पदोन्नति परीक्षा आवेदन फॉर्म, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन फॉर्म एवं सम्बद्ध रिपोर्ट, ब्रीफकेस, रजत जयंती पुरस्कार प्रतिपूर्ति, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, अधिकारियों के स्थानांतरण, किराया प्रतिपूर्ति, अवकाश पासबुक, वीआरएस इत्यादि की सुविधा एचआरएमएस में उपलब्ध हैं.
- एचआरएमएस में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध हैं तथा एचआरएमएस के लिए बैंक ने एक डीआर सेट-अप स्थापित किया है.

23. इन हाउस डेवलेपमेंट :

- बैंक के पास एक सुदृढ आईटी डेवलेपमेंट टीम है, जो बैंक के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर हेतु प्रभावी कार्य करती है तथा इस प्रकार यथासंभव उनकी आउटसोर्सिंग बचाती है.
- निम्नलिखित इनहाउस डेवलेपमेंट पूर्ण किए गए हैं;
    - कार्याधार - शाखाओं के वर्तमान, पिछली तिमाही, पिछले वित्तीय वर्ष एवं पिछले वर्ष के विभिन्न व्यावसायिक पैरामीटरों के प्रदर्शन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है जो डिजिटल लेन देन की वृद्धि को भी दर्शाता है.
    - ई- विजिलेंस शिकायत निगरानी प्रणाली (वी-सीएमएस)
    - स्टाफ के लिए पोर्टल जिसमें परिपत्र, अनुदेश मेन्युअल, विभिन्न योजनाएं शामिल हैं.

- एनसीजीटीसी (एमएसएमई, रिटेल) के लिए एक्सएमएल फाइल सृजित करने हेतु डाटा अपडेशन के लिए पोर्टल.
- रिटेल धमाका के लिए पोर्टल
- वित्तीय आउटसोर्सिंग के लिए पोर्टल
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए पोर्टल.

विकासाधीन परियोजनाएं

- सीएमसी रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल.
- प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी के लिए पोर्टल.
- एनीना एवं अन्य देयताओं के लिए पोर्टल - प्रविष्टिवार विवरण.

24. बैंक द्वारा प्रायोजित आआरबी:

बैंक के पास वर्तमान में 1629 शाखाओं वाली 3 आआरबी हैं. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार समेकन प्रक्रिया के पश्चात सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत हैं और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंक द्वारा की जा रही प्रौद्योगिकी पहल के समान स्तर पर आरआरबी की प्रौद्योगिकी पहल को स्थापित किया जाए. बैंक की वर्ष 2020 तक की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्पूर्ण प्रणाली को सुसज्ज किया गया है. हार्डवेयर, नेटवर्क एवं सुरक्षा उपकरण इत्यादि जो आरएफ प्रक्रिया के माध्यम से खरीद लिए गए हैं, को संस्थापित एवं अधिकृत कर दिया गया है. आरआरबी की व्यवसायिक प्रगति एवं शाखा विस्तार की परिकल्पना के अनुसार नवीकरण कर दिया गया है. वर्तमान में आरआरबी का शाखा नेटवर्क मुख्य रूप से वी-सैट पर आधारित है. 48% शाखाओं में लीज्ड लाइन अधिकृत कर दी गयी है जहां कहीं भी यह व्यवहार्य पायी गयी.

प्रायोजित बैंक की सभी प्रौद्योगिकी पहलें कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और फिलहाल प्रारंभ की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार:-

- आरआरबी ग्राहकों के लिए ईवीएम चिप आधारित एटीएम कार्ड की सुविधा
- आरआरबी में एसएमएस एलर्ट प्रारंभ करना
- एफआई लेन-देनों के लिए ऑन-लाइन इंटरफेस
- किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ
- सीपीएसएमएस का कार्यान्वयन
- अति लघु शाखाओं की प्रयोजनीय कार्यपद्धति
- एपीबीएस/एसीएच का शुभारंभ
- सिबिल डाटा निष्कर्षण
- शाखा में सीबीएस प्रयोगकर्ता हेतु बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सोल्यूशन का कार्यान्वयन
- रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से पीओएस सुविधा
- एईपीएस का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है.
- आरआरबी की व्यापक आईएस लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है.
- सभी 3 आरआरबी में डीबीटीएल/एसीएच कार्यान्वित कर दिए गए हैं.
- ई-केवाईसी का कार्यान्वयन.
- माइक्रो एटीएम के माध्यम से रुपे कार्ड लेनदेन का प्रयोग.
- परिपत्र पोर्टल का प्रारम्भ.
- पंजीकृत बायोमेट्रिक डिवाइस कार्यान्वयन.
- सभी आरआरबी के लिए जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन.
- बीसी पॉइन्ट पर बीसी ओडी मैपिंग.
- आईएमपीएस का कार्यान्वयन.
- सीकेवायसी का कार्यान्वयन.

25. वित्तीय समावेशन पहलें :

- आवश्यक प्रौद्योगिकी पहल सहायता उपलब्ध कराते हुए सरकार द्वारा यथा निर्देशित सभी वित्तीय समावेशन पहलों को प्रारंभ किया गया है.
- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) सक्रिय किया है.
- एलपीजी उपभोक्ता हेतु डीबीटी का कार्यान्वयन एवं अस्वीकृत को कम करने हेतु निगरानी
- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एइपीएस) सक्रिय है.
- वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध है - एटीएम, एसएमएस एवं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आधार सीडिंग
- केवाईसी - सभी शाखाओं एवं बीसी में कार्यान्वित कर दिया गया है.
- डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण- एनपीसीआई के माध्यम से डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण लेनदेन से उत्पादकता की प्रवृति एवं प्रदर्शन में सक्रियता
- सीबीएस में तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारम्भ.
- बीसी उपकरणों के माध्यम से रुपे कार्ड लेन-देन प्रत्यक्ष उत्पादन में है.
- बीसी के लिए आधार आधारित लॉगिन कार्यमूलकता को प्रोडक्शन एन्वायरमेंट में डाल दिया गया है एवं सभी सक्रिय टीएसपी उस पर लाइव है.
- उन बीसीज के लिए भी बल्क एसएमएस सुविधा को प्रोडक्शन में क्रियान्वित कर दिया गया है जो किसी विशिष्ट दिन लॉगिन नहीं होते है.
- एनपीसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आधार सीडिंग तथा आधार मैपिंग को पृथक्कीकरण प्रोडक्शन में डाल दिया गया है.
- आधार आधारित व्यापारिक भुगतान कार्यमूलकता को भी प्रोडक्शन में डाल दिया है और उसे लाइव कर दिया गया है.
- विभिन्न चैनलों जैसे आईएफआईएस, एईपीएस ओएनयूएस, एईपीएस ओएफएफयूएस रूपे कार्ड में बीसी के लेन देन सीमा का प्रतिबंधन कार्यान्वित कर दिया गया था.
- आईएफआईएस / एईपीएस ओएनयूएस लेन देन, बीसी पॉईंट/मायक्रोएटीएम में नकद जमा एवं आहरण के पूर्व नाम के प्रदर्शन को समर्थित किया गया था.
- लेन देन के लिए अपंजीकृत पब्लिक डिवाइस को पंजीकृत डिवाइस (बीसी पॉइन्ट एवं शाखा दोनों में) में परिवर्तन, उडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया गया था.
- नये खातों (आवश्यक) एवं विद्यमान खातों में ई-केवायसी के माध्यम से अधिप्रमाणन समर्थ किया गया था.
- बीसी पॉइन्ट पर पीएमजेबीवाय एवं पीएमएसबीवाय के पंजीकरण की सुविधा.
- बीसी पॉइन्ट पर एसएचजी लेन देन की सुविधा.

26. आईटी गवर्नेंस:

बैंक में आईटी कार्य नीति समिति, आईटी संचालन समिति एवं आईटी जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से बैंक में आईटी गवर्नेंस के लिए आवश्यक संरचना तैयार की गई है.

- सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संस्करण 1.45 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया था. आईटी का संगठनात्मक ढांचा बैंक द्वारा की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों के आकार, प्रमाण एवं प्रकृति के अनुरूप तथा व्यावसायिक परिचालन के लिए सूचना प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये गए अन्तर्निहित समर्थन के अनुरूप होना चाहिए. आईटी संगठनात्मक संरचना के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में 'तकनीक एवं विकास", 'आईटी परिचालन", 'आईटी एश्योरेंस" एवं 'आपूर्तिकर्ता 'तथा 'संसाधन प्रबंधन" शामिल होंगे. आईटी विभाग आदर्श स्थिति में उच्च कार्यपालक की श्रेणी के अधिकारी तथा महाप्रबंधक एवं उनके सहयोग हेतु उप महाप्रबंधक द्वारा संचालित होना चाहिए. आईटी विभाग का प्रत्येक वर्टिकल समुचित रूप से अनुभवी एवं प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारियों, जो कम-से-कम सहायक महाप्रबंधक श्रेणी के हों, द्वारा संचालित होना चाहिए.
- बेहतर प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा पैच प्रबंधन नीति, स्वीकार्य उपयोग नीति, नक़ल रोधी नीति, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं आईटी हार्डवेयर नीति, हार्डवेयर निपटान नीति,डाटा अंतरण नीति को अंगीकृत किया गया है.
- आई टी कार्यनीति समिति की सलाह के अनुसार संतुलित स्कोर कार्ड नियमित रूप से तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है तथा आई टी परियोजनाओं के विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की रेटिंग की जा रही है.

27. सूचना सुरक्षा:

- बैंक का डाटा केन्द्र (डीसी) और आपदा पुनर्स्थापन केन्द्र आईएसओ 27001:2013 आईएसएमएस मानकों एवं आईएसओ 22301:2012 बीसीएमएस मानकों से प्रमाणित है.
- सुरक्षा संतुलन स्कोर कार्ड की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा नियंत्रणों/गतिविधियों की प्रभाविता तिमाही आधार पर मापी जाती है.

- भारतीय रिजर्व बैंक एवं सीईआरटी-इन (भारतीय कम्प्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल) द्वारा आयोजित साइबर ड्रिल में नियमित रूप से सहभागिता की जा रही है.
- बैंक में विभिन्न प्रणालियों के विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए विशिष्ट पहचान प्रबंधन समाधान (पीआईएम) क्रियान्वित कर दिया गया है.
- ग्राहकों के साथ साथ स्टाफ के लिए सुरक्षा जागरुकता पहलें नियमित आधार पर की जा रही हैं. बैंक को इस श्रेणी में "स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट" के साथ साथ "स्कॉच गोल्डअवार्ड" प्राप्त हुआ है.
- बैंकों में "साइबर सुरक्षा ढ़ाचा" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश एवं बैंकिंग उद्योग में व्याप्त प्रथाओं के अनुरूप बैंक की साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित किए गए हैं.

28. सीबीएस यूजर्स (स्टाफ) के लिए बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन:

- अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर बैंक ने बायोमीट्रिक अभिप्रमाणन प्रणाली (बीएएस) का कार्यान्वयन पूर्ण कर लिया है.
- सभी शाखाएं और कार्यालय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन समर्थित हैं और सभी लेनदेन समर्थता उपयोगकर्ताओं को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सीबीएस में लॉगिन करना अनिवार्य बनाया गया है.

29. जीवन प्रमाण

पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सृजन हेतु हमारे बैंक के सभी क्षेत्रीय/आंचलिक/शाखाओं में जीवन प्रमाण एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया गया है. केंद्र सरकार/सेना/राज्य सरकार के पेंशनर्स किसी भी आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

30. केंद्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) :

- यह रिटेल, कृषि, एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट मॉड्यूल के साथ निगरानी मॉड्यूल के साथ क्रियान्वित किया जाता है.
- इस प्रणाली के लागू करने से ऋणों की स्वीकृति के नियमों को लागू करना आसान हो गया है तथा सभी शाखाओं में एकसमान प्रक्रिया लागू हो गई है.
- वर्तमान में, इस सॉफ्टवेर का उपयोग सभी शाखाओं के द्वारा रिटेल ऋणों इत्यादि के अंतर्गत ऋण आवेदन प्रवर्तन करने में किया जाता है. इस साफ्टवेअर में ऑनलाईन रिटेल ऋण आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है.
- इन्टरनेट पर इस सॉफ्टवेर के द्वारा ऋण आवेदनों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जानकारी के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है.
- हाल ही में शैक्षणिक ऋणों के लिए प्रस्तुत किया गया एनएसडीएल विद्यालक्ष्मी पोर्टल पहले से ही क्लास से सम्बद्ध कर दिया गया है एवं एनएसडीएल पोर्टल के स्वचलन के चरण दो का कार्यान्वयन हो चुका है एवं यह शाखाओं के प्रयोग में है.
- इस सॉफ्टवेर में भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण चूककर्ता सूची प्रदर्शित करने की क्षमता है एवं एनपीए मॉड्यूल परीक्षणाधीन है जिसे शीघ्र ही प्रोडक्शन में लगा दिया जाएगा.
- मिडल वेयर, हार्डवेयर, लाइसेंसों एवं एप्लीकेशन के पांच वर्षीय समेकित एएमसी/एटीएस के लिए वेन्डर से बातचीत एवं आरएफपी के माध्यम से निष्पादित किया जा चुका है.
- कई नयी कार्यक्षमताएं प्रक्रियाधीन हैं एवं उपयोगकर्ता विभाग से आवश्यकता के आधार पर नियमित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा.

31. सरल टीडीएस वेब एप्लीकेशन :

दिनांक 06.10.2015 को केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रबंधन सोल्यूशन क्रियान्वित किया गया था. जो टीडीएस सम्प्रेषण के लिए मासिक आयकर चालान का सृजन एवं आईटी विवरणी फाइल करने में सहायक है.

32. नकद प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस):

दिनांक 01.01.2015 को नकदी प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गयी थी जो तरलता, खाता शेष, भुगतान एवं नकदी प्रबंधन कार्य प्रबंधित करने में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सहायक है. इस एप्लीकेशन के दो प्रमुख मॉड्यूल है अर्थात भुगतान एवं संग्रहण.

33. धन-शोधन निवारण (एएमएल):

दिनांक 15.06.2015 को एमलॉक एप्लीकेशन क्रियान्वित की गयी थी जो वित्तीय अन्वेषण इकाई (एफआईयू) को प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य रिपोर्टें (दैनिक/मासिक) यथा एसटीआर, सीटीआर, एनटीआर, सीसीआर, एवं सीबीडब्ल्यूआर इत्यादि सृजित करने में सहायक है.

34. **विविध परियोजनाएं:**

- समेकित जोखिम प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सिस्टम का क्रियान्वयन
- दस्तावेज प्रबन्धन प्रणाली (डीएमएस) के क्रियान्वयन के साथ बैंक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है.
- एसएएस - बाजार जोखिम परियोजना दिनांक 26/04/2017 से लाइव है.
- निक(एनआईसी) के द्वारा मेल मैसेजिंग प्रणाली एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- आईटी संबंधी विद्यमान नीतियों की समीक्षा
- कार्पोरेट आईएनबी ग्राहकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन
- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे लाइसेंसशुदा उत्पादों के उपयोग का नियमन
- डेबिट कार्डों के लिए अधिप्रमाणन के लिए दूसरे घटक के रूप में ओटीपी का कार्यान्वयन
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक प्रयोग जिसे बैंक के कार्पोरेट नेटवर्क, इंटरनेट एवं आईपैड पर उपलब्ध कराया गया.
- इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
- ऑफ-साइट निगरानी - ऑफ-साइट निगरानी के लिए लेखा परीक्षा विभाग को 89 रिपोर्टें दी जा चुकी हैं.

35. **स्विफ्ट (एसडब्ल्यूआईटी)**

- स्विफ्ट का प्रयोग केवल सीमापार लेनदेन के लिए किया जाता है. जब कभी भी सीमापार मुद्रा का लेन देन होता है फोरेक्स शाखाएं स्विफ्ट में ही लेन देन करती हैं. स्टेन्डर्ड मैसेजिंग सिस्टम जिसमें स्विफ्ट प्लेटफार्म के माध्यम से संदेश प्रेषित / प्राप्त किया जाता है एवं नोस्त्रो / वोस्त्रो खाता स्तर पर निपटान किया जाता है. स्विफ्ट संदेश कई प्रकार के होते हैं एवं प्रत्येक अलग उद्देश्य के लिए होते हैं.
- सीमापार धन प्रेषण के लिए हमारे बैंक में दिनांक 03/04/2018 को 72 शाखाएं स्विफ्ट समर्थित हैं.

36. **न्यू ट्रेड फायनेन्स माड्यूल (एफएक्स - 24) दिनांक 03/04/2018 को एक्ज़िम बिल्स माड्यूल के स्थान पर कार्यान्वित किया गया.**

महत्वपूर्ण विशेषताएं :

- वेब आधारित समाधान एवं हमारे बैंक की सभी शाखाओं को उपलब्ध.
- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्यात डाटा प्रसंस्करण प्रबंधन प्रणाली (ईडीपीएमएस) के साथ पूर्ण समन्वयन. इसके कारण, आरबीआई के 70% के अनुपालन के विरूद्ध बैंक ने ईडीपीएमएस रिपोर्टिंग में 76% का अनुपालन प्राप्त किया.
- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्यात डाटा प्रसंस्करण प्रबंधन प्रणाली (ईडीपीएमएस) के साथ पूर्ण समन्वयन.
- आयात एवं निर्यात के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश का अनुपालन.
- ग्राहक जानकारी सुविधा नंबर (सीआईएफ) डी-डुप्लीकेशन का अनुपालन.
- निर्यात बिल पर आंशिक बट्टा काटना / आयात बिल्स का आंशिक भुगतान की सुविधा.
- सभी माड्यूल में क्रॉस करेन्सी फारवर्ड कॉन्ट्रेक्ट का प्रयोग (बाह्य धन प्रेषण,आवक धन प्रेषण, निर्यात एवं आयात लेन देन).
- सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पीडीएफ / एक्सेल फार्मेट में उपलब्ध.
- एकल लेन देन में रेडी, फॉरवर्ड एवं कार्ड दर के संयोजन का उपयोग.
- ₹ 10,00,000 के बराबर एवं इससे अधिक के वित्तीय लेन देन के लिए दोहरा अधिप्रमाणन.
- विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) प्रिन्टिंग.
- डीजीएफटी / आरबीआई (प्रीशिपमेंट एवं पोस्ट शिपमेंट दोनों के लिए) के 416 अनुमत एचएस कोड्स आधारित ब्याज समकरण.
- ऑफसाइट मॉनीटरिंग एलर्टस सृजित किए जाते हैं एवं लेखापरीक्षा विभाग को मॉनीटरिंग के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं.
- निर्यात / आयात के विरूद्ध अग्रिम भुगतान के लिए कार्यक्षमता.

ट्रेड फायनेन्स माड्यूल के साथ, बैंक ने कॉर्पोरेट वित्त शाखा, चैन्ने में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सप्लाई चेन फायनेन्स माड्यूल भी कार्यान्वित किया है.

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की आवधिकता शाखा को दी गयी विनिर्दिष्ट जोखिम रेटिंग पर निर्भर करती है. तदनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान 4091 शाखाएं आरबीआईए के अधीन थी. दिनांक 31.03.2018 को 2255 शाखाएं मध्यम जोखिम रेटिंग में, 2405 शाखाएं न्यून जोखिम रेटिंग में एवं 37 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग में हैं. बैंक की कोई भी शाखा बहुत अधिक जोखिम रेटिंग एवं अत्यधिक जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं हैं.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, 32 क्षेत्रीय कार्यालयों, 11 आंचलिक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के 11 विभाग प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन थे.

दिनांक 31.03.2018 को 875 शाखाएं / एसएसबी / सीओ के विभाग सनदी लेखाकार की फर्मों / बैंक अधिकारियों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर किए गए हैं. बैंक की सभी 7 कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं एवं 5 अन्य शाखाएं बैंक के वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत हैं. दिनांक 31.03.2018 को बैंक के कुल व्यवसाय का लगभग 56% और कुल अग्रिमों का 68% संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किया है. 863 सनदी लेखाकार फर्मों को संगामी लेखापरीक्षा कार्य सौपा गया है जिनमें से 401 फर्में भारिबैं श्रेणी I की, 208 श्रेणी II की, 148 श्रेणी III की एवं 106 फर्में आरबीआई श्रेणी IV की हैं.

बैंक प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से 10 मार्च तक सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखा परीक्षक एवं अन्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए राजस्व जांच करवाती है कि विधिसम्मत आय बैंक की बही में प्रविष्ट की गयी है.

आरबीआई के अनुदेशों के अनुपालन में, दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 के दौरान 696 पात्र खातों में विधिक लेखापरीक्षा कराया गया एवं स्वत्व विलेख का पुन:सत्यापन सुसंगत प्राधिकारियों से कराया गया.

बैंक आवधिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के माध्यम से कड़ाई से अनुपालन संस्कृति सुनिश्चित करती है. बैंक शाखाओं का रेन्डम आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा भी करती है ताकि लेखा परीक्षा वाली शाखा द्वारा प्रस्तुत की गयी लेखापरीक्षा अनुपालन की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 368 शाखाएं अनुपालन लेखापरीक्षा के अधीन थीं.

विभिन्न परिदृश्य के अंतर्गत निश्चित की गयी प्रारम्भिक सीमा से अधिक के लेन देन की मॉनीटरिंग के लिए बैंक ऑफसाइट मॉनिटरिंग प्रणाली के अंतर्गत भी है. वर्तमान में 89 परिदृश्य के एलर्टस सृजित होते हैं.

बैंक ने अपनी एडी शाखाओं द्वारा प्रेषित स्विफ्ट संदेशों के विशेष लेखापरीक्षा भी कराए थे एवं कोई भी अनियमितता नहीं पायी गयी.

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2018 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4685 शाखाएं हैं, 4886 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं. देश के सभी 29 राज्यों, 6 में से 5 केन्द्र शासित प्रदेशों, एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों एवं 707 जिलों में से 626 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है.

शाखाओं का वर्गीकरण

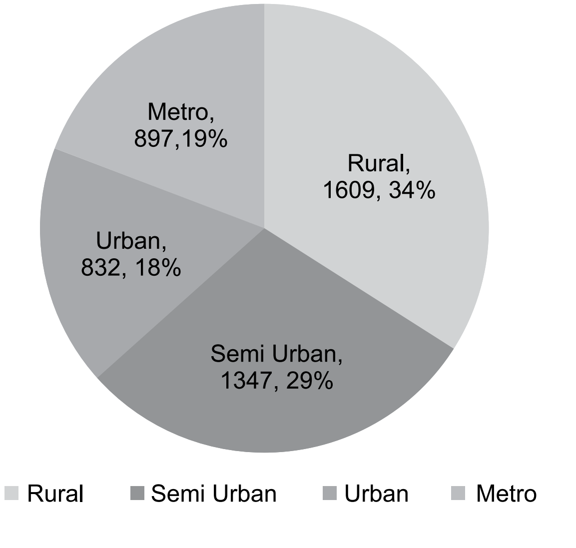

परिचालन

- बैंक द्वारा विस्तारित किए गए आधुनिक कॉल सेंटर उत्पादों के प्रमोशन / ग्राहकों को उनके ऋण खाता में अधिशेष इत्यादि संबंधी अनुस्माकर के लिए निर्गामी कॉल के अतिरिक्त ग्राहकों की शिकायतों / शंकाओं के समाधान के लिए आवक कॉल सुविधा उपलब्ध करा रही है.
- सोविनियर गोल्ड बॉन्ड्स के लिए ऑन लाइन अंशदान सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध करायी गयी है.
- पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली में सुरक्षा, शुद्धता एवं स्पीड को बेहतर बनाने के लिए नया पेंशन सॉफ्टवेयर जीबीएम पेन्शन मॉड्यूल आरंभ किया गया है. यह पेंशनरों को भुगतान विवरण एवं संशोधनात्मक लाभों के संबंध में एसएमएस उपलब्ध करायेगा.
- भारत सरकार के बैंकिंग सुधार के लिए रोड मैप के अनुसार, ग्राहकों की आसानी के लिए संशोधित सरलीकृत खाता खोलने का फॉर्म (सीआईएफ एवं एओएफ - व्यक्तिगत / वैयक्तिक) आरंभ किया गया है.
- समाशोधन के चेक नामे करने के पूर्व ग्राहकों को एसएमएस प्रेषित किए जा रहे हैं. विवादित चेक के मामलों में, ग्राहकों को होम शाखा से संपर्क करना है.
- अब ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी शाखा में लघु बचत स्कीम जैसे पीपीएफ / वरिष्ठ नागरिक बचत योजना / सुकन्या समृद्धि खाता / केवीपी के अंतर्गत खाता खोल सकते हैं.
- ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाता है, निपटान समय घटकर 11 दिन हो गए हैं.

राजभाषा :

- दिनांक 03 फरवरी, 2018 को आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद के तत्वावधान में एक दिवसीय **अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन** का भव्य आयोजन किया गया.
- राजभाषा विभाग द्वारा पहली बार अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगित का आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न बैंकों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया.
- तेलंगाना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु **"प्रथम पुरस्कार"** प्रदान किया गया.
- गुजरात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु **"प्रथम पुरस्कार"** प्रदान किया गया.
- महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा हमारे मुम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन हेतु **"तृतीय पुरस्कार"** प्रदान किया गया.
- भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे मुम्बई, चंडीगढ़ एवं पटना आंचलिक कार्यालय को **"प्रथम पुरस्कार"** और कोलकाता आंचलिक कार्यालय को **"तृतीय पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया.
- भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे पणजी क्षेत्रीय कार्यालय को **"प्रथम पुरस्कार"** एवं इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- हमारे द्वारा संचालित पणजी और भोपाल नराकास को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वियन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"प्रथम पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया.
- हमारे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, हैदराबाद, ग्वालियर, अकोला, सूरत, मुम्बई, जयपुर एवं औरंगाबाद को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति द्वारा **"प्रथम पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया.
- हमारे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय सागर, जबलपुर, इंदौर, मेरठ, बेंगलुरु और गुवाहाटी को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति द्वारा **"द्वितीय पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया.
- हमारे अग्रणी बैंक कार्यालय, होशंगाबाद एवं बेलगाम शाखा को संबंधित नगर राजभाषा समितियों द्वारा **"द्वितीय पुरस्कार"** प्रदान किया गया.
- क्षेत्रीय कार्यालय राजकोट को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वियन के लिए **"तृतीय पुरस्कार"** प्रदान किया गया.

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरुकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा फील्ड स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय

में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत विज्ञापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे. अखिल भारतीय स्तर पर विजिविलिटी बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर पर स्थानीय खेल स्पर्धाओं/यात्राओं/आयोजनों/किसान कैम्पों/सम्मेलनों के प्रायोजन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ट्रैफिक बेरिकेडस्, नो पार्किंग बोर्डों, पुलिस चौकियों, यूटिलिटी किऑस्क, दीवार पेंटिंग, ऑटो-रिक्शा, बस एवं ट्रेन, शिकारा, कैटामारैन में ब्रेंडिंग की गई. इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोकल केबल, एफएम रेडियो, मोबाइल एप, सिनेमा में विज्ञापनों का भी उपयोग किया गया.

- वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों और स्टाफ सदस्यों के लिए 176 स्वास्थ्य जांच कैम्प एवं 38 रक्त दान कैम्पों का आयोजन किया.
- हमारे बैंक का 107वां स्थापना दिवस, 72 ऑर्गन दान जागरुकता एवं सेन्ट्रलाइट्स एवं ग्राहकों से प्राप्त 10831 ऑर्गन दान शपथ पत्र के संग्रहण सेमीनार के आयोजन के माध्यम से अभिनव एवं भव्य रूप से मनाया गया.
- जनसमूह के ध्यान को आकर्षित करने के लिए पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रेफिक बेरिकेट्स लगाए गए.

सतर्कता

चयनित रिटेल ऋण योजना के अंतर्गत ऋण के प्रसंस्करण एवं स्वीकृति हेतु बैंक में स्थापित 49 केन्द्रीय ऋण प्रसंस्करण कक्षों (सीसीपीसी) का अध्ययन किया गया. कमियों को चिन्हित करने एवं इसकी बेहतरी हेतु सुझावों के लिए उपलब्ध मूल संरचना, रिटेल ऋणों के प्रसंस्करण / स्वीकृति हेतु प्रशिक्षित मानवशक्ति की उपलब्धता, नियंत्रण एवं प्रणाली की समीक्षा इत्यादि के बारे में जानना ही इसका उद्देश्य था.

शाखाओं द्वारा ऋण के संबंध में निर्णय लेने के लिए सिबिल डाटा के उपयोग की सीमा को समझने की अन्य क्रियाविधि को भी अपनाया गया है.

सावधानी के स्तर को समझने की दृष्टि से, रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए एक कैम्पेन के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों का भी अध्ययन किया गया.

कन्ट्रोल रिटर्नस में रिपोर्टिंग के स्तर एवं नियंत्रकों द्वारा इसके प्रभावी प्रयोग के स्तर को समझने के लिए भी अध्ययन किया गया है.

गलतियों को निकालने के लिए संगामी लेखा परीक्षा भी एक प्रणाली है एवं संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली के प्रभाव को समझने के लिए भी एक अध्ययन किया गया : तदनुसार संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया.

"सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2017" : सीवीसी से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, इस वर्ष की थीम "मेरा विज़न - भ्रष्टाचार मुक्त भारत" के साथ दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक हमारे बैंक में पूर्ण निष्ठा के साथ सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया. दिनांक 30.10.2017 को केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों द्वारा शपथ ली गयी. इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे सभी 13 आंचलिक कार्यालयों, 59 क्षेत्रीय कायार्लयों एवं बैंक की शाखाओं तथा हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मनाए गए.

बैंक ने 18.40 मिलियन ग्राहकों को एसएमएस प्रेषित किए जिसके चलते सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान अखंडता की प्रतिज्ञा लेने के लिए सीवीसी साइट के लिए हाइपरलिंक उपलब्ध कराया गया. कुल 10,04,239 जनसमूह की प्रतिज्ञा को सीवीसी साइट पर अपलोड करने में बैंक पूरी तरह सफल रहा. सतर्कता निवारक कार्यकलापों पर हमारे बैंक के साथ साथ आरआरबी द्वारा पूरे भारत में लगभग 19.68 लाख पैम्पलेट वितरित किए गए. बैंक ने ग्रामीण एवं अर्ध शहरी केन्द्रों में 8069 ग्राम सभाएं आयोजित की.

केवल हमारे बैंक के स्टाफ सदस्यों के लिए सतर्कता निवारक से संबंधित मुद्दों को कवर करते हुए अखिल भारतीय ऑन लाइन क्विज़ का भी आयोजन किया गया. बैंक ने 9 विनिर्दिष्ट केन्द्रों जैसे पटना, सिलिगुड़ी, जबलपुर,अहमदाबाद, नासिक,पिपरी, छिंदवाड़ा, ग्रेटर मुम्बई, ठाणे एवं नवी मुम्बई के 184 स्कूलों एवं कॉलेजो में डिबेट, भाषण प्रतियोगिता, स्लोगन लिखना, लेक्चर इत्यादि एवं अन्य 50 केन्द्रों में अखंडता को बढ़ावा देने एवं भ्रष्टाचार उन्नमूलन जागरुकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए.

बैंक ने कर्मचारियों, संबंधियों एवं स्टेकधारकों के लिए संगठन की नीतियों/ प्रणालियों एवं सतर्कता निवारक उपायों पर 229 कार्यशाला / संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए. विभिन्न स्थानों पर पब्लिक / ग्राहकों / स्टाफ सदस्यों के लिए टाउन हॉल मीटिंगों का आयोजन किया गया एंव न्यायिक, सीवीसी, सीबीआई, पुलिस विभाग, कॉलेजो इत्यादि से विशेष तौर पर आमंत्रित कार्यक्रम में उपस्थित हुए एवं उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया.

पूरे देश की शाखाओं, पेट्रोल पम्पों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि के विभिन्न स्थानों पर लगभग 11800 बैनर्स एवं पोस्टर प्रदर्शित किए गए. पूरे भारतवर्ष की विभिन्न शाखाओं द्वारा 4788 ग्राहक शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया गया. पूरे सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान 21 केन्द्रों पर एफएम चैनल पर रेडियो जिंगल का प्रसारण किया गया. सतर्कता जागरुकता का संदेश फेसबुक, टिवटर के माध्यम के साथ साथ यू ट्यूब द्वारा भी विस्तारित किया गया.

मानव संसाधन विकास

1. मानव शक्ति :

मार्च 2018 के अंत में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 36843 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 37,044 थी. स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च, 2017	मार्च, 2018
अधिकारी वर्ग	16,247	17166
लिपिक वर्ग	13,001	12300
अधीनस्थ वर्ग	7,796	7377
कुल संख्या	**37,044**	**36843**

2. मानव संसाधान विकास :

(i) वेतनमान I, II, एवं III के विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण के मानदंड

निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 30.10.2017 को आयोजित बैठक में वेतनमान I, II, एवं III के विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण मानदंडों में कुछ प्रावधान स्वीकृत किए हैं.

(ii) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 - कुछ विनियमों में संशोधन

अंतिम वेतन संशोधन जो दिनांक 01.11.2007 से लागू हुआ था के अनुक्रम में अधिकारी सेवा विनियम के उचित विनियमों में संशोधन किए गए.

(iii) सोशल मीडिया ग्रुप - व्हाट्स अप, फेसबुक इत्यादि में भ्रामक जानकारी

सभी शाखाओं / कार्यालयों को निर्देश हैं कि वे सोशल मीडिया में तथ्यात्मक गलत जानकारी के सृजन एवं उसके फैलाने से बचें.

(iv) वित्त वर्ष 2016-17 से प्रभावी बोनस का भुगतान.

वर्ष 2016-17 अर्थात दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च,2017 के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके "वेतन / पारिश्रमिक" के 8.33% की दर से अधिकतम ₹ 7000/- बोनस का भुगतान किया गया.

(v) कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा कवरेज :

कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा का दिनांक 01/10/2017 से 30/09/2018 तक के लिए नवीनीकरण किया गया.

(vi) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.11.2017 से 31.10.2018 तक की अवधि के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी.

- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से 31 अक्टूबर, 2018 तक के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नवीनीकृत की गयी है.
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए आईबीए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए टीपीए में परिवर्तन हुआ है अर्थात स्वास्थ्य इंडिया बीमा टीपीए सेवाएं प्रा.लि.

(vii) मूल्यांकन प्रणाली में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य से हमारे बैंक के अधिकारियों की मूल्यांकन प्रणाली में डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए वेटेज को उपयुक्त तौर पर समाहित कर लिया गया है.

(viii) बैंक में प्रचलित स्टाफ कल्याण योजनाएं - वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्टाफ कल्याण गतिविधियों के संबंध में दिनांक 18.09.2017 को आयोजित स्टाफ कल्याण समिति की बैठक में प्रमुख निर्णय.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्टाफ कल्याण योजनाओं पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 18.09.2017 को स्टाफ कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गयी. समिति के निर्णयानुसार केवल निम्नलिखित तीन योजनाएं वित्तीय वर्ष 2017-18 में लागू रहेंगी.

(ए) कार्य के दौरान कर्मचारी के निधन पर उसके परिवार को सहायता योजना.

(बी) अवकाश गृह एवं ट्रांन्जिट होम - वर्तमान में 8 अवकाश गृह हैं.

(सी) स्टाफ को चिकित्सा सुविधा का प्रावधान, विद्यमान अंशकालीन डॉक्टर को वेतन एवं दवाइयों का मूल्य.

3. प्रशिक्षण :

अनुमोदित प्रशिक्षण योजना के अनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है एवं ऋण (रिटेल, एमएसएमई एवं कृषि), वसूली, विदेशी विनिमय एवं जोखिम प्रबंधन तथा मानवीय स्वभाव के पहलुओं पर प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी गई है.

सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं ज़ेडएसटीसी ने प्रशिक्षण कैलेन्डर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं. हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं . जेडएसटीसी के साथ साथ बाह्य संस्थानों के प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :

- वित्तीय वर्ष (दिनांक31.03.2018 को) के दौरान प्रशिक्षित स्टाफ सदस्यों की स्थिति निम्नानुसार है :

	कुल स्टाफ	मार्च 2018 तक प्रशिक्षित	मार्च 2018 तक कवर किए गए स्टाफ का %
अधिकारी	17166	15568	90.69
पंचाट कर्मचारी	19677	14850	75.47
कुल	**36843**	**30418**	**82.56**

वर्ष 2017-18 के दौरान विशेष प्रशिक्षण पहलें निम्नानुसार है :

- हैदराबाद अंचल के 39 नये पदोन्नत वेतनमान II एवं III के शाखा प्रबंधक / ऋण अधिकारियों ने दिनांक 12.06.2017 से दिनांक 17.06.2017 तक आन्धा बैंक एपेक्स प्रशिक्षण महाविद्यालय में "एमएसएमई एडवान्स क्रेडिट अप्रेजल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता की.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के 5 स्टार रेट किए गए 59 शाखा प्रबंधकों ने माह फरवरी, 2018 में एनआईबीएम पुणे में 2 दिन का एवं 2 प्रशिक्षण आईएमटी दुबई में, दो समूहों में प्रशिक्षण प्राप्त किया.
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नये भर्ती पीओ एवं एएफओ के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आंचलिक स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में नये भर्ती लिपिकीय कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- एसपीबीटी कॉलेज द्वारा प्रबंधित ई-लर्निंग पोर्टल में ई-लर्निंग पर 26 पाठ्यक्रम उपलब्ध है.
- वर्ष 2017-18 के दौरान, सभी कर्मचारियों के लिए क्लास रूम, लोकेशनल, मंथन एवं विशेष प्रशिक्षण सहित 1552 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए. जिनमें विभिन्न स्टाफ सदस्यों ने एक अथवा दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की इस प्रकार कुल 30418 सहभागियों ने भाग लिया एवं 3 प्रशिक्षण महाविद्यालयों और 15 आंचलिक कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 96220 कार्य-दिवस का उपयोग किया गया. इसके अलावा बाह्य प्रशिक्षण एजेन्सियों जैसे एनआईबीएम, सीएबी नोएडा, बीआईआरडी, आईआईबीएफ, एएससीआई एवं आईडीआरबीटी इत्यादि एजेंसियों द्वारा आयोजित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न वेतनमानों के 289 अधिकारियों को नामित किया गया. साथ ही, वर्ष 2016-17 के दौरान 5 स्टार वाले 59 शाखा प्रबंधकों एवं 12 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मेलन/एक्स्पोजर विजिट के लिए भेजा गया.

4. भर्ती एवं पदोन्नति :

- वर्ष 2017-18 में, परिवीक्षाधीन अधिकारी, कृषि वित्त अधिकारी, एचआर अधिकारी, आई टी अधिकारी, ऋण अधिकारी, जोखिम प्रबंधक लिपिक संवर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग के 2019 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई.
- पदोन्नति प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहनकारी तथा कॉर्पोरेट उद्देश्यपरक बनाया गया है. अत: यह प्रस्ताव किया गया कि यथासम्भव सभी वेतनमानों /श्रेणियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की जाए. तदनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान अंतर-वेतनमान एवं अंतर-श्रेणी पदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गई तथा कर्मचारियों/अधिकारियों को उच्चतर श्रेणी/वेतनमान में पदोन्नत किया गया. इस प्रकार 103 अधीनस्थ कर्मचारी लिपिक संवर्ग में, 1133 लिपिक वेतनमान 1 अधिकारियों की श्रेणी में तथा 1160 अधिकारी उच्चतर श्रेणी/वेतनमान में पदोन्नत हुए.

5. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

- बैंक द्वारा आरक्षण नीति पर भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशानिर्देशो/अनुदेशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा आरक्षण नीति के अनुसार अजा/अजजा/ अपिव/पीडब्ल्यूडी को छूट एवं रियायतें प्रदान की जा रही हैं.
- श्री के.रामुलू, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार के माननीय सदस्य ने दिनांक 04.01.2018 से 06.01.2018 तक आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में रायपुर का दौरा किया.
- श्री मनहार वालजी जाला, अध्यक्ष, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की दिनांक 20.03.2018 को सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि एवं बैंक के कार्यपालकों के साथ सफाई कर्मचारियों / हाथ से झाड़ू लगाने वालों के लिए योजना / कार्यक्रमों एवं "द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लायमेंट एज़ मैन्युअल स्केवेन्जर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013" के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक हुई.
- सरकारी आश्वासनों पर समिति (2016-17), लोक सभा, ने दिनांक 28 अगस्त, 2017 को केन्द्रीय पीएसयू के प्रतिनिधियों से वित्तीय संस्थाओं में रिक्त पदों के संबंध में विचार विमर्श करने हमारे कोलकाता कार्यालय का दौरा किया.

- श्रीमती मंजू दिलेर, माननीय सदस्य सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार, ने दिनांक 21/09/2017 को सफाई कर्मचारियों / बैंक के ग्रुप डी के कर्मचारियों के क्षेत्रीय स्तर के मामलों एवं सफाई कर्मचारियों / ग्रुप डी एवं उनके आश्रितों के सामाजिक आर्थिक, रहनसहन,सेवाएं एवं शैक्षिक स्थितियों के बारे में विचार विमर्श करने हेतु भुवनेश्वर कार्यालय का दौरा किया. उन्होंने हमारे पटना कार्यालय का भी दिनांक 22.12.2017 को सफाई कर्मचारियों / हाथ से झाड़ू लगाने वालों के पुनर्वास के लिए स्व रोजगार योजना की समीक्षा करने एवं उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के लिए दौरा किया

6. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतया संतोषजनक रहे.

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक का क्रेडिट कार्ड आधार 102514 है एवं प्री-पेड कार्ड का आधार 429423 है.
- बैंक प्रमुख कार्ड जारीकर्ताओं अर्थात मास्टर, वीज़ा एवं रूपे के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करता है. प्री-पेड कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किये जाते हैं.
- बैंक ग्राहकों को सिर्फ ईएमवी चिप आधारित क्रेडिट कार्ड जारी करता है.
- बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष वेब पोर्टल शुरु किया है.
- मोबाइल बैंकिंग पर क्रेडिट कार्ड संबंधी कार्य-प्रणाली भी विकसित की गई है.
- क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑन-लाइन खरीद के लिए ईएमआई विकल्प विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है.
- जुलाई, 2017 में रूपे क्रेडिट कार्ड दो प्रकारों के साथ (रूपे प्लेटिनम और रूपे सेलेक्ट) जारी किया गया है.
- वर्ष के दौरान बैंक ने रूपे प्लेटफॉर्म पर रिलोडेबल (ओपन लूप सिस्टम) रूपे प्रीपेड कार्ड का शुभारंभ किया है.

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन :

- दिनांक 31.03.2018 को एटीएम की कुल संख्या 4886 हैं.
- 550 एटीएम में नकदी भराई का कार्य स्टाफ द्वारा किया जा रहा है.
- 31.03.2015 तक खोली गई 4624 शाखाओं में से, दिनांक 31.03.2018 को 4378 शाखाएं एटीएम के साथ सम्बद्ध हैं.
- बैंक के 62% एटीएम ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है.
- वर्ष के दौरान औसत एटीएम अप-टाइम 92% है.
- एटीएम पर औसत दैनिक हिट 90 है.
- दैनिक औसत नकद आहरण रुपये 101 करोड़ है.

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

I. सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- मार्च 2018 को स्वामित्व निधि ₹ 100.67 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का कुल अग्रिम ₹1264.82 करोड़ हो गया है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह ₹1322.62 था.
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को रिटेल जमाएं एवं संस्थागत जमाएं ₹ 542.84 करोड़ हो गया है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह ₹ 680.58 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को कंपनी का शुद्ध लाभ ₹ 11.04 करोड़ से वर्ष-दर-वर्ष 52.54% की वृद्धि दर्ज करते हुए, दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बढ़कर ₹16.84 करोड़ हो गया है.
- प्रति शेयर आय ₹ 6.73 (₹ 10 प्रति शेयर) [गत वर्ष ₹ 4.42] रही.
- मार्च 2018 में एनपीए ₹ 26.90 करोड़ रहा, जो मार्च 2017 में ₹ 21.48 करोड़ था.
- मार्च 2018 को शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए 1.33% है.
- आस्तियों पर प्रतिफल 1.26% है. [गत वर्ष 0.85%]
- दिनांक 31 मार्च, 2018 को सीएआर 18.76% है.

II. सेन्टबैंक फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड

- सेन्टबैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यत: न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है.
- कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है.

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

- कंपनी ने मार्च 2018 में ₹ 2.58 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष ₹ 2.77 करोड़ था.
- खंडवार अर्जन :

(राशि रुपये में)

विवरण	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17
निष्पादक न्यास से शुल्क	34,85,414	36,97,765
डिबेंचर एवं प्रतिभूति न्यास से शुल्क	2,90,70,143	2,69,31,110
अन्य आय (ब्याज)	2,73,56,199	3,02,88,904
कुल	**5,99,11,756**	**6,09,17,779**

III. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.
- बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष है.
- बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.
- दिसम्बर 2017 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर है.
- पिछले वर्ष की तुलना में बैंक की जमा राशियों में 25.87% एवं अग्रिमों में 28.83% वृद्धि हुई है.
- कैलेंडर 2017 में बैंक को 109.93 एमआईओ क्वाचा (₹ 69.84 करोड़) का शुद्ध लाभ हुआ है.
- वर्ष के दौरान बैंक ने वर्ष 2017 के लिए लाभांश की घोषणा की है. तदनुसार, हमारे बैंक ने ₹6,19,94,7323 के समतुल्य यूएस डॉलर 953,838 का लाभांश दिनांक 08/03/2018 को प्राप्त किया है.

iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2018 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है.

(₹ करोड़ में)

आरआरबी एवं मुख्यालय का नाम तथा राज्य	जिलों एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमाराशियां	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (म.प्र.)	25/455	6914.34	4146.42	583.05	4.91
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	14429.14	7472.72	2616.39	(160.45)
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (प.बंगाल)	5/142	2785.08	1458.49	193.40	3.05
कुल	**48/1629**	**24128.56**	**13077.63**	**3392.84**	**(152.49)**

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- सीएसआर, कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ साथ समुदाय एवं समाज के जीवन स्तर में सुधार लाते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की सतत प्रतिबद्धता है.

- सीएसआर के अंतर्गत निर्धन, समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को बढाने प्राकृतिक आपदाओं एवं समाज के समग्र कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था/ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक दान देना हमारी सतत प्रतिबद्धता है.
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर बजट शून्य है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को हानि हुई थी.

बढ़ते कदम

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रिटेल में वृद्धि 10.96% अनुमानित है. सकल अग्रिम में रिटेल ऋण का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक 28.58% है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिटेल ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक ने तीन आक्रमक अभियानों की योजना बनाई है.

क्र.सं.	कैम्प प्रकार	संभावित अवधि
1.	शैक्षणिक मौसम	मई-जुलाई 2018
2.	मानसूनी मौसम	जून-सितम्बर 2018
3.	त्यौहारी मौसम	सितम्बर-दिसम्बर 2018

- टीएटी में कमी को बढ़ावा देने हेतु उधारकर्ताओं की आसानी से पहचान करने, केवायसी प्रमाणीकरण, आय सत्यापन इत्यादि के आधार पर शाखा प्रबंधकों को त्वरित निर्णय लेने हेतु मोबाईल एप्प को विकसित किया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक एवं पीएमटीएफ द्वारा सूक्ष्म उद्यमों हेतु निर्धारित लक्ष्य एएनबीसी का 7.5% प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने की जरूरत है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इंडिया योजना, केवीआईसी/पीएमईजीपी योजनाओं के अंतर्गत ऋण और सेन्ट वीवर मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त पोषण बढ़ाने पर हमारा जोर है.

पुरस्कार एवं सम्मान

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया.
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु बैंक की विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया.
- विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैंकिंग ब्राण्ड पर ब्राण्ड फाइनेन्स द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के फरवरी 2018 अंक में हमारे बैंक को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत 9वें स्थान पर रखा गया है एवं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार 500 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैंकिंग ब्राण्ड में विश्व के 500 बैंकों में हमारे बैंक को 391वां स्थान प्राप्त हुआ है.
- इकोनॉमिक टाइम्स के 14-20 फरवरी, 2018 के अंक में प्रकाशित "मोस्ट ट्रस्टेड ब्राण्डस 2017" सर्वेक्षण के अनुसार, हमारे बैंक ने पीएसयू बैंकों में वर्ष 2016 में 6वें स्थान के समक्ष वर्ष 2017 में 5वें स्थान पर पहुंच कर अपनी प्रगति दर्ज की. "बेस्ट सर्विस ब्रैण्ड" की श्रेणी के अंतर्गत इसी सर्वेक्षण में हमारे बैंक ने वर्ष 2016 में अपने 20वें स्थान की तुलना में वर्ष 2017 में 17वें स्थान पर पहुंच कर अपनी प्रगति दर्ज की है.
- साइबर सुरक्षा डोमेन, विशेष तौर पर "शिक्षा एवं जागरूकता" क्षेत्र में हमारे बैंक द्वारा की गयी पहल की सराहना करते हुए हमारे बैंक को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड के साथ-साथ स्कॉच अवार्ड गोल्ड से सम्मानित किया गया.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों के शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं.

- बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अत: बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान)योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.

2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है.

- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2017-18 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2018 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2018 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2017 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	-इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. -एक्जिम बैंक -एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन -इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस	जी हाँ
2.	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. - सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ

क्र. सं.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2018 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2018 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2017 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
3.	श्री पी रमण मूर्ती	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. -न्यू इंडिया एश्युरेन्स कं. लि.	जी हां
4	श्री बी एस शेखावत	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
5.	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	19.02.2014 से 16.08.2017 तक	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	16.08.2017 तक नामांकन	निरंक	जी नहीं
6.	श्री गोविंद मोहन	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	17.08.2017 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीसी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	आरसी, नामांकन	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
7.	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग एवं वित्त	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	जी नहीं
8.	श्री एस. बंद्योपाध्याय	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	01.07.2015 से 17.03.2018 तक	100	प्रशासन	एसीबी आरएमसी आईटीसी एसआरसी, सीएससी, एमआरसी, एचआर, एलवीएफसी, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी	17.03.2018 तक एसआरसी 09.02.2018 तक एसीबी	निरंक	जी नहीं
9.	श्री के. आर. पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से	163	व्यावसायिक	एमसीबी, एलवीएफसी, आईटीएस, एसआरसी, आरएमसी, एमआरसी, एचआर, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी	आईटीएस	फिटमेक सर्विसेस प्रा. लि.	जी नहीं

क्र. सं.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2018 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2018 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2017 को अंतिम एजीएम की वैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
10	श्री एन नित्यानंद	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	21.06.2016 से	निरंक	सनदी लेखाकार	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, सीएससी, नामांकन, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी	05.03.2018 से एसीबी	निरंक	जी नहीं
11	डॉ. आत्मानन्द	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	27.12.2017 से	निरंक	अर्थशास्त्र	एमसी, आरएमसी, एलवीएफसी, नामांकन	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी - उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एसआरसी - स्टेकहोल्डर सम्बंध समिति
आरसी - पारिश्रमिक समिति
वीआईजी - सतर्कता समिति
सीएसी - ऋण अनुमोदन समिति
एचआर - मानव संसाधन समिति
एमआरसी - वसूली समिति की निगरानी
सीआरसी - पूंजी उगाही समिति
नामांकन - नामांकन समिति
आरसीएनसीबी - उदघोषित गैर सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
सीआरआईडब्ल्यूडी - इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री बी. एस. शेखावत, कार्यपालक निदेशक - (जन्म तिथि 27.06.1962)

श्री बी. एस. शेखावत को दिनांक 09.10.2017 से भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. श्री शेखावत आनर्स सहित कृषि विज्ञान स्नातक एवं सीएआईआईबी हैं. उन्होंने आईआईएम बैंगलुरु से प्रबंधन में स्नाकोतर सार्टिफिकेट कोर्स पूर्ण किया है. उन्होंने वर्ष 1986 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में अपना करियर आरम्भ किया था. अपने 31 वर्षों की लम्बी कार्यअवधि के दौरान, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों एवं स्थानों की शाखाओं, जयपुर एवं रांची क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधक, पुणे एवं दिल्ली अंचलों में आंचलिक प्रबंधक के रूप में कार्य किया है. उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय में दो वर्षों तक बैंक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है. इस पदोन्नति के तुरंत पूर्व, वे बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन के प्रमुख थे.

2. श्री गोविंद मोहन, भारत सरकार मनोनीत निदेशक (जन्म तिथि 21.09.1965)

श्री गोविंद मोहन वर्तमान में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है, आप बहुपक्षीय संबंधों एवं निवेश विभाग का कार्य देख रहे है जहां आप पर ब्रिक्स, जी20, जी24, यूएनडीपी इत्यादि सहित विभिन्न विश्व स्तरीय समूहों में भारत की आर्थिक भागीदारी एवं भारत में निवेश को प्रोत्साहन देना तथा निवेश करारों की वार्ता का उत्तरदायित्व है. श्री गोविंद मोहन भारत के

उच्चतर कार्यकारी सेवा के सदस्य है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के नाम से जाना जाता है, आपको भारत सरकार एवं भारत के राज्य सरकारों में मध्यम एवं उच्चतर स्तर की नीति निर्धारण में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है. आपने सिक्किम राज्य सरकार में, आपके संवर्ग को आबंटित विभिन्न क्षेत्रों एवं सचिवीय क्षमताओं पर कार्य किया है. श्री मोहन ने भारत के बुनियादी विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा एशियन डेवल्पमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जैसे बैंकों के साथ बहुपक्षीय संबंधों जैसे मदों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में भी कार्य किया है. वर्ष 2012 से वर्ष 2015 के बीच श्री मोहन भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी में राजदूत (आर्थिक) थे एवं भारत-यूएस आर्थिक तथा व्यवसायिक संबंधों को बढ़ावा देने पर कार्य किया. आपको नई दिल्ली में सिक्किम सरकार की मुख्य रेजिडेंट आयुक्त का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, सिक्किम सरकार के मनोनीत निदेशक एवं तिस्ता ऊर्जा लिमिटेड बोर्ड, एक राज्य सरकार का उपक्रम के अध्यक्ष भी थे. श्री गोविंद मोहन ने भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से इलॉक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में अंडरग्रेजुएट डिग्री एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया.

3. **डॉ. आत्मानंद, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 30.06.1959)**

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद एमडीआई, गुरूग्राम में वरिष्ठतम डीन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है. एमडीआई में, आप प्रतिष्ठित एमडीआई के स्कूल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेंस एवं इक्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के डीन के रूप में कार्यरत है. आप एमडीआई, मुर्शिदाबाद के संस्थापक डीन है. आपको एमडीआई, गुरुग्राम में कार्यकारी निदेशक के प्रभारी के रूप में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है. 30 वर्षों से अधिक समय तक आपने अर्थशास्त्र में अध्यापन, रिसर्च एवं कंस्लटेंसी पर कार्य किया है. 5 वर्ष के संक्षिप्त अल्पावधि के दौरान, जब यूएसएआईडी एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्कूल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट की शुरुआत की गई थी, तब उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में आपने इस स्कूल को प्रसिद्धि दिलायी थी. आपके समर्पण और लगाव को मूल्यांकित करते हुए, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने आपके कार्यकुशलता एवं समर्पित सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशंसा पत्र जारी किया था. एमडीआई के बौद्धिक एवं प्रशासनिक कार्यों में मुख्य और निर्णायक भूमिका अदा करने के अलावा, आपने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी कार्य किया है. पॉलिसी निर्धारण में उनके योगदान को मूल्यांकित करते हुए, सेल के बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति (अध्यक्ष), जोखिम प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) एवं अन्य के कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र जारी किया था. आपने, आयुष मंत्रालय (सदस्य), भारत सरकार के साथ अपने एशोसिएशन, उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, एटीएफ, केबिनेट सचिव, भारत सरकार, राज्य वित्त आयोग, बिहार सहित विभिन्न राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का पद पर कार्य किया है. रिसर्च, अध्यापन एवं प्रशिक्षण में विस्तृत कार्य करने के अलावा, आपने 16 पुस्तकें और अनेक शोध पत्र लिखें है. बैंकिंग क्षेत्र में उनकी रुचि के कारण, परियोजना वित्त, समाजिक वित्त एवं व्यवसाय का आर्थिक परिदृश्य पर महत्व के साथ इस क्षेत्र में उन्होंने शोध एवं प्रशिक्षण पर भी कार्य किया है.

अन्य निदेशकों के विवरण

1. **श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्म-तिथि 30.08.1959)**

श्री राजीव ऋषि, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि स्नातक हैं तथा वे विश्वविद्यालय के रैंक होल्डर, राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलर रहे हैं. आप स्पोर्ट्स खेल से जुड़े व्यक्ति है और वे टेबल टेनिस में अपने कॉलेज का तथा राष्ट्रीय रौलर स्केटिंग प्रतियोगिता में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

बैंक में दिनांक 01.08.2013 से सीएमडी के रूप में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व आप इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक थे, और यह उत्तरदायित्व, वे अक्तूबर 2010 से वहन कर रहे थे.

आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत दिनांक 12.05.1979 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की एवं 3 दशकों तक उन्होंने विभिन्न पदों एवं स्थानों पर कार्य किया. आपको शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने का 25 वर्षों का वृहद अनुभव है. आप वर्ष 2005 से 2010 तक मानव संसाधन, तृतीय पक्ष उत्पाद विपणन एवं बोर्ड सचिवालय में महाप्रबंधक रहे. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय पर आपने मानव संसाधन समन्वयन का कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया.आप आईबीए की एचआर पर स्थायी समिति के सदस्य हैं.

2. **श्री बी.के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1960)**

श्री दिवाकर, सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार एवं कंपनी सचिव है. आपने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1986 से कॉर्पोरेशन बैंक में कंपनी सचिव के रूप में की. आप वर्ष 1997 में मुख्य प्रबंधक, वर्ष 2000 में सहायक महाप्रबंधक, वर्ष 2007 में उपमहाप्रबंधक तथा वर्ष 2010 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए. आप दिनांक 23.01.2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए. आपने कॉर्पोरेट स्वीकृतियां मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजभाषा नीति कार्यान्वयन, सहायक सेवाएं, एटीएम प्रबंधन, क्रेडिट रेटिंग, शुल्क आय, सीडीआर, ऋण समूहन आदि जैसे विभिन्न पोर्टफोलियो में कार्य करने के साथ आंचलिक प्रधान के रूप में भी कार्य किया है.

3. श्री पी रमण मूर्ती, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 16.05.1964)

श्री पी रमण मूर्ती कृषि विज्ञान में स्नातक एवं सीएआईआईबी हैं. आपने दिनांक 16.01.1989 को इलाहाबाद बैंक कृषि फील्ड अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया. दिनांक 17.02.2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने के पूर्व आप दिनांक 10.05.2014 को महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए एवं दिनांक 19.05.2014 से फील्ड महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे.

श्री मूर्ती ने कई प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे केलॉग्स स्कूल ऑफ मेंजमेंट, शिकागो, यूएसए से लीडरशीप फोर कोर्पोरेट एक्सलेंश एवं आईआईएम, कोलकाता से लीडरशीप एक्सलेंश में भाग लिया है.

4. डॉ सौरभ गर्ग, सरकार मनोनीत निदेशक- (जन्म-तिथि 28.07.1964)

डॉ. सौरभ गर्ग एक प्रतिष्ठित विद्वान है. आपने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजिनीयरिंग-बायो टेक्नॉलॉजी में बी.टेक. डिग्री प्राप्त की है. आपने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए(वित्त प्रबंधन) किया है. आपको लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, यूके से वैश्वीकरण एवं शहरी विकास में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है. आपने पॉल निजे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, यूएसए से पीएचडी की है.

डॉ गर्ग ओडिसा से 1991 कैडर के आईएएस हैं. ओडिसा राज्य कैडर में कार्य करने के उपरांत, आपने अप्रैल 2002 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के उप सचिव की नियुक्ति पाई. अपने राज्य कैडर के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1993-98 की अवधि में आपने विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे परियोजना निदेशक, डीआरडीए, कालाहांडी एवं परियोजना निदेशक, ऊर्जा विभाग में कार्य किया है. आप वर्ष 1996-98 के दौरान आईडीसीओएल, सीमेंट लिमिटेड के एमडी रह चुके हैं. आपने बरगढ़ एवं केयोंझर जिले के जिलाधीश एवं वाटरशेड विकास विभाग के निदेशक के पद पर भी कार्य किया है. आप दिनांक 04.05.2012 से संयुक्त सचिव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के पद पर कार्य कर रहे हैं.

डॉ गर्ग को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :
1988 – शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु स्वर्ण पदक
1993 – 1991 के आईएएस बैच में सर्वश्रेष्ठ आल राउंड परिवीक्षार्थी

उनके प्रकाशनों का विवरण :-
2000 (लोक प्रशासन)
सरकारी वितरण प्रणाली 2010 (वित्त) के माध्यम से सेवाओं में सुधार हेतु कुछ दखल एवं अनुभव

भारत की बुनियादी संरचना संबंधी दूरदर्शिता – वित्तपोषण की चुनौतियां

5. श्री शेखर भटनागर, आरबीआई मनोनीत निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1958)

श्री भटनागर, बी.एस.सी., एम.ए. (लखनऊ विश्वविद्यालय) एवं एफ.एम.एस., नई दिल्ली से एमबीए (वित्त) हैं. आपने वर्ष 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में एक अधिकारी (ग्रेड 'बी") के पद पर कार्यग्रहण किया एवं आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग एवं गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया था. वर्तमान में आप भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,मुम्बई, में मुख्य महाप्रबंधक – विदेशी विनिमय विभाग,के रूप में कार्यरत है.

6. श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय , शेयर धारक निदेशक (जन्म तिथि 17.01.58)

श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में विज्ञान स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सह – सदस्य हैं.

उन्होंने वर्ष 1985में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधे अधिकारी पद ग्रहण किया एवं उन्होंने अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में ट्रेजरी, नियम आय एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेश, इक्विटि बाजार निवेश एवं बैक ऑफिस इत्यादि विभिन्न पोर्टफोलियो / उत्तरदायित्व का निर्वहन किया. उन्होंने जून 2014 से एलआईसी पेंशन निधि लि. के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार लिया. वे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंगएंड फायनेन्शियल सर्विसेज लि.के निदेशक मंडल में भी हैं.

7. श्री केतुल आर. पटेल, शेयर धारकद्वारा नामित निदेशक (जन्म तिथि 10.08.74)

श्री केतुल पटेल गुजरात विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं विधि के स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं. वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से सूचना प्रणाली के डिप्लोमा धारक भी हैं.

श्री पटेल वर्तमान में 47 वर्ष पुरानी लेखा एवं परामर्शी फर्म आर.एस.पटेल एवं कंपनी के प्रबंध भागीदार हैं.

वो गुजरात के सबसे बड़े बहु राज्य अनुसूचित सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में व्यावसायिक निदेशक थे. वे 1999- 2001तक सनदी लेखाकार संस्था, अहमदाबार (सीएए)के सचिव थे. वे दो वर्षों के लिए गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैंकिंग, वित्त एवं बीमा समिति के सदस्य भी थे.

8. **श्री एन नित्यानंद, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 20.05.1955)**

श्री नित्यानंद वाणिज्य स्नातक, डी.बी.ए., एल.एल.बी., एफ.सी.ए. एवं व्यवसाय प्रशासन के स्नाकोत्तर डिपलोमा में गोल्ड मेडेलिस्ट हैं.

श्री नित्यानंद पिछले 3 दशकों से अपने ग्राहकों, सरकार एवं इकोनोमी के मूल्य संवर्धित सेवाएं दे रहे व्यावसायिक सनदी लेखाकार हैं. आप लगभग 16 वर्षो से दक्षिण भारत स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं (किसी कनाडिगा द्वारा सबसे लम्बी). आपने अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार परिसंध (आईएफएसी), न्यूयार्क, यूएसए, जो विश्व में लेखा एवं लेखा परीक्षा की सबसे उच्च संस्था है एवं दक्षिण एशिया लेखाकार परिसंघ (सार्क की सदस्य संस्था) करांची, पाकिस्तान में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा 'कोर्पोरेट गवर्नेंस" पर मेगा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं. आपने आर्थिक मामलों की समिति के सलाहाकार, कर्नाटक चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) परिसंघ की केन्द्रीय कर समिति के अध्यक्ष एवं सह-सलाहाकार सहित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड, कॉमर्स एवं इंडस्ट्री में सेवाएं दी है. आपने कर्नाटक सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कुछ महत्वपूर्ण समितियों पर भी सेवाएं दी हैं.

बी) बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 14 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई:

29.04.2017	28.06.2017	16.09.2017	28.12.2017	15.02.2018
13.05.2017	29.07.2017	30.10.2017	09.02.2018	17.03.2018
23.05.2017	11.08.2017	05.12.2017	09.02.2018	

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशकों के नाम	दर्ज उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि(से-तक)
श्री राजीव ऋषि	14	14	01.04.2017–31.03.2018
श्री बी.के.दिवाकर	14	14	01.04.2017–31.03.2018
श्री पी. आर. मूर्ती	14	14	01.04.2017–31.03.2018
श्री बी. एस. शेखावत	7	7	09.10.2017-31.03.2018
डॉ. सौरभ गर्ग	2	6	01.04.2017–16.08.2017
श्री गोविंद मोहन	5	8	17.08.2017-31.03.2018
श्री शेखर भटनागर	12	14	01.04.2017–31.03.2018
श्री एस. बंद्योपाध्याय	14	14	01.04.2017–17.03.2018
श्री केतुल पटेल	14	14	01.04.2017–31.03.2018
श्री एन. नित्यानंद	13	14	01.04.2017–31.03.2018
प्रो.(डॉ.) अत्मानंद	2	5	27.12.2017-31.03.2018

3. **बोर्ड की उप-समिति**

i) निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2018 को इस समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 2 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक, तथा 1 अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं, एक पद रिक्त है. अंशकालीन निदेशक का प्रत्येक छः माह में आवर्तन किया जाता है.

- वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की 13 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गई.

29.04.2017	28.06.2017	16.09.2017	05.12.2017	21.03.2018
13.05.2017	29.07.2017	28.09.2017	28.12.2017	21.03.2018
16.06.2017	11.08.2017	30.10.2017	09.02.2018	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से-तक)
श्री राजीव ऋषि	13	13	01.04.2017 – 31.03.2018
श्री बी.के.दिवाकर	13	13	01.04.2017 – 31.03.2018
श्री पी. आर. मूर्ती	12	13	01.04.2017 – 31.03.2018
श्री बी. एस. शेखावत	5	5	09.10.2017-31.03.2018
श्री शेखर भटनागर	12	13	01.04.2017 – 31.03.2018
श्री के.आर. पटेल	12	13	01.04.2017 – 31.03.2018
प्रो.(डॉ.) अत्मानंद	1	1	15.02.2018-31.03.2018

ii) ऋण अनुमोदन समिति:

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. ₹ 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, ₹10 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, ₹15 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), ₹ 25 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), ₹50लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं ₹1 करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन,ऋण, ऋण निगरानी एवं वसूली शामिल हैं.

- वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 34 बैठकें आयोजित की गई.

13.04.2017	21.06.2017	10.08.2017	26.09.2017	10.11.2017
28.04.2017	29.06.2017	19.08.2017	28.09.2017	17.11.2017
12.05.2017	11.07.2017	30.08.2017	06.10.2017	23.11.2017
23.05.2017	20.07.2017	12.09.2017	12.10.2017	13.12.2017
09.06.2017	28.07.2017	21.09.2017	31.10.2017	22.12.2017
30.12.2017	05.01.2018	30.01.2018	07.02.2018	21.02.2018
05.03.2018	15.03.2018	27.03.2018	31.03.2018	

iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है.

- अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा-परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;

- तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- प्रबंधतंत्र के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा-परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कमियां;
- लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर वांछित अन्य सभी मामलों से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य को लेखा परीक्षा समिति देखेगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे. 31.03.2018 को, एसीबी में एक पद रिक्त है, क्योंकि समिति में नामांकित करने के लिए कोई पात्र सदस्य नहीं है.

दिनांक 31.03.2018 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1	श्री एन. नित्यानंद	अध्यक्ष
2	श्री बी.के.दिवाकर	सदस्य
3	श्री गोविंद मोहन	सदस्य
4	श्री शेखर भटनागर	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें आयोजित की गई.

13.05.2017	29.07.2017	29.09.2017	13.11.2017	05.12.2017	05.03.2018
23.05.2017	11.08.2017	30.10.2017	27.11.2017	09.02.2018	17.03.2018

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्री एस.बंद्योपाध्याय	12	12	01.04.2017-31.03.2018
श्री बी.के.दिवाकर	12	12	01.04.2017-31.03.2018
डॉ. सौरभ गर्ग	1	4	01.04.2016-16.08.2017
श्री गोविंद मोहन	3	8	17.08.2017-31.03.2018
श्री शेखर भटनागर	10	12	01.04.2017-31.03.2018
श्री एन. नित्यानंद	12	12	01.04.2017-31.03.2018

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी.

iv) **जोखिम प्रबंधन समिति**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल है. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है.

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य बैंक द्वारा सामना किए जा रहे कुल जोखिमों की गणना करना एवं जोखिमों के स्तर को निर्धारित करना जो बैंक के हित के लिए अच्छा हो तथा बैंक के परिचालनों से सृजित हो रहे जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं पैमाना निर्धारित करने के लिए अन्य जोखिम प्रबंधन संस्थानों से समन्वय स्थापित करना.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई:

10.07.2017	16.09.2017	28.12.2017	21.03.2018

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्री राजीव ऋषि	4	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री बी.के.दिवाकर	4	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री पी. आर. मूर्ती	3	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री बी. एस. शेखावत	1	2	09.10.2017–31.03.2018
डॉ. सौरभ गर्ग	1	1	01.04.2017–16.08.2017
श्री गोविंद मोहन	1	3	17.08.2017–31.03.2018
श्री एस. बंद्योपाध्याय	3	3	01.04.2017–17.03.2018
श्री के. आर. पटेल	4	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री एन. नित्यानंद	3	4	01.04.2017–31.03.2018
प्रो. (डॉ.) अत्मानंद	1	1	28.02.2018–31.03.2018

v) **पारिश्रमिक समिति एवं निदेशकों को पारिश्रमिक**

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-I दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है.
- गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 20,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 10,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता था. जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है
- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में कुल निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री राजीव ऋषि,अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेश	30.13
2.	श्री बी. के. दिवाकर,कार्यपालक निदेशक	23.70
3.	श्री पी. आर. मूर्ती, कार्यपालक निदेशक	23.54
4.	श्री बी. एस. शेखावत, कार्यपालक निदेशक	10.93

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 8,60,000/- (रुपये आठ लाख साठ हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 11,20,000/- (रुपये ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

vi) **नामांकन समिति:**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी नं.बीसीनं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के शर्तों के अनुसार, बोर्ड की पात्रता अर्थात (i) शैक्षिक योग्यता, (ii)

अनुभव एवं विशेषज्ञता का क्षेत्र एवं (iii) ट्रेक रिकॉर्ड और ईमानदारी, के आधार पर अधिनियम (अर्थात शेयरधारक निदेशक) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत वर्तमान निर्वाचित निदेशक(कों)/ऐसे व्यक्ति जो निदेशक नियुक्त होने वाले है, की 'फिट एवं प्रोपर" स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए बैंक की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, शेयर धारक निदेशक – श्री एस. बंद्योपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल के फिट एवं प्रोपर मानदंडों को निर्धारित करने के लिए दिनांक 28.06.2017 को नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी एवं समिति के अनुसार श्री एस. बंद्योपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल 'फिट एवं प्रोपर स्थिति" में हैं, जो तीन वर्ष अर्थात 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1070 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत शेयर धारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं.

vii) **शेयरधारकों की संबंध समिति**

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्टेकधारकों की संबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयर धारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. दिनांक 17 मार्च,2018 तक श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय शेयरधारकों की संबंध समिति की अध्यक्ष थे. तथापि, बैंक के निदेशक पद से उनके पदत्याग दे देने के अनुवर्ती, दिनंक 17 मार्च, 2018 को कार्या अवधि की समाप्ति से प्रभावी, अध्यक्ष का पद रिक्त है. अगली बैठक में एसआरसी के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई:

29.04.2017	11.08.2017	30.10.2017	09.02.2018

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्री एस.बंद्योपाध्याय	4	4	01.04.2017–17.03.2018
श्री राजीव ऋषि	4	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री बी.के. दिवाकर	4	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री पी. आर. मूर्ती	4	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री बी. एस. शेखावत	2	2	09.10.2017–31.03.2018
श्री के.आर.पटेल	4	4	01.04.2017–31.03.2018
श्री एन. नित्यानंद	4	4	01.04.2017–31.03.2018

वर्ष 2017-18 (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेयर के लिए पत्र	निरंक
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	67
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	51
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	2
6	अप्राप्त अस्वीकृत डीआरएफ	1
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	6
8	प्राप्त कुल शिकायतें	127
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	127
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

4. अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव,निर्गम बैंकर, मर्चेन्ट बैंकिंग एवं डिबेंचर ट्रस्टी गतिविधि के अनुपालन अधिकारी के अलावा वे बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं

5. सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दिनांक 27-03-2018 को बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रति ₹ 10 के अंकित मूल्य की कुल ₹ 5158 करोड़ की 65,04,06,299 इक्विटि शेयर्स (कुल ₹ 323 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 73.15 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 83.15 की निर्गम मूल्य पर 3,88,45,460 इक्विटी शेयरों एवं कुल ₹ 4835 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर ₹ 69.06 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹ 79.06 की निर्गम मूल्य पर 61,15,60,839 इक्विटी शेयरों को समाविष्ट कर) का जारीकरण एवं आबंटन द्वारा ₹ 5158 करोड़ इक्विटी पूंजी (दिनांक 29-12-2017 को बैंक द्वरा प्राप्त ₹323 करोड़ सहित) की उगाही की है.

पूंजी पर्याप्ता अनुपात को मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संशाधनों को बढ़ावा देने के लिए, ये निधियां टियर I एवं टियर II को प्राथमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उगाही की है. उगाही गई निधि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया गया है.

6. संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे. इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया.

7. आचार संहिता

- बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है. इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in में "इन्वेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है. समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है.
- बैंक की प्रतिभूति में इनसाइड ट्रेडिंग रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है.इसकी प्रतिलिपि बैंक की www.centralbankofindia.co.in में "इन्वेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.

8. अन्य प्रकटीकरण

- बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो. वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है.
- बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं.वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ जिससे बैंक के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था.
- बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है. समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है.
- लोक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प(पीआईडीपीआई) के अंतर्गत विसले ब्लोवर शिकायतों पर बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. "सेन्ट विजिल" नाम से बैंक का वेब आधारित पोर्टल भी है जो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान को बिना बताए जोकि केवल मुख्य सतर्कता अधिकारी को पता होगी, कर्मचारियों के अनाचार की रिपोर्टिंग को सुसाध्य बनाता है. जो अनाचार को नियंत्रित रखता है, धोखाधड़ी से बचाता है एवं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है. "सेन्ट विजिल" निदेशकों के लिए भी उपलब्ध है.इसके अतिरिक्त निदेशक एवं कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर मिल सकते हैं.वर्ष 2017-18 के दौरान इस संबंध में किसी भी व्यक्ति ने लेखापरीक्षा समिति से संपर्क नहीं किया. इसके अतिरिक्त यह भी अभिपुष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति ने किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने से मना नहीं किया है.

- बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है.
- प्रमुख अनुषंगियों के निर्धारण की नीति बैंक की वेबसाइट पर https://www.centralbankofindia.co.in में "इन्वेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.
- संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार करने संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है.
- https://www.centralbankofindia.co.in में "इन्वेस्टर रिलेशन" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.

9. विवेकसम्मत आवश्यकताएं (सेबी सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II का भाग ई)

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय का संस्था के खर्चे पर रखरखाव	लागू नहीं, चूंकि अध्यक्ष कार्यपालक है
2.	गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार के साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने दिनांक 30.09.2017 को समाप्त छ:माही के लिए एवं दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज भेजे हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट पर भी वित्तीय परिणाम अपलोड किए थे.
3.	कंपनी गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था अपना सकती है.	बैंक के पास गैर- सापेक्ष वित्तीय विवरणियां हैं.
4.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग अलग पद.	हमारा बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत शासित है. अभी तक बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का एक पद है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखापरीक्षक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है.

10. सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 11वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : शनिवार, दिनांक 30 जून, 2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का 9वां माला.

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 27 जून, 2018 से 30 जून, 2018 (दोनों दिवस सहित)
3. वर्ष 2017-18 के लिए कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है.

11. पिछले तीन वर्षों के दौरान साधारण बॉडी बैठक के आयोजन का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	दसवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2017, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
2.	नवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2016, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
3.	आठवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2015, पूर्वान्ह 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056

12. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (रु.करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II- सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
लोअर टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II- सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
अपर टियर II- सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
अपर टियर II- सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II- सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II- सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II- सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	आईएनई483A09260
बासल III अनुपालित क्र. II	07.03.2017	500.00	आईएनई483A09278
कुल		**5155.10**	

ये सभी बॉण्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

एनएसई					
माह	अधिकतम मूल्य (रु.)	न्यूनतम मूल्य (रु.)	शेयर्स की संख्या	एनएसई निफ्टी	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2017	107.90	100.50	337009	9367.15	9075.15
मई, 2017	123.25	101.00	1418748	9649.60	9269.90
जून, 2017	104.90	85.00	886515	9709.30	9448.75
जुलाई, 2017	100.50	85.90	1072109	10114.85	9543.55
अगस्त, 2017	91.25	70.60	1530771	10137.85	9685.55
सितम्बर, 2017	104.00	71.15	4737884	10178.95	9687.55
अक्तूबर, 2017	94.00	73.50	1812342	10384.50	9831.05
नवम्बर, 2017	94.00	77.30	1073639	10490.45	10094.00
दिसम्बर, 2017	81.00	72.00	395431	10552.40	10033.35
जनवरी, 2018	79.65	72.50	1156221	11171.55	10404.65
फरवरी, 2018	74.60	63.80	510547	11117.35	10276.30
मार्च, 2018	87.90	62.65	5351065	10525.50	9951.90

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेंसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

बीएसई					
माह	अधिकतम मूल्य (रु.)	न्यूनतम मूल्य (रु.)	शेयर्स की संख्या	सेंसेक्स	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2017	107.10	101.00	1250117	30184.22	29241.48
मई, 2017	125.00	101.00	5351366	31255.28	29804.12
जून, 2017	104.65	85.00	39828424	31522.87	30680.66
जुलाई, 2017	100.10	86.10	15997729	32672.66	31017.11
अगस्त, 2017	91.15	70.60	4368337	32686.48	31128.02
सितम्बर, 2017	103.80	71.90	12594572	32524.11	31081.83
अक्तूबर, 2017	93.95	73.00	4763303	33340.17	31440.48
नवम्बर, 2017	93.50	76.65	22494778	33865.95	32683.59
दिसम्बर, 2017	81.00	72.30	1215461	34137.97	32565.16
जनवरी, 2018	80.00	70.20	13173108	36443.98	33703.37
फरवरी, 2018	74.65	63.55	1445337	36256.83	33482.81
मार्च, 2018	88.05	62.80	42168622	34278.63	32483.84

13. शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-101, 247 पार्क
एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई-400 083
टेली.: 022-49186270
फैक्स: 022-49186060
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंदरमुखी
नरीमन पॉइंट
मुंबई-400 021
संपर्क नं. 022- 6638 7818
फैक्स : 022- 2283 5198
ई-मेलआईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

14. शेयरधारिता का संवितरण

i) दिनांक 31.03.2018 को शेयरधारिता का संवितरण

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	126585	93.5021	14290232	0.5458
501-1000	5132	3.7908	3984637	0.1522
1001-2000	1982	1.4640	2971535	0.1135
2001-3000	573	0.4233	1465083	0.0560
3001-4000	288	0.2127	1033198	0.0395
4001-5000	197	0.1455	932827	0.0356
5001-10000	288	0.2127	2112700	0.0807
10001 और अधिक	337	0.2489	2591365543	98.9768
कुल	**135382**	**100.0000**	**2618155755**	**100.0000**

ii) "सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

"सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	262883360	10.04

iii) "सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है

"सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	262883360	10.04

iv) **दिनांक 31.03.2018 को शेयरधारिता का स्वरूप**

दिनांक 31.03.2018 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	**शेयर्स की संख्या**		**शेयरधारकों की संख्या**		**कुल शेयर्स**	**धारिता का %**
	डीमेट	**भौतिक**	**डीमेट**	**भौतिक**		
केन्द्र सरकार	2262123970	0	1	0	2262123970	86.40
क्लियरिंग मेम्बर	7988607	0	320	0	7988607	0.31
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	26670930	90	705	1	26671020	1.02
निदेशकगण	163	0	1	0	163	0.00
वित्तीय संस्थाएं	262883360	0	14	0	262883360	10.04
विदेशी निवेशक संस्थाएं	400	0	1	0	400	0.00
सरकारी कम्पनियां	700	0	1	0	700	0.00
हिंदू अविभाजित परिवार	1196426	0	3668	0	1196426	0.05
राष्ट्रीयकृत बैंक	244876	0	4	0	244876	0.01
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	1458488	0	4	0	1458488	0.06
अनिवासी भारतीय	416861	121600	665	1	538461	0.02
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	150931	0	364	0	150931	0.01
सार्वजनिक	42753619	13858	129491	110	42767477	1.63
ट्रस्ट	101771	0	12	0	101771	0.00
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	6531875	0	4	0	6531875	0.25
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	5497230	0	15	0	5497230	0.21
कुल	**2618020207**	**135548**	**135270**	**112**	**2618155755**	**100.00**

* दिनांक 27.03.2018 को, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को डीमेटरियलाइड रूप में 65,04,06,299 इक्विटी शेयर आबंटित किए है जो दिनांक 06.04.2018 से बीएससी एवं एनएससी पर लेनदेन के लिए सूचीवद्ध एवं स्वीकृत किए गए है.

v) **रुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण**

क्र.सं.	**शेयरधारकों के नाम**	**रुद्ध शेयर्स की संख्या**	**कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग**
1	भारत के राष्ट्रपति	2262123970	86.40
	कुल	**2262123970**	**86.40**

vi) **डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण**

क्र.सं.	**बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार**	**बकाया डीआर की संख्या**	**बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या**	**कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर**
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

viii) **डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है.**

क्र.सं.	**डीआर धारक का नाम**	**बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार**	**विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या**	**कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर**
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ix) **शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन**

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2018 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का ३
भौतिक स्वरूप में	112	135548	0.01
एनएसडीएल	83908	325466796	12.43
सीडीएसएल*	51362	2292553411	87.56
कुल	**135382**	**2618155755**	**100.00**

*दिनांक 27.03.2018 को, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को डीमेटरियलाइड रूप में 65,04,06,299 इक्विटी शेयर आबंटित किए है जो दिनांक 06.04.2018 से बीएससी एवं एनएससी पर लेनदेन के लिए सूचीवद्ध एवं स्वीकृत किए गए है.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

x) अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 को "अदावाकृत उचंत खाता" में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	234	32,853
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	निरंक	निरंक
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	निरंक	निरंक
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	234	32,853

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 24 अप्रैल, 2018

[राजीव ऋषि]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणियों में तथ्यत: कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.

ii. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

i. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. लेखांकन नीतियों में वर्ष 2017-18 के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं

iii. धोखाधडियों की अहम घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

बी.के.सिंघल
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 मई, 2018

प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी. यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है.

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निर्धारित शर्तों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है.

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है.

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए गौरव लोढ़ा)
भागीदार
सदस्यता सं. 507462

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 मई, 2018

लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट **कोलकाता -700069**	**पाठक एच डी एण्ड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार 814-815, तुलसी चेम्बर्स, 212, नरीमन पॉइंट, **मुम्बई - 400021**
एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 504, कीर्तिमहल, 19, राजेंद्र प्लेस, **नई दिल्ली - 110008**	**बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, **मुम्बई - 400055**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) की दिनांक 31 मार्च, 2018 की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है. इन एकल वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2400 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है. इसके अलावा इनमें उन 2265 शाखाओं के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.94%, जमाओं का 21.67%, ब्याज आय का 5.16% तथा ब्याज व्यय की 19.09% हिस्सेदारी है.

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. इन एकल वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई हैं एवं भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, के प्रति प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है. इस प्रबंधतंत्र की उत्तरदायित्व में एकल वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्त्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन एकल वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अश्वासन प्रकट हो सके.

4. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे एकल वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें एकल वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की एकल वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें. एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ एकल वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है.

अभिमत

6. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में :

(ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके.

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किए गए लेखों में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है एवं

(सी) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

7. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की 29 वीं अनुसूची के अनुरूप तैयार किये गए हैं.

8. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए.

(बी) हमारे संज्ञापन में आए लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं. एवं

(सी) प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के द्वारा बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया.

9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंक की लेखा बहियों एवं विवरणियों से सुसंगत है.

(बी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई थी, जिन्हें इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने यथोचित सम्मिलित किया है.

(सी) मारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई **(सीए गौरव लोढ़ा)** भागीदार सदस्यता सं. 507462	**कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू **(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585
कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन **(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू **(सीए बी. एम. अग्रवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई, 2018

31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2018 को ₹	31 मार्च 2017 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**26,181,558**	19,021,710
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**153,673,778**	153,659,690
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		-	6,830,000
जमा राशियां	3	**2,948,388,573**	2,966,711,934
उधार राशियां	4	**57,061,162**	92,824,453
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**76,947,683**	94,971,655
कुल		**3,262,252,754**	**3,334,019,442**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	**359,999,088**	750,867,551
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	**32,285,265**	36,797,771
निवेश	8	**1,026,316,122**	920,948,779
अग्रिम	9	**1,565,421,771**	1,393,987,698
अचल आस्तियां	10	**43,433,811**	42,903,740
अन्य आस्तियां	11	**234,796,697**	188,513,903
कुल		**3,262,252,754**	**3,334,019,442**
आकस्मिक देयताएं	12	**1,193,978,648**	833,630,288
संग्रहण हेतु बिल	-	**144,860,670**	91,689,353
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

बी. एस. शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए गौरव लोढ़ा)
भागीदार
सदस्यता सं. 507462

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष ₹
I. **आय**			
अर्जित ब्याज	13	**240,355,171**	246,614,083
अन्य आय	14	**26,223,513**	28,756,440
कुल		**266,578,684**	**275,370,523**
II. **व्यय**			
व्यय ब्याज	15	**175,185,079**	180,873,959
परिचालन खर्चे	16	**64,063,689**	63,610,278
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		**78,378,890**	55,277,265
कुल		**317,627,658**	**299,761,502**
III. **पूर्वावधि की मदों के पूर्व वर्ष का लाभ / (हानि)**		**(51,048,974)**	**(24,390,979)**
घटाएं: पूर्वावधि मदें		-	-
पूर्वावधि की मदों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		**(51,048,974)**	(24,390,979)
लाभ/(हानि) आगे ले जाया गया		**(53,563,918)**	(25,335,556)
कुल		**(104,612,892)**	**(49,726,535)**
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांवधिक आरक्षित		-	-
निवेश आरक्षित		**918,685**	3,837,383
विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
स्टाफ कल्याण निधि		-	-
राजस्व आरक्षित		-	-
बीमा के रूप में निधि		-	-
प्रस्तावित लाभांश -अधिमानी पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	-
लाभांश कर		-	-
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		**(105,531,577)**	**(53,563,918)**
कुल		**(104,612,892)**	**(49,726,535)**
ईपीएस (प्राथमिक एंड अकुशल)		**(26.34)**	(13.35)
प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

बी. एस. शेखावत कार्यपालक निदेशक	**पी. रमण मूर्ती** कार्यपालक निदेशक	**बी.के. दिवाकर** कार्यपालक निदेशक	**राजीव ऋषि** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**केतुल आर. पटेल** निदेशक	**एन. नित्यानंद** निदेशक	**प्रो. (डॉ.) आत्मानंद** निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई	**कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू	**कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन	**कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू
(सीए गौरव लोढ़ा) भागीदार सदस्यता सं. 507462	**(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585	**(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**(सीए बी. एम. अग्रवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई, 2018

31 मार्च 2018 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2018 को		31/03/2017 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		**50,000,000**		50,000,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 500,00,00,000 शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के (गत वर्ष 500,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	**26,181,558**		19,021,710	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 26,18,155,755 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,90,21,70,964 इक्विटी शेयर) सहित केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 22,62,123,970 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 154,61,39,79 इक्विटी शेयर)				
कुल		**26,181,558**		**19,021,710**

विवरण	31/03/2018 को		31/03/2017 को	
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. **सांविधिक प्रारक्षित निधियां**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**20,635,979**		20,635,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		20,635,979		**20,635,979**
II. **प्रारक्षित निधि**				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**32,053,777**		32,923,455	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	-		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**751,349**		869,678	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
		31,302,428		**32,053,777**
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**10,172,698**		6,335,315	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**918,687**		3,837,383	
		11,091,385		10,172,698
III. **शेयर प्रीमियम**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**118,658,639**		100,895,300	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	**51,250,152**		17,763,339	
		169,908,791		118,658,639
IV. **राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां**				
i) **राजस्व प्रारक्षित निधियां**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**24,702,513**		23,439,771	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	**751,349**		869,678	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (एस ड्ब्ल्यू निधि)	-		393,064	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**187,090**			
		25,266,772		24,702,513
V. **विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii)**		**1,000,000**		1,000,000
VI. **लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि**		**(105,531,576)**		(53,563,917)
कुल		**153,673,778**		**153,659,690**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2018 को		31/03/2017 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	4,303,783		3,970,883	
ii) अन्य से	142,561,085		128,100,369	
		146,864,868		132,071,252
II. बचत बैंक जमाराशियां		**1,105,092,892**		1,031,024,978
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	40,177,032		53,016,251	
ii) अन्य से	1,656,253,781		1,750,599,453	
		1,696,430,813		1,803,615,704
कुल		**2,948,388,573**		**2,966,711,934**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**2,948,388,573**		2,966,711,934
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-

अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0		110,053	
ii) अन्य बैंक	11,534		28,920,664	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	4,108,628		6,961,736	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	7,700,000		11,591,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	28,850,000		28,850,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	1,391,000		1,391,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	15,000,000		15,000,000	
		57,061,162		**92,824,453**
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		-
कुल		**57,061,162**		**92,824,453**
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		**निरंक**		निरंक

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		6,918,635		7,502,369
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		5,526,439		-
III. उपचित ब्याज		7,760,143		8,133,757
IV. आस्थगित कर देयता		-		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)		56742466		79,335,529
कुल		**76,947,683**		**94,971,655**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2018 को		31/03/2017 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		**15,054,784**		17,694,112
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	135,944,304		126,173,439	
अन्य खातों में	209,000,000		607,000,000	
		344,944,304		733,173,439
कुल		**359,999,088**		**750,867,551**
अनुसूची 7 : बेंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. **भारत में**				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	1,147,045		1,560,742	
बी) अन्य जमा खातों में	13,045		10,797	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-			
बी) अन्य संस्थाओं के पास	20,107,348		34,999,852	
		21,267,438		**36,571,391**
II. **भारत के बाहर**				
ए) चालू खातों में	68,427		226,380	
बी) अन्य जमा खातों में	10,949,400		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		11,017,827		**226,380**
कुल		**32,285,265**		**36,797,771**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	813,171,345		740,707,328	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	12,611,655		13,570,132	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	142,205,198		103,512,402	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	3,039,987		3,039,987	
vi) अन्य	54,813,052		59,644,045	
(यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि)		**1,025,841,237**		**920,473,894**
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स		**474,885**		474,885
कुल		**1,026,316,122**		**920,948,779**
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	1,052,471,735		937,440,524	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	26,630,498		16,966,630	
शुद्ध मूल्य		**1,025,841,237**		**920,473,894**
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	475,100		475,100	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	215		215	
शुद्ध मूल्य		**474,885**		**474,885**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2018 को		31/03/2017 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	12,108,770		16,294,564	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	705,309,854		658,991,181	
iii) मीयादी ऋण	848,003,147		718,701,953	
कुल		**1,565,421,771**		**1,393,987,698**
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,464,606,458		1,298,846,409	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	4,163,297		2,640,519	
iii) अरक्षित	96,652,016		92,500,770	
कुल		**1,565,421,771**		**1,393,987,698**
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	783,546,358		692,204,013	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	43,919,258		47,756,724	
iii)बैंक	1,643		9,461	
iv) अन्य	737,954,512		654,017,500	
कुल		**1,565,421,771**		**1,393,987,698**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

अनसूची 10 :अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	40,128,537		40,106,596	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)	199,464		21,941	
कुल	40,328,001		**40,128,537**	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	-		-	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	6,785,203		5,940,880	
कुल		**33,542,798**		**34,187,657**
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	26,341,855		24,685,893	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,488,370		2,478,886	
कुल	29,830,225		27,164,779	
वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	769,138		822,924	
कुल	29,061,087		26,341,855	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	19,170,074		17,625,772	
कुल		**9,891,013**		**8,716,083**
कुल (I और II)		**43,433,811**		**42,903,740**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2018 को		31/03/2017 को	
	रु.	रु.	रु.	रु.
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	16,785,595		14,925,213	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्त्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	53,481,235		52,775,462	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	199,846		179,363	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. आस्थगित कर आस्तियां	53,680,300		23,536,800	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		3,061,559	
VII. अन्य	110,649,721		94,035,506	
कुल		**234,796,697**		**188,513,903**

विवरण	31/03/2018 को		31/03/2017 को	
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		1,103,950		1,090,547
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		29,799,058		32,981,381
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		76,140		139,225
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		928,313,329		547,105,565
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	104,410,635		107,887,762	
बी) भारत के बाहर	2,839,496		3,852,663	
		107,250,131		111,740,425
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		123,009,267		137,965,386
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		4,426,773		2,607,759
कुल		**1,193,978,648**		**833,630,288**

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष रु.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष रु.
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	144,787,536	162,834,121
II. निवेशों पर आय	71,373,632	73,718,485
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	20,585,442	6,388,242
IV. अन्य की	3,608,561	3,673,235
कुल	**240,355,171**	**246,614,083**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	12,624,751	9,292,944
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	5,766,755	15,416,557
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(44,982)	(12,421)
V. विनमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	1,409,054	1,690,688
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभाशं इत्यादि के रूप में अर्जित आय	100,972	128,158
VII. विविध आय	6,366,963	2,240,514
कुल	**26,223,513**	**28,756,440**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	162,226,890	173,303,967
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	45,704	37,022
III. अन्य	12,912,485	7,532,970
कुल	**175,185,079**	**180,873,959**
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	39,833,703	42,143,117
II. किराया, कर एवं बिजली	4,746,738	4,460,406
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	362,698	437,860
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	241,456	333,285
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	2,603,090	2,573,712
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	10,622	8,160
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	198,592	299,163
VIII. विधि प्रभार	171,272	199,825
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	663,447	469,346
X. मरम्मत एवं रखरखाव	1,132,748	1,207,455
XI. बीमा	3,571,763	3,253,411
XII. अन्य व्यय	10,527,560	8,224,538
कुल	**64,063,689**	**63,610,278**

अनुसूची 17 - महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1. **ए) तैयार करने का आधार :**

वित्तीय विवरणियां लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं. एवं सभी तात्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं.

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं.

आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो.

2. **बी) विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :**

2.1 लेनदेनों को प्रारम्भ में पिछले दिन के अंतिम दर पर दर्ज किया जाता है.

2.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

2.3 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

2.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

2.5 बकाया वायदा संविदाएं तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3. **निवेश :**

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "व्यापार हेतु धारित" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में श्रेणीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

i. सरकारी प्रतिभूतियां

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

iii. शेयर्स

iv डिबेंचर्स एवं बॉण्डस

v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं

vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)

3.2 **वर्गीकरण का आधार :**

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है. अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश को भी "परिपक्वता तक धारित" के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाता है.

ii) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

3.3 **श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :**

निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख को न्यूनतम अधिग्रहण लागत / बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर लेखांकित की जाती है. इस अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि है, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

3.4 **मूल्यनिर्धारण :**

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक वैयक्तिक निवेश के लिए, जो अपने स्वरूप में अस्थाई से अलग है, के रखाव लागत में ह्रास को घटाकर किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां,	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.
v)	अधिमानी शेयर्स	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	ए) उद्धृत : (पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) अंतिम व्यापार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्धआस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए ₹1/-
ix)	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एसबी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूतियों के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है.

सी) **व्यापार के लिए धारित :**

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है.

3.5 लागत निर्धारण :

i) निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.

ii) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.

iii) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

3.6 आय निर्धारण :

i. निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूंजी प्रारक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है.

ii. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

iii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है, यदि, बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो, विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.

iv प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है.

3.7 रेपो/रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन और चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) :

भारिबैं के साथ एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत सहमत शर्तों पर बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय के अनुबंध को उधार/ ऋण के रूप में मान्य किया जाता है.

4. डेरिवेटिव्ज :

4.1 वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i. ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं, उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

4.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है :

i) एमसीएक्स - एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बाजार हेतु चिन्हित किया जाता है.

ii) एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/ नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए.

iii) बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते हैं. किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो, तो उनकी उपेक्षा की जाती है.

iv) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है.

5. अग्रिम :

5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्यथा आवश्यक हो.

5.2 गैर-निष्पादक आस्तियों में आंशिक वसूली सर्वप्रथम मूल राशि के साथ और उसके पश्चात ब्याज राशि में विनियोजित की जाती है. तथापि, किसी भी उधार खाते को पूर्व की तारीख से गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है तो, उस समय खाते में की गई किसी भी वसूली को, सर्वप्रथम ऋण एवं अग्रिम के ब्याज (अर्थात दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए), कर्ज की रणनीतिक संरचना, दीर्घावधि

परियोजना ऋण की लचीली संरचना(5/25), उधार ईकाइयों के स्वामित्व का परिवर्तन (वाह्य रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना) में जमा किया जाएगा, जब तक खाता मानक के रूप में वर्गीकृत था.

5.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि, जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

5.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं.

5.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

5.5.1 यदि एससी/एआरसी को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.

5.5.2 यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो, तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

5.5.3 यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो, तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वितीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :

6.1 अचल आस्तियों का मूल्यह्रास "मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i.	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii.	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii.	वाहन	20%
iv	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v.	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

6.2 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

6.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यह्रास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

6.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यह्रास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यह्रास / परिशोधन को "पुनर्मुल्यांकन प्रारक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां" में जमा किया गया है.

6.5 दिनांक 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. दिनांक 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

7. कर्मचारी लाभ :

कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटी में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

8. आय एवं व्यय की पहचान :

8.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यत: उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.

8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता हैं.

9. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पश्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

10. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों, जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं, जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आंकलन नहीं किया जा सकता हो, तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है.

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

(बी.एस. शेखावत) कार्यपालक निदेशक	**(पी. रमण मूर्ती)** कार्यपालक निदेशक	**(बी.के. दिवाकर)** कार्यपालक निदेशक	**(राजीव ऋषि)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**केतुल आर. पटेल** निदेशक	**एन. नित्यानंद** निदेशक	**प्रो.(डॉ.) आत्मानंद** निदेशक

कृते लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई	**कृते पाठक एच डी एंड एशोसिएट** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 107783 डब्ल्यू	**कृते एस. के. मेहता एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 000478एन	**कृते बोरकर एंड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 101569डब्ल्यू
(सीए गौरव लोढ़ा) भागीदार सदस्यता सं. 057462	**(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585	**(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**(सीए बी. एम. अगरवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2018

अनुसूची-18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. पूँजी :

दिनांक 31 मार्च 2018 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹2618.16 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹1902.17 करोड़ थी. यह वृद्धि तीन आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 715984791 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 18.08.2017 को भारत सरकार को ₹94.15 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 9601536 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

बी. दिनांक 31.03.2017 को भारत सरकार द्वारा ₹ 10.00 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5830 नवोन्मेष बेमियादी कर्ज लिखतों (आईपीडीआई) के विलोपन से प्राप्त ₹ 583.00 करोड़ की शेयर आवेदन राशि के समक्ष दिनांक 16.11.2017 को ₹ 94.15 के प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 55976956 के इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए गए.

सी. दिनांक 27.03.2018 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 73.15 के प्रीमियम पर प्रति ₹ 10/- के 38845460 के इक्विटी शेयर और ₹ 69.06 के प्रीमियम पर प्रति ₹ 10/- के 611560839 के इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- सिस्टम उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते
- कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र ऋणों का डाटा / सिस्टम अद्यतन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर :

3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.2 बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर संबंधी अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 2979.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3298.14करोड़) शामिल हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है.

4. परिसर :

4.1 बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹1.63 करोड़) की प्रापर्टी शामिल है जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

4.2 बैंक द्वारा लीज पर प्राप्त परिसरों में ₹ 0.64 करोड़ लागत की (पिछले वर्ष ₹ 0.64 करोड़) परिसम्पत्तियाँ शामिल है, जिसके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएँ अभी भी प्रक्रियाधीन है.

4.3 ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यह्रास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 75.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 86.97 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यह्रास की राशि को "पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि" में जमा किया गया है.

5. **अग्रिम / प्रावधान :**

5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना गया है.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

6. **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की गई है :**

ए. (i) **पूंजी :** (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	31.03.2018	31.03.2017
1	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**7.01%**	8.62%
2	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**7.01%**	8.62%
3	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.03%**	2.32%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	**9.04%**	10.95%
5	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	**86.40%**	81.28%
6	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	**5158.00**	2136.79*
7	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) : शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)	**निरंक**	निरंक
8	उगाही गयी टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत : अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : [शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) /प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)]	**निरंक**	500.00

*इसमें दिनांक 30.03.2017 को भारत सरकार से प्राप्त रुपए 100.00 करोड़ की पूंजी निधि शामिल है जिसे "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन राशि खाता" के नाम से खोले गए नए बैंक खाते में रखा गया है. दिनांक 18 अगस्त, 2017 को बैंक ने उक्त शेयरों को भारत सरकार को आबंटित कर दिया है.

*इसके अलावा, इसमें ₹ 583.00 करोड़ की इक्विटी पूंजी भी शामिल है जो भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10.00 लाख अंकित मूल्य के 5830 नवोन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखतों (आईपीडीआई) के विलोपन से उत्पन्न हुई है जिसे शेयरों का आबंटन लम्बित रहते शेयर आवेदन राशि खाते में रखा गया है. दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को बैंक ने उक्त शेयरों को भारत सरकार को आबंटित कर दिया है.

बी. (i) **निवेश** (₹ करोड़ में)

		मदें	31.03.2018	31.03.2017
1)	**निवेश मूल्य**			
	i)	सकल निवेश मूल्य	**105294.68**	93791.56
		ए) भारत में	**105247.17**	93744.05
		बी) भारत के बाहर	**47.51**	47.51
	ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**2663.07**	1696.68
		ए) भारत में	**2663.05**	1696.66
		वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यह्रास (अंतरण के समय धारित) के लिए अतिरिक्त प्रावधान	**0.00**	0.00
		बी) भारत के बाहर	**0.02**	0.02
	iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य	**102631.61**	92094.88
		ए) भारत में	**102584.12**	92047.39
		ए) भारत के बाहर	**47.49**	47.49

2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी**			
	i)	प्रारंभिक शेष	**1696.68**	1027.21
	ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1781.21**	768.49
	iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाता प्रतिलेखन प्रावधान	**814.82**	99.02
	iv)	अंतिम शेष	**2663.07**	1696.68

(ii) **रेपो लेनदेन** (अंकित मूल्य के सन्दर्भ में): (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	2140.00	124.76	0.00
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	4010.00	73915.00	32672.95	22910.73
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) **गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलिओ**

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संघटन (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	"निवेश श्रेणी से कम" सीमा तक प्रतिभूतियां	"गैर-श्रेणीकृत" प्रतिभूतियां	"गैर-सूचीबद्ध" प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	केन्द्र सरकार रिकैप बॉन्ड	4835	0	0	4835	4835
ii)	राज्य सरकार विशेष बॉन्ड	2664	0	0	2664	0
iii)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4884	18	0	4210	0
iv)	वित्तीय संस्थाएं	187	127	0	44	44
v)	बैंक	333	0	0	0	0
viii)	निजी कॉर्पोरेट	1789	120	245	611	707
viii)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ क्षेग्राबैं/ इंडो-जाम्बिया	421	421	0	421	421
viii)	अन्य	8568	0	438	5132	6508
	कुल	**23681**	**686**	**683**	**17917**	**7680**
	घटायें: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	2367	0	0	0	0
	शुद्ध	**21314**	**686**	**683**	**17917**	**7680**

नोट : उपर्युक्त कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक विशिष्ट नहीं हैं.

(iv) **गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश (परिपक्व निवेशों सहित)** (₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2018	31.3.2017
प्रारंभिक शेष	**560.14**	474.03
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	**1643.39**	215.87
वर्ष के दौरान कमी	**119.05**	129.76
अंतिम शेष	**2084.48**	560.14
धारित कुल प्रावधान	**1648.11**	389.41

सी. डेरिवेटिव्ज

(i) **वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप**

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2018	31.3.2017
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	25.00	25.00
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	0.00	0.00
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण		
	- विदेशी बैंक	निरंक	निरंक
	- घरेलू बैंक	निरंक	निरंक
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00*	-0.15

*आंकड़े ₹ 1 लाख से कम है.

(ii) **वायदा दर करार / मुद्रा दर स्वैप**

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2018	31.3.2017
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	334.07	241.42
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	4.97	5.21
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण		
	- विदेशी बैंक	निरंक	निरंक
	- घरेलू बैंक	निरंक	निरंक
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	0.99	1.04

(iii) **विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज :**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	31.03.2018	31.03.2017
	ब्याज दर फ्यूचर्स		
i)	वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iii)	बकाया एवं “उच्च प्रभावी नही” विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iv)	बकाया एवं “उच्च प्रभावी नही” विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज का दैनिक बाजार मूल्य	निरंक	निरंक

(iv) **विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज** (₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	वर्ष के दौरान, विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज का काल्पनिक मूलधन (लिखत-वार)		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	11545.10	30741.00
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	0.00	0.00
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	0.00	0.00
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	0.00	0.00
iii)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नही" विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	0.00	0.00
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	0.00	0.00
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नही" विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज का दैनिक बाजार मूल्य		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	0.00	0.00
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	0.00	0.00

डेरिवेटिव्ज में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

v) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

- वायदा बाजार में बचाव / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुई है.
- निवेश पोर्टफोलियों में ब्याज दर की जोखिम से बचाव तथा बाजार निर्मिति के लिए वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों की नीति मौजूद है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि-रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.

बचाव स्थितियां

- आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिन्हित किया जाता है.
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उस तारीख तक उपचित को ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थितियां

- एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई तथा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेज के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनदिन आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते है.
- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. एमटीएम की सभी हानियां लेखागत की जाती है जबकि लाभ को छोड़ दिया जाता है.
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

दिनांक 31.03.2018 को संविदा व्यापारी और अंतर बैंक को अग्रेषित बकाया (₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2018 को बकाया	**89846.96**
बचाव व्यवस्था स्थिति	**5463.05**
व्यापार स्थिति	**84383.91**

vi) **गुणात्मक प्रकटीकरण** (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018		31.3.2017	
		मुद्रा डेरिवेटीव्ज	ब्याज दर डेरिवेटीव्ज	मुद्रा डेरिवेटीव्ज	ब्याज दर डेरिवेटीव्ज
i)	डेरिवेटिव्ज (आनुमानिक मूल धन राशि)				
ए)	बचाव व्यवस्था के लिए	5463.05	0.00	6472.28	0.00
बी)	व्यापार के लिए	84383.91	25.00	46961.10	25.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति				
ए)	आस्ति (+)	435.84	0.40	1247.55	0.00
बी)	देयता (-)	454.35	0.15	1231.39	0.15
iii)	एक्सपोजर (1)				
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	-	0.01	-	0.01
ए)	बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्ज		0.00	-	0.00
बी)	व्यापार पर डेरिवेटिव्ज	-	0.01	-	0.01
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
ए)	बचाव व्यवस्था पर	-	अधि-0.00 न्यू-0.00	-	अधि.0.00 न्यू.-0.00
बी)	व्यापार पर	-	अधि-0.04 न्यू- 0.01	-	अधि.0.04 न्यू.-0.01

डी. आस्ति गुणवत्ता

(ए) अनर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2018	31.3.2017
i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	11.10	10.20
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
ए)	प्रारंभिक शेष	27251.33	22720.88
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन*(i)	17071.24	10487.82
सी)	वर्ष के दौरान कमी	6191.87	5957.37
डी)	अंतिम शेष	38130.70	27251.33
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
ए)	प्रारंभिक शेष	14217.83	13241.80
बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	6246.83	4459.77
सी)	वर्ष के दौरान कमी	3086.79	3483.74
डी)	अंतिम शेष	17377.87	14217.83
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
ए)	प्रारंभिक शेष	11862.53	8238.00
बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	10824.41	6028.05
सी)	बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	3085.63	2403.52
डी)	अंतिम शेष	19601.31	11862.53

(बी) पुनर्गठित खातों के ब्यौरे :

(₹ करोड़ में)

Sr No	Type of Restructuring → / Asset Classification → / Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	17	5	25	0	47	1389	265	2455	0	4089	17269	1065	2331	0	20665	18675	1335	4811	0	24801
		Amount outstanding	2957.87	603.32	2777.69	0	6338.88	124.82	41.15	124.28	0.00	290.25	4460.17	700.31	1682.01	0.00	6842.49	7542.86	1344.78	4583.98	0.00	13471.62
		Provision thereon	348.39	30.70	151.13	0	530.22	5.19	0.77	5.64	0.00	11.60	222.30	15.91	38.03	0.00	276.24	575.88	47.38	194.80	0.00	818.06
2	Fresh restructuring during the year#	No. of borrowers	0	0	0	0	0	21	4	2	0	27	452	51	61	0	544	453	55	63	0	571
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	3.40	0.98	0.00	6.69	25.57	20.28	20.08	0.00	65.93	27.88	23.68	21.06	0.00	72.62
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.05	0.00	0.18	0.92	0.07	0.06	0.00	1.05	1.04	0.08	0.11	0.00	1.23
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	1	0	-1	0	0	3	-3	0	0	0	25	-10	-15	0	0	29	-13	-16	0	0
		Amount outstanding	5.33	0.00	-5.33	0.00	0.00	1.81	-1.81	0.00	0.00	0.00	134	-88.37	-46.03	0.00	0.00	141.54	-90.18	-51.36	0.00	0.00
		Provision thereon	0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	11	-4.55	-6.16	0.00	0.00	11.60	-4.56	-7.04	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	-2				-2	-392				-392	-9720				-9720	-10114				-10114
		Amount outstanding	-182.24				-182.24	-61.34				-61.34	-921.99				-921.99	-1165.57				-1165.57
		Provision thereon	-11.39				-11.39	-1.73				-1.73	-16.56				-16.56	-29.68				-29.68
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-8	1	5	2	0	-38	23	6	9	0	-2032	1444	345	243	0.00	-2078	1468	356	254	0
		Amount outstanding	-1422.27	507.67	688.32	226.28	0.00	-15.71	14.64	0.34	0.73	0.00	-1481.40	679.78	797.21	4.46	0.00	-2919.38	1202.04	1485.87	231.47	0.00
		Provision thereon	-256.52	30.17	211.10	15.25	0.00	-0.78	0.72	0.02	0.04	0.00	-21.32	9.59	11.51	0.22	0.00	-278.62	40.48	222.63	15.51	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY $	No. of borrowers	-4	-5	-1	-2	-12	-933	-342	-2343	-9	-3307	-3781	-1052	-1106	-243	-6182	-4698	-1399	-3450	-254	-9701
		Amount outstanding	-967.58	-603.32	-688.17	-226.28	-2485.35	-16.95	-39.33	-13.49	-0.73	-70.50	-1004.53	-384.69	27.12	-4.46	-1366.56	-2009.06	-1227.34	-674.54	-231.47	-4142.41
7	Restructured Accounts as on 31.03.2018 (closing figures)	No. of borrowers	4	1	28	0	33	70	27	120	0	217	2193	1498	1616	0	5307	2267	1526	1764	0	5557
		Amount outstanding	391.11	507.67	2772.51	0.00	3671.29	34.94	18.05	112.11	0.00	165.10	1192.22	727.26	2480.39	0.00	4399.87	1618.27	1252.98	5365.01	0.00	8236.26
		Provision thereon **	63.63	30.17	357.67	0.00	451.47	0.51	0.74	1.42	0.00	2.67	124.89	9.66	34.53	0.00	169.08	189.03	40.57	393.62	0.00	623.22

*उन मानक पुनर्गठित ऋणों के आकड़ों को छोड़कर जिनमें उच्च प्रावधान अथवा जोखिम भारिता (यदि लागू हो) नहीं है.

**धारित प्रावधान में अधित्याग किए गए प्रावधान के आकंड़े है.

#गत वर्षों में पुनर्गठित खाते शामिल है तथापि जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में चिन्हित किया गया है.

$वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्गठित खातों में वसूली शामिल है.

(सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. बिक्री का विवरण (₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2018	31.3.2017
i)	खातों की संख्या	2	निरंक
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	105.33	निरंक
iii)	कुल प्रतिफल	114.00	निरंक
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	1.47	निरंक
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	10.14	निरंक

बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार है : (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2018	31.3.2017
(i)	बैंक द्वारा अंतर्निहित तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	3116.96	3327.19
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अंतर्निहित के तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	6.85	22.23
	कुल	**3123.81**	**3349.42**

(डी) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण: (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2018	31.3.2017
1	ए वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण: (₹करोड़ में)

	मदें	31.3.2018	31.3.2017
1	खातों की संख्या	निरंक	निरंक
2	कुल बकाया	निरंक	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	निरंक	निरंक

(ई) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2018	31.3.2017
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	496.71	540.03

(एफ) व्यावसायिक अनुपात

क्रम सं.	मदें	31.3.2018	31.3.2017
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	7.59	8.10
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	0.83	0.94
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	0.86	1.01
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	(1,61)	(0.80)
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	1270.64	1181.33
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(13.86)	(6.49)

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर शामिल है.

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2018 को कुल जमाओं, उधार, अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल जमाएं	कुल अग्रिम	कुल निवेश	कुल घरेलू उधारियां *	विदेशी मुद्रा	
					अस्ति	देयताएं
एक दिन	1545.73	4165.65	-	1.15	184.66	366.27
2 दिन से 7 दिन	2372.28	1281.85	2146.35	32.08	297.91	14.97
8 दिन से 14 दिन	2949.26	247.72	249.78	-	33.24	8.18
15 दिन से 30 दिन	4257.60	6090.04	869.49	-	228.31	8.10
31 दिन से 2 माह	8852.12	1420.61	282.23	-	-	25.82
2 माह से अधिक व 3 माह तक	8410.25	2531.03	506.89	32.07	20.01	22.52
3 माह से अधिक व 6 माह तक	13556.00	5344.50	2282.49	30.34	991.60	152.93
6 माह से अधिक व 12 माह तक	24490.57	7852.12	1477.18	64.08	528.21	522.14
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	135669.00	72159.29	4885.31	246.03	165.34	685.78
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	46371.63	19405.81	9005.48	6.26	25.94	57.06
5 वर्ष से अधिक	46364.42	36043.57	80926.42	-	0.78	-
कुल	294838.86	156542.18	102631.62	412.01	2476.00	1863.78

नोट : -

* टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा

उपर्युक्त आंकडे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है.

एच. एक्सपोजर

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	श्रेणी	31.3.2018	31.3.2017
ए)	**प्रत्यक्ष निवेश**		
	(i) आवासीय मार्गेज -	22094.61	20084.89
	आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है :		
	(उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र हैं)	(13595.91)	(13077.11)
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -	3803.25	4019.29
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मॉर्गेज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.)		
	एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :		
	(iii) मॉर्गेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश -		
	- आवासीय,	0.00	0.00
	- वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	73.20	00.00
बी)	**अप्रत्यक्ष निवेश**		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	979.50	919.46
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	**26950.56**	**25023.64**

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2018	31.3.2017
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	557.92	747.86
ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	0.00	1.68
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	205.85	342.82
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	0.00	0.01
v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	333.15	298.15
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
x)	जोखिम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी एक्सपोजर.	0.00	0.00
पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर		**1096.92**	**1390.52**

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर : (₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31.03.2018 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2018 को धारित प्रावधान	दिनांक 31.03.2017 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2017 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	1236.57	निरंक	949.11	निरंक
निम्न	444.44	निरंक	1156.65	निरंक
मध्यम	53.37	निरंक	126.00	निरंक
उच्च	33.79	निरंक	46.07	निरंक
अत्यधिक	24.23	निरंक	2.54	निरंक
सीमित	4.26	निरंक	0.00	निरंक
ऋणेतर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	1796.66	निरंक	2280.37	निरंक

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अत: प्रावधान आवश्यक नहीं है.

(iv) बैंक द्वारा अतिक्रमित उन एकल ऋणी सीमा/ समूह ऋणी सीमाओं का विवरण, जिनके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

ए. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल ऋणी सीमा (₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	कुल एक्सपोजर	पूँजी निधि के % के रूप में एक्सपोजर	दिनांक 31.03.2018 को बकाया राशि	पूँजी निधि के % के रूप में बकाया राशि
भारतीय खाद्य निगम	2920.56	6074.26	31.20	1353.85	6.95

बी. बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह ऋणी सीमा : निरंक

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जो कि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है.

₹ निरंक के ऋण (गत वर्ष निरंक), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष निरंक) है.

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार रुपये 2,115.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹, 22,991.22 करोड़) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जोखिम साझेदारी आधार पर दिनांक 30 जुलाई, 2018 के अंत तक अधिकतम 120 दिन के अवधि के लिए जारी किए गए हैं, परिणाम स्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2018 को उतनी ही मात्रा में बैंक का कुल अग्रिम कम हो गया है.

(vii) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण, (भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद और पूर्व-उदघोषित ओपन मार्केट ऑपरेशन नीलामी के अंतर्गत लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में भारिबैं को बेचे जाने के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अनुमत बैंकों द्वारा अधिग्रहित एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के एकबारगी अंतरण को छोड़कर) वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य से 5% से अधिक हो गया. दिनांक 31 मार्च, 2018 को एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों का बाजार मूल्य ₹ 69226 करोड़ था जिसका बही मूल्य ₹ 69556 करोड़ है, जिसमें अनुषंगियों / रखाव लागत पर संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल है. चूंकि ऐसे निवेशों का बही मूल्य उनके बाजार मूल्य से ₹ 330 करोड़ अधिक है, अत: किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है.

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित दण्डों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (ए) के अंतर्गत बैंक को ₹ 0.91 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.12 करोड़) का दण्ड लगाया.

8. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से सवंधित प्रकटीकरण:

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	18098.73	25520.27
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	6.14%	8.60%

8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	23203.00	22282.75
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	13.07%	14.56%

अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(₹करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	33006	39591.09
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	13.54%	15.76%

अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण और निवेश एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.4 एनपीए का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	6563.53	4429.82

छ. क्षेत्रवार अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2018			31.03.2017		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	34,191.98	2,515.62	7.36	33,518.56	2,578.56	7.69
2	प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने हेतु पात्र उद्यम क्षेत्र को अग्रिम	13,241.66	2,299.01	17.36	11,346.26	1,932.99	17.04
3	सेवाएं	19,234.93	2,216.56	11.52	17,999.17	2,246.16	12.48
4	व्यक्तिगत ऋण	16,166.06	793.55	4.91	10,486.28	703.73	6.71
	उप-योग (ए)	**82,834.63**	**7,824.74**	**9.45**	**73,350.27**	**7,461.44**	**10.17**
बी	**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	-	-	-	-	-	-
2	उद्योग	57,886.75	25,775.72	44.53	54,859.69	16,115.61	29.38
4	सेवाएं	22,677.46	4,183.18	18.45	17,774.30	3,389.68	19.07
5	व्यक्तिगत ऋण	14,085.21	347.05	2.46	7,023.88	284.60	4.05
	उप-योग (बी)	**94,649.42**	**30,305.96**	**32.02**	**79,657.87**	**19,789.89**	**24.84**
	कुल (ए+बी)	**1,77,484.04**	**38,130.70**	**21.48**	**1,53,008.14**	**27,251.33**	**17.81**

III. ए. एनपीए में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
*दिनांक 1 अप्रैल, 2017 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	27251.33		22720.88	
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	17071.24		10487.82	
उप-योग (ए)		**44322.57**		**33208.70**
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	785.12		1183.46	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)*	2403.34		2378.28	
एनपीए की बिक्री	79.80		0.00	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	2606.53		2327.08	
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	317.08		68.55	
उप-योग (बी)		**6191.87**		**5957.37**
31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)		**38130.70**		**27251.33**

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	6954.63	4627.55
जुड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	2606.53	2385.02
उप-योग (ए)	**9561.16**	**7012.57**
घटा: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)	321.84	57.94
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	**9239.32**	**6954.63**

* नियमित बट्टे-खाते में ₹ 5.58 करोड़ (गत वर्ष ₹2.28 करोड़) के रूपांतरण सहित

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल आस्तियां	निरंक	निरंक
कुल एनपीए	निरंक	निरंक
कुल आय	निरंक	निरंक

V. इतर तुल-पत्र प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरुप समेकित करना आवश्यक है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक

VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की सं. *	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	हानि	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	प्रथम हानि	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक

* बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी को ही रिपोर्ट किया जाय.

VII. अंतर्समूह एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(ए)	अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	692.62	664.59
(बी)	टॉप 20 अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि, इस श्रेणी में केवल 6 कम्पनियां हैं	692.62	664.59
(सी)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर एवं अंतर्समूह - एक्सपोजर का प्रतिशत	0.29%	0.26%
(डी)	अंतर्समूह एक्सपोजर की सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं उस पर विनियामक कार्रवाई, कोई हो	निरंक	निरंक

VIII. जमाकर्ता शिक्षण /जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
डीईएएफ में अंतरण का प्रारम्भिक शेष	61.69	32.72
जोड़े - वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरण	23.17	29.17
घटाएं - दावों के लिए डीईएएफ द्वारा पुनर्भुगतान की राशि	01.25	00.20
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	83.61	61.69

अनाबंटित जमा के स्वरुप में निश्चित पात्र ऋण अग्रिम हैं जिसका विप्रेषण लंबित समाधान के कारण अभी नहीं किया गया.

9. तरलता कवर

एलसीआर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018		31.03.2017	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		90761.49		65177.71
नकद बहिर्वाह					
2	रिटेल जमाएं एवं लघु व्यवसायी ग्राहको से जमाएं जिनमें:				
(i)	स्थिर जमाएं	70192.60	3509.63	66905.03	3345.25
(ii)	कम स्थिर जमाएं	175726.27	17572.63	162127.87	16212.79
3	अरक्षित थोक निधियन जिनमें:				
(i)	परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	48090.22	21432.50	52479.69	23576.73
(iii)	अरक्षित कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन		0.00		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें				
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक एक्सपोजर सम्बन्धी बहिर्वाह	8563.56	8701.25	4071.93	4197.77
(ii)	कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि सम्बन्धी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएँ	21344.93	2148.50	18815.67	2118.17
6	अन्य अनुबन्धीय निधियन दायित्व	1316.66	1358.90	1564.23	1585.56
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	24491.51	753.85	23881.59	725.11
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**55477.26**		**51761.37**
नकद अंतर्वाह					
9	रक्षित उधारियां (अर्थात रिवर्स रेपो)	32815.47	0.00	8815.28	0.00
10	पूर्णत: कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	2277.90	2277.90	2428.47	2261.81
11	अन्य नकद अंतर्वाह	23674.46	17368.41	18192.44	12669.42
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**58767.84**	**19646.31**	**29436.20**	**14931.23**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**90761.49**		**65177.71**
14	**कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह**		**35830.95**		**36830.14**
15	**तरलता कवरेज अनुपात (%)**		**253.30**		**176.97**

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण		
एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें		व्याख्यात्मक टिप्पणियां
ए	एलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक एवं एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक है 1. एलसीआर के संचालकों में उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति एक प्रमुख संचालक है. एचक्यूएलए का एक बड़ा घटक है- सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) एवं एलसीआर के अंतर्गत तरलता की सुविधा का उपयोग करना. एचक्यूएलए को प्रभावित करने वाले अन्य घटक है - सरकारी प्रतिभूतियों / सरकार द्वारा गारंटीकृत में निवेश करना. 2. एलसीआर संचालक का एक अन्य प्रमुख घटक नकदी बहिर्वाह भी है. नकदी बहिर्वाह के प्रमुख घटकों में, कम स्थाई रिटेल जमा अन्य विधिक इकाईयों से निधियन एवं शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह. 3. एलसीआर संचालन का एक अन्य प्रमुख घटक नकद अंतर्वाह भी है. नकद अंतर्वाह के मुख्य घटक है - अन्य पक्ष द्वारा अंतर्वाह तथा शुद्ध डेरिवेटिव नकद अंतर्वाह.
बी.	अंतरावधि परिवर्तन एवं समयान्तराल में परिवर्तन	लागू नहीं
सी.	एचक्यूएलए की संरचना	एचक्यूएलए में निम्नलिखित होते है - 1. स्तर 1 परिसम्पत्तियां जिनमें एसएलआर निवेशों (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस के विरुद्ध ऋणग्रस्त, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल इत्यादि के लिए रेहन रखी अन्य प्रतिभूतियां) का आधिक्य, एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल (एफएएलएलसीआर) का 2% एवं भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार एनडीटीएल का 9% होता है. 2. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियां जिनमें राज्य सरकारों द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बॉंडस, राज्य उर्जा संवितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉंड्स, वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम. 3. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर ए ए एवं उच्च श्रेणी के निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बॉंड भी होते है. 4. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर बीबीबी से ए+ श्रेणी के कॉर्पोरेट्स के बॉंड्स होते है. 5. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर निफ्टी /सेंसेक्स शेयर भी शामिल होते है.
डी.	निधियन स्रोतों का संकेन्द्रीकरण	बैंक द्वारा अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के निधियन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद /लिखत, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर सतत निगरानी रखकर निधियन संकेन्द्रीकरण किया जाता है ("महत्वपूर्ण" से तात्पर्य बैंक की देयताओं की 1% से अधिक राशि से है)
ई.	डेरिवेटिव एक्सपोजर्स एवं सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स	बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित होते है - 1. ओटीसी डेरिवेटिव्स ए- फॉरवड्र्स बी- करेंसी स्वैप्स सी- ब्याज दर स्वैप्स

		2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव्ज ए- करेंसी फ्यूचर बी- ब्याज दर फ्यूचर सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स तब सक्रिय होते है जब लेनदेन एक्सचेंज में होता है अथवा उनका निपटान केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है और ये गारंटीकृत होने के साथ साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स हस्ताक्षरित किया होता है. करेंसी फ्यूचर्स एवं ब्याज दर फ्यूचर के अंतर्गत बैंक, व्यापार के एक्सपोजर के लिए सम्पार्श्विक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखते है जो एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होता है. हमारे सभी अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) है. बैंक, अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स के गारंटीशुदा निपटान के लिए सीसीआईएल में सम्पार्श्विक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखता है. मार्जिन की राशि, एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होती है. जब भी कॉल आता है तब अतिरिक्त मार्जिन की राशि एक्सचेंज /सीसीडी में रखी जाती है. वर्तमान में किसी भी प्रतिपक्ष के साथ हमारा क्रेडिट सपोर्ट अनेक्स नहीं है. अत: कोई भी सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल उत्पन्न नहीं होगा.
एफ.	एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना	सम्भाव्य मुद्रा के बेमेल को रोकने के लिए एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर नजर रखी जाती है. कोई मुद्रा "महत्वपूर्ण" तब कहलाती है जब उस मुद्रा में धारित कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हो जाती है. बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा "महत्वपूर्ण" में एक्सपोजर नहीं है.
जी.	तरलता प्रबंधन केन्द्रीकरण की मात्रा एवं ग्रुप की ईकाइयों के बीच संबंध	बैंक का तरलता प्रबंधन केन्द्रीकृत है जिस पर एएलएम एवं ट्रेजरी टीम द्वारा निगरानी रखी जाती है. ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम एवं अन्य कार्यमूलक ईकाइयों में सुचारु संबंध है.
एच.	एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जो साधारणतया एलसीआर की पकड़ में नहीं आते है परंतु संस्था द्वारा इन्हें अपनी तरलता प्रोफाइल के संबंध में संगत समझा जाता है.	कोई नहीं.
आई.	अन्य सूचना	बैंक ने ₹ 2115.52 करोड़ का आईबीपीसी लेनदेन (आईबीपीसी उधारी) किया है जिसे एलसीआर गणना में घटक बनाया गया है.

10. अन्य प्रकटीकरण

बीमा व्यवसाय :

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं:

	31.03.2018		31.03.2017	
	पॉलिसियों की संख्या	**राशि (रु. करोड़ में)**	**पॉलिसियों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़ में)**
जीवन	25659	11.03	25427	6.78
गैर-जीवन बीमा	201218	10.39	244012	10.00
योग		**21.42**		**16.78**

11. दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 9

नई लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

बी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)

सुपरिभाषित अंशदान योजना :

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस):-

वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते में ₹18.06 करोड़ (पिछ्ले वर्ष 15.49 करोड़) एनपीएस को अंशदान के रूप में माना है.

सुपरिभाषित लाभ योजना :

वास्तविक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन प्रदर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1847.13	12484.08	1490.34	11153.04
ब्याज लागत	134.29	930.06	116.92	869.55
चालू सेवा लागत	69.13	87.53	50.26	86.00
गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	329.37	0	0	0
देयता अंतरण	0	0	0	0
देयता अंतरण बाह्य	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(481.16)	1271.80	369.68	1276.68
वर्ष के अंत में देयताएं	1741.56	13821.17	1847.13	12484.08
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1656.73	12420.00	1493.19	10659.96
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	120.44	925.29	129.55	958.12
अंशदान	490.40	859.08	204.15	1678.00
अन्य कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	14.57	263.51	9.91	25.11
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	2124.94	13515.58	1656.73	12420.00
मान्यता प्राप्त पर कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	495.73	(1008.29)	(359.77)	(1251.57)

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :	69.13	87.53	50.26	86.00
चालू सेवा लागत	134.29	930.06	116.92	869.55
ब्याज लागत	(120.44)	(925.29)	(129.55)	(958.12)
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	329.37	0	0	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	0	0	0	0
वास्तविक लाभ/हानि	(495.73)	1008.29	359.77	1251.57
पी एवं एल में स्वीकृत व्यय	(83.38)	1100.59	397.40	1249.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	120.44	925.29	129.55	958.12
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	14.57	263.51	9.91	25.11
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	135.01	1188.80	139.46	983.23
अनुभव समायोजन				
अनुभव के कारण सुपरिभाषित दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(511.99)	1029.93	318.59	1053.22
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	14.57	263.51	9.91	25.11

विवरण	**31.03.2018**		**31.03.2017**	
	उपदान	**पेंशन**	**उपदान**	**पेंशन**
मूल वास्तविक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	7.83	7.76	7.27	7.45
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	7.83	7.76	7.27	7.45
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00
आकर्षक दर	0.50	0.50	0.50	0.50

अन्य दीर्घावधि लाभ :

वर्ष के दौरान बैंक वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित अवकाश नकदीकरण व्यय के समक्ष ₹ 72.94 करोड़ (पिछ्ले वर्ष ₹ निरंक) का व्यय माना है.

सी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है

BUSINESS SEGMENTS										
										(Rs. In Crore)
Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	10,239.35	9,864.04	8,335.47	9,512.76	8,083.04	8,160.26	-	-	26,657.86	27,537.06
Result	940.90	2,090.30	(8,752.66)	(5,613.16)	69.78	155.14	-	-	(7,741.99)	(3,367.72)
Unallocated Expenses									153.98	161.18
Operating Profit									(7,895.97)	(3,528.90)
Income Taxes									(2,791.07)	(1,089.80)
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(5,104.90)	(2,439.10)
Other Information:										
Segment Assets	146,513.22	152,959.41	79,499.55	96,187.54	86,963.40	74,001.25	-	-	312,976.17	323,148.20
Unallocated Assets									13,249.10	10,253.74
Total Assets									326,225.27	333,401.94
Segment Liabilities	149,296.72	154,779.06	75,908.17	85,288.91	83,034.84	75,382.83	-	-	308,239.73	315,450.80
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									308,239.73	315,450.80

*जहां प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहां खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.

ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.

iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

vi) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियो के लिए पूरक का कार्य करता है.

डी) लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	**पदनाम**
i)	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री बी. के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री बी. एस. शेखावत (दिनांक 09.10.2017 से)	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां

i)	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
ii)	सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) सहयोगी

(I)	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -**
i)	सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक
ii)	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
iii)	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
(II)	इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक : (₹ लाख में)

नाम	**पदनाम**	**प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति**	
		31.03.2018	**31.03.2017**
श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.13	28.70
श्री बी. के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.70	23.11
श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक	23.54	2.58
श्री बी. एस. शेखावत (दिनांक 09.10.2017 से)	कार्यपालक निदेशक	10.93	-
डॉ. आर. सी. लोढ़ा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.42	39.54
श्री आर. के. गोयल (दिनांक 31.12.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक	-	38.94
कुल		**88.72**	**132.87**

नोट : आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18, सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण के अनुच्छेद 9 के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

ई) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	31.03.2018	**31.03.2017**
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(5104.90)	(2439.10)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1937882867	1827463465
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(26.34)	(13.35)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(26.34)	(13.35)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10	10

एफ) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹5368.03 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2018 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.00	0.00	21.24	29.45
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	0.00	0.00	586.56	516.53
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	221.49	194.11	0.00	0.00
निवेश के लिए प्रावधान	575.91	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	5213.37	2740.16	0.00	0.00
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.61
योग	**6010.77**	**2934.27**	**642.74**	**580.59**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**5368.03**	**2353.68**		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2017-18 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में शुद्ध बढ़ोत्तरी रू. 3014.35 करोड़ (पिछले वर्ष रू. 1265.40 करोड़) मानी गई.

जी) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2018 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

एच) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) **प्रावधान एवं आकस्मिकताएं** (₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.03.2018	31.03.2017
निवेश पर प्रावधान/ह्रास (शुद्ध)	794.17	394.43
एनपीए हेतु प्रावधान	10543.58	6215.97
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	6.31	(163.81)
कर हेतु किए गए प्रावधान	(2791.07)	(1089.80)
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	(950.62)	320.73
अन्य प्रावधान	235.52	(149.79)
कुल	**7837.89**	**5527.73**

(ii) **अस्थायी प्रावधान** (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	100.56	100.56
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	100.56

(iii) **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
ए	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्रीय प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	47.34

(iv) **बैंक के समक्ष दावों के लिए प्रावधानों का संचलन किन्तु कर्ज के रूप में स्वीकृत नहीं :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
प्रारंभिक शेष	1.66	1.66
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
अंतिम शेष	1.66	1.66
किसी परिणामी आउटफ्लो का समय	लागू नहीं	लागू नहीं

12. शिकायतों का विवरण

	ग्राहकों की शिकायतें (एटीएम एवं सेन्ट्रल कार्ड को छोड़कर)	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2018	31.03.2017
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	681	288
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	10558	11000
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	10585	10607
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	654	681

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	संख्या	
		31.03.2018	31.03.2017
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	निरंक	निरंक

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार.

	निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2018	31.03.2017
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	127	246
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	127	246
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	0

*जिसमें से दिनांक 15.04.2018 को 1093 शिकायतें लंबित हैं और सभी टर्न अराउंड टाइम में हैं.

एटीएम लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें			
	ग्राहक शिकायत	**31.03.2018**	**31.03.2017**
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2806	221
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	165747	134206
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	165636	131621
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2917*	2806

*जिसमें से दिनांक 15.04.2018 को 1093 शिकायतें लंबित हैं और सभी टर्न अराउंड टाइम में है.

सेन्ट्रल कार्ड लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें			
	ग्राहक शिकायत	**31.03.2018**	**31.03.2017**
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	11
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	7962	7794
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	7954	7805
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	8	0

13. दिनांक 31.03.2018 को बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2018**	**31.03.2017**
वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	1744.59	2948.85
वर्ष के दौरान परिपक्व/निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	2199.07	2971.23
समाप्त वर्ष पर बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	819.09	1273.57

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं

14. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 63.31% (गत वर्ष 58.43%).

15. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वे वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

16. अरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर:

दिनांक 31.03.2018 को आरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर ₹4310.81करोड़ हुआ था. (दिनांक 31.03.2017 को ₹ 18322.28 करोड़ था)

दिनांक 31.03.2018 को धारित प्रावधान : ₹ 03.00 करोड़ है. (दिनांक 31.03.2017 को ₹ 41.53 करोड़ था)

17. धोखाधड़ी हेतु प्रावधान:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376/डीबीआरसं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2016-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी एवं प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है : (₹ करोड़ में)

वर्ष	**रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की सं.**	**समाहित राशि**	**किया गया प्रावधान**	**अपरिशोधित प्रावधान**	**दिनांक 31.03.2018 को अपरिशोधित प्रावधान**
2017-18	209	1399.93	1399.93	निरंक	निरंक

वर्ष	**रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की सं.**	**समाहित राशि**	**किया गया प्रावधान**	**अपरिशोधित प्रावधान**	**दिनांक 31.03.2017 को अपरिशोधित प्रावधान**
2016-17	186	801.54	801.54	निरंक	निरंक

18. ऋण चूक स्वैप

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट स्वैप पर स्थिति तय नहीं की है.

19. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 17.03.2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

20. भारिबैं ने दिनांक 12 फरवरी, 2018 को जारी अपने परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.101/21.01.18/2017-18 में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु, जो एसडीआर के विद्यमान दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करता है, कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्संरचना योजना, विद्यमान दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर एवं एस4ए के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन हेतु तत्काल प्रभाव से एक संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया. संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत खातों में लाभ, जहाँ इनमें से कोई योजना लागू हैं लेकिन पूर्णतया कार्यान्वित नहीं है, को निरस्त कर दिया गया है, तदनुसार सभी खातों को, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण पर भारिबैं के वर्तमान मानदंडों के अनुसार डाउनग्रेड कर दिया गया है.

एस4ए योजना ₹ 559.18 करोड़ के बकाया शेष के साथ 6 खातों में लागू और कार्यांवित की गई. इस प्रकार दिनांक 31.03.2018 को बैंक ने ऐसे 6 एस4ए कार्यांवित उधार खातों के समक्ष ₹ 105.84 करोड़ का प्रावधान रखा है.

21. एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए एनपीए खातों के संबंध में बैंक ने दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1435 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. तत्पश्चात भारिबैं के संप्रेषण सं. बीपी.8756/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के अंतर्गत 1ली और 2री सूची में खातों में प्रावधानों के विस्तार के संबंध में बैंक ने वितरण उपलब्धता का विकल्प चुना है और जून 2018 को समाप्त तिमाही में ₹ 627.46 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रदान किया जायेगा.

22. आस्ति गुणवत्ता में विचलन एवं एनपीए के लिए प्रावधान पर प्रकटीकरण :

चूंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं तथा अतिरिक्त सकल एनपीए क्रमश: प्रकाशित कर पश्चात शुद्ध हानि एवं वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है. अत: आस्ति गुणवत्ता में विचलन एवं एनपीए के लिए प्रावधान के संबंध में भा.रि. बैं. के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18.04.2017 निम्नानुसार प्रकटीकरण किया गया है :

क्रम सं.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1.	दिनांक 31.03.2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए	27251.00
2.	दिनांक 31.03.2017 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित सकल एनपीए	28910.80
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	1659.80
4.	दिनांक 31.03.2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए शुद्ध एनपीए	14218.00
5.	दिनांक 31.03.2017 को भा.रि.बै. द्वारा आंकलित शुद्ध एनपीए	15514.80
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	1296.80
7.	दिनांक 31.03.2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	11862.00
8.	दिनांक 31.03.2017 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित एनपीए के लिए प्रावधान	12932.00
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	1070.00
10.	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(2439.10)
11.	प्रावधान में विचलन को शामिल करते हुए दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ (पीएटी)	(3138.79)

दिनांक 31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने अपने कामकाजी परिणामों के ऊपर के प्रभाव को विधिवत दर्ज किया है.

23. दो रत्न एवं आभूषण उधार समूहों, जहाँ कुछ बैंकों द्वारा धोखाधड़ी घोषित की जा चुकी है, के संबंध में हमारे बैंक ने इन खातों को एनपीए में वर्गीकृत किया है और दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 378.96 करोड़ के संपूर्ण निधि एक्सपोजर के लिए पूर्णतया प्रदान किया है.

24. सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बेचे / (खरीदे) गए प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

SECTOR →	Agri		General		Micro		S&M Farmer		Total Quantity	Total
MONTH	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	(Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)
SEPTEMBER 2017	(1,410.00)	16.63	(4,770.00)	23.79	3,287.50	(24.16)	-	-	(2,892.50)	16.25
NOVEMBER 2017	-	-	(250.00)	0.95	100.00	(0.42)	-	-	(150.00)	0.53
DECEMBER 2017	-	-	(5,150.00)	25.28	997.00	(4.98)	(2,000.00)	19.41	(6,153.00)	39.72
JANUARY 2018	-	-	(450.00)	1.30	300.00	(0.97)	-	-	(150.00)	0.33
FEBRUARY 2018	-	-	-	-	340.00	(0.89)	-	-	340.00	(0.89)
MARCH 2018	-	-	(3,300.00)	2.33	2,500.00	(2.90)	(4,700.00)	18.94	(5,500.00)	18.37
Grand Total	(1,410.00)	16.63	(13,920.00)	53.65	7,524.50	(34.33)	(6,700.00)	38.35	(14,505.50)	74.30

नोट : (-) ऋण पीएसएलसी की बिक्री का संकेत तथा (+) पीएसएलसी की खरीद का संकेत देता है.

उपरोक्त श्रेणियों के पीएसएलसी का कमिशन दर 0.06% से 1.60% है.

25. एमटीएम हानियों के विस्तार के संबंध में प्रकटीकरण

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुसार भारिबैं, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 और दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों, समान रूप से चारों तिमाहियों के बाहर उस तिमाही में जिसमें हानि हुई थी, के लिए एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियों में निवेश पर एमटीएम हानियों के लिए प्रावधानों को स्प्रेड करने का बैंकों को विकल्प दिया है. हमारे बैंक ने यह विकल्प लिया है और तदनुसार बैंक ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 और दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से संबंधित ₹ 346.21 करोड़ का मूल्यह्रास प्रभारित किया है और इसकी संगत में एमटीएम हानियों ₹ 450.82 करोड़ को आगामी वित्तीय वर्ष के आगामी तिमाहियों के ऊपर विस्तारित किया है.

26. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

(बी.एस. शेखावत) कार्यपालक निदेशक	**(पी. रमण मूर्ती)** कार्यपालक निदेशक	**(बी.के. दिवाकर)** कार्यपालक निदेशक	**(राजीव ऋषि)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**केतुल आर. पटेल** निदेशक	**एन. नित्यानंद** निदेशक	**प्रो.(डॉ.) आत्मानंद** निदेशक

कृते लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई	**कृते पाठक एच डी एंड एशोसिएट** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 107783 डब्ल्यू	**कृते एस. के. मेहता एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 000478एन	**कृते बोरकर एंड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 101569डब्ल्यू
(सीए गौरव लोढ़ा) भागीदार सदस्यता सं. 057462	**(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585	**(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**(सीए बी.एम. अगरवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2018	31- 03- 2017
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ/ (हानि)	**(7,895.97)**	**(3,528.90)**
I	**समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	260.31	257.37
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	794.17	394.42
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	9,564.62	6,215.97
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	6.31	(163.81)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	263.86	170.95
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि) (शुद्ध)	4.50	1.24
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(10.10)	(12.82)
	उप योग	**2,987.70**	**3,334.42**
II	समायोजन हेतु :		
	जमा में वृद्धि (कमी)	(1,832.33)	30,487.00
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	(3,576.33)	657.56
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(1,835.07)	(2,511.47)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(26,708.03)	34,394.85
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(11,330.90)	(3,621.76)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,807.22)	197.62
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	(293.85)	(1,090.91)
	उप योग	**(47,383.73)**	**58,512.89**
	परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**(44,396.03)**	**61,847.31**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	4.12	3.06
	अचल आस्तियों की खरीद	(314.25)	(191.53)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	10.10	12.82
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(300.03)**	**(175.65)**
सी	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	5,158.00	1,453.79
	शेयर आवेदन राशि	-	100.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**5,158.00**	**1,553.79**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2018	31- 03- 2017
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि**	**(39,538.06)**	**63,225.45**
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**75,086.76**	14,069.51
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**3,679.74**	1,471.54
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	**78,766.50**	**15,541.05**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	**35,999.91**	75,086.76
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	**3,228.53**	3,679.74
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	**39,228.44**	**78,766.50**

नोट्स:

1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.

2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

बी. एस. शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए गौरव लोढ़ा)
भागीदार
सदस्यता सं. 507462

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई, 2018

दिनांक 31.03.2018 को पिलर 3 (बासल III) प्रकटीकरण

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) **गुणात्मक प्रकटीकरण :**

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

समेकित खातों (वार्षिकत: प्रकट) में बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या निकाय समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां

बी. समेकन की लेखांकन एवं नियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसा कोई निकाय नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश (उक्त (i)ए.में दर्शाए अनुसार	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) रु. मिलियन में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) रु. मिलियन में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण प्रदान करना है.	250	13312
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	50	440
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2464	76791
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4545	181027
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	908	31511

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है: निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक

तालिका -2: पूंजी पर्याप्तता

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएं, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रैस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है, आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही बैंक ने एक परामर्शदाता एवं एक सिस्टम इंटिग्रेटोर वेंडर को नियुक्त किया है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9%	₹ 128335 मिलियन
• प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
– ब्याज दर जोखिम -	₹ 10100 मिलियन
– विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) -	₹ 41 मिलियन
– इक्विटी जोखिम -	₹ 7054 मिलियन
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	₹ 11318 मिलियन
(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात -	
• सामान्य इक्विटी टियर 1	7.01%
• टियर 1	7.01%
• कुल पूंजी अनुपात	9.04%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋण नीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते है.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ मुख्य जोखिम अधिकारी (महाप्रबंधक) हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबधंक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबधंकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

आंचलिक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समंवित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, बाजार अनुशासन एवं प्रकटीकरण नीति, अंतर्समूह लेनदेन एवं विस्तार नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति एवं बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण पोर्टफोलियो, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करेंगे. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रसंस्करण एवं निगरानी के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाएगी.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरूआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउन्टर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउन्टर पार्टी को प्रदान की जाती है. सुविधा रेटिंग मॉड्यूल भी रेटिंग टूल में ही उपलब्ध है. जहां मूल संस्था से समर्थन उपलब्ध है, रेंटिंग में यह भी एक घटक है, यदि उधारकर्ता को कोर्पोरेट गारंटी उपलब्ध है.

तालिका डीएफ - 3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

अनर्जक :

दिनांक 20.07.2012 को अपने रिपोर्ट में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिमों की संरचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने वाले कार्यरत समूह ने यह पाया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार खाते, सामान्यतया पुनर्संरचना हेतु ह्रास के रूप में व्यवहरित होते है और अनुमोदन करते है कि यही समान प्रक्रिया भारत में भी व्यवहरित की जाए. भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखतों में पहचान, गैर-पहचान, वर्गीकरण और वित्तीय लिखतों के माप के साथ-साथ ह्रास और बचाव लेखांकन की शामिल है.

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;

(ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,

(iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में

ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,

बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसल तक अतिदेय रहती हो.

(v) दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहेगी.

(vi) डेरिवेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही है यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती है.

दिनांक 12 फरवरी, 2018 को भारिबैं ने अपने परिपत्र में दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2018 की अधिनियम को ध्यान में रखते हुए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित ढांचा जारी किया है.

अनियमित:

कोई खाता तब “अनियमित” दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम - निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,

- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	**(रु. मिलियन में)**
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
• निधि आधारित*:	2881564
• गैर-निधि आधारित:	303879
• *बैंक, निवेश इत्यादि में नकद शेष सहित	
बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
• विदेशी	11018
• घरेलू	3174425

	रु. मिलियन में	**रु. मिलियन में**	**रु. मिलियन में**
सी) उद्योग का नाम	**निधि**	**गैर-निधि**	**निवेश**
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	1,963	1,434	0
ए.1 कोयला	708	1,414	0
ए.2 अन्य	1,255	21	0
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी.1 से बी.5 तक)	73,184	19,962	4,954
बी.1 चीनी	25,900	4,315	4,344
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	14,072	11,294	0.07
बी.3 चाय	2,384	34	0.67
बी.4 कॉफी	15	0	0
बी.5 अन्य	30,813	4,318	610
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	1,894	0	0
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	104	0	0
सी.2 अन्य	1,790	0	0
डी. टेक्सटाईल	64,806	16,647	2,192
डी.1 सूती	28,665	1,848	1,903
डी.2 जूट	1,373	395	0
डी.3 मानव-निर्मित, जिनमें	173	0	0
डी.4. अन्य	34,594	14,403	289
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	1,260	0	0
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	806	132	0
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	790	373	0
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	5,042	2,655	138
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	13,252	2,103	29
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	36,411	9,083	135
आई.1 उर्वरक	11,331	91	0
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	9,926	6,015	94
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	4,851	813	19

	रु. मिलियन में	रु. मिलियन में	रु. मिलियन में
सी) उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि	निवेश
आई.4 अन्य	10,303	2,164	21
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	2,336	670	0
के. कांच एवं कांच के सामान	518	8	0
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	17,223	1,945	0
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	114,088	21,652	1,951
एम.1 लोहा एवं स्टील	88,891	17,487	1,210
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	25,196	4,165	740
एन. सभी अभियात्रिंकी (एन.1 + एन.2)	75,797	52,484	552
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	34,649	1,710	207
एन.1 अन्य	41,148	50,774	344
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	9,959	6,768	157
पी. रत्न एवं आभूषण	16,753	4,479	0
क्यू. निर्माण	62,238	13,142	2,812
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	428,667	51,207	64,981
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6 तक)	96,283	5,326	9,466
आर. ए.1 रोड एवं ब्रिज	63,484	2,216	9,466
आर ए.2 बंदरगाह	6,846	600	0
आर ए.3 अंतर्देशीय जलमार्ग	1,078	0	0
आर ए.4 एयरपोर्ट	10,663	70	0
आर ए.5 रेलवे ट्रैक, टनल, सेतु, ब्रिज	14,164	2,440	0
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	48	0	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	233,031	8,585	51,766
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	116,590	7,430	0
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	6,914	0	0
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	27,733	3,739	0
बी.1.3 निजी क्षेत्र	81,943	3,691	0
बी.2 विद्युत (परिचालन)	8,744	851	0
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	2,830	851	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	5,914	0	0
बी.3 विद्युत (वितरण)	88,123	303	51,766
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	87,550	1	51,766
बी.3.3 निजी क्षेत्र	573	302	0
आर.बी.4 तेल पाइप लाईन	8,698	0	0
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	9,309	0	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	1,567	0	0
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	9,733	380	0

	रु. मिलियन में	रु. मिलियन में	रु. मिलियन में
सी) उद्योग का नाम	**निधि**	**गैर-निधि**	**निवेश**
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	800	0	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	0	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्रों	2,574	380	0
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	6,350	0	0
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	9	0	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0	0
आर.डी. सम्प्रेषण (डी.1 से डी.3)	32,309	34,738	1190
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	0	0	0
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	11,353	0	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	20,956	34,738	1190
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.9)	36,799	740	0
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	9,393	545	0
आर.ई.2 हॉस्पिटल (कैपिटल स्टॉक)	4,245	0	0
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	5,057	150	0
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	17,423	45	0
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	370	0	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	311	0	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	0	0	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	0	0	0
आर.ई. कोल्ड श्रृंखला	0	0	0
आर.एफ. अन्य,यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	20,513	1,438	3,630
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	67,373	4,654	4,45
सभी उद्योग (ए से एस तक)	993,100	209,398	79,415
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	1,033,628	42,187	0
कुल	2,026,728	251,585	79,415
कुल एक्सपोजर के 5% से अधिक वाले एक्सपोजर			
		वित्तपोषित	गैर वित्तपोषित
बुनियादी संरचना		428,667	51,207
ऊर्जा		233,031	8,585

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :	
1 दिन :	309488
02 दिनों से 07 दिनों तक:	34282
08 दिनों से 14 दिनों तक:	4975
15 दिनों से 30 दिनों तक:	69595

31 दिनों से 2 महीनों तक:	17028
2 महीनों से अधिक, परंतु 3 महीनों तक:	30379
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	76270
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	93293
1 वर्ष से अधिक, परंतु 3 वर्ष तक:	770446
3 वर्ष से अधिक, परंतु 5 वर्ष तक:	179425
5 वर्ष से अधिक :	811932
कुल	**2397115**
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -	381307
• अवमानक	114570
• संदिग्ध 1	78936
• संदिग्ध 2	133835
• संदिग्ध 3	37884
• हानि	16082
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	**173779**
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	21.48%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	11.10%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
• प्रारम्भिक शेष	272513
• परिवर्धन	170713
• कमियां	61919
• अनर्जक आस्तियां (सकल)	381307
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन	
• प्रारम्भिक शेष	118625
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	108244
• बट्टा खाता	----
• अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	30856
• इति शेष	196013
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	20845
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	16481
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास में परिवर्तन:	
• प्रारम्भिक शेष	16967
• इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	17812
• बट्टा खाता	निरंक
• अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	8148
• इति शेष	26631

तालिका डीएफ - 4 : ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.

(बी) बैंक ने सात बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि. समेरा एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है.

सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं.

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को भारिता की गणना में लिया जाएगा.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	रु. मिलियन में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
• 100% जोखिम भारिता से कम :	2271563
• 100% जोखिम भारिता	475602
• 100% जोखिम भारिता से अधिक	438279
• घटाई गई राशि - सीआरएम	130758

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;

  बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.

- बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;

  बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	रु. मिलियन में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलिया के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
• हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
• निधि आधारित	110131
• गैर-निधि आधारित	20627

तालिका डीएफ -6 : प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण: निरंक	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	**रु. मिलियन में**
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया हैं, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ -7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार दर जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है. एकीकृत ट्रेजरी नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि जटिलता नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक नियमित रूप से एलसीआर रिटर्न्स प्रस्तुत कर रही है एवं आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना भी मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (रु. मिलियन में)
ब्याज दर का जोखिम	₹10100
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹7054
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹41
योग	**रु.17195**

तालिका डीएफ -8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम “कोरडेक्स” का सदस्य भी है.

बैंक ने एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए परामर्शदाता एवं सिस्टम इंटिग्रेटर नियुक्त किया है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2018 को परिचालन जोखिम के लिए ₹11318 मिलियन पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :

1. **जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)**

   इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2. **इक्विटी का आर्थिक मूल्य:**

   इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	**रु. मिलियन में**
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	1271
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	8805

तालिका डीएफ-10 : प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है.

बैंक की बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है.

बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वाप में व्यवहार करता है. बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण	**रु. मिलियन में**
विवरण	**राशि**
(बी) संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य	441
शुद्ध लाभ	0
शुद्ध चालू साख ऋण	441
संपार्श्विक प्रतिभूति	0
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्स्पोजर	**1084**

(सी) **रु. मिलियन में**

मद	**काल्पनिक राशि**	**वर्तमान ऋण एक्सपोजर**
फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा	40528	1192
क्रास करेंसी ब्याज दर स्वैप सहित क्रास करेंसी स्वाप	3368	396
ब्याज दर संविदाएं	250	0

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन

भाग II: दिनांक 31 मार्च, 2018 से उपयोग किए जाने के लिए टेम्पलेट

दिनांक 31 मार्च, 2018 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट			संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		रु. मिलियन में	
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	26182	ए1
2	प्रतिधारित उपार्जन	-104613	
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	240857	
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0	
6	**विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी**	**162426**	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
9	अमूर्त (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
10	आस्थगित कर आस्ति	0	
11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	
14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	
15	परिभाषित - लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	0	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	0	
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स 4 (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	37438	
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट	0	

दिनांक 31 मार्च, 2018 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट			संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		**रु. मिलियन में**	
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26सी	जिसमें से: बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	
26डी	जिसमें से: अमूर्तिकृत पेंशन निधि व्यय	0	
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	
28	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु विनियामक समायोजन**	**0**	
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	**124988**	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			
30	टीयर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0	
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)		
33	अतिरिक्त टीयर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	0	बी1+बी2
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखते जो रो 5 में शामिल नहीं है) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)		
35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते		
36	विनायामक समायोजनो के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति धारिता	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति)	0	
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश		
41बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन		

दिनांक 31 मार्च, 2018 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट			संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		रु. मिलियन में	
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**0**	
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)**	**0**	
45	**टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**124988**	
टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	15000	सी3
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	14620	सी1+सी2
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0	
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0	
50	प्रावधान (मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	6718	
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी**	**36338**	
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश		
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	240	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)		
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (पात्र लघु स्थिति का शुद्ध)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश		
56बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी		
57	**टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**240**	
58	**टीयर 2 पूंजी (टी2)**	**36098**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**161086**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**1782346**	
60ए	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**	**1425949**	
60बी	**जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां**	**214923**	
60सी	**जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**	**141474**	
पूंजी अनुपात			
61	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**7.01%**	
62	**टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**7.01%**	

दिनांक 31 मार्च, 2018 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट			संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		रु. मिलियन में	
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**9.04%**	
64	**संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)**	**7.38%**	
65	**जिसमें से: पूंजी संरक्षण न बफर आवश्यकता**	**1.88%**	
66	**जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्री बफर आवश्यकता**	**0.00%**	
67	**जिसमें से: जी-एस.आईबी बफर आवश्यकता**	**0.00%**	
68	**बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	**0.00%**	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासल III से अलग हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	7.38%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	8.88%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	10.88%	
कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)			
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों की सामान्य पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश		
74	मॉरगेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)		
टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि पर लागू सीमाएं			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.		
फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)			
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.	
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	ला.न.	
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	ला.न.	
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	36550	
85	सीमा के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	21930	

तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

(राशि मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	संदर्भ
		दि. 31.03.2018 को	
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	चुकता पूंजी	26182	
	जिसमे से: सीइटी 1 हेतु पात्र राशि	26182	ए1
	जिसमे से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	बी1
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	153673	
	अल्पसंख्यक हित	0	
	कुल पूंजी	**179855**	
ii	**जमाराशियां**	**2948389**	
	जिसमे से: बैंकों से जमा	44481	
	जिसमे से: ग्राहकों से जमा	2903908	
	जिसमे से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	**उधारराशियां**	**57061**	
	जिसमे से: आरबीआई से	0	
	जिसमे से: बैंकों से	12	
	जिसमे से: अन्य संस्थाओं एव संस्थानों से	4109	
	जिसमे से: अन्य (भारत से बाहर)	0	
	जिसमे से: गौण ऋण	7700	सी1
	जिसमे से:अपर टीयर 2	28850	सी2
	जिसमे से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बासल घ्घ्घ बाण्ड्स (टीयर2)	15000	सी3
	जिसमे से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	1391	
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**76948**	
	कुल	**3262253**	
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	359999	
	बैंकों में जमा एवं मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	32285	
ii	निवेश:	1026316	
iii	ऋण एवं अग्रिम	1565422	
	जिसमे से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	2	
	जिसमे से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1565420	
iv	अचल आस्तियां	43434	
v	अन्य आस्तियां	234797	
	जिसमे से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0	
	जिसमे से: आस्थगित कर देयताएं	0	
vi	समेकन पर गुडविल		
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0	
	कुल आस्तियां	**3262253**	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	इक्विटी
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता	INE483A01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलियन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	₹ 26,182
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	ला.न.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्णत: विवेकाधिकार
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	ला.न.
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य ऋणियों, बाण्ड एवं पीएनसीपीएस
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	नहीं

श्रृंखला वर्णन	श्रृंखला. II पीडीआई
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	अपात्र
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	पूर्णत: अमान्य, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

उच्च टीयर-2 पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है

श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला I)	उच्च टीयर II (श्रृंखला II)	उच्च टीयर II (श्रृंखला III)	उच्च टीयर II (श्रृंखला IV)	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया					
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09179	INE483A09195	INE483A09203	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार						
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	1200	1140	2000	2000	4000	1200
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश						
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला I)	उच्च टीयर II (श्रृंखला II)	उच्च टीयर II (श्रृंखला III)	उच्च टीयर II (श्रृंखला IV)	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया					
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

गौण उधार पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XIII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
जारीकर्ता		
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A109187	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	1080	2000
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	10.02.2009	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	10.04.2018	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	21.12.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश		
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.35%	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XIII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

बासल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स	
	श्रृंखला I	श्रृंखला II
जारीकर्ता		
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09260	INE483A09278
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	10000	5000
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013	07.03.2017
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023	07.05.2027
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हां
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	07.05.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश		

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स	
	श्रृंखला I	श्रृंखला II
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%	8.62%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	हाँ	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	अंशत:	अंशत:
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	नहीं	नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	-	-

तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	अतिरिक्त टीयर 1	आईपीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टीयर 2	उच्च टीयर 2 बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4.	टीयर 2	गौण बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
5.	टीयर 2	बासल III कम्प्लाएंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

टेबल डीएफ-16: इक्विटीज़ - बैंकिंग बही हेतु प्रकटीकरण संबंधी दिनांक 31.03.2018 की स्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	निम्नलिखित सहित इक्विटी जोखिम के मामले में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताएं (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) : • जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है उस धारित राशि तथा पारस्परिक संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित जिन्हें व्याप्तियों के अंतर्गत लिया गया है, उनमें भिन्नता; एवं • बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन एवं लेखांकन को समाहित करते हुए महत्त्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा. इनमें मूल्यांकन के साथ साथ इनकी प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित प्रमुख मान्यताओं एवं प्रथाओं सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रविधि शामिल है.	• भरिबैं के दिशानिर्देशानुसार अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का इक्विटी में निवेश (संयुक्त उद्यम वह होता है जिसमें बैंक अपनी अनुषंगियों के साथ 25% से अधिक इक्विटी धारण करता है) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए. यह कार्यनीतिक संबंधों को बनाये रखने अथवा कार्यनीतिक व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कार्यनीतिक लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं. • निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश की खरीद की तिथि पर ही "व्यापार हेतु रखा गया" (एचटीएफ), "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) और "परिपक्व होने तक रखा गया" (एचटीएम) श्रेणियों में (इसके पश्चात "श्रेणियां" कहा जायेगा) वर्गीकृत किया गया है. उन निवेशों को जिनको बैंक परिपक्वता तक रखना चाहती है, को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं. भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखे गये इक्विटी निवेश की पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्ग़ीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और बाजार में चिन्हित नहीं किया जाता हैं. अस्थायी के अलावा, कोई भी कमी, इक्विटी निवेश के मूल्य में प्रदान की जाती है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर कोई भी हानि, लाभ और हानि विवरणी में चिन्हित किया जाता है. भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी लाभ "आरक्षित पूँजी" के लिए शुद्ध करों और सांविधिक आरक्षित निधियों के साथ विनियोजित किया जाता है.

गुणात्मक प्रकटीकरण		रुपये मिलियन में	
		बही मूल्य 31.03.2018	उचित मूल्य 31.03.2018
1	तुलनपत्र में निवेश का प्रदर्शित मूल्य और उन निवेशों का उचित मूल्य.	3590	3590
	शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना.	-	-
2	निवेशों का प्रकार एवं प्रकृति, ऐसी राशि सहित, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:	-	-
	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	-	-
	निजीतौर पर धारित	3590	3590
	भारत में संयुक्त उद्यम (सेन्ट बैंक होम फाइनैंस)	219	219
	भारत के बाहर, असोसिएट (इंडो जाम्बिया बैंक लि. में संयुक्त उद्यम)	475	475

गुणात्मक प्रकटीकरण		रुपये मिलियन में	
		बही मूल्य 31.03.2018	उचित मूल्य 31.03.2018
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2771	2771
	अनुषंगियां (सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल सर्विसेज लि.)	50	50
	कार्यनीतिक निवेश - सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	21	21
	कार्यनीतिक निवेश - आईएफसीआई	40	40
	कार्यनीतिक निवेश - अन्य वित्तीय संस्थान (आईएफसीआई, जीएसएफसी, जेकेएफसी, डब्ल्यूबीएफसी)	20	20
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	-	-
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)*	-	-
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)**	निरंक	निरंक
6	टियर I एवं/अथवा टियर II पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त की कोई राशि	-	-
7	नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा ग्रांडकादरिंग" प्रावधानों के अधीन बैंक की क्रियाविधि के साथ साथ इक्विटी निवेशों के प्रकार एवं उनकी कुल राशि के संगत इक्विटी समूहन द्वारा विक्षत पूंजीगत आवश्यकताएं.	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31.03.2018 को लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

लीवरेज अनुपात

बासल III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी गैर-जोखिम आधारित टियर 1 लेवरेज अनुपात द्वारा संपूरक होगी.

टेबल डीएफ 17 : लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना

	मद	(रु. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, कुल समेकित आस्तियां	3045865
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशों के लिए समायोजन, जिनका लेखांकन प्रयोजनार्थ समेकन किया जाता है, परंतु जो विनियामक समेकन के क्षेत्र के बाहर हैं	37527
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में प्रत्ययी आस्तियों के समायोजन को दर्शाया गया है, किंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर हैं	0
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	16656
5	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेनों (अर्थात रेपो एवं इसी तरह की रक्षित उधारी) के लिए समायोजन	229107
6	तुलनपत्र इतर मदों के लिए (अर्थात तुलनपत्र इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन) समायोजन	200214
7	अन्य समायोजन	0
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	3454315

डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण टेम्पलेट

		(रु. मिलियन में)
	तुलनपत्र एक्सपोजर	
1	तुलनपत्र मदें (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर, परंतु संपार्श्विक शामिल है)	3045865
2	(बेसल III टियर I पूंजी सुनिश्चित करने में आस्ति राशि को घटाया)	37527
3	**कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर) (मद 1 से 2 तक की राशि)**	**3008338**
	व्युत्पन्नी एक्सपोजर	
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों (अर्थात पात्र नकदी विचलन मार्जिन घटाकर)	548
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	16108
6	प्रदत्त व्युत्पन्नी संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	0
7	(व्युत्पन्नी लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियरड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक प्रतितुलन तथा वर्धित कटौतियां)	0
11	**कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (मद 4 से 10 तक की राशि)**	**16656**
	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात किए बगैर), बिक्री लेखांकन लेनदेन के लिए समायोजन के पश्चात	229107
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का देय नकदी और प्राप्य नकदी की शुद्ध राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	0
15	एजेन्ट लेनदेन एक्सपोजर	0
16	**कुल प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (मद 12 से 15 की राशि)**	**229107**
17	सकल आनुमानिक राशि पर तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	818741
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(618527)
19	**तुलनपत्र इतर मदें (मद 17 और 18 की राशि)**	**200214**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोजर	
20	टियर 1 पूंजी	126513
21	कुल एक्सपोजर (मद 3,11,16 एवं 19 की राशि)	3454315
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	**3.66%**

ए. के. चटर्जी
उप महाप्रबंधक - आरएमडी

रेवती त्यागराजन
महाप्रबंधक - आरएमडी

(बी. के. दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी. एस. शेखावत)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट **कोलकाता -700069**	**पाठक एच डी एण्ड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार 814-815, तुलसियानी चेम्बर्स, 212, नरीमन पॉइंट, **मुम्बई - 400021**
एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 504, कीर्तिमहल, 19, राजेंद्र प्लेस, **नई दिल्ली - 110008**	**बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, **मुम्बई - 400055**

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2018 को हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (''मूल बैंक''), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें ''समूह'' के रूप में संबोधित किया गया है) के लाभ अथवा हानि की हिस्सों की समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2018 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं उस वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात इन्हें '' समेकित वित्तीय विवरणियां'' से संबोधित किया गया है) शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें मूल बैंक, इसकी 2 अनुषंगियों एवं 4 एसोशिएट्स की वित्तीय विवरण समाहित है.

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह एवं इनके अनुषंगियों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों सहित निर्धारित लेखांकन नितियां तथा प्रक्रियाओं के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

1. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा ''इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके

2. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है. लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है

3. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एवं नीचे पैरा 6 में ''अन्य मामलों'' में सन्दर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित विवरणियों पर हमारे सशर्त लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं.

अभिमत

निम्नलिखित पैराग्राफ के अन्य मदों में दिए अनुसार अनुषंगियों तथा एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर, हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं :

i. समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2018 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,

ii. समेकित लाभ-हानि खातों के मामले में समूह एवं उनके एसोशिएट्स की उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि; एवं

iii. समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

अन्य मामले

(i) हमने दो अनुषंगियों की समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरणियों में दिनांक 31 मार्च, 2018 को कुल आस्तियां रु.1375.29 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.156.64 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह रु. 9.80 करोड़ दर्शाया गया है एवं दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दो एसोशिएट्स ने रु. 54.44 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है.

ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित है जिनका रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं हमारा मत पूर्णत: अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है.

(ii) एक एशोशिएट्स उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में, रु. 1.07 करोड़ का लाभ का हिस्सा प्रबंधन द्वारा दिए अनुसार अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत है कि जहां तक इस राशि का संबंध है यह अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर इस एशोसिएट्स के मामले में शामिल है.

(iii) एक एशोसिएट्स इंडो जाम्बिया बैंक लि. के मामले में, जिनकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त कैलेन्डर वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त नौ माह का लाभ हिस्सा लिया गया है एवं प्रबंधन द्वारा दिए अनुसार अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही का लाभ हिस्सा लिया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत है कि जहां तक इस लाभ के हिस्से रु. 15.33 करोड़ का संबंध है यह दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इस एशोसिएट्स के मामले में शामिल है.

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारे मत में परिवर्तन नहीं होगा.

कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई **(सीए एच. के. वर्मा)** भागीदार सदस्यता सं. 055104	**कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू **(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585
कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन **(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू **(सीए बी. एम. अग्रवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2018 को ₹	31 मार्च 2017 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**26,181,558**	19,021,710
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**155,923,052**	156,262,574
अल्पसंख्यक ब्याज	2A	**398,088**	346,226
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		**-**	6,830,000
जमा राशियां	3	**2,953,544,875**	2,973,092,266
उधार राशियां	4	**60,256,819**	96,233,038
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**77,188,594**	95,163,415
कुल		**3,273,492,986**	**3,346,949,229**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	**360,001,196**	750,871,801
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	**32,622,898**	37,077,881
निवेश	8	**1,027,694,647**	922,765,612
ऋण एवं अग्रिम	9	**1,574,795,266**	1,404,639,642
अचल आस्तियां	10	**43,439,644**	42,910,404
अन्य आस्तियां	11	**234,850,439**	188,594,993
समेकन पर गुडविल		**88,896**	88,896
कुल		**3,273,492,986**	**3,346,949,229**
आकस्मिक देयताएं	12	**1,194,026,626**	833,678,266
संग्रहण हेतु बिल		**144,860,670**	91,689,353
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची समेकित तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

बी. एस. शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तपन रे
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए एच. के. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

	विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	**241,631,164**	247,749,599
	अन्य आय	14	**26,204,076**	28,711,585
	कुल		**267,835,240**	**276,461,184**
II.	**व्यय**			
	प्रदत्त ब्याज	15	**176,033,211**	181,664,503
	परिचालन व्यय	16	**64,254,697**	63,782,732
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		**78,499,996**	55,426,865
	कुल		**318,787,904**	**300,874,100**
III.	**लाभ/(हानि)**			
	अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद के पूर्व, वर्ष का मूल एवं अनुषंगियों का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		**(50,952,664)**	(24,412,916)
	घटायें:पूर्वावधि मद		**(3,043)**	(5,865)
	घटायें:अल्पांश ब्याज		**(59,936)**	(25,806)
	अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद को घटाने के पश्चात, वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		**(51,015,643)**	(24,444,587)
	जोड़े: एसोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		**(380,386)**	(149,023)
	समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		**(51,396,029)**	(24,593,610)
	जोड़े: समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)		**(50,885,164)**	(22,369,074)
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**(102,281,193)**	**(46,962,684)**
IV.	**विनियोजन**			
	को अंतरित :			
	सांवधिक आरक्षित		-	-
	निवेश आरक्षित		**918,685**	3,837,383
	राजस्व आरक्षित		**24,286**	12,081
	लाभांश पर कर		**6,555**	5,711
	विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		**57,146**	38,322
	एनएचबी के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट निधियों पर डीटीएल का विनियोजन		-	27,212
	सीएसआर आरक्षित		-	1,771
	तुलन पत्र में लाया गया शेष		**(103,287,865)**	(50,885,164)
	कुल		**(102,281,193)**	**(46,962,684)**
	प्रति शेयर आय (रु. में)- मूल (सामान्य मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)		**(26.52)**	**(13.46)**
प्रति शेयर आय (₹ में)- डाल्यूटेड (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)			**(26.52)**	(13.46)
विशेष लेखांकन नीतियां		17		
लेखा की टिप्पणियां		18		

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

बी. एस. शेखावत कार्यपालक निदेशक	**पी. रमण मूर्ती** कार्यपालक निदेशक	**बी.के. दिवाकर** कार्यपालक निदेशक	**राजीव ऋषि** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**तपन रे** अध्यक्ष
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**केतुल आर. पटेल** निदेशक	**एन. नित्यानंद** निदेशक	**प्रो. (डॉ.) आत्मानंद** निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई **(सीए एच. के. वर्मा)** भागीदार सदस्यता सं. 055104	**कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू **(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585	**कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन **(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू **(सीए बी. एम. अग्रवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		**50,000,000**		50,000,000
प्रत्येक ₹10/- के 500,00,00,000 शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी	**26,181,558**		19,021,710	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- के 2618155800 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1902170964 इक्विटी शेयर)(सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹10/- के 2262123970 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 154613979 इक्विटी शेयर)				
कुल		**26,181,558**		**19,021,710**

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**20,759,131**		20,759,131	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		20,759,131		**20,759,131**
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**32,053,778**		32,923,456	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	-		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**(751,349)**		(869,678)	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		31,302,429		**32,053,778**
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**10,172,698**		6,335,315	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**918,685**		3,837,383	
		11,091,383		10,172,698
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**118,658,639**		100,895,300	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**51,250,152**		17,763,339	
		169,908,791		118,658,639
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**24,329,723**		23,148,989	
जोड़ः पूंजी राजस्व से अंतरण	**751,349**		869,678	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**24,286**		405,145	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**(187,090)**		-	
(*) घटाएं: आरम्भिक शेष समायोजन	-		(94,089)	
		24,918,268		24,329,723
V धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष राजस्व		**1,230,915**		1,173,769
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		**(103,287,865)**		(50,885,164)
कुल		**155,923,052**		**156,262,574**

(*) यह समायोजन मुख्यत: क्षे.ग्रा.बैं. के पिछले लेखापरीक्षित परिणामों में परिवर्तन होने के कारण किया गया. पिछले वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियां, ऐसे क्षे.ग्रा.बैं. के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किया गया था.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 2 ए : अल्पसंख्यक ब्याज				
अल्पसंख्यक ब्याज उस दिनांक को जब मुख्य/अनुषंगी संबंध स्थापित हुआ	24,500		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि/कमी	373,588		321,726	
तुलन पत्र के दिनांक को अल्पसंख्यक ब्याज		**398,088**		**346,226**
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	**4,303,783**		3,970,883	
ii) अन्य से	**142,478,002**		127,996,864	
		146,781,785		131,967,747
II. बचत बैंक जमाराशियां		**1,105,092,892**		1,031,024,978
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	**42,306,308**		55,791,734	
ii) अन्य से	**1,659,363,890**		1,754,307,807	
		1,701,670,198		1,810,099,541
कुल		**2,953,544,875**		**2,973,092,266**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**2,953,544,875**		2,973,092,266
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशि				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	-		110,053	
ii) अन्य बैंक	2,907,191		32,039,249	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	4,108,628		6,961,736	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	8,000,000		11,881,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	28,850,000		28,850,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	1,391,000		1,391,000	
vi) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	15,000,000		15,000,000	
		60,256,819		96,233,038
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		-
कुल		**60,256,819**		**96,233,038**
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	**6,918,635**		7,502,369	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**5,526,439**		-	
III. उपचित ब्याज	**7,760,143**		8,103,468	
IV. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	**56,983,377**	**77,188,594**	79,557,578	95,163,415
कुल		77,188,594		**95,163,415**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		**15,056,892**		17,698,362
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	135,944,304		126,173,439	
अन्य खातों में	209,000,000		607,000,000	
		344,944,304		733,173,439
कुल		**360,001,196**		**750,871,801**
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	**1,147,268**		1,566,022	
बी) अन्य जमा खातों में	**350,455**	**1,497,723**	**285,627**	**1,851,649**
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	**20,107,348**		34,999,852	
		21,605,071		**36,851,501**
कुल.... I		**21,605,071**		**36,851,501**
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	-		226,380	
बी) अन्य जमा खातों में	**68,427**		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	**10,949,400**		-	
कुल.... II		**1,017,827**		226,380
कुल..... (I और II)		**32,622,898**		**37,077,881**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश : *				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	**813,468,949**		741,004,932	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	**12,611,655**		13,570,132	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	**142,205,198**		103,512,402	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	**3,244,310**		3,777,972	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि	54,828,052		59,644,045	
		1,026,358,164		921,509,483
II. भारत के बाहर निवेश **	-		-	
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) एशोसिएट्स में निवेश	**1,336,483**		**1,256,129**	
		1,336,483		**1,256,129**
कुल		**1,027,694,647**		922,765,612
* भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	**1,052,988,662**		938,476,113	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**26,630,498**		**16,966,630**	
शुद्ध निवेश		**1,026,358,164**		921,509,483
** भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	**1,336,483**		1,256,129	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-		-	**1,256,129**
शुद्ध निवेश		**1,336,483**		**1,256,129**
कुल		**1,027,694,647**		**922,765,612**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	**12,108,770**		16,294,564	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	**706,785,403**		660,396,248	
iii) मीयादी ऋण	**855,901,093**	**1,574,795,266**	727,948,830	1,404,639,642
कुल		**1,574,795,266**		**1,404,639,642**
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	**1,473,979,953**		1,309,498,353	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	**4,163,297**		2,640,519	
iii) अरक्षित	**96,652,016**	**1,574,795,266**	92,500,770	1,404,639,642
कुल		**1,574,795,266**		**1,404,639,642**
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**796,105,458**		705,310,065	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**43,919,258**		47,756,724	
iii) बैंक	**1,643**		9,461	
iv) अन्य	**734,768,907**	**1,574,795,266**	651,563,392	1,404,639,642
कुल		**1,574,795,266**		**1,404,639,642**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. **परिसर**				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**40,128,537**		40,106,596	
वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)	**199,464**		21,941	
कुल	**40,328,001**		**40,128,537**	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	-		-	
कुल	**40,328,001**		40,128,537	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	**6,785,203**		**5,940,880**	
कुल.... I		**33,542,798**		**34,187,657**
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**26,373,484**		24,716,664	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**3,489,485**		**2,480,698**	
कुल	**29,862,969**		**27,197,362**	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	**(771,191)**		**(823,878)**	
कुल	**29,091,778**		26,373,484	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	**19,194,932**		**17,650,737**	
कुल.... II		**9,896,846**		**8,722,747**
कुल.... (I + II)		**43,439,644**		**42,910,404**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	**16,833,027**		14,945,208	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	**53,502,038**		52,821,130	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	**199,846**		179,363	
IV. आस्थगित कर आस्तियां	**53,575,850**		23,443,616	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध).	-		3,061,561	
VI. अन्य	**110,739,678**		94,144,115	
		234,850,439		188,594,993
कुल		**234,850,439**		**188,594,993**

अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं

I. (ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है		**1,106,450**		1,093,047
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		**29,842,036**		33,024,359
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		**76,140**		139,225
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		**928,313,329**		547,105,565
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	**104,410,635**		107,887,762	
बी) भारत के बाहर	**2,839,496**		3,852,663	
		107,250,131		111,740,425
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		**123,009,267**		137,965,386
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		**4,429,273**		2,610,259
कुल		**1,194,026,626**		**833,678,266**

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	**146,009,458**	163,917,064
II. निवेशों पर आय	**71,427,065**	73,767,956
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	**20,585,442**	6,388,242
IV. अन्य	**3,609,199**	3,676,337
कुल	**241,631,164**	**247,749,599**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**12,657,307**	9,323,573
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	**5,766,755**	15,416,557
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	**1,409,054**	1,690,688
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	**(44,917)**	(12,412)
V. भारत/विदेशों में स्थित अनुषंगियों एवं सहयोगियों से लाभांश के रूप में अर्जित आय	**-**	-
VI. विविध आय	**6,415,877**	2,293,179
कुल	**26,204,076**	**28,711,585**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाओं पर ब्याज	**162,207,541**	173,272,028
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	**911,046**	843,086
III. अन्य	**12,914,624**	7,549,389
कुल	**176,033,211**	**181,664,503**
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**39,900,472**	42,212,011
II. किराया, कर एवं बिजली	**4,766,150**	4,479,501
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	**363,888**	438,870
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	**241,820**	333,911
V. बैंक की संपत्त्ति पर मूल्यहास	**2,604,989**	2,576,928
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**13,930**	11,519
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**201,056**	302,344
VIII. विधि प्रभार	**186,076**	216,489
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	**665,475**	471,712
X. मरम्मत एवं रखरखाव	**1,133,762**	1,208,221
XI. बट्टाकृत अशोध्य ऋण	**731**	5,130
XII. बीमा	**3,572,072**	3,253,827
XIII. अन्य व्यय	**10,604,276**	8,272,269
कुल	**64,254,697**	**63,782,732**

अनुसूची 17 - समेकित खातों की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. ए) तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं. एवं सभी तात्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान (जहां लागू हों) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) अनुदेश 2010, कंपनी अधिनियम 2013, के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं.

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं. आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो.

2. समेकन प्रकिया

2.1 समूह **(2 अनुषंगियों एवं 4 असोशिएट्स के साथ** [3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित]) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंत:समूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

सी. असोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए निकाला गया है तथा जहां समायोजन करना आवश्यक हुआ है, समायोजन करने के पश्चात मूल बैंक की एकरूप लेखांकन नीतियों के समनरूप. इंडो जाम्बिया बैंक लिमि टेड, एक असोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं. इन असोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समकित विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं

डी. असोशिएट्स अर्थात इंडो जांबिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है. यदि असोशिएट्स का लेखांकन वर्ष अगर मूल बैंक से भिन्न होने के मामलों में, लेखापरीक्षित अवधि के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का आनुपातिक हिस्सा लिया जाय एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का हिस्सा लिया जाय.

ई. यह समेकित वित्तीय विवरण, लेनदेन एवं समान तथ्यों के अन्य मामलों के लिए उपयोग की जा रही एकल लेखांकन नीतियों पर तैयार किया गया है तथा अन्य विवरणों को छोड़कर कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार समान रीति में यथासम्भव प्रस्तुत किया गया है.

2.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी हितों में निम्न शामिल है

i. अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनॉरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि, एवं

ii. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में संचलन.

3. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

3.1 लेनदेनों को प्रारम्भ में पिछली तिथि की समाप्ति दर पर दर्ज किया जाता है.

3.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3.3 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

3.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

3.5 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

4. निवेश :

(ए) मूल बैंक :

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "व्यापार हेतु धारित" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

i. सरकारी प्रतिभूतियां

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

iii. शेयर्स

iv डिबेंचर्स एवं बॉण्डस्

v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं

vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स इत्यादि).

4.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है. अनुषंगी एवं सहयोगीमें निवेश को भी "परिपक्वता तक धारित" के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाता है.

ii) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

4.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

इस श्रेणी में वर्गीकृत प्रतिभूतियों का तीन श्रेणियों के बीच अंतरण / परिवर्तन को अंतरण दिनांक को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य में से जो भी कम हो, पर लेखागत किया जाता है ऐसे अंतर में यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

4.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/ भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत : (पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुन: क्रय मूल्य पर या शुद्धआस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए ₹1/-
ix)	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एसबी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, को गणना में नहीं लिया गया है.

4.5 लागत निर्धारण :

i) निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.

ii) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.

iii) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

4.6 आय निर्धारण :

i. निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि “परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि “पूंजी प्रारक्षित निधि” में विनियोजित की गयी है.

ii. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

iii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.

iv प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है.

4.7 रेपो/रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ):

भारिबैं के साथ एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अंतर्गत सहमत शर्तों पर बेची/खरीदी गई प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद/पुनर्विक्रय के अनुबंध को उधार/ऋण के रूप में मान्य किया जाता है.

(बी) अनुषंगियां

4.8 अनुषंगियों के मामलों में, निवेशों को चालू एवं गैर चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेश निम्न लागत अथवा बाजार मूल्य पर किए जाते हैं एवं गैर चालू निवेश लागत पर किए जाते है. यदि मूल्य में ह्रास स्थायी प्रकृति की है तो ह्रास के लिए प्रावधान, यदि है तो गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है.

5. डेरिवेटिव्ज :

5.1 वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i. ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

5.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है:

i) एमसीएक्स - एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दौनिक आधार पर बजार हेतु चिन्हित किया जाता है.

ii) एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए.

iii) बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते है. किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है.

iv) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है.

6. अग्रिम :

6.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.

6.2 गैर-निष्पादक आस्तियों में आंशिक वसूली, सर्वप्रथम मूल राशि के साथ और उसके पश्चात ब्याज राशि में विनियोजित की जाती है. तथापि, किसी भी उधार खाते को पूर्व की तारीख से गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है तो, उस समय खाते में की गई कोई भी वसूली को सर्वप्रथम ऋण एवं अग्रिम के ब्याज अर्थात दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए), कर्ज की रणनीतिक संरचना, दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना (5/25), उधार ईकाइयों के स्वामित्व का परिवर्तन (बाह्य रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना) में जमा किया जायेगा जब तक खाता मानक के रूप में वर्गीकृत था.

6.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएसआई) / निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

6.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं.

6.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

i) यदि प्रतिभूतिकरण कम्पनी (एससी) / आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.

ii) यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

iii) यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वितीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6.6 सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, ऋणों एवं अगिमों पर प्रावधान, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

6.7 सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) जहां ब्याज की गणना वसूली होने पर की जाती है, ऐसे मामले को छोड़कर ब्याज आय उपचय आधार पर मानी जाती है. ऋणों में, मूलधन एवं ब्याज सहित चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त की जाती है. ब्याज की गणना माह के आरम्भ में बकाया शेष के आधार पर की जाती है. संपूर्ण ऋण संवितरित होने के पश्चात ईएमआई शुरू होती है. ईएमआई का आरम्भ होना लम्बित रहने पर, प्री-ईएमआई मासिक ब्याज वसूल किया जाता है. एनपीए के मामले में वसूली होने पर पहले बकाया ईएमआई के ब्याज अंश को वसूल किया जाता है एवं इसके पश्चात बकाया ईएमआई के मूलधन अंश को वसूल किया जाता है.

7. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :

(ए) मूल बैंक

7.1 अचल आस्तियों का मूल्यह्रास "मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i.	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii.	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii.	वाहन	20%
iv	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v.	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

7.2 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

7.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यह्रास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

7.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यह्रास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यह्रास / परिशोधन को "पुनर्मुल्यांकन प्रारक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियाँ" में जमा किया गया है.

7.5 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

(बी) अनुषंगियां

7.6 अनुषंगियों के मामलों में, सेन्टबैंक फाइनैंसशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले को छोड़ कर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी, 2013 के अनुसूची II में निर्धारित दरों के अधार पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है, अमूर्त आस्तियों पर प्रबंधन एवं परिशोधन के अनुसार निर्धारित 5 वर्ष की आस्तियों की उपयोगिता काल परिशोधित है.

8. कर्मचारी लाभ :

8.1 कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.

8.2 परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधारपर वर्षके अंत में किया गया है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

8.3 सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि., एक अनुषंगी के मामले में ग्रेच्युइटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में कम्पनी का योगदान सरकारी भविष्य निधि द्वारा किया जाता है एवं लाभ-हानि के विवरणियों में प्रभारित किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में कर्मचारियों के शेष अर्जित अवकाश के आधार पर गणना की जाती है.

9. आय एवं व्यय की पहचान :

9.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यत: उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

9.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.

9.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता हैं.

9.4 सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर आय का निर्धारण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता हैं.

9.5 सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, फीस एवं अन्य प्रभारों जैसे लॉगिन फीस, अतिदेय पर दंडस्वरूप ब्याज, पूर्वभुगतान प्रभार इत्यादि से प्राप्त आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है.

9.6 सेन्टबैंक फैनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, निर्वाहक ट्रस्टी व्यवसाय के संबंधों में आय, ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन होने पर प्राप्त की जाती है. डिवेंचर एवं प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से प्राप्त राजस्व आवधिक आधार पर निर्धारित की जाती है एवं वाद दखिल और/अथवा बीआईएफआर कम्पनियों के डिवेंचर ट्रस्टीशिप व्यवसाय से होने वाले आय जिसमें प्राप्य आधार पर गणना की जाती है, को छोड़कर उपचय आधार पर गणना की जाती है.

10. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पश्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों केा भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

11. प्रति शेयर आय:

बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति शेयर की गणना ईक्विटि शेयरधारक को पात्र अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ/हानि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बकाया शेष शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है.

12. विविध अनाबंटित आय एवं प्राप्त राशियां

सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लि., एक अनुषंगी के मामले में, जिन लाभार्थियों का विवरण प्राप्त न किया जा सके उन लाभार्थी की प्राप्त राशियों को सांकेतिक खाते के "विक्रिव्य लेनदार अदावाकृत लाभांश/ब्याज एवं अनाबंटित मोचन पर अदावाकृत प्राप्त राशि" में जमा की जाती है. भुगतानकर्ता से जैसे ही लाभार्थी के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं उस राशि को लाभार्थी के संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

13. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है.

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

बी. एस. शेखावत कार्यपालक निदेशक	**पी. रमण मूर्ती** कार्यपालक निदेशक	**बी.के. दिवाकर** कार्यपालक निदेशक	**राजीव ऋषि** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**तपन रे** अध्यक्ष
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**केतुल आर. पटेल** निदेशक	**एन. नित्यानंद** निदेशक	**प्रो. (डॉ.) आत्मानंद** निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई	**कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू	**कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन	**कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू
(सीए एच. के. वर्मा) भागीदार सदस्यता सं. 055104	**(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585	**(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**(सीए बी. एम. अग्रवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

अनुसूची 18 : समेकित लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं एसोशिएट्स

समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ (जिन्हें सम्मिलित रूप से "दि ग्रुप" के संदर्भित किया गया है) एवं 4 एसोशिएट, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड शामिल है, के लाभ/हानि शेयर का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/एसोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2018 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2018 को स्वामित्व हित
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (एसोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2 अनुषंगियां तथा एसोसिएट जो समेकित में उपयोग किए गए हैं, को उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई हैं अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2018 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. तदापि, लाभ की राशि दिनांक 31.12.017 को समाप्त 9 माह की दिनांक 31.12.2017 को समाप्त कैलेण्डर वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीत विवरणियों के आधार पर ली गई है एवं दिनांक 31.03.2018 को समाप्त 3 माह के लिए लाभ की राशि अलेखापरीक्षित वित्तीत विवरणियों के आधार पर ली गई है, जिसे प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया है. इंडो झाम्बिया बैंक की वित्तीय विवरणी स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाए गए लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किए गए हैं. प्रबंधन के अभिमत का प्रभाव कोई खास नहीं है.

1.3 एसोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ / हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा/ घटाया गया है.

1.4 अनुषंगी, अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि प्राप्त जमाएं/ देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है. इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.

1.5 अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अनुषंगियों और एसोशिएट की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा, एक एसोशिएट उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर, की जा चुकी है, कूचबिहार जो कि अलेखापरीक्षित है, प्रबंधतंत्र द्वारा प्रमाणित की गई है.

2. समेकित वित्तीय विवरणी बनाने में, जहाँ कहीं अनुषंगियों तथा एसोशिएट द्वारा एक ही प्रकार के लेन देन के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं, जैसे कि, प्रबंधन के विचार से यह कोई बड़ी बात नहीं है, समायोजन नहीं किए गए.

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2018 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹2618.16 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹1902.17 करोड़ थी. यह वृद्धि तीन आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 715984791 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 18.08.2017 को भारत सरकार को ₹94.15 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 9601536 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए..

बी. दिनांक 31.03.2017 को भारत सरकार द्वारा ₹ 10.00 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5830 नवोन्मेष बेमियादी कर्ज लिखतों (आईपीडीआई) के विलोपन से प्राप्त ₹ 583.00 करोड़ की शेयर आवेदन राशि के समक्ष दिनांक 16.11.2017 को ₹ 94.15 के प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 55976956 के इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए गए.

सी. दिनांक 27.03.2018 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 73.15 के प्रीमियम पर प्रति ₹ 10/- के 38845460 के इक्विटी शेयर और ₹ 69.06 के प्रीमियम पर प्रति ₹ 10/- के 611560839 के इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

3.1.2 बैंक ने शेयर पूंजी के लिए दिनांक 31.03.2017 को भारत सरकार से ₹ 100.00 करोड़ प्राप्त किया है. लंबित शेयर आबंटन के सापेक्ष, यह राशि शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के अंतर्गत दिखाई गयी है.

3.1.3 भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10.00 लाख के अंकित मूल्य के 5830 नवोन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत के उन्मूलन से की गई ₹ 583.00 करोड़ की उगाही को शेयरों के शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन खाता में रखा गया है.

3.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन नियमित रूप से किया जा रहा है. हालाँकि कुछ प्रविष्टियाँ प्रगति पर है :

- अंतर शाखा कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- उचंत खाते
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते
- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डाटा/सिस्टम अध्यतन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3.3 आय कर / आस्थगित कर :

3.3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 2979.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3298.14 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयो के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

3.4 परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसर जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन थी निरंक है. (पिछले वर्ष 1.63 करोड़)

बैंक द्वारा लीज पर प्राप्त परिसरों की परिसम्पत्तियाँ ₹ 0.64 करोड़ (पिछले वर्ष 0.64 करोड़) शामिल है, जिसके लिए पंजीकरण की औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन थी.

ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यह्रास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 75.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 86.97 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यह्रास की राशि को "पुनर्मुल्यांकन प्रारक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियाँ" में जमा किया गया है.

3.5 अग्रिम / प्रावधान :

3.5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

3.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

3.5.3 अनार्जक आस्तियों के लिए अस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन का प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारिबैं द्वारा अनुमानित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं एवं अतिरिक्त सकल एनपीए क्रमश: प्रकाशित कर पश्चात शुद्ध हानि एवं वृद्धिगत सकल एनपीए के 15% से अधिक है, यह निम्नलिखित प्रकटीकरण आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन से संबंधी भारिबैं की परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18.04.2017 के अनुसार बनाई गई है.

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	27251.00
2.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	28910.80
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	1659.80
4.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को शुद्ध एनपीए	14218.00
5.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार 31 मार्च, 2017 को शुद्ध एनपीए	15514.80
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (2-1)	1296.80
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	11862.00
8.	भारिबैंक के निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	12932.00
9.	प्रावधानों में विचलन (8-7)	1070.00
10.	दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(2439.10)
11.	प्रावधानों में विचलन की गणना करने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) समायोजित (काल्पनिक)	(3138.79)

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक, उपरोक्त को इसके कार्यशील परिणामों के प्रभावों को विधिवत अभिलेखित करती है.

3.6 आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 0.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.12. करोड़) से दण्डित किया है.

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

4.1 लेखांकन मानक - 9 राजस्व पहचान

मूल लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के क्रम 9 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

4.2 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)- कर्मचारी लाभ

4.2.1 कर्मचारी लाभ :

i) सुपरिभाषित अंशदान योजना

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) :

वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ एवं हानि खाते में ₹ 18.06 करोड़ (पिछले वर्ष 15.49 करोड़) एनपीएस को अंशदान के रूप में माना है.

ii) सुपरिभाषित लाभ योजना :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन पर्दर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	1847.13	12484.08	1490.34	11153.04
ब्याज लागत	134.29	930.06	116.92	869.55
चालू सेवा लागत	69.13	87.53	50.26	86.00
गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	329.37	0	0	0
देयता अंतरण	0	0	0	0
देयता अंतरण बाह्य	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(481.16)	1271.80	369.68	1276.68
वर्ष के अंत में देयताएं	1741.56	13821.17	1847.13	12484.08
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	1656.73	12420.00	1493.19	10659.96
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	120.44	925.29	129.55	958.12
अंशदान	490.40	859.08	204.15	1678.00
अन्य कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
कंपनी से अंतरण	0	0	0	0
प्रदत्त लाभ	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	14.57	263.51	9.91	25.11
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	2124.94	13515.58	1656.73	12420.00
मान्यता प्राप्त पर कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	495.73	(1008.29)	(359.77)	(1251.57)

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय :	69.13	87.53	50.26	86.00
चालू सेवा लागत	134.29	930.06	116.92	869.55
ब्याज लागत	(120.44)	(925.29)	(129.55)	(958.12)
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	0	0	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	329.37	0	0	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	0	0	0	0
वास्तविक लाभ/हानि	(495.73)	1008.29	359.77	1251.57
पी एवं एल में स्वीकृत व्यय	(83.38)	1100.59	397.40	1249.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	120.44	925.29	129.55	958.12
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	14.57	263.51	9.91	25.11
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	135.01	1188.80	139.46	983.23
अनुभव समायोजन				
अनुभव के कारण सुपरिभाषित दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(511.99)	1029.93	318.59	1053.22
अनुभव के कारण योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	14.57	263.51	9.91	25.11

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
मूल वास्तविक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	7.83	7.76	7.27	7.45
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	7.83	7.76	7.27	7.45
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00
आकर्षक दर	0.50	0.50	0.50	0.50

अन्य दीर्घावधि लाभ :

वर्ष के दौरान बैंक वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित अवकाश नकदीकरण व्यय के समक्ष ₹ 72.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ निरंक) का व्यय माना है.

4.2.2 सेन्ट बैंक होम फाइनांस लि., अनुषंगी, पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी कवर प्रदान करती है. अपने देयता की निधियों के लिए, कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ले रखी है, अपने कर्मचारियों की संचित ग्रेच्युइटी देयता का कवर एवं इस पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान लाभ एवं हानि खाते से किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता हेतु प्रावधान की गणना, दिनांक 31 मार्च, 2018 को कर्मचारियों की सावधि अवकाश के शेष पर की जाती है. दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए यही दिया गया है.

4.3 लेखांकन मानक 17 - समूह का खंडवार रिपोर्ट

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	10,239.35	9,864.04	8,335.47	9,512.76	8,204.57	8,265.94	4.14	3.38	26,783.52	27,646.12
Result	940.90	2,090.30	(8,752.66)	(5,613.16)	50.00	144.94	1.85	1.11	(7,759.91)	(3,376.81)
Unallocated Expenses									159.98	163.76
Operating Profit / (Loss)									(7,919.89)	(3,540.57)
Income Taxes									2,780.29	1,081.21
Extraordinary profit/(loss)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit / (Loss)									(5,139.60)	(2,459.36)
Other Information:										
Segment Assets	146,513.22	152,959.41	79,499.55	96,187.54	88,069.90	75,293.37	17.53	0.86	314,100.20	324,441.18
Unallocated Assets									13,249.10	10,253.74
Total Assets									327,349.30	334,694.92
Segment Liabilities	149,296.72	154,779.06	75,908.17	85,288.91	83,927.32	76,408.34	6.63	7.18	309,138.84	316,483.49
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									309,138.84	316,483.49

i) जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहाँ खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है.

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

iii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iv) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है.

v) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

vi) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

vii) रिटेल बैंकिंग खंड प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, इनके द्वारा लिए गए निधियों हेतु रिटेल बैंकिंग खंड की क्षतिपूर्ति करती है, जिसे इनके द्वारा अर्जित जमाओं की औसत लागत माना गया है.

viii) लागत का आबंटन :

ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है.

4.4 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टी

1 संबद्ध पार्टियों की सूची

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	**पदनाम**
i)	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री बी.एस. शेखावत (दिनांक 09.10.2017 से)	कार्यपालक निदेशक

(बी) एसोशिएट्स -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - -

i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा, म.प्र.

ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, बिहार

iii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल

(II) इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड,

2. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक : (₹ लाख में)

नाम	**पदनाम**	**प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति**	
		31.03.2018	**31.03.2017**
श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.13	28.70
श्री बी. के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.70	23.11
श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक	23.54	2.58
श्री बी. एस. शेखावत (दिनांक 09.10.2017 से)	कार्यपालक निदेशक	10.93	-
डॉ. आर.सी. लोढ़ा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक	0.42	39.54
श्री आर. के. गोयल (दिनांक 31.12.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक	-	38.94
कुल		**88.72**	**132.87**

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18, सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण के अनुच्छेद 9 के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

4.5 लेखांकन मानक 20 - समूह का प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.3.2018	31.3.2017
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	(5139.60)	(2459.36)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1937882867	1827463465
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(26.52)	(13.46)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(26.52)	(13.46)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

4.6 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2018 को ₹5368.03 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं.

दिनांक 31 मार्च, 2018 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
मूल बैंक				
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.00	0.00	21.24	29.45
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	0.00	0.00	86.56	516.53
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	221.49	194.11	0.00	0.00
निवेश के लिए प्रावधान	575.91	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	5213.37	2740.16	0.00	0.00
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.61
सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.				
अग्रिमों पर प्रावधान	4.71	4.30	0.00	0.00
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.03	0.02	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00	2.13	2.65
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	13.62	11.64
सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (शुद्ध)	**0.57**	**0.65**	**0.00**	**0.00**
योग	**6016.08**	**2939.24**	**658.49**	**594.88**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**5357.59**	**2344.36**		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2017-18 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में शुद्ध बढ़ोत्तरी रू. 3013.23 करोड़ (पिछले वर्ष रू. 1264.40 करोड़) मानी गई.

4.7 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2018 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

5. अन्य प्रकटीकरण

5.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सेन्ट बैंक होम फायनेन्स, अनुषंगी ने कंपनी अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अंतर्गत धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए ₹ 0.33 करोड़ खर्च किए.

5.2 पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 63.31% (गत वर्ष 58.43%).

5.3 सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी, शेयर्स, प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों की प्रकृति में अपने ग्राहक के पक्ष में न्यासी लाभार्थी संबंध में प्रत्ययी के रूप में निवेश करता है, जोकि निदेशक मंडल की दृष्टि में पर्याप्त सुरक्षित है एवं उचित अभिलेखित है एवं इस प्रत्ययी संबंध से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निवर्हन किया जाता है.

5.4 भारिबैं ने दिनांक 12 फरवरी, 2018 को जारी अपने परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.101/21.01.18/2017-18 में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु, जो एसडीआर के विद्यमान दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करता है, कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्संरचना योजना, विद्यमान दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर एवं एस4ए के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन हेतु तत्काल प्रभाव से एक संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया. संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत खातों में लाभ, जहाँ इनमें से कोई योजना लागू हैं लेकिन पूर्णतया कार्यान्वित नहीं है, को निरस्त कर दिया गया है, तदनुसार सभी खातों को, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण पर भारिबैं के वर्तमान मानदंडों के अनुसार डाउनग्रेड कर दिया गया है.

एस4ए योजना ₹ 559.18 करोड़ के बकाया शेष के साथ 6 खातों में लागू और कार्यांवित की गई. इस प्रकार दिनांक 31.03.2018 को बैंक ने ऐसे 6 एस4ए कार्यांवित उधार खातों के समक्ष ₹ 105.84 करोड़ का प्रावधान रखा है.

5.5 एक समयावधि में विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ब्याज एवं अन्य कॉर्पोरेट लाभ ₹ 1.43 करोड़ की राशि सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी ने न्यास / लाभार्थियों को अंतरित / आबंटित नहीं की हैं जिनके निवेश पोर्टफोलियो न्यासधारिता सेवाओं के अंतर्गत उनके पक्ष में है. उक्त राशि दिनांक 31.03.2017 को ₹ 1.33 करोड़ थी एवं दिनांक 31 मार्च 2018 को यह बढ़कर ₹ 1.43 करोड़ हो गयी. इसी प्रकार, ₹ 0.16 करोड़ की बिक्री / शेयर्स के मोचन की आगम राशि / लाभांश की राशि संबंधित न्यास / लाभार्थी को अंतरित / आबंटित नहीं की गयी है. यह वर्ष 2005-06 से बकाया शेष है. इसने यह राशि अपने बैंक के चालू खाता में रखी है.

5.6 भारिबैं के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार, दिनांक 30 जुलाई, 2018 को समाप्त अधिकतम 120 दिनों के लिए जोखिम साझेदारी आधार पर ₹ 2115,52 करोड़ (पिछ्ले वर्ष ₹ 22,991.22 करोड़) के अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी की थी, जिस कारण दिनांक 31.03.2018 को बैंक के कुल अग्रिमों में इतनी मात्रा कम हो गई.

5.7 प्रबंधन के द्वारा एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार, वेन्डर्स, जिनकी सेवाएं ली गयी हैं एवं जिनसे मूल बैंक द्वारा खरीदी की गयी है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं. यह लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

5.8 सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 17.03.2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

5.9 मूल एवं अनुषंगियों की एकल वित्तीय विवरणीयों में प्रकट के गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों के सत्य एवं उचित अभिमत को प्रभावित नहीं करती है एवं आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में उन मदों जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, से संबंधी समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

5.10 एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए एनपीए खातों के संबंध में बैंक ने दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1435 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. तत्पश्चात भारिबैं के

संप्रेषण सं. बीपी.8756/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के अंतर्गत 1ली और 2री सूची में खातों में प्रावधानों के विस्तार के संबंध में बैंक ने वितरण उपलब्धता का विकल्प चुना है और जून 2018 को समाप्त तिमाही में ₹ 627.46 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान प्रदान किया जायेगा.

5.11 दो रत्न एवं आभूषण उधार समूहों, जहाँ कुछ बैंकों द्वारा धोखाधड़ी घोषित की जा चुकी है, के संबंध में हमारे बैंक ने इन खातों को एनपीए में वर्गीकृत किया है और दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 378.96 करोड़ के संपूर्ण निधि एक्सपोजर के लिए पूर्णतया प्रदान किया है.

5.12 एमटीएम हानियों के विस्तार के संबंध में प्रकटीकरण

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अनुसार भारिबैं, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 और दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों, समान रूप से चारों तिमाहियों के बाहर उस तिमाही में जिसमें हानि हुई थी, के लिए एएफएस और एचएफटी पोटफोलियों में निवेश पर एमटीएम हानियों के लिए प्रावधानों को स्प्रेड करने का बैंकों को विकल्प दिया है. हमारे बैंक ने यह विकल्प लिया है और तदनुसार बैंक ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 और दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से संबंधित ₹ 346.21 करोड़ का मूल्यह्रास प्रभारित किया है और इसकी संगत में एमटीएम हानियों ₹ 450.82 करोड़ को आगामी वित्तीय वर्ष के आगामी तिमाहियों के ऊपर विस्तारित किया है.

5.13 जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

बी. एस. शेखावत कार्यपालक निदेशक	**पी. रमण मूर्ती** कार्यपालक निदेशक	**बी.के. दिवाकर** कार्यपालक निदेशक	**राजीव ऋषि** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**तपन रे** अध्यक्ष
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	**शेखर भटनागर** निदेशक	**केतुल आर. पटेल** निदेशक	**एन. नित्यानंद** निदेशक	**प्रो. (डॉ.) आत्मानंद** निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई	**कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स** सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू	**कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन	**कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार** सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू
(सीए एच. के. वर्मा) भागीदार सदस्यता सं. 055104	**(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)** भागीदार सदस्यता सं. 015585	**(सीए ज्योति बग्गा)** भागीदार सदस्यता सं. 087002	**(सीए बी. एम. अग्रवाल)** भागीदार सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2018	31- 03- 2017
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ/(हानि)	**(7,913.90)**	**(3,523.09)**
I	**समायोजन हेतु:**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**260.50**	257.69
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**794.17**	394.44
	गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**9,566.65**	6,219.53
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**5.51**	(162.98)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	**263.96**	172.91
	अचल आस्तयों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**4.49**	1.24
	उप-योग	**2,981.38**	**3,359.74**
II	समायोजन हेतु:		
	जमा में वृद्धि (कमी)	**(1,954.74)**	30,622.92
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(3,597.62)**	703.19
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(1,826.94)**	(2,561.05)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**(26,582.21)**	34,211.29
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(11,287.07)**	(3,569.42)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**(1,808.19)**	203.63
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	**(301.02)**	(1,099.63)
	उप-योग	**(47,357.80)**	**58,510.93**
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**(44,376.42)**	**61,870.67**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**4.13**	3.06
	अचल आस्तियों की खरीद	**(314.36)**	(191.68)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(310.23)**	**(188.62)**
सी	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	**5,158.00**	1,453.79
	शेयर आवेदन राशि	-	100.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	**(3.25)**	(8.75)
	लाभांश कर	**(0.66)**	(1.78)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**5,154.09**	**1,543.26**

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2018	31-03-2017
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि**	**(39,532.56)**	**63,225.31**
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**75,087.18**	14,070.20
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**3,707.79**	1,499.45
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	**78,794.97**	**15,569.65**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**36,000.12**	75,087.18
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**3,262.29**	3,707.79
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	**39,262.41**	78,794.97

नोट्स:

1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.

2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

बी. एस. शेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तपन रे
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए एच. के. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

नोट्स / Notes

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

11वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पन्ना सं. या डीपी आईडी # /ग्राहक आईडी #	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम ______________________ निवासी ______________________

जिला ______________ राज्य ______________ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से श्री/सुश्री ______________________

निवासी ______________________

जिला ______________ राज्य ______________ को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री. ______________ निवासी ______________

जिला ______________ राज्य ______________

को शनिवार, 30 जून, 2018 पूर्वाह्न 11.00 बजे, चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालयके 9वें माले सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

तारीख ______________माह______________ वर्ष 2018 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कृपया रेवेन्यू स्टैप चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम ______________________

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता ______________________

____

____

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
   (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
   (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
   (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैद्य नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात सोमवार, 25 जून, 2018 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र ‘‘ फॉर्म ‘बी’’’ में न होने पर वैद्य माना नहीं जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

11वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शनिवार 30 जून, 2018 को 11.00 बजे

पंजीकृत पन्ना / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) संयुक्त धारक	
उपस्थित प्राक्सीधारका / प्रतिनिधि का नाम स्पष्ट अक्षरों में (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	शनिवार, 30 जून, 2018
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय 9वां माला, चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 400021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

11वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शनिवार, 30 जून, 2018, 11.00 बजे

स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वां माला, चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021

पंजीकृत पन्ना क्रमांक या डीपी आईडी /ग्राहक आईडी / शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि/
का नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.

नोट्स / Notes

CHAIRMAN's MESSAGE

Dear Stakeholders,

I am happy to join the Bank as Non-Executive Chairman, at an arguably challenging time for the banking sector. Notwithstanding the given challenges, the Bank will continue to strive for maximizing shareholder value by adopting best corporate governance practices in the conduct of its business while maintaining high standards of compliance and transparency.

Public sector banks have continued to play a pivotal role in nation building. They have relentlessly worked towards extending banking services to the last mile customers, in line with the government's target of ensuring financial inclusion for all. Central Bank of India remains fully committed to deriving positive outcomes for all stakeholders in this regard.

The green shoots of revival in the world economy are bound to have spillovers on the Indian economy. Advanced economies, particularly the United States, have witnessed relatively impressive growth leading the US Fed to resort to monetary tightening cycle. The oil exporting countries will benefit from the recent surge in crude prices. These exogenous factors do influence India's growth momentum. While growth has picked up from Q3FY18, with impressive growth exhibited in agriculture, construction and manufacturing sectors, recent months have witnessed an increasing pressure on the rupee. Along with rising crude oil prices, this is likely to affect the current account deficit and impact consumer inflation. However, with persistent reform measures being brought in place by the government, the economy is most likely to remain on a self-sustaining growth path.

The Banking Industry has been facing the key challenge of dealing with non-performing assets. I am hopeful that with new reforms like the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code, the Banking Industry is far better placed to ensure recovery and resolution of NPAs in the current year. We need to address the issue with due diligence. In order to meet the challenges of a changing environment, our Bank continues to emphasize on enhancing knowledge and skills in areas such as Risk Management, Credit, Treasury, IT, among others. Usage of analytics surely helps in proper analysis of large volume of data that enables product innovation and ensures optimal solutions. Our Bank has been consistently promoting digitalization and technology in the business. Finally, the importance of human resource and its contribution to the success of an organization is fully understood by our Bank. I am confident that we shall overcome the challenges by redoubling our efforts on all fronts.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Tapan Ray

Place: New Delhi
Date: May 25, 2018

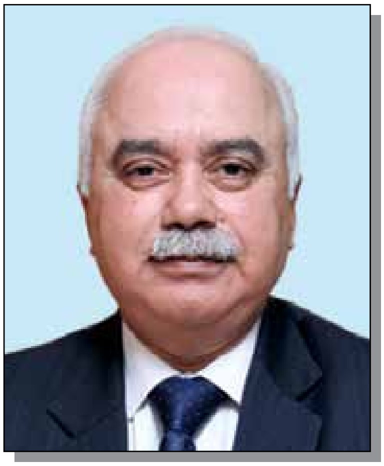

MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER's MESSAGE

Dear Shareholder,

The challenges we had been facing in the last couple of years owing to both global and domestic economic scenarios have been felt by Banks in this year as well. However, the positive signs visible in the economic scenario of late are giving us reasons to be hopeful.

Global economy picked up to grow by 3.8% in 2017 from 3.2% in 2016 and expected to maintain momentum in 2018 supported by both advanced and emerging economies. The advanced economies grew by 2.3% in 2017 from 1.7% in 2016. Among the advanced economies, the US had grown by 2.3% in 2017 from 1.5% in 2016. There is a broad based improvement in the macro parameters in US. Inflation picked up in US in 2017 and reached a level of 2.1%. US Fed continued its monetary tightening cycle with gradual rate hikes. In the Euro Area, real GDP grew by 2.3% in 2017. Inflation in the region increased by 1.5% in 2017. Both gross capital formation and industrial production increased in 2017 from the previous year.

As per the 2nd advance estimate of national income 2017-18, real GDP growth is estimated to moderate to 6.6% in 2017-18 vis-à-vis 7.1% in 2016-17. However, the quarterly data had shown that Indian economy is on the track to recover from the 'transitory impact' of some reform measures undertaken recently. GDP growth had exhibited an increasing trend through Q1 to Q3 of FY18. In Q3FY18 GDP grew at an impressive rate of 7.2% from 6.5% in Q2FY18. Agriculture value added grew by 4.1% and manufacturing grew by 8.1% in Q3FY18. Among the service segments, trade, hotel, transport, communication and services related to broadcasting had grown by 9% in Q3FY18.

On the monetary policy front, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) cut the benchmark repo rate by 25 basis points to 6% from 6.25% in August 2017. The MPC cut Statutory Liquidity Ratio (SLR) from 20% to 19.5% in October 2017.

Credit growth in the banking industry has been increasing gradually after demonetization. The credit to deposit ratio also improved in FY18. However, the stressed corporate balance sheets have not let the credit growth to take off to desired level. Asset quality has remained a cause of concern for the banking industry. RBI has put several public sector banks under Prompt Corrective Action framework to refrain from a few riskier activities and preserve capital to strengthen their balance sheets. The Bank recapitalization plan announced by the government is a welcome move to adequately capitalize India's public sector banks. In October 2017, the government announced ₹ 2.11 trillion for recapitalization of which ₹ 1.35 trillion was to be raised by recapitalization bonds.

Let me now elucidate the highlights of your Bank's performance in the year. During the Financial Year 2017-18, Business of the Bank stood at ₹ 4,72,323 crore as compared to ₹ 4,49,679 crore in the Financial Year 2016-17. The Deposit of the Bank stood at ₹ 2,94,839 crore in the financial year ended March 31, 2018. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 42.46 % as against 39.20 % in Financial Year 2016-17. High Cost Deposits substantially reduced by 93.64 % to ₹ 850 crore in March 31, 2018 from ₹ 13,356 crore in March 31, 2017. Aggregate Core Deposits increased by 3.77 % to ₹ 2,93,989 crore in March 31, 2018 as against ₹ 2,83,315 crore in March 31, 2017.

Asset Quality continued to be the major concern of the Bank since last couple of years. Gross NPA to Gross Advances increased to 21.48 % as on March 31, 2018 from 17.81 % as on March 31, 2017. Net NPA to Net Advances increased to

11.10 % as on March 31, 2018 from 10.20 % as on March 31, 2017. Provision Coverage Ratio improved to 63.31 % as on March 31, 2018 from 58.43 % as on March 31, 2017.

Our continued focus of recoveries yielded better results during the year. Cash Recovery reached ₹ 2403 crore in the financial year ended March 31, 2018 as compared to ₹ 2378 crore in the previous financial year ended March 31, 2017 registering growth of 1.05%. We expect resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC during 2018-19. Nevertheless, the Bank will continue to have the focused approach to maximize NPA recovery and to arrest fresh slippages during 2018-19.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 5.53 % in the Financial Year 2017-18 from 6.20 % in the Financial Year 2016-17. Net Interest Income of the Bank reduced to ₹ 6517 crore from ₹ 6574 crore in Financial Year 2016-17. Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 2623 crore for the financial year ended March 31, 2018 compared to ₹ 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017.

The operating profit of the Bank stood at ₹ 2733 crore as against ₹ 3089 crore in Financial Year 2016-17. However, the Bank has incurred Net Loss of ₹ 5105 crore as compared to Net Loss of ₹ 2439 crore during previous financial year primarily due to higher NPA provisions, higher slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, significant decline in Trading Profit on Investments, etc.

As on 31st March 2018, Bank has network of 4685 branches, 4886 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. The pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 626 Districts out of 707 districts in the country, is a source of strength to the Bank. Extensive Coverage through branches enables the Bank to position itself as a major Retail Bank with special focus on Retail, Agriculture and MSME sectors.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2018.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Rajeev Rishi

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

NOTICE

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

2) To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 8,000/- crore (Rupees Eight Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

   "**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

   "**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

   "**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges,

the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."

B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s),Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

3) To elect one Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notifications") by passing the following resolution:

"**RESOLVED THAT** one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, read with the Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
Anand Kumar Das
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 25.05.2018

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. SPECIFIED DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, Tuesday, the 29th May, 2018 has been fixed as Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of Directors from amongst the shareholders other than the Central Government .

3. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Monday, 25th June, 2018.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Monday, 25th June, 2018.

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/ proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as “Proxy or Authorised Representative” as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

7. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2018 (Monday) to 30th June, 2018 (Saturday) (both days inclusive).

8. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

9. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

10. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

11.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank’s branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the Bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

13. Voting through electronic means

I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

(i) The remote e-voting period begins on Wednesday, 27th June 2018 at 10.00 AM and ends on Friday, 29th June 2018 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Monday, 25th June 2018, may cast their vote electronically except Agenda No. 3 for which cut off date is Tuesday, 29th May, 2018. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders/Members.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Address Sticker pasted on the EGM Notice, indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of CENTRAL BANK OF INDIA on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 25th June 2018. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 25th June 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 25th June 2018, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.

VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 + CCB ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50% by March 31, 2019. To comply with the Basel III requirement, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the business estimates your Directors have decided to raise equity capital up to ₹ 8,000/- crore (Rupees Eight Thousand Crore Only) and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placements and/ or any other mode(s) subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.

vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF ONE SHAREHOLDERS' DIRECTOR

- **RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS**

  Shareholders other than the Government of India hold 13.60% of the equity share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Board of Directors of Central Bank of India shall include one Director representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). Accordingly, one director is required to be elected by the shareholders other than Central Government to fill up the aforesaid vacancy.

  Therefore, an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of one director representing the shareholders of the Bank.

  The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in the Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant provisions of which are indicated hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nomination is equal to the number of vacancy) or in subsequent election on 30th June, 2018, if there are more contestants. The elected directors shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/ she is, or is deemed to be elected and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

- **LEGAL PROVISIONS**

  The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 20	• Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	• Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	• No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A)(A) to (C)	• Special Knowledge in certain fields
	Section 9 (3AA)	• No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe
	Section 9 (3AB)	• RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
	Section 9 (3B)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	• Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4)	• Term of office of elected directors
	Clause 10	• Disqualifications from being elected as a Director of the bank
	Clause 11	• Vacation of office of Directors
	Clause 11A	• Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	• Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12 (8)	• Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10	• Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	• Voting at General Meetings
	Regulation 63	• Directors to be elected at general meetings
	Regulation 64	• List of Shareholders
	Regulation 65	• Nomination of candidates for election
	Regulation 66	• Scrutiny of nominations
	Regulation 67	• Election disputes
	Regulation 68	• Determination of voting rights
	Regulation 69	• Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	• Proxies
RBI Notification No. DBOD No.BC No. 46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01st November 2007 read with Notification No DBOD.BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	• Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks

- **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION IN WEBSITE**

  For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations as well as RBI Notifications No.DBOD.BC.No.46 and 47 /2939.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 will be hosted on the Bank's website www. centralbankofindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/Company Secretary, at the Bank's Head Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Friday, 15th June 2018.

- **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

  The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein:

  (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -

  (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
  agricultural and rural economy,
  banking,
  co-operation,
  economics,
  finance,
  law,
  small scale industry,

  any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank;

  (B) represent the interests of depositors; or

  (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

  (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

(c) Further, the elected director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

- **DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director –

(a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

(c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or

(d) If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955,or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

(B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India - DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011, if he is not found to be 'Fit & Proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

- **LIST OF SHAREHOLDERS to CONTESTANTS**

A list of Shareholders of the Bank as on **Tuesday, 29th May 2018** will be available for sale on and from **Saturday, 2nd June 2018** onwards on payment of ₹ **50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/ Company Secretary, Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from. .

- **INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank from Monday to Saturday between 11 A.M. to 3 P.M. (other than second & fourth Saturday and Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

- **PARTICIPATION IN ELECTION**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on 29th May, 2018, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 29th May, 2018, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

- **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD.No.BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

(a) he is a shareholder holding not less than100 (One hundred) shares in the Bank as on Tuesday, 29th May 2018 being the Specified Date for participating in the election;

(b) as on Friday, 15th June 2018 (the last date for receipt of nominations), he is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Notification;

(c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to

be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to Assistant General Manager –MBD & Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;

(d) the nomination by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Notification alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

(e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website- www.centralbankofindia.co.in

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

a) duly filled in Declaration Form;

b) nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the Assistant General Manager – MBD & Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Friday, the 15th June 2018.**

- **SCRUTINY OF NOMNATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS**

a) Nominations shall be scrutinized on **Monday, 18th June 2018**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nominations Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 01st November 2007 and 23rd May 2011 issued by the Reserve Bank of India.

c) If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose. The elected candidates shall assume office from the date next to the date on which they are declared as elected.

d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than ONE, the candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be announced by the Chairman of the AGM and also published in newspapers. They will assume office on 1st July 2018.

e) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on Tuesday, 26th June 2018.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
Anand Kumar Das
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 25.05.2018

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I,Shri/Smt ______________________________ son/daughter/wife of

Shri/Smt. ______________________________, residing at ______________

______________________________ hereby confirm that:

a) I am a shareholder holding ____________ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) of CENTRAL BANK OF INDIA under Folio No. ____________/DP ID No. ____________/Client ID No. ____________ as on **Tuesday, 29th May, 2018 being the Specified Date** for participating in the Elections and

b) I have special knowledge or practical experience in * (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or ______________________ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and

c) I accept the nominations numbered from ____________ to ____________, and

d) I am willing to contest the election for Director of Central Bank of India, and

e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and RBI Notification, and

f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

g) I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete; and

h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No.	
(If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and ______________________

Name of the attesting official ______________________

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationlised Bank.

* Tick whichever is applicable.

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)
(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To,

The Chairman/The Managing Director & CEO
Central Bank of India
Central Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400021

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 25.05.2018, I, Shri/Smt ________________________________

a shareholder of Central Bank of India, holding ____________ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) as on Tuesday, 29th May, 2018 being the Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby **nominate**

Shri/Smt. ________________________ son/daughter/wife of Shri/Smt.________________________

residing at ____

for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on Saturday, 30th June, 2018.

Signature	
Name	
No. of Shares	
Regd. Folio No.	
(If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No.	
(If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to rejected.

Affix Self
Attested Passport
Size Photo here

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____2018		
I.	**Personal details of the candidate**	
1.	Name in Full (in block capital letters)	
2.	Father's Name (in Full)	
3.	Date of Birth	
4.	Nationality	
5.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act). (2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
6.	Permanent Address	
7.	Present Address (For correspondence)	
8.	(1) E-mail ID	
	(2) Telephone Number (Landline)	
	(3) Cell Phone Number	
II.	**Qualification and Experience**	
1.	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
2.	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
3.	Knowledge (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
4.	Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
5.	Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
III.	**Details of Relationships of the candidate**	
1.	Details of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way [Please refer to Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014.]	
2.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested [Refer Section 2(49) and Section 184 of the Companies Act, 2013].	
3.	Details of shares of the Central Bank of India held, if any, in the name of the candidate: (Please indicate the number of shares held, face value, ledger folio number(s) or DP ID and client ID).	
4. a	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
4. b	List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
5.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).	
6.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate from the institutions listed at 3, 4(a) and 5 above.	
7.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at 3, 4(a), 4(b) and 5 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Central Bank of India Bank or any other bank.	
IV.	**Professional Achievements**	
1.	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).	

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____2018		
V.	**Proceedings, if any, against the Candidate**	
1.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in III-2, 4(a),4(b) and 5 above for violation of economic laws and regulations.	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
4.	Whether the candidate/director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ?	
5.	Has the candidate or any of the entities at III-2, 4(a), 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
6.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
7.	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same should also be mentioned) re pending, the same also should be mentioned).	
8.	In carrying out his/her duties will the candidate/director be acting on the directions or instructions of any other individual or institution or bank or companies, etc. ? If so, give particulars.	
9.	Has the candidate in his/her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars.	
10.	Any other explanation / information in regard to items I to V and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.	

Undertaking

I, ... Son/Daughter of Shri .... confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :
Date : Signature of the Candidate

Enclosures :

Note: 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.

2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination Committee:

Signature of Member	**Signature of Member**	**Signature of Member**

Date:
Place:

ELECTION OF DIRECTORS

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, REGULATIONS AND NOTIFICATIONS

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves, depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant sections of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the relevant regulations of Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and gist of Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India, are reproduced below for the information of the shareholders.

I. BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16(1)

No banking company incorporated in India shall have as a director in its Board of directors any person who is a director of any other banking company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall —

   (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or -

   (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of—

      (i) any of its directors,

      (ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

      (iii) any company [not being a subsidiary of the banking company or a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government company] of which or the subsidiary or the holding company of which] any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

      (iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.

(2) Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan, or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of the loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said section 5:

   Provided that the Reserve Bank may, in any case, on an application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit: Provided further that this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

(3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

(4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

   Explanation — In this section—

   (a) **"loans or advance"** shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount

due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;

(b) **"director"** include a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

(5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purposes of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.]

II. BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) :

No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

Composition of Board of Directors

Section 9(3)(i):

where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of section (3) is-

(I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one director;

(II) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, two directors,

(III) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three directors,

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub – clause (II) or sub – clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A):

The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following. matters namely,-

(i) agricultural and rural economy,

(ii) banking,

(iii) co-operation,

(iv) economics,

(v) finance,

(vi) law,

(vii) small scale industry,

(viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new bank;

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

Section 9(3AA):

Without prejudice to the provisions of sub section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track Specified, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3B):

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-sections (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-sections (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy

Section 13(2):

Every Director, member of a local Board or a committee, or Auditor, Adviser, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

III. NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9(4):

An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a director –

(a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

(c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or

(d) If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955,or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11:

(1) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Cl.10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

(2) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Cl. (b) or Cl. (c) or Cl. (d) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office: any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalised bank of which is a director.

(4) Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected director

Clause 11A:

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Cl. (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected director

Clause 11B:

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8):

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being:

(i) a shareholder (other than a director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make a contract, loan, arrangement or proposal, or

(ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. CENTRAL BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

Exercise of rights of joint holders

Regulations 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards, voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Director to be elected at general meetings

Regulations 63:

(i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of The Bank.

(ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulations 64:

(i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to

which they will be entitled on the date fixed for meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulations 65:

(i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless –

(a) he is a shareholder holding not less than100 (One hundred) shares in the The Bank;

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of The Bank and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company.

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalized bank, that he accepts nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for meeting.

Scrutiny of nominations

Regulations 66:

(i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to valid, the same shall be rejection after specifying the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulations 67:

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the The Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the The Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election, or, if it finds that the election

was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directors including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Determination of voting rights –

Regulations 68:

(i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

(Explanation _ For this Chapter, "Company" means any body corporate)

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

Regulations 69:

(i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government / company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

V. Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the Fit and Proper status with regards to educational qualification, experience and field expertise, track Specified and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a Director on the Board.

TOTAL BUSINESS

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323
YoY Growth		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839
YoY Growth		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484
YoY Growth		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295
YoY Growth		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%
CD Ratio	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%
Return on Assets	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)

PROFITABILITY

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659
YoY Growth		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926
YoY Growth		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733
YoY Growth		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)
Net Profit/Loss	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)
YoY Growth		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517
YoY Growth		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623
YoY Growth		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)

DIRECTORS' REPORT 2017-18

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2018.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank stood at ₹ 472323 crore as at March 31, 2018 compared to ₹ 449679 crore as at March 31, 2017.
- Total Deposits stood at ₹ 294839 crore in March 31, 2018 as against ₹ 296671 crore in March 31, 2017.
- Total Advances of the Bank increased to ₹ 177484 crore in March 31, 2018 as against ₹ 153008 crore in March 31, 2017 registering y-o-y growth of 16%.
- Total Income for the financial year ended March 31, 2018 was ₹ 26659 crore as compared to ₹ 27537 crore for the financial year ended March 31, 2017.
- Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 2623 crore for the financial year ended March 31, 2018 compared to ₹ 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017.
- Operating Profit of the Bank stood at ₹ 2733 crore for the financial year ended March 31, 2018 as compared to ₹ 3089 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2017.
- The Bank has incurred Net Loss of ₹ 5105 crore for the Financial Year ended March 31, 2018 as compared to Net Loss of ₹ 2439 crore during previous financial year ended March 31, 2017 primarily due to higher NPA provisions, higher slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, significant decline in Trading Profit on Investments, decline in net interest income etc.
- Expenses on employees decreased by ₹ 230 crore during the financial year ended March 31, 2018to ₹ 3984 crore from ₹ 4214 crore in the previous financial year ended March 31, 2017.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 9.46% with Tier I at 5.50% and Tier II 3.96% for the financial year ended March 31, 2018. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 9.04% with Tier I at 7.01% and Tier II 2.03% for the financial year ended March 31, 2018.
- Net worth stood at ₹ 14845 crore.
- Cash Recovery increased to ₹ 2403 crore in the financial year ended March 31, 2018 as compared to ₹ 2378 crore in the previous financial year ended March 31, 2017.
- Gross NPA to Gross Advances stood at 21.48% as on March 31, 2018 as against 17.81% as on March 31, 2017.
- Net NPA to Net Advances stood at 11.10% as on March 31, 2018 as against 10.20% as on March 31, 2017.
- Provision Coverage Ratio improved to 63.31% as on March 31, 2018 from 58.43% as on March 31, 2017.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.47% in the Financial Year ended March 31, 2018.
- Business per Employee stood at ₹ 12.71 crore in the Financial Year ended March 31, 2018.
- Return on Assets (ROA) is (1.61)% for the Financial Year ended March 31, 2018.
- The credit deployment under priority sector increased to ₹ 82834.61 crore during 2017-18, recording a growth of ₹ 9484.37 crore over previous year. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PLSC's worth ₹ 22030 crore under PS Advances and purchased PSLC's worth ₹ 7524.50 crore under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was ₹ 14505.50 crore. Bank also sold IBPC of ₹ 1500 crore under Priority sector advances. Inspite of aforesaid sale; Bank's PS lending is in excess by ₹ 6669.28 crore to ANBC.
- Agriculture Advance of the Bank stood at ₹ 30,776 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2018 stood at ₹ 34,025 crore constituting 19.17% of the total loans and advances.

- Retail Loans increased by 50.35% to ₹ 48,123 crore in March 2018 from ₹ 32,008 crore in March 2017. Bank had launched intensive programme 'Retail Dhamaka' in December 2017 to boost Retail Credit. Proposals amounting to ₹ 4980 crore were sanctioned during the campaign period.
- Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 21,392 crore in March, 2018 as against ₹ 12,510 crore in March, 2017, registering y-o-y growth of 71.00%. Housing Loan Portfolio constitutes 44.45% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2018.
- Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2017-18, the RSETIs conducted 1280 training programmes and imparted training to 33,428 candidates. Out of this, 23403 (i.e.70%) trainees were settled through Bank credit, wage settlement and self-finance.
- Bank has 3 RRBs as on 31st March 2018 in 3 states covering 48 districts with a network of 1629 branches.
- Under Financial Inclusion, Bank has covered 4,330 villages with population above 2000 and 18,376 villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through 6,387 BC Agents. Bank has opened 177 Urban Financial Inclusion centres. Bank has further opened 184.19 lakhs Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is ₹ 2567 crore as on 31st March, 2018.
- Total earning from Bancassurance business is ₹ 21.42 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- As on 31st March 2018, Bank has network of 4685 branches, 4886 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the financial year 2017-18 are given hereunder:

(₹ **in Crores)**

	31.03.2018	31.03.2017	Variation	%
1 **INTEREST INCOME**	24036	24661	(625)	(2.53)
– Advances	14478	16283	(1805)	(11.09)
– Investments	7138	7372	(234)	(3.17)
– Others	2420	1006	1414	140.56
2 **NON INTEREST INCOME**	2623	2876	(253)	(8.80)
3 **TOTAL INCOME (1+2)**	26659	27537	(878)	(3.19)
4 **INTEREST EXPENDED**	17519	18087	(568)	(3.14)
– Deposits	16222	17330	(1108)	(6.39)
– Others	1297	757	540	71.33
5 **OPERATING EXPENSES**	6407	6361	46	0.72
– Establishment	3984	4214	(230)	(5.46)
– Others	2423	2147	276	12.86
6 **TOTAL EXPENSES (4+5)**	23926	24448	(522)	(2.14)
7 **SPREAD (1-4)**	6517	6574	(57)	(0.87)
8 **OPERATING PROFIT (3-6)**	2733	3089	(356)	(11.52)
9 **PROVISIONS**	7838	5528	2310	41.79
10 **PROVISIONS FOR TAX**	(2791)	(1090)	(1701)	156.06
11 **NET PROFIT/(LOSS)**	(5105)	(2439)	(2666)	------

3. **PROVISIONS**

Details of Total Provisions of ₹ 7838 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2017-18 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2018	31.03.2017	Variation
Provisions for Standard Assets	7	(164)	171
Provisions for NPAs	10543	6216	4327
Provisions for Restructured Accounts	(951)	321	(1272)
Provision on Investments	799	300	499
Provisions for Taxes	(2791)	(1090)	(1701)
Others	231	(55)	286
TOTAL	**7838**	**5528**	**2310**

4. **PROFITABILITY RATIOS**

(In percentage)

	31.03.2018	31.03.2017
Cost of Deposits	5.53	6.20
Cost of Funds	5.79	6.27
Yield on Advances	8.31	9.01
Yield on Investments	7.14	7.38
Net Interest Margin	2.47	2.51
Cost to Income Ratio	70.10	67.31

5. **BUSINESS RATIOS**

(In percentage)

	31.03.2018	31.03.2017
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	7.59	8.10
Non-Interest Income to AWF	0.83	0.94
Operating Profit to AWF	0.86	1.01
Return on Average Assets	(1.61)	(0.80)
Business Per Employee (₹ in crore)	12.71	11.81
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	(13.86)	(6.49)

6. **CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)**

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2018		31.03.2017	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	5.50	7.01	6.87	8.62
Tier-II	3.96	2.03	3.50	2.33
Capital Adequacy Ratio	9.46	9.04	10.37	10.95

7. **NET LOSS**

The Bank has incurred net loss amounting to ₹ 5105 crore during the financial year ended March 31, 2018. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2017-18.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Dr. Saurabh Garg ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 16th August, 2017 in terms of Notification of Ministry of Finance, Government of India.
- Shri Govind Mohan was appointed as Government of India Nominee Director of the Bank w.e.f 17th August, 2017 vide Government of India Notification dated 17th August, 2017.
- Shri B. S. Shekhawat was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f 09th October, 2017 for a period of 3 years.
- Prof (Dr.) Atmanand was appointed as Part time Non Official Director of the Bank for a period of 3 years w.e.f. 27th December, 2017.
- Shri Supratim Bandyopadhyay ceased to be Shareholder Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 17th March, 2018 consequent upon his appointment as Whole-time Member (Finance) in Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Dr. Saurabh Garg and Shri Supratim Bandyopadhyay who ceased to be the directors of the Bank during the Financial Year 2017-18.

8.1 Government of India, Ministry of Finance, vide Notification dated 14th May 2018 has nominated Dr. Bhushan Kumar Sinha, Economic Adviser, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, as Government Nominee Director in place of existing Government Nominee Director- Shri Govind Mohan, on the Board of our Bank with immediate effect (i.e. with effect from 14th May 2018) and until further orders. Dr. Sinha belongs to the 1993 batch of Indian Economic Service. Presently he is posted as Economic Adviser in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before joining DFS in May 2018, Dr Sinha had a three year stint as Economic Adviser in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM). Dr. Sinha holds a Master's degree in Business Administration (MBA) from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University (ANU), Canberra, Australia and a Ph.D from the Department of Financial Studies, University of Delhi.

8.2 Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide notification dated 23rd May 2018 has appointed Shri Tapan Ray as Part-time Non-official Director as well as Non-Executive Chairman in Central Bank of India for a period of three years from the date of notification of his appointment (i.e. with effect from 23rd May 2018), or until further orders, whichever is earlier. Shri Tapan Ray retired as Secretary (Corporate Affairs), Government of India after 35 years in the Gujarat cadre of the IAS. He has a Degree in Mechanical Engineering from the Indian Institute of Technology, Delhi. He is also a Post Graduate in Public Policy from the Woodrow Wilson School, Princeton University USA, and a Master of Public Administration from the Maxwell School, Syracuse University, USA. He also holds degrees in Law and International Trade. He has served in the Ministries of Defence, Textiles, Power, Science & Technology, Information Technology and Planning in the Government of India. He has been Principal Secretary in the Finance Department in Gujarat. Shri Ray has a wide corporate experience of over 12 years in various companies of Government of Gujarat as well as Government of India. He has been the Managing Director of the Gujarat State Petroleum Corporation and its group companies for about 5 years. As Secretary (Corporate Affairs), he has served on the Board of SEBI.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. PROMPT CORRECTIVE ACTION

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank believes that corrective measures arising out of the PCA will help in improving overall performance of the Bank.

11. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary at the Head Office of the Bank.

12. DIRECTORS' RESPONSIBILTY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2018:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the financial year ended March 31,2018;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis;
- Internal Financial Control are adequate and were operating effectively; and
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

13. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

14. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Rajeev Rishi
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Mumbai
Date : May 25, 2018

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: Economic Scenario

Global economy picked up to grow by 3.8% in 2017 from 3.2% in 2016 and expected to maintain momentum in 2018 supported by both advanced and emerging economies. The advanced economies grew by 2.3% in 2017 from 1.7% in 2016. Among the advanced economies; the US had grown by 2.3% in 2017 from 1.5% in 2016. There is a broad based improvement in the macro parameters in US. Inflation picked up in the US in 2017 and reached a level of 2.1%. US Fed continued its monetary tightening cycle with gradual rate hikes. In the Euro Area; real GDP grew by 2.3% in 2017. Inflation in the region increased by 1.5% in 2017. Both gross capital formation and industrial production increased in 2017 from the previous year. Japan's GDP grew by 1.7% in 2017. Export rose by 6.8% in 2017 on the back of favourable domestic currency. Domestic demand had been on the rise with increase in private consumption. Among the emerging economies, Chinese GDP grew by 6.9% in 2017; higher than the previous year as the country moves on the path to reduce financial leverage. Inflation moderated to 1.6% in 2017. Investment in fixed asset increased by 7.2% in 2017. Retail sales of consumer goods increased by 9.4% in 2017. Russian economy bounced back in 2017 to grow by 1.5% after contraction in two straight years. Brazilian economy grew by 1% in 2017. Global factors such as interest rate cycle in the US may impact the emerging economies like India on capital flows, exchange rate, etc. Rising oil prices also have impact on India's macro parameters.

As per the 2nd advance estimate of national income 2017-18; real GDP growth is estimated to moderate to 6.6% in 2017-18 vis-à-vis 7.1% in 2016-17. However, the quarterly data had shown that Indian economy is on the track to recover from the 'transitory impact' of some reform measures undertaken recently. GDP growth had exhibited an increasing trend through Q1 to Q3 of FY18. In Q3FY18 GDP grew at an impressive rate of 7.2% from 6.5% in Q2FY18. Agriculture value added grew by 4.1% and manufacturing grew by 8.1% in Q3FY18. Among the service segments; trade, hotel, transport, communication and services related to broadcasting had grown by 9% in Q3FY18.

Index of industrial production had a cumulative growth of 4.3% during Apr'17 to Feb'18 against 4.7% growth during Apr'16 to Feb'17. Among the used based classifications; the capital goods industry after a prolonged slack had cumulatively grown by 5.3% during Apr'17 to Feb'18. Overall growth in the eight core industries stood at 4.2% in FY18 against 4.8% in FY17. Among the core industries - steel, cement and electricity had moderate growth rates of 5.6%, 6.3% and 5.2% respectively in FY18.

Consumer price inflation in 2017-18 moderated to 3.6% from 4.5% in 2016-17. Prices of food and beverages reduced to 2.2% in FY18 from 4.4% in previous fiscal. Among the food items; prices of cereals moderated whereas vegetable prices had a significant spike and pulses witnessed a price contraction in FY18. Housing inflation increased by 6.5% and inflation in fuel and light rose by 6.2% in FY18.

On the monetary policy front, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) cut the benchmark repo rate by 25 basis points to 6% from 6.25% in August 2017. The MPC cut Statutory Liquidity Ratio (SLR) from 20% to 19.5% in October 2017.

Foreign portfolio investment (FPI) in Indian equity market in 2017-18 reduced substantially compared to preceding fiscal on concerns of faster monetary policy tightening in the US, rising global crude prices, etc. FPI in Indian equity segment stood at ₹ 25,635 crore in FY18 vis-à-vis ₹ 55,703 crore in FY17. In contrast; FPI in the debt segment had a mammoth rise – the foreign investors put ₹ 1,19,036 crore in FY18 in the debt segment compared with a net outflow of ₹ 7,292 crore in FY17.

India's merchandise exports in 2017-18 grew by 9.78% and merchandise import grew by 19.59% for the same period. Trade deficit widened to USD156.83 billion in 2017-18. There had been a substantial increase in import of oil causing trade deficit to widen. Oil import increased by 25.47% in FY18. Rupee performed better in FY18 compared to FY17 against US dollar. However, towards the last quarter of FY18 rupee had depreciated against dollar.

Changing Banking Scenario

Credit growth in the banking industry has been increasing gradually after demonetisation. The credit to deposit ratio also improved in FY18. However, the stressed corporate balance sheets have not let the credit growth to take off to desired level. Asset quality has remained a cause of concern for the banking industry. RBI has put several public sector banks

under Prompt Corrective Action framework to refrain from a few riskier activities and preserve capital to strengthen their balance sheets. The bank recapitalization plan announced by the government is a welcome move to adequately capitalize India's public sector banks. In October 2017, the government announced ₹ 2.11 trillion for recapitalization of which ₹ 1.35 trillion was to be raised by recapitalization bonds.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2018, the Total Business of the Bank was ₹ 472323 crore, registering a growth of 5.04% from the previous year figure of ₹ 449679 crore. High Cost Deposits have been reduced to ₹ 850 crore as on March 31, 2018 from ₹ 13356 crore as on March 31, 2017.

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 2733 crore for the financial year ended March 31, 2018 as compared to ₹ 3089 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2017. The Bank posted a Net loss of ₹ 5105 crore in 2017-18 as against loss of ₹ 2439 crore in previous year on account of increased provisions.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2018 stood at ₹ 294839 crore, after reduction of High Cost Deposits to the extent of ₹ 850 crore. Saving Bank Deposits increased to ₹ 110509 crore with a growth of 7.18% in 2017-18 from ₹ 103102 crore in previous year and Current Deposits increased to ₹ 14687 crore in 2017-18 from ₹ 13207 crore in 2016-17. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 42.46% as against 39.20% during the previous year. Core Term Deposits grew by 3.77% to reach the level of ₹ 293989 crore in 2017-18 from ₹ 283315 crore in 2016-17.

STRATEGY AND PROGRESS OF IND AS IMPLEMENTATION IN THE BANK

As per the original Roadmap announced by the Ministry of Corporate Affairs, all Banks (except RRBs) are required to prepare their Financial Statements according to Ind AS for accounting period beginning from April 1, 2018 onwards with comparatives for the period ending March 31, 2018 or thereafter. On April 5, 2018, the RBI in their Statement on Development and Regulatory Policies stated that necessary legislative amendments to make the format of financial statements, prescribed in the Third Schedule to Banking Regulation Act, 1949, are under consideration of the Government. In view of this and also level of preparedness of many Banks, implementation of Ind AS in Banks has been deferred by RBI for one year by when the necessary legislative changes are expected. Hence, the revised timelines to implement Ind AS in Banks is from April 1, 2019 onwards with comparatives for the period ending March 31, 2019 or thereafter.

The Bank has engaged services of an Ind AS Consultant, constituted Core Ind AS Team and commenced the process of Ind AS implementation. A Steering Committee headed by an Executive Director has been constituted to monitor the progress. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically reviews the progress of Ind AS implementation. As instructed by RBI, the Bank has submitted the Proforma Ind AS Financials for September 2016 and June 2017.

CREDIT

Gross Advances have increased (net of IBPC impact) by ₹ 3600 crore to ₹ 177484 crore as on March 31, 2018 as against ₹ 153008 crore as on March 31, 2017, reflecting a growth of 2.07% on Y-o-Y basis.

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

- Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.
- The policy was approved by the Board in May 2011 and implemented across the Bank with effect from 1st July 2011. Modifications to the policy are being carried out from time to time with the approval of the Board.
- An independent vertical for **Credit Monitoring** under the charge of General Manager is functioning w.e.f. 1st August 2011.

- As per Monitoring Policy guidelines, Monitoring Committee has been formed at Central Office level as well as at the field level at all Zonal/Regional Offices and Corporate Finance Branches, to review and monitor Standard irregular/SMA accounts every month and entire gamut of credit monitoring is reviewed on monthly basis in a structured manner.
- Several workshops and training sessions have been conducted for field functionaries including Deputy Regional Managers/Loan Review Officers with a view to develop monitoring skills/awareness.
- Locational Meetings were conducted at different Regional Offices/Zonal Offices and/or meetings held with the SMA borrowers by field recovery team/Regional Manager/Zonal Manager/Central Office, depending upon the size of the exposure, to chalk out strategies for asset quality management of the stressed accounts.
- The Bank has also implemented Centralized Loan Appraisal System & Supervision (CLASS) Monitoring Module software for monitoring Corporate, SME, Retail and Priority Sector advances on real-time basis.
- Steps have also been initiated for offsite monitoring surveillance mechanism to ensure intensive credit monitoring, through Early Warning Signals (EWS) report.
- Pre-release audit for fresh/enhancement of ₹ 5 crore and above advances is carried out and credit audit for fresh/enhancement of ₹ 1 Crore and above advances within 30 days of disbursement is introduced.
- As per Govt. 'EASE' guidelines, formation of 'Stressed Asset Management Vertical' (SAMV) has been approved by Board.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.

The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2018 **(Audited)** is as under:-

(₹ In crore)

S No.	Particulars	March 2017	March 2018	Growth (%)
	Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	206155.21	166536.78	
1	Priority Sector Advance **(Percent to ANBC)**	78289 (37.98*)	73284 (44.00*)	(6.39)
2	Total Agriculture Advance **(Percent to ANBC)** net of PSLC worth ₹ 8110 Crs sold	37537 (18.21)	30776 (18.48)	(18.01)
3	MSME **(Percent to ANBC)** including PSLC worth ₹ 7524.50 Cr purchased	29531	33223	12.50
4	Education Loan	1909	2773	45.26
5	Housing Loan (up to ₹ 25.00 lacs)	9340	13392	43.38
6	Other Priority Sector	94	106	12.77
7	Renewal Energy	8	6	(25.00)
8	Social Infrastructure	10	9	(10.00)

(*After adjusting the net sale of PSLCs worth ₹ 14505.50 Crore and IBPC ₹ 1500 Crore)

- The credit deployment under priority sector increased to ₹ 82834.61 crore during 2017-18, recording a growth of ₹ 9484.37 Crore over previous year. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PLSC's worth ₹ 22030 Cr under PS Advances and purchased PSLC's worth ₹ 7524.50 Cr under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close

of FY was ₹ 14505.50 Crore. Bank also sold IBPC of ₹ 1500 Crore under Priority sector advances. Inspite of aforesaid sale; Bank's PS lending is in excess by ₹ 6669.28 Cr to ANBC.

Priority sector (Amt. in crore)

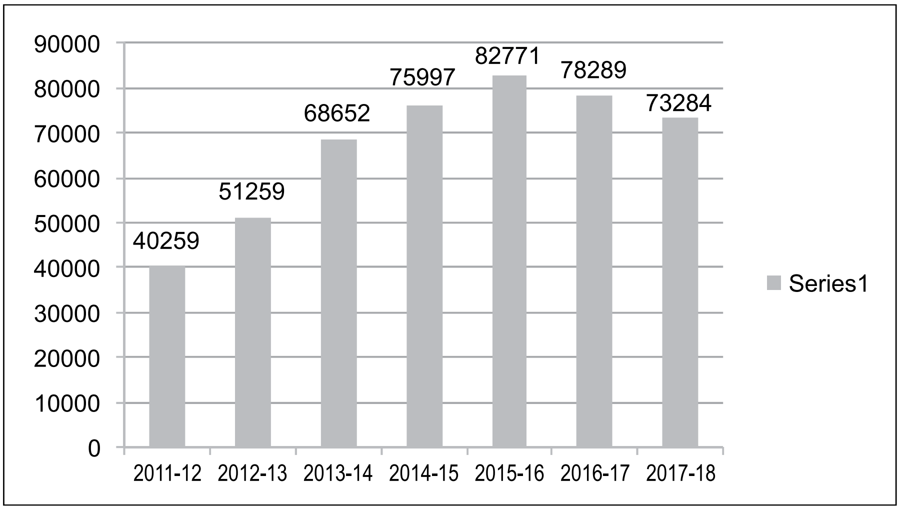

AGRICULTURE

During the year under review, total Agricultural credit stood at ₹ 30776 crore as against ₹ 37537 crore in the previous corresponding year. The net percent of agricultural credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 18.48% against the stipulated target of 18% achieved.

Agriculture (Amt. in Crore)

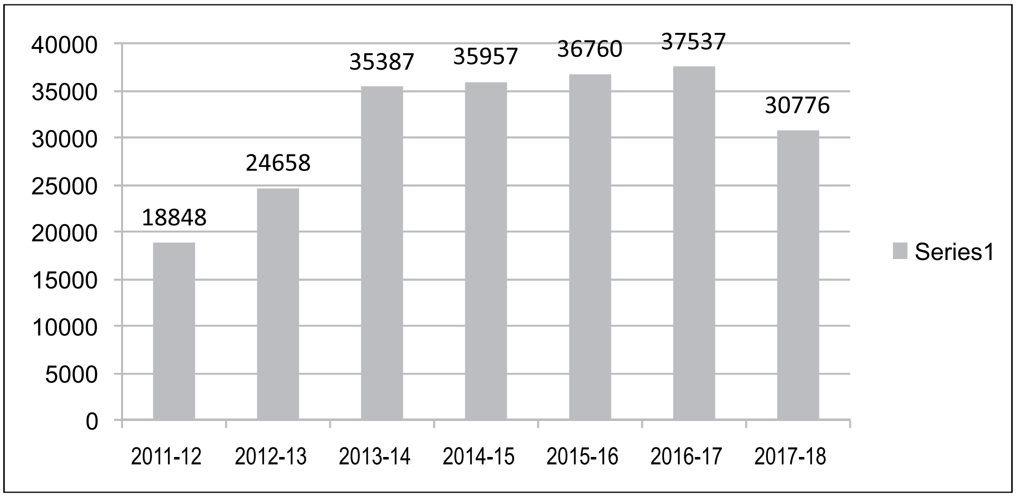

INITIATIVES TAKEN TO ACCELERATE FLOW OF CREDIT TO AGRICULTURAL SECTOR:

Special Credit Campaigns:

- All Rural and Semi-urban branches have organised minimum one Mega Credit camp during each month to canvass and sanction agricultural loans.
- During the year, village contact programmes have been arranged to contact farmers
- Bank ensured 100% Crop Insurance coverage to eligible Loanee farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).

FINANCIAL INCLUSION (FI)

- Bank has covered 4,330 villages with population above 2000 and 18,376 villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through 6,387 BC Agents.

1. We have opened 177 Urban Financial Inclusion centres.
2. No. Of Transactions:

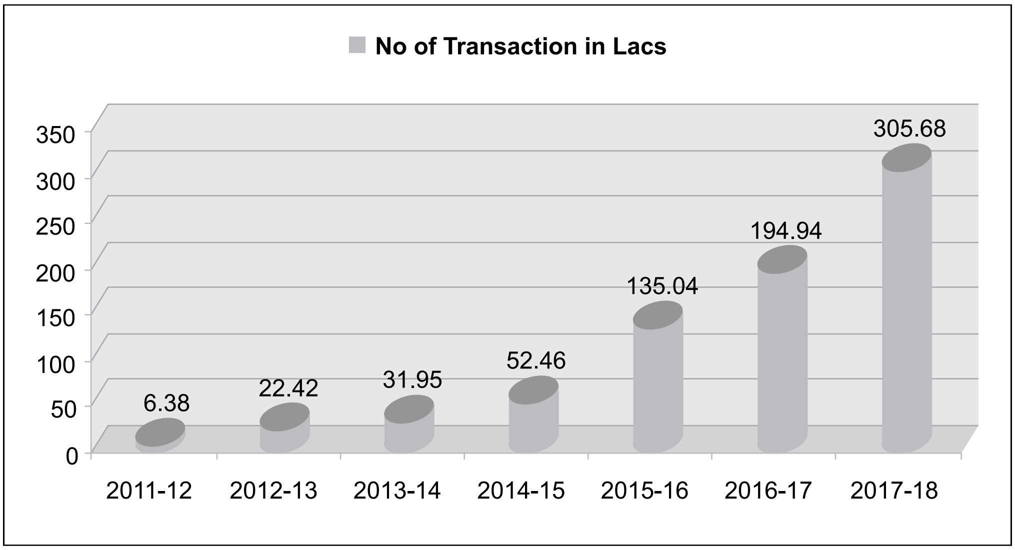

3. Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased to 305.68 lakhs in FY 2017-18 from 194.94 lakhs in FY 2016-17 (YoY growth of 56.81%).
4. **Business through BC:**

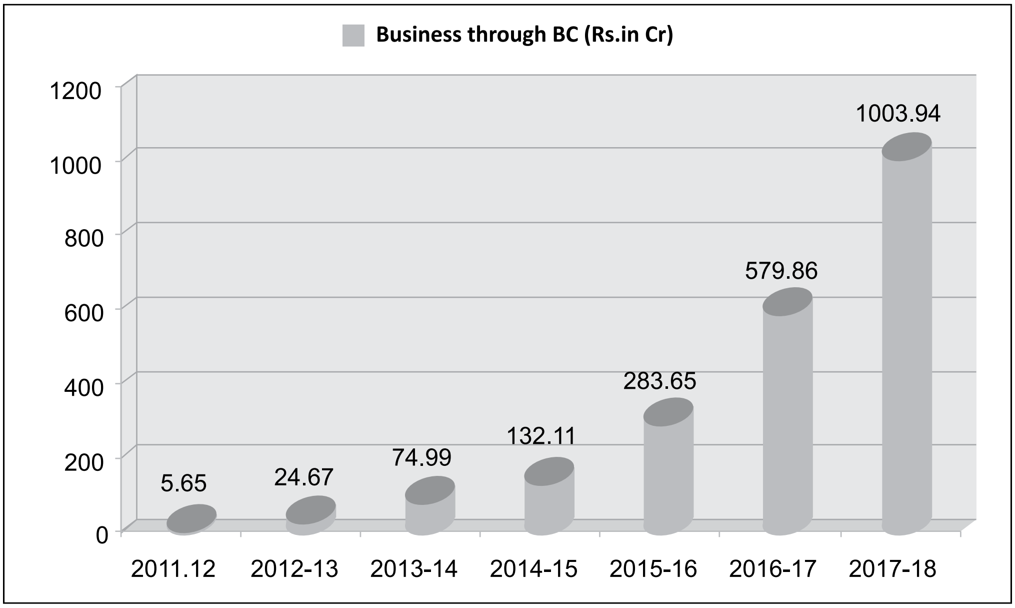

Business through BCs increased from ₹ 579.86 crore on 31 March 2017 to ₹ 1003.94 crore on 31 March 2018: an increase of 73.13%.

5. **Account Opening through BCs:**

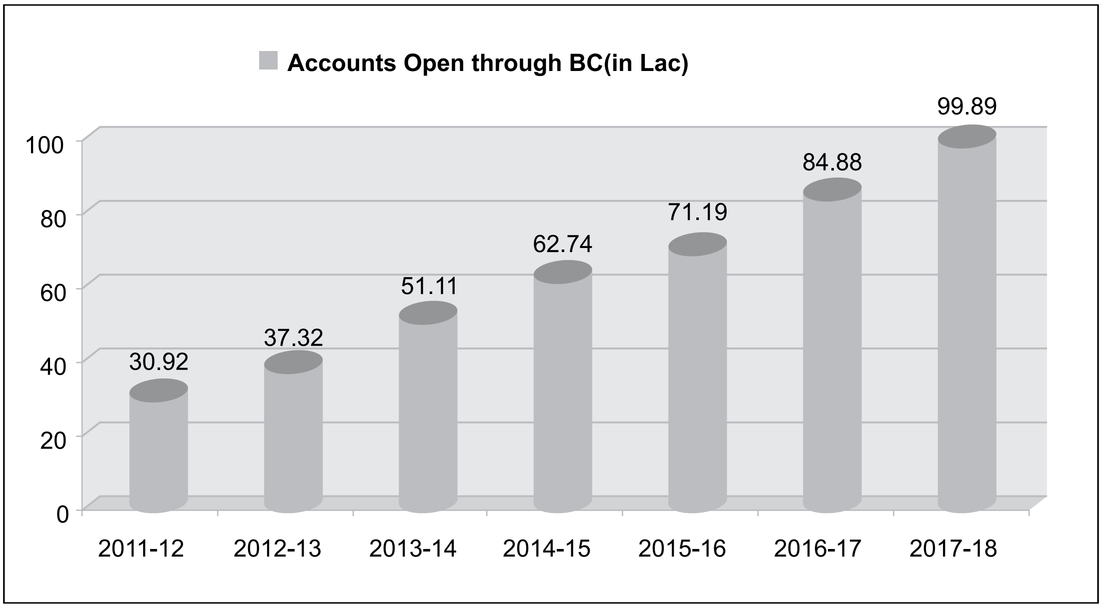

No. of accounts opened through BCs increased from 84.88 lakhs on 31 March 2017 to 99.89 lakhs on 31 March 2018: increase of 17.68%.

6. Bank has opened 184.19 lakhs Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) accounts through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is ₹ 2566.90 crore.

Major Achievements under FI-PMJDY during F.Y.2017-18

- Business through BC Outlets increased by 73.13%, from ₹ 579.86 crore to ₹ 1003.94 crore.
- FI Business increased by 24.00%, from ₹ 2070.14 crore to ₹ 2566.90 crore.
- Percentage of Aadhaar seeding is increased to 87.35% from 81.46% in PMJDY operative accounts and increased to 88.05% from 74.99% in all operative SB accounts.
- No. of Transactions through BC-Outlets increased by 56.81% i.e. from 194.94 lakhs to 305.68 lakhs.
- No. of BSBD Accounts increased by 7.78%; from 170.89 lakhs to 184.19 lakhs.
- No. of BC with business more than ₹ 10 lakh is increased by 60.30% i.e. from 1549 to 2483. Similarly No. of BC with business more than ₹ 1.00 Crore is increased by 138.10% i.e. from 42 to 100.
- Total enrollment under Social Security Scheme during 2017-18 is PMJJBY-10,50,200, PMSBY-28,64,191 and APY-3,07,513.
- Out of 4250 death claims,4106 claims are settled in PMJJBY and out of 1203 death claims,1125 claims are settled in PMSBY.

Performance under Lead Bank.

- We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spreading in seven States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (4). More than 50% and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts respectively.
- For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicle, computers/laptops (with skype installed) & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile, fax, establishing websites.
- To make the public/masses aware of various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman/Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMs.

- The overall achievement under Annual Credit Plan by our branches as comparing to the achievement of all banks in Lead Districts is higher and satisfactory level.
- We have selected one village in each Lead District for inclusive growth through empowerment, training skill development of youth and credit linkages. All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy/Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change. This is being replicated in other selected villages also in lead districts.

State Level Bankers Committee:

- Our Bank is the only convenor of SLBC in the State of Madhya Pradesh. During the year 2017-18, three regular SLBC meeting were held to review and monitor the progress made in the State under various parameters including Government sponsored programmes by different agencies. During 164th /165th SLBC meeting held on 18th September 2017, Shri Shivraj Singh Chauhan, Hon'ble Chief Minister of the State also participated.
- Due to constant follow ups with the Banks, the state could achieve 100% targets of "Gram Swaraj Abhiyan" of the Government of India under PMJDY, PMSBY & PMJJBY organized from 14th April 2018 to 5th May 2018.
- We wrote some suggestions to the Central Office of RBI (FIDD) on Lead Bank Scheme. The RBI on April 06, 2018 came out with a revamp of the lead bank scheme, with action points for various stake holders. We are pleased to inform that RBI has given importance to our suggestions and some points have included in the new circular. Viz. the corporate business targets for branches, districts and states may be aligned with the Annual Credit Plans (ACPs) etc.
- RBI vide their circular dated 06.04.2018 expressed the need of a standardized system to be developed on the website maintained by each SLBC to enable uploading and downloading of the data pertaining to the Block, District as well as the State. SLBC, Madhya Pradesh is the pioneer to start such functionality before the release of this circular and this system is a replica of SLBC-M.P.
- During several occasions, website maintained by SLBC-MP has been appreciated by many stake holders due to its modern features and look.
- Time to time, we have been raising the issues of banks with the State Government to "integrate the land records with the banks." We are pleased to mention that such functionalities are being developed by the State Government and it will be launched very soon.
- Despite various adversities in some of districts, the CD Ratio of the State has been 74.69% as on 31.03.2018.
- Due to constant follow ups, target under various government sponsored schemes viz. Chief Minister Self Employment Generation Schemes, Mudra, PMEGP, NRLM have been achieved by banks to the level of more than 100%.
- SLBC has been continuously monitoring the performance of banks under Annual Credit Plan. Resulting 100% target of State Credit Plan achieved during FY 2017-18.
- Our vision for the State is "An all-round and all-inclusive development of the State through which the life of citizens can become prosperous and they should have opportunities for putting in their best efforts according to their potential and contributing to the nation's development.
- We are the pioneer to hold Review Conference/Workshop of all Lead District Managers of the State to discuss various strategies to achieve the target of ACP, action plan relating to implementation of Financial Inclusion and integrating their roles & responsibilities in achieving the objectives.

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- We have opened 48 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2).
- All these centres have conducted 6048 outdoor visits to the villages extending literacy/counselling to 554250 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done.
- Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

- Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).
- During the year 2017-18, the RSETIs conducted 1280 training programmes and imparted training to 33428 candidates. Out of this, 23403 (i.e.70%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- 45 RSETI centres are graded AA, out of 46, RSETI, 01 centres graded AB. There is no RSETI Centre graded C & D.
- Government of India, Ministry of Rural Development has awarded our RSETI Certificate of Merit.
- Govt. of Maharashtra Awarded our RSETI Award of Merit WORKING IN Maharashtra State.

Other Initiatives

- Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- We have formed Governing Council at Apex Level with Chairman & Managing Director as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.
- We have started engaging retired senior bank officials with requisite competencies to act as Director, RSETI and Counsellor, FLCC with adequate man power support.
- Local Advisory Committee and Training Committee have been formed at District level with the representatives from all local development bodies.
- We have developed a model plan common to all 46 RSETI for constructions of building, 30 RSETI Building constructions have been completed out of 46 RSETI Buildings and rest are in progress.

MSME DEPARTMENT

1. PERFORMANCE : (₹ In crore)

Particulars	31.03.2017 (Audited)*	31.03.2018 (audited) Without PSLC	31.03.2018 (audited) With PSLC**	Y-O-Y% Growth without PSLC	Y-O-Y% Growth with PSLC
MICRO Enterprises	9397	10724	18249	14%	94%
MSE	26956	29503	37027	9.44%	37.36%
MSME (PS)	29531	33223	40748	12.50%	38%
TOTAL MSME	30701	34025	41550	10.83%	35.34%
% OF MSME ADVANCE TO TOTAL ADVANCE	20%	19.17%	23.41%		
RBI MANDATES (Prime Minister Task Force)	31.03.17 (Audited)	31.03.18 (audited)	31.03.18 (audited)	TARGET MAR-18	TARGET MAR-18
No. of Accounts in Micro Ent.	654726	676149	676149	720200	720200
% Y-O-Y Growth in Number of Accounts under Micro Enterprises	27%	3%	3%	10%	10%
RBI MANDATES (Prime Minister Task Force)	31.03.17 (Audited)	31.03.18 (Audited)	31.03.18 (Audited)	TARGET MAR-18	TARGET MAR-18
MSE Portfolio (Amt.)	26956	29503	37027	36024	36024
% Y-O-Y Credit Growth under MSE	(-)4.34%	9.45%	37.36%	20%	20%
% of Micro Credit to MSE Credit	35%	36.35%	49.29%	60%	60%

(*) After excluding IBPC portion of MSME Loan of ₹ 1637 Crore under Sale of loan assets of ₹ 22991 Crore.

(**) under PSLC Micro Enterprises Purchase ₹ 7525/= Crore and investment IN SIDBI ₹ 876 Crore in which Mudra Ltd. is ₹ 118 Crore.

Performance under MICRO Enterprises:

MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.17	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.18 without PSLC	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.18 With PSLC	ANBC As on March-17	STATUS ON 31.03.2017	STATUS ON 31.03.18 without PSLC	STATUS ON 31.03.18 with PSLC	TARGET MAR-18 (7.50% OF ANBC)
9397	10724	18249	166537	4.56% *	6.44%	10.96%	12490

(*) 4.56% of ANBC (as on March-16) ₹ 206155 Crore. Achievement index- 60.76%

INDICATORS	DETAILS
PERFORMANCE HIGHLIGHTS	❖ % of Y-o-Y credit growth under MSE is 9.45% without PSLC & 39% with PSLC ❖ % of Micro credit to MSE is 36.35% without PSLC & 49.29% with PSLC ❖ Bank achieved Y-o-Y growth in number of accounts under Micro is 3%. ❖ During the Financial Year 2017-18, settlement of claims under CGTMSE is ₹ 22.26 crore in 489 accounts. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of accounts is 100%. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of amount is 57%. ❖ Under PMMY our Bank's achievement is 82% of Target given by DFS, M.O.F, Govt. of India. As against Target of ₹ 3000 crore, our Bank could achieve ₹ 2477.14 crore under fresh disbursements as of Mar-2018 . ❖ 825 MUDRA Cards issued for ₹ 1.62 crore in this Financial Year.
INITITATIVES	**Updated Master Circular** on classification of MSME advances was made available for the field functionaries in the bank's intranet site for ready reference.
WAY FORWARD	Thrust is on Micro Enterprises for achieving Micro Enterprises target set by RBI and PMTF of 7.5% of ANBC. ➢ To achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/PMEGP Schemes, and Cent Weaver Mudra Scheme.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes was ₹ 48123 crore as on 31.03.2018. The Retail portfolio of the Bank was around 27% of its total advances. Retail grew by 50.35% over previous year.

	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
RETAIL CREDIT	34939	38505	32008	48123
TOTAL CREDIT	194967	190152	153008	177484
% OF TOTAL CREDIT	17.92%	20.25%	20.92%	27.11%

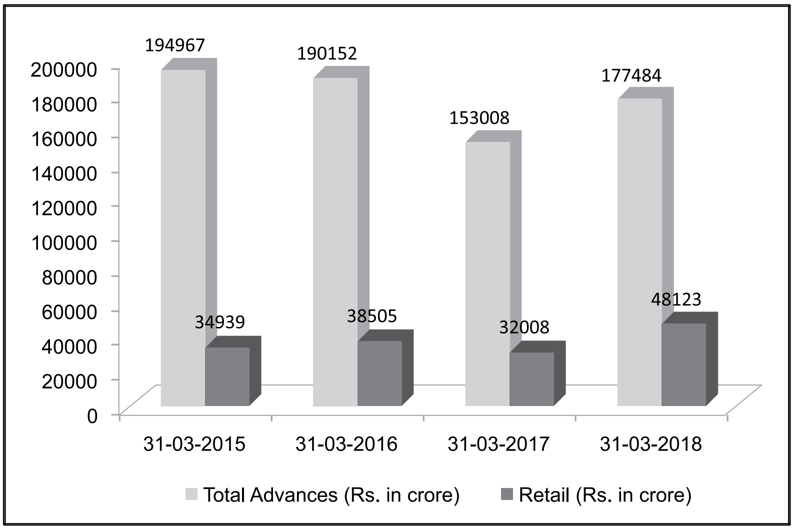

PRODUCTS and SERVICES:

1. The Bank has 38 schematic products on offer to general public catering to the distinctive requirements of the potential customers with clear differentiation.

Sr.No	Name of Scheme
1	Cent Home Loan Scheme.
2	Cent Home Double Plus Scheme.
3	Cent Home –CRGFTLIH Scheme.
4	Cent Home Loan Plus.
5	Cent Earnest Money Finance Scheme.
6	Pradhan Mantri Awas Yojna.
7	Cent Mortgage.
8	Cent Mortgage for Educational Institutions.
9	Cent Trade.
10	Cent Rental.
11	Cent Shop.
12	Cent Vidyarthi.
13	Educational Loan for Executive MBA.
14	Education Loan to the students of IIMS & 4 Reputed Institutions.
15	Cent Vehicle Scheme.
16	Cent Sahyog.
17	Cent Doctor.
18	Cent Personal Loan.
19	Cent Corporate Employee Loan.
20	Personal Loan to Pensioners.
21	Cent Suvidha.
22	Cent Personal Gold loan Scheme.
23	Personal Loan to Teachers and Employees of Educational Institutions.
24	Comprehensive Scheme on Channel Financing.
25	Loan Against Future Fees Receivable.
26	Reverse Mortgage Loan – Cent Swabhiman.
27	Cent Param.
28	Cent Combo.
29	Cent Liquid.
30	Cent School to HNI Customers.
31	Cent Home loan Scheme for purchasing 3rd or 4th house or flat.
32	OD Top-up facility to Cent Home beneficiaries.
33	Bihar Student Credit Card Scheme.
34	Cent Skill Loan Scheme.
35	Cent OD facility to Pensioners.
36	Cent Swabhiman Plus.
37	Cent Vidyarthi – NCGTC Guaranteed.
38	Cent Tech Vidyarthi

These products are directed towards different groups and for specified niche segments.

2. One new scheme was launched during the year - Cent Tech Vidyarthi -an education loan scheme for financing students of IITs. Purpose of the scheme is to provide educational loan for students of IITs with an opportunity to pursue education with financial support from the banking system with affordable terms and conditions.

3. In order to enhance the marketability of Retail products, certain changes were made in the schemes-Housing, Vehicle, Mortgage, Trade and Personal loan during the FY 2017-18.
4. CCPCs achieved performance Index of 83.34% in FY 2017-18 against performance index of 57.95% during 2016-17. More than 55% of all Housing Loans and more than 50% of Mortgage / Cent Trade / Education Loans were processed at CCPCs. All Retail products are processed through CLASS Module only.
5. New Retail Loans sanctioned during the year were 2.50 lakh accounts. In FY 2017-18 Av. Number of accounts opened per month by Retail branches is 4.43 against 4.12 in FY 2016-17, Av. Ticket Size of Retail loan sanctioned is ₹ 6.25 lakh against ₹ 4.25 Lakh in FY 2016-17.
6. In order to give boost to Retail credit - an aggressive campaign-Retail Dhamaka was launched during the month of December 2017. The objective was to achieve new sanctions of ₹ 3968 crore and increase in outstanding by ₹ 2000 crore. During the campaign period an amount of ₹ 4979 crore was sanctioned with achievement index of 125%. Against the envisaged staff participation of 25%, actual participation was 29%. 40% of branches have achieved the targeted sanctions. All branches of the Bank have participated in the programme with 100% activation.

INTERNATIONAL DIVISION

- Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 83 Authorized Dealer ('B" category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- As on 31.03.2018 the Export Credit portfolio of the Bank is ₹ 5694 crore in comparison to ₹ 5452 crore as on 31.03.2017; an increase of 4.44% over previous year.
- Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 42,332 crore in FY 2017-18 as against ₹ 38,269 crore in FY 2016-17.
- NRE Deposits increased from ₹ 4,457 crore as on 31.03.2017 to ₹ 4764 crore as on 31.03.2018; an increase of 6.89% over the previous year.
- FCNR Deposits increased from USD 217.86 million as on 31.03.2017 to USD 220.83 million as on 31.03.2018; an increase of 1.36% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- The investment portfolio of the Bank has increased to ₹ 1,05,294 crore (Including Non-SLR, Non-Transferable Govt of India Recapitalisation Bond ₹ 4835 crore) as on 31st March 2018 as against ₹ 93,792 crore as on 31st March 2017 thereby recording an increase of 12.33% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 7.40% as on 31st March 2018 vis-à-vis 6.66% on 31.03.2017.
- RBI reduced the Repo rates in FY 2017-18 by 0.25% to 6.00% and narrowed the policy rate corridor from 0.5% to 0.25%. Thus the Bank rate reduced to 6.25%.
- The Repo borrowing limit remained unchanged at 0.25% of NDTL and term repo to 0.75% of NDTL, along with discretionary variable term repo and reverse repo over and above the 1% NDTL, aiming to keep the rates closer to repo rate. Banks are required to bid in the auction to borrow in term LAF.
- In the volatile market and critical liquidity management situations, treasury recorded trading profit of ₹ 576 crore as compared to previous year trading profit of ₹ 1542 crore. The yield on investment (excluding trading profit) decreased from 7.38% during 2016-17 to 7.14% during 2017-18.
- In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Central and State Govt. securities amounting to ₹ 6262 crore from AFS to HTM and ₹ 8344 crore from HTM to AFS during 2017-18.
- The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2018 is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2018	31.03.2017
1.	SLR	81613.25	74070.73
2.	Non-SLR	23681.44	19720.83
	TOTAL	105294.69	93791.56

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Policy Committee (CRPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal/ Regional Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal/Regional Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' to look into various aspect of control & management of risk in the Bank.

Market Risk Management

- The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's Profit in the short run and equity value in the long run
- A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed and being implemented as per the Basel III guidelines on the Market Risk.
- The Bank has board approved Market Risk Management Policy to monitor the market risk in the portfolio. Counter party limits for Treasury operation have been fixed / reviewed as per their latest standing of the counterparties.

Credit Risk Management

- Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 28/12/2017.
- The Bank has procured the Rating Module from CRISIL Ltd.
- The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans, and same is in use.
- The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Policy Committee headed by the Executive Director.
- As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of developing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio.

Operational Risk Management

- The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy.
- Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk.
- Bank is developing models and building up qualitative and quantitative information for applying to RBI towards graduating to Advanced Measurement Approach. New Product Approval Policy Framework guides the Bank in mitigating the risks associated with new products or activities.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

- ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 23 times during the year to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate, MCLR and BPLR fixation. During the year 2017-18, revision was made Six (1) times in deposit interest rates and MCLR was reviewed Twelve (12) times.
- In terms of new RBI guidelines Bank has started calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) effective from 1st Jan'2015 on a monthly basis & the ratio is well above the threshold limit (i.e. 90% for 2018) fixed by RBI. The average LCR for FY 2017-18 is 253.30%.

Implementation of Basel III Guidelines

- Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2015. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel III norms and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- Bank is in the process of implementation of IRMS (Integrated Risk Management Solution) for moving to Advanced Approaches.
- All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.
- Bank is undertaking the necessary steps to graduate to IRB (Internal Rating Based) Approach.

RECOVERY DEPARTMENT

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters, One Time settlement Schemes. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

1. During the year 2017-18, though the Cash Recovery of ₹ 2403 crore, Upgradation of ₹ 785 crore aggregating to ₹ 3188 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (49 accounts of ₹ 50.00 crore and above amounting to ₹ 12685 crore).
    - Gross NPA level has gone up quantitatively from ₹ 27251 crore to ₹ 38131 crore, i.e. by ₹ 10880 crore.
    - Net NPA has increased quantitatively from ₹ 14218 crore to ₹ 17378 crore i.e. by ₹ 3160 crore
    - Gross NPA vis-à-vis total advances and Net NPA vis-à-vis net advances have increased from 17.81% to 21.48% and 10.20% to 11.20% respectively.
    - Cash Recovery has increased marginally from ₹ 2378 crore to ₹ 2403 crore (1.05%).
    - Cash Recovery in Written off accounts has increased from ₹ 121 crore to ₹ 410 crore (238.84%).
2. The One Time Settlement (OTS) schemes for recovery in NPA accounts were revised and Three OTS schemes have been introduced i.e. (a) Cent OTS Scheme Upto ₹ 20 Lakh (Without Security), (b) Cent OTS Scheme Upto ₹ 20 Lakh (With Security), (c) Cent OTS Scheme for Suit Filed with RLB above ₹ 20 lacs and up to ₹ 5 crore. The schemes had overwhelming response from field functionaries and reported maximum NPA accounts were settled under the schemes. The performance under OTS schemes - proposals settled towards o/s (RLB) of ₹ 856 crore with OTS of ₹ 568 crore.

3. The Bank launched "Mission Recovery"- A Special Recovery Campaign during Q4. There was overwhelming response from the field functionaries. Against a target of ₹ 1430 crore for Cash Recovery and Upgradation, Bank achieved ₹ 1404 crore (Cash Recovery + Upgradation) with achievement index of 98%.
4. OTS proposals, aggregating to ₹ 937 crore have been sanctioned at Central Office level through various Committees against which ₹ 338 crore have been recovered during the FY 2017-18.
5. During the year Bank has sold 2 NPA A/cs to ARCs – 289 Crore.
6. NPA Borrowers having outstanding of ₹ 50 lacs & above are being contacted individually by RO recovery team along with branch staff for its recovery.
7. Recovery in NPA accounts was major thrust area for the year 2017-18. The movement of NPA are being monitored closely by our executives on daily basis. The recovery in NPA accounts through legal actions and action under SARFAESI are reviewed during review meetings on regular basis and video conferences are being held with RMs and ZMs.
8. All NPA accounts above ₹ 5.00 cr have discussed. Necessary guidelines are issued accordingly. Recovery action is initiated by RMs, ZMs in the accounts. Progress made in the NPA accounts were reviewed in video conferences held on monthly basis.
9. Recovery Camps are being conducted every month. In such camps recovery in written off accounts and JMFARC accounts are also a part of this Recovery Drive.
10. ARB Branches are closely monitored to improve the Recovery performance.
11. National Lok Adalat at District level being organized on quarterly basis with active participation of RO/ZO and Law Officer.
12. Vigorous follow up with DRTs by the Legal Officers /Co-ordinators is being made to dispose off the pending cases.
13. Recovery in Written Off A/cs is also a thrust area. Separate targets for recovery in Written off accounts have been allotted to Regions / Zones to improve the position of recovery in write off accounts.
14. High value NPA accounts of ₹ 5.00 crore and above are assigned to Zonal Co-ordinators at Central Office for regular follow up.
15. All the Field General Managers/Zonal Managers were advised to identify NPA accounts of ₹ 10 lacs and above. These A/cs are assigned to officers for regular follow-up to upgrade /cash recovery in NPA accounts.

BANCASSURANCE

Insurance services are provided by our bank under corporate agency of LIC of India for life insurance and Chola MS General Insurance Company for non-life insurance products.

- The performance highlights for the year ended on 31.03.2018 :
- Bank stood 1st in canvassing number of life insurance policies and 2nd in mobilizing insurance premium amongst all Bancassurance partners of LIC of India. Bank has canvassed 25,659 policies with premium of ₹ 206 Crores.
- Under General Insurance business, Bank has mobilized 2,01,218 policies with premium collection of ₹ 87 Crores.
- Total earning from Bancassurance business is ₹ 21.42 crores which is a y-o-y growth of 28%.
- Augmented number of Specified Persons (SP) by 504 during the year. Now we have 2868 Specified Persons to carry Bancassurance Business.
- The Bank is in the process of adding new Insurance Partners under Open Architecture Scheme of IRDAI. Once identified the new Insurance Partners are expected for Philip to our Bancassurance Business.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital market Services Branch located at Fort Mumbai. The branches in major centres facilitate opening of the accounts, buying & selling, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 22645 Demat account holders.

ON- LINE TRADING

Bank is offering "On-Line Trading" facility with Trade name "Cent –e-trade". Customers maintaining bank account and Demat account with the bank are offered on-line-trading facility for trading in Equity Shares and Derivatives under arrangement with leading broking firm, M/s. Angel Broking Ltd. As on 31.03.2018, Bank is having 690 accounts for On-Line Trading.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for on-line trading and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. CORE BANKING SOLUTION:

- The Bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010.
- The Bank has put in place state of the Art IT infrastructure and automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the service to customers.
- Updation/ augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements are done in tune with future business projections and other statutory and security obligations.
- Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy.
- All Policies and Procedures are also introduced to safeguard the assets of the bank to safeguard interests of the customers.
- Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss.
- Many new functionalities are being implemented as per requirements on an on-going basis.

2. NETWORK & CONNECTIVITY

- Bank's Corporate Network covers 4923 locations consisting of branches, extension counters, ARBs and administrative offices.
- Bank has also tied up with multiple service providers for procurement of 2 Mbps Wired/ Wireless Link/RF/VSAT link either as primary or as back up depending upon the feasibility and requirement.
- Bank is also undertaking bandwidth upgradation.
- Constant monitoring and controls are introduced for maintaining almost 100% uptime during branch working hours.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

3. INTERNET BANKING

- The Internet Banking (INB) facility is capable of catering to 10000 users concurrently. Some technical upgradations have been done in this year which include introduction of TLS 1.2 by replacing the SSL 3.0 to ensure better security of the transactional data. Internet Banking Database has been upgraded from Oracle 11g to 12c.
- Internet Banking facility with new look and feel has been extended for our customers with a wide array of products and facilities. They include on line password generation for Retail & Corporate customers, Introduction of multiple 2FA (OTP, GRID, & Digital Signature) options for customers to make transactions using their choice and convenience. Funds transfer, On line Tax credit view, Utility bill payments, On line Tax payment for various Govt., Airlines / Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Fees collection for various Institutions/Universities, Govt. e-payments/receipts, customized account statements in addition to regular statement of account, On line time deposits including NRE/NRO deposit creation.
- New facilities such as:
    1. Group 79 has been created for corporate users to enjoy facility of tax payment only
    2. Additional facility of view only Admin launched for RO and Non Officers for enquiry and support purpose,
    3. Online sovereign Gold Bond request through INB,

4. Facility of card controller through INB to enable, disable and control limits for cards,
5. Revamping of CBDT module to facilitate high volume Tax collection through INB,
6. Integration with Rajasthan Payment portal for online tax collection.
7. Integration with Bihar state treasury Portal (CTMIS): for collection of taxes through INB

- Revamping of IMPS setup with extension of facility to Branches.
- IRCTC ticket booking, e-Freight for on-line Railway Freight booking by corporate customers etc. RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking and NEFT functionality is currently available 24*7 through INB including Bulk upload for Corporate (Non personal) INB customers. The facility of a light weight payment page has been introduced to facilitate faster online transaction processing.
- Bank has deployed entirely new module through Payment aggregator, for tax collection for Odisha, Bihar Govt. and Prime Minister National Relief Fund where customers of more than 40 banks can pay taxes. Bank has also implemented payment systems for Ministry of civil services, Food and other e-PAO's.
- Central Bank is one of the first banks to integrate with e-biz, mission project launched by DIPP for facilitating online payments. Various state Govt. taxes / fee collection has been enabled through our Bank.
- Additional facility of customized statement of account for corporate customers is available. Facility for bulk upload through NEFT is also available under Corporate Internet Banking. Corporate customers can choose various options while availing Internet Banking as per the requirement of customer.
- Corporate customers can now be offered INB with view only / INB with tax & Utility Bill payment only facility in line with the facility already available for personal INB customers.

4. Interfaces:

New interfaces have been developed for the following projects:

- Customisable module for Fee collection using web services for realtime fetching of fee details and updation after successful collection at Branches. This module can be configured to add new institutions at short notice by providing generic API for institutions to consume and start fee collection.
- Dept. of Social Justice (DoSJ) Madhya Pradesh pension processing on single click. This is a prestigious project pf MP govt. where 36 Lac Beneficiaries get the pension in one go.
- Dept. of Social Justice Haryana pension processing. This project is aimed at crediting beneficiaries of our Bank through a single file upload.
- Dept. of Gram panchayat (DoGP) Madhya Pradesh: A facility to upload digitally signed files on Bank system for straight through processing has been provided to DoGP. Additionally the functionalty also generates account statements for the accounts daily and updates the DoGP setup.
- Rajasthan Payment Portal (RPP): A facility to upload digitally signed files on Bank system for straight through processing has been provided to RPP.
- Sharing of account statements for FCRA accounts held with our Bank. The existing setup of PFMS account validation has been reused to provide Ministry of external affairs the information sought regarding the FCRA accounts maintained with our Bank.
- EVC using Bank account: The facility of Electronic verification (EVC) of Income Tax return filing using account number of the customer has been developed.

5. Digital Signer setup

A setup to send digitally signed account statement through e-mail to our Bank customer has been procured through an RFQ process. The facility also provides an option to share the infrastructure with other IT projects for signing and dispatching documents automatically to customer e-mail IDs.

6. M-PASSBOOK

- Mobile based M-Passbook has been introduced for customers, which has been highly rated by our customers in Google play store.

7. SMA-NPA TRACKER

- Loan and NPA Monitoring forms an important part of the Bank's regular activities. SMA-NPA Tracker solution has been implemented in our Bank which aims to facilitate the field functionaries and ensures better monitoring of loan portfolio and tracking of their day to day activities. The solution is deployed on centralized server and can be accessed from Mobile Apps, browser of desktop/ laptop/ tablets and phones.
- The product is made available to staff members through
  1. Desktop PCs within Bank's Network.
  2. Mobile Phones through the Application (Android, Windows, Blackberry and IOS)
  3. On mobile website accessible through internet.
- The product has been used for the help of the field staff during the Mission recovery campaign. Various automated reports during the campaign period were generated on daily basis to aid in monitoring of the progress of the Mission recovery.

8. BHARAT BILL PAYMENT SYSTEM (BBPS)

This is a new initiative by NPCI to address the concerns of Bill payment business. Our Bank has got regulatory licence to participate as an operating Unit under this initiative same is being implemented. The website has been developed and certified from NPCI. It is under internal testing and scheduled for launch for public.

9. SMS BANKING/ ALERTS

- SMS banking setup provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Presently, SMS alerts are sent to customers in 15 different Indian languages as per their choice for the 1) Debit / Credit in account above ₹ 1000/- in saving account and ₹ 10,000/- in Current/ OD accounts 2) clearing Cheque is bounced. 3) Account balance is below the prescribed minimum level 4) Fixed Deposit maturity before 7 days.
- SMS alerts are also sent for maintaining control and monitoring to Branch Managers and higher officials to enable them to monitor critical activities of branches for better housekeeping and maintenance of accounts including monitoring of NPA.
- RFP for empanelment of the new SMS vendor has been successfully completed. During the RFP process additional facilities to send e-mail and voice messages have also been procured at very competitive rates.

Card Control Features

Card Control features introduced in Mobile Banking app enabling customers to perform the following functions through mobile banking related to Debit card:

- Temporary suspension of Debit cards.
- Re-activation of suspended Debit cards
- Setting of ATM Cash withdrawal and E-Com/POS purchase per day limits of Debit Card for Domestic and International transactions.

10. MISSED CALL ALERTS:

- This facility is available to our CASA customers, whereby customers receive SMS regarding balance and last three transactions free of cost by giving missed call to 9555244442 and 9555144441 respectively. Bank is also in receipt of appreciation from Indian Banks' Association for this new customer initiative.
- The facility has been upgraded to accommodate account balances and mini-statement for multiple accounts of the same account holder.

11. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):

- Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application supported by Blocked amount (ASBA). We offer ASBA facility to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the Bank to block the application from his/her Bank account and thereafter remit the allotment amount. The facility is also extended to syndicate ASBA and e-IPO.

12. MOBILE BANKING

- Cent Mobile is a Mobile Banking Application of the bank. Users can access most of the banking services anywhere anytime through internet enabled handsets through Mobile banking application. Cent Mobile is available for Android, Apple (iOS), Windows and Blackberry platforms. It can be downloaded from respective Play Store/ App Store. Pre login options are accessible to all. Post login options can be accessed by customers of Central Bank of India after completing one time registration process.

- The functionalities available through Cent Mobile application as follows:-

Pre Login Options:

- Contact details of Central Office/ Zonal/ Regional Offices/ Branches including- office address, phone number, email address, MICR Code, Pin Code, IFSC Code.
- Branch and ATM Locations - mobile handset GPS based list of nearby ATMs or Branches. State, District, Centre or Pin code based pan India search option is also available.
- Map showing distance/ driving directions for ATM/ Branch/ Admin Offices.
- Touch dial to display phone numbers of Branches/ Admin Offices/ Call Centre.
- Link for Corporate website, Official social media pages (Facebook, Twitter), email address.
- Information banners related to products and services of Bank with zoom option.
- Interest rates on Savings and Time Deposit for different maturity periods.
- Interest rates on selected Retail Loan Schemes.
- Touch dial to Missed Call service of Bank for getting Account Balance or last few transactions over SMS (available to Customers registered for this service).
- Real time Notifications/ Alerts regarding new launch/ offers/ modification in schemes etc.
- Search FAQ content based on key words.
- BHIM Cent UPI Link

Post Login Options

- **Account Related Features:** Account Balance Enquiry, Account Details, Mini Statement, Fund transfer to accounts with Central Bank of India, Fund transfer to other bank accounts through NEFT, Fund transfer to other banks through IMPS, Donation to selected Institutions and Open New Time Deposit Account (RDS, FDR and MMDC Accounts).
- **Requests:** Card Blocking, Link Account to Aadhar Number, Request for personalized ATM (Debit) Card, Request for Cheque Book, Request for Stop Payment, Request to Revoke Stop Payment, Cheque Status Enquiry, Registration for getting Account Statement over Email and NEFT Status Enquiry.
- Option to submit feedback/ suggestion/rating for Cent Mobile Application.
- **Bill Payment services:** Utility Bill payment, Mobile/ DTH Recharge.
- **Credit Card Services :** Central Bank Card related information such as Available Limit, Billed Amount, Unbilled Amount, Last bill summary, Card Statement, Reward Points, Central Card contact details and Central Card Bill payment and Request for Credit Card Blocking.

Card Control Features

i) Debit Card Control

- Debit Card Control module introduced in Mobile Banking app enabling customers to perform the following functions through mobile banking related to Debit card:
- Temporary suspension of Debit cards.
- Re-activation of suspended Debit cards
- Setting of ATM Cash withdrawal and E-Com/POS purchase per day limits of Debit Card for Domestic and International transactions.

ii) Credit card Control

- Credit card Control module incorporated in Cent Mobile application containing the following features:-
- Viewing of credit cards

- Temporary suspension of domestic and International credit cards
- Re-activation of suspended domestic & international credit cards
- Setting the E-com and POS monthly transaction limit for Domestic and International credit cards

13. KIOSK BANKING:

Bank has implemented 254 self-service kiosk machines with facilities viz. cash deposit, balance enquiry and 407 Multi-function Kiosks with facilities viz. cash deposit, balance enquiry, mini statement, passbook printing, Cheque deposit and Internet Banking.

14. UNIFIED PAYMENT INTERFACE (UPI)

BHIM Cent UPI, the Unified Payment application (UPI) of the bank is available on Play Store for Android and iOS with the following features:-

1. Send Money using
   a. Virtual Payment Address(VPA),
   b. Account Number and IFSC
   c. Mobile number and MMID
   d. Aadhaar Number
   e. QR Code
2. Collect Money by sending collect request
3. Creation of Payment address for Bank Accounts
4. Manage Payee
5. Balance enquiry
6. Transaction history
7. Know Transaction status
8. Raise Complaints
9. Generate / Change MPIN
10. Notification for collect request
11. Approval Of collect Request
12. Auto detection of OTP
13. Resending of OTP
14. Hindi Language option for UPI application
15. BHARAT QR to scan and Pay through UPI
16. VPA block option to users for specified period

15. BHIM Referral and Merchant Cash back scheme

Government Of India launched two schemes i.e. a) Referral Bonus schemes for Individuals b) Cash back scheme for merchants for promoting the usage of digital payments through BHIM UPI is implemented in the bank.

OTHER PROJECTS

16. WEB SITE:

- Sensing the need of customers, look and feel of the website is undergoing constant change. Website provides apply online facility for Deposit Accounts and availability of Lockers at Branches etc.
- Online submission of application for MSME loan through the website.
- Grievance can be logged by the customer and can check the status.
- Bank has taken all measures to ensure security on Internet Banking and Bank’s official website. Security Audit is done on quarterly basis.
- Utility bill Payment link on the website through cent Smart pay.
- Various central/ State tax payment links available on the website for convenience of the customer.

17. RBI PAYMENT GATEWAY SYSTEMS:

- 4,836 Branches/ ECs/ SSBs/ Offices have been enabled for RTGS and 4,824 Branches/ ECs/ NBOs/ offices enabled for NEFT as on 31st March 2018. Both NEFT & RTGS are under Straight through Processing (STP) in our Bank.
- Bulk NEFT facility is available to branches to remit funds to multiple beneficiaries at a time.
- RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking System for Retail and Corporate Customers. 3 RRBs have also been provided NEFT facility through our Bank's Payment Gateway. Additionally, bank has extended NEFT facility to 40 Co-operative Banks under Sub-membership arrangement.
- Next Generation RTGS (NG-RTGS) is functional in our Bank since its launch by RBI.
- Next Generation RTGS (NG-RTGS) facility had been extended to 39 sub-members Co-operative banks of Madhya Pradesh.
- Facility of Collection of funds on basis of Virtual account number has been provided to DDA, Allen Career institute & India Trade Promotion Organization (ITPO).

18. ENTERPRISE SERVICE BUS (PAYMENT INTEGRATOR SOLUTION)

Capacity building exercise has been done to avoid delays in payment processes due to queue up and introduced multi thread processing to meet timelines. Bank implemented a payment integrator solution viz. IBM Integration Bus (IIB) for effective functioning of various batch processing functionalities like Electronic Clearing System (NECS), Govt. Payments (GEPG), Pension Processing, EFMS –Account No. Based, Lien Lifting and Transaction processing (source app ASBA), HRMS Integration for salary payments, Integration of Inward SWIFT Message (MT103), Co-operative Bank NEFT, Speed Remittance, NGRTGS, CPSMS – Digital signature validation, PAN validation (at the time of CIF creation in CBS), E- Remittance (Flash Remittance), Integration of Treasury, RTGS for DDA, Aadhar Based EFMS, MNREGA Aadhar Seeding, CTS, CMS with core banking System, IMPS, Unified Payment Interface, Khazana, PMJBY etc.

19. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

As per RBI guidelines, Cheque Truncation System (CTS) has been successfully implemented at:

- 77 identified Centers for CTS in Southern Grid
- 61 identified Centers for CTS in Northern Grid
- 75 identified Centres in Western Grid

20. CALL CENTRE

- Bank has established a Call Centre since July 6, 2011 and is functioning smoothly.
- Presently the Call Centre is offering various services like Information on Bank's products and services, Information on Branch/ ATM Location, Information on Interest Rates and Services Charges, Balance Enquiry, Transaction Enquiry, Enquiry on Cheque Number, Debit Card Hot-listing, Enquiry on Interest Earned / Interest Paid, TDS Enquiry, Transaction Details, Status of Cheque issued or deposited, CD/CC/OD limit and Interest enquiry, Recording of grievances and feeding it in Bank's Customer Grievances system for its redressal at an appropriate level. Bank has implemented CRM at Call Centre.
- For convenience of the customers IVRS system has been implemented at Call Centre.
- Taking into account the increased expectation of the customers and to reach out to them in a most effective way, a new Call Centre is established. Bank is making outbound calls to create awareness of products offered.
- For redundancy of lines for outbound calls to customers for feedback/guidance, product awareness etc two links of different service providers have been installed.
- Periodical Trainings to Call Centre executives are being provided by various technical teams at DIT for instant resolution of various queries raised by the customers.
- Bank has upgraded to an advanced call centre with more seats and covering more functional areas with new call centre number 1800221911.

21. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR)

Bank has set up a Single Data Repository which will be the source to provide information/ reports across the Bank. This will ensure consistency in reporting maintaining single version of truth providing various Dashboards to Top

Management thus enhancing the Decision Support System. Static ALM, Dynamic ALM, Fund Transfer pricing, Analytical CRM and Corporate Performance Management (Planning & Budgeting) modules are implemented under SDR Project.

22. HRMS

- Bank has implemented a State of the Art HRMS solution (CENT SWADARPAN) from Peoplesoft, covering functionalities such as Employee Self Service, Performance Appraisal Management, Payroll Management, Tour Approval and Claim Processing, Management of LFC, Leave and attendance administration, Employee Information System, Staff Loan Processing, Management of Medical Aid, HRD / Legal Department, Disciplinary Action Division (DAD), Gratuity Management/ Payment, Provident Fund Data Management and Payment, NRW Payment Processing, Allotment of Residential Quarters, Newspaper/ Conveyance reimbursement, Reports (Staff Strength, Payroll, Form 16, Leave, Union, Increment Report), Training Management and Manpower Training (MPT), Investment, Promotion Exam Request Form, Annual Performance Appraisal Form and related reports, Brief case, Silver Jubilee Award Reimbursement, Furniture & Fixtures, Transfer of officers, Rent reimbursement facility Leave Passbook ,VRS.
- Bilingual facility is made available in HRMS. Bank has also established a DR set up for HRMS.

23. INHOUSE DEVELOPMENT

- Bank has a robust IT development Team which effectively handles software requirements of the Bank thus avoiding outsourcing of developmental activities, wherever possible.
- **Following In-house development completed:**
  - Perfomatrix—A mobile Application developed to display figures of various Business parameters of Branches – Current, last quarter, last FY and previous year

    Also shows the growth of digital transactions
  - e-Vigilance – complaints Monitoring System (V-CMS)
  - Portal for Staff including circulars, manual of instructions, Various schemes
  - Portal for updation of data to generate xml files for NCGTC (MSME, RETAIL).
  - Portal for Retail Dhamaka
  - Portal for Financial Outsourcing
  - Portal for audit reporting
- **Projects under Development:-**
  - Portal for CMC Reporting.
  - Portal for Printing and stationary
  - Portal for Anina and Other liability –Entry wise details

24. RRBs SPONSORED BY THE BANK:

Currently Bank has 3 RRBs with 1629 branches. All the branches are under Core Banking solution and efforts have been made to bring up the technology initiatives of RRBs at par with the initiatives undertaken in the Bank. The entire system is revamped to take on the requirement of the bank till August 2020. Hardware, Network and Security equipment etc. which were procured through RFP process has been installed and commissioned. Renewal has been done envisaging expansion of branches and business growth of the RRBs. At present RRB branch network is primarily on VSATs. Therefore, implementation of MPLS Leased Lines has been considered for all the branch locations in the renewal process. Leased Line link has been commissioned in 48% of the branches which were found feasible.

Efforts have been made to implement all technical initiatives of the sponsor bank and major initiatives are as under:-

- EMV chip based ATM card facility for RRB customers
- SMS alert introduced at RRBs
- Online interface for FI transactions
- Introduction of Kisan Credit Cards
- Implementation of CPSMS

- Ultra Small Branches functionality
- Introduction of APBS/ACH
- CIBIL data extraction
- Implementation of Biometric Authentication solution for branch CBS users.
- POS facility through Rupay Debit Card
- Implementation of AEPS
- Comprehensive IS Audit of RRB is completed
- DBTL/ ACH is implemented in all 3 RRBs
- Implementation of eKYC
- Implementation of Rupay Card transactions through MicroATMs.
- Introduction of Circular Portal.
- Registered Biometric device implementation
- Demographic Authentication for all the RRBs
- BC OD mapping at BC point
- Implementation of IMPS
- Implementation of Ckyc

25. FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES:

- All financial inclusion initiatives are implemented as directed by the government by providing required technology support.
- Aadhaar Payment Bridge System (APBS) is live.
- DBT for LPG Consumer implemented and monitored for lowering rejections.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) is live.
- Aadhaar seeding through alternate channels also – ATM, SMS and Internet Banking
- e-KYC - implemented at all branches and @ BCs.
- Demographic Authentication – Live into production environment and performing Demo Auth transactions via NPCI.
- Introduction of 3 Social Security Schemes in CBS viz. Atal Pension Yojana, PM Suraksha Bima Yojana and PM Jeevanjyoti Bima yojana.
- RuPay card transactions via BC devices are live in production.
- Aadhaar-based login for BCs functionality has been moved to production environment and all active TSPs are live on the same.
- Bulk SMS facility is implemented in production for those BCs who are not logging in on a particular day.
- Separation of Aadhaar seeding and Aadhaar Mapping moved in production as per NPCI guidelines.
- Mandatory field for Aadhaar, Mobile and Nomination is moved in production.
- Aadhaar based merchant payment functionality moved to productions and made live.
- Restriction of transaction limits @ BCs on different channels i.e. IFIS, AEPS ONUS, AEPS OFFUS, RuPay card was implemented.
- Name display before cash deposit & withdrawals in IFIS/AEPS ONUS Transactions @ BC Points/ Micro ATMs was enabled.
- Migration of Unregistered Public devices (both at BC points and branches) to registered devices for performing transactions was implemented as per guidelines of UIDAI.
- Aadhaar Authentication through e-KYC was enabled both for new accounts (compulsory) and existing accounts.
- Enrollment facility of PMJBY & PMSBY at BC points.
- Facility of performing SHG transactions at BC points.

26. IT GOVERNANCE.

The necessary structure for IT Governance has been set up with the formation of IT Strategy, IT Steering & IT Risk Management Committees in the Bank.

- IT Policy Version 1.5 was approved and adopted by the Board. The IT organizational structure should commensurate with the size, scale and nature of business activities carried out by the bank and the underlying

support provided by information systems for the business functions. The broad areas or functions considered for IT organizational structure will include 'technology and development', 'IT operations', 'IT assurance', and 'supplier and resource management'. IT Department should ideally be headed by a Top Executive in the Rank of General Manager supported by Deputy General Managers. Each functional vertical of IT department should be headed by suitably experienced and trained senior officials, preferably not less than the rank of Assistant General Manager.

- The Bank has also adopted Patch Management Policy, Acceptable Use Policy, Anti-Piracy Policy, Electronic Gadget & IT H/W Policy, H/W Disposal Policy, Data Migration Policy for better Management.
- Preparation and submission of Balance Scorecard is carried out on regular basis and Performance rating under various parameters of IT projects is being done as per the advice of IT Strategy committee.

27. INFORMATION SECURITY.

- Bank's Data Centre (DC) and Disaster Recovery Centre (DRC) are certified for ISO 27001:2013 ISMS standards and ISO 22301:2012 BCMS standards.
- Measuring the effectiveness of various information security controls/activities on quarterly basis through the concept of Information Security Balanced Score Card.
- Regularly participating in Cyber Drill conducted by RBI and CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team).
- Privilege Identity Management (PIM) solution has been implemented to manage the activities of privileged users of various systems in the Bank.
- Security awareness initiatives for customers as well as staff on regular basis. Bank received Skoch Order of Merit award as well as Skoch Gold Award in this category
- Ensured necessary steps for strengthening the cyber security posture of the bank in line with industry best practices and RBI guidelines on "Cyber Security Framework for Banks".

28. BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR CBS USERS (STAFF):

- Bank has completed implementation of Biometric authentication system (BAS) as an additional security measure.
- All the branches and offices enabled for biometric authentication and all the users with transaction capability have been made mandatory to login on CBS through Biometric Authentication

29. JEEVAN PRAMAAN

Jeevan Pramaan application for Digital Life Certificate Generation for Pensioners has been installed at all the RO/ ZO/ branches of our Bank. Central Govt/ Defense/ State Govt pensioners can be enrolled for Digital Life certificate from any ZO/ RO/ Branch Location.

30. CENTRALIZED LOAN APPRAISAL SYSTEM AND SUPERVISION (CLASS)

- This is implemented with Monitoring Module for Retail, Agriculture, MSME and Corporate Loans.
- After the introduction of this system, the enforcement of credit rules for sanctioning of loans has become easy and the procedures have become uniform across the branches.
- At present, this software is used by all the branches for Loan origination of Retail Loans etc. A facility for online submission of retail Loan applications under this software is available.
- Both online and offline loan applications tracking facility is also available through this software over the internet.
- Newly Launched NSDL Vidyalakshmi Portal for education Loans is linked with CLASS already and Phase II implementation for automation of NSDL Portal is implemented and it is in use by the branches.
- This software is capable of displaying RBI defaulters list. And NPA module is under Testing phase & will be put to production.
- Consolidated 5 Years renewal of AMC/ ATS of Application, Middleware, Hardware of Licenses is executed with vendors through negotiation & RFP.
- Many new functionalities are under process and being implemented as per requirements from the user department on an ongoing basis.

31. SARAL TDS WEB APPLICATION

Centralised e-TDS Management Solution implemented on 06-10-2015 which facilitates monthly IT challan generation for remittance of TDS and filing IT returns.

32. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

Cash Management system implemented on 01-01-2015 which facilitates corporate customers to manage liquidity, account balances, payments and other Cash management functions. The application has two main modules viz. Payments and Collections.

33. ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

AMLOCK application implemented on 15-06-2015 which facilitates generation of the mandatory reports (daily/ monthly) like STR, CTR, NTR, CCR and CBWTR which are being filed with FIU.(Financial Intelligence Unit).

34. MISCELLANEOUS PROJECTS

- Implementation of Integrated Risk Management System
- Implementation of Fraud Risk Management System
- Bank is in the process of Digitalisation of documents with implementation of Document Management System (DMS).
- SAS –Market Risk project made live since 26/04/2017.
- Mail Messaging System & Video Conferencing through NIC
- Review of existing IT related policies
- Implementation of Digital signature for Corporate INB customers
- Regularization of usage of licensed products like Microsoft Office
- Implementation of OTP as a second factor of Authentication for Debit Cards
- Wide usage of Video Conferencing facility, which is made available on Bank's corporate network, Internet & iPads
- All regulatory compliance requirements that came up during the period.
- Off-site Monitoring: 89 alerts have already been provided to Audit department for
- Off-site monitoring.

35. SWIFT

- SWIFT is used for cross-border Transactions only. Forex Branches transact in SWIFT whenever a cross-currency transaction comes. Standard Messaging system where message is sent /received through SWIFT platform and settlement happens at NOSTRO/VOSTRO Account Level. Various Type of SWIFT Messages each for Different purpose.
- SWIFT is enabled in 72 branches in our Bank as on 31-03-2018 for cross border remittances.

36. New Trade finance module (FX-24) was implemented on 03/04/2018 in place of Exim bills module.

Salient Features:

- Web based solution and hence available to all branches of our bank.
- Complete integration with Export Data Processing Management System (EDPMS) of Reserve Bank of India. Due to this, bank could achieve 76% compliance in EDPMS reporting against the RBI stipulated compliance of 70%.
- Complete integration with Import Data Processing Management System (IDPMS) of Reserve Bank of India.
- Compliance with Master Directions of Reserve Bank of India with regard to Imports and Exports
- Compliance with Customer Information Facility Number (CIF) de-duplication.
- Facility to part discount export bills/part payment of import bills
- Using Cross currency forward contracts in all the modules (Outward remittance, inward remittance, Export and Import transactions).
- All Important reports available in PDF/Excel format to all users.
- Utilization of combination of ready, forward and card rates in a single transaction.
- Double authorization for financial transactions of Rupee equivalent of 10,00,000 and above.
- Foreign Inward Remittance certificate (FIRC) printing.

- Interest equalization based on 416 permitted HS codes of DGFT/RBI (both for Preshipment and post shipment),
- Offsite monitoring alerts (16 alerts) are generated and provided to Audit department for monitoring.
- Functionality for advance payment against exports/imports

Along with the Trade finance module, bank has also implemented Supply Chain Finance module in Corporate Finance Branch, Chennai for corporate customers.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. The periodicity of Risk Based internal Audit depends upon the specific Risk Rating awarded to the branches. Accordingly 4091 Branches were subjected to RBIA during 2017-18. There were 2255 branches with Medium Risk Rating, 2405 branches with Low Risk Rating and 37 branches with High Risk Rating as on 31.03.2018. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk category.

During FY 2017-18, 32 Regional Offices, 11 Zonal Offices and 11 Central Office Departments were subjected to Management Audit.

As on 31.03.2018, 875 Branches/SSB/CO Depts. were covered under Concurrent Audit by the Firms of Chartered Accountants/Bank officials. All 7 Corporate Finance branches and 5 other branches are under concurrent audit by Bank's own official of Senior Management Grade. Around 56% of total business of the Bank and 68% of aggregate advances as of 31.03.2018 are covered under Concurrent Audit. Concurrent audit assignment was awarded to 863 Chartered accountant Firms, out of which 401 firms are RBI Category I, 208 are category II, 148 are category III and 106 are RBI Category IV firms.

Bank conducts annual revenue checking exercise from 1st March to 10th March every year through firms of chartered Accountants, Internal Auditors and other officials to ensure booking of legitimate income in the books of Bank.

In compliance to RBI directives, Legal Audit in 696 eligible accounts has been carried out during 01.04.2017 to 31.03.2018 and re-verification of title deeds was done with relevant authorities.

Bank ensures strict compliance culture at branches through periodic inspections and audits. Bank also conducts Compliance Audit of branches on random basis to ensure correctness of audit compliance submitted by auditee branches. During FY 2017-18, 368 branches were subjected to compliance audit.

Bank is also under Offsite Monitoring system to monitor the transactions at branches, above the threshold limits fixed under various scenarios. Presently alerts are generated on 89 scenarios.

Bank had conducted special audit of swift messages sent by its AD branches and no irregularity was observed.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2018, Bank has network of 4685 branches, 4886 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. Bank is having pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 626 Districts out of 707 districts in the country.

DISTRIBUTION OF BRANCHES

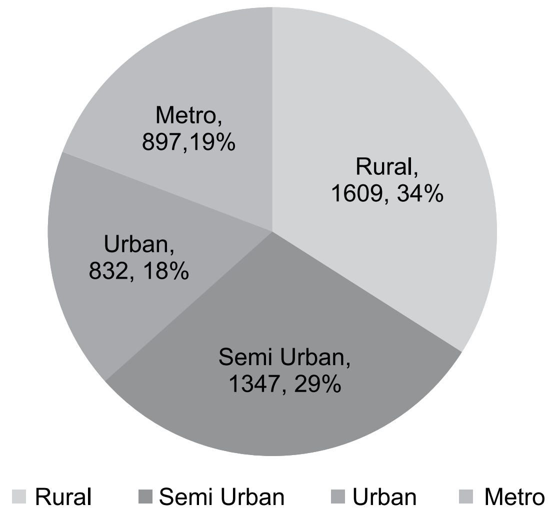

OPERATIONS

- Bank's expanded modernized Call Center is providing out bound call Facility for promotion of products / reminders to customers reg. overdues in their loan accounts etc. in addition to Inbound call facility to resolve the enquiries / complaints of the customers.
- Online subscription facility for Sovereign Gold Bonds is made available to the customers.
- New pension software -GBM-Pension Module has been introduced to improve speed, accuracy and security in pension processing system, it will provide SMS to pensioners regarding details of payment and prompt revisionary benefits.
- As per Road Map for Banking Reforms of GOI , the revised simplified Account opening forms (CIF and AOF - Personal / Individual) have been introduced for the ease of customers.
- SMSs are being sent to customers prior to debit of clearing Cheques. In case of disputed Cheques, customer to contact Home- Branch.
- Now Customers can open accounts under Small Saving Schemes like PPF/Senior Citizen Saving Scheme /Sukanya Samriddhi Aaccounts /KVP in any of the branch of their choice.
- Complaints of the customers are resolved promptly, disposal time has been reduced to eleven days.

RAJBHASHA

- A grand **"Akhil Bhartiya Rajbhasha Sammelan"** was organized by Rajbhasha Vibhag in Ahmedabad on 03 February, 2018.
- Rajbhasha Vibhag organized Inter Bank Hindi Essay Writing Competition for the first time. Staffs of different Banks also participated in this competition.
- Our Zonal Office Hyderabad was awarded with **"First Prize"** by Telangana State Level Banker's Committee for the best implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Our Zonal Office Ahmedabad was awarded with **"First Prize"** by Gujrat State Level Banker's Committee for the best implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Our Central Office situated at Mumbai was awarded with **"Third Prize"** by Maharashtra State Level Banker's Committee for the implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Our Mumbai, Chandigarh and Patna Zonal office were awarded with **"First Prize"** and our Zonal office Kolkata was awarded with **"Third Prize"** by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag for the best implementation of Official Language policy of Government of India.
- Our Panji Regional office was awarded with **"First Prize"** and our Indore Regional office was awarded with **"Third Prize"** by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag for the implementation of Official Language policy of Government of India.
- Panji and Bhopal TOLIC convened by our Bank were awarded with **"First Prize"** by the Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag for the implementation of Official Language policy of Government of India.
- Our Kota, Hyderabad, Gwalior, Akola, Surat, Mumbai, Jaipur and Aurangabad Regional Offices were awarded by their Respective TOLIC for the implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Our Jabalpur, Sagar, Indore, Merrut, Banguluru and Guwahati Regional Offices were awarded with **"Second Prize"** by their Respective TOLIC for the implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Our Lead Bank Office, Hoshangabad and Belgam Branch were with **"Second Prize"** by their Respective TOLIC for the implementation of Official Language Policy of Government of India.
- Our Rajkot Regional Office was awarded by **"Third Prize"** by their Respective TOLIC for the implementation of Official Language Policy of Government of India.

CORPORATE COMMUNICATIONS

It continu ed to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go green measures and to augment the business of our Bank with active engagement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on Traffic Barricades, No Parking Boards, Police Booth, Utility Kiosks, Wall Painting, Auto Rickshaw, Bus, Train,

Shikaras, Catamarans branding etc. were done in addition to the sponsorship of Local Sports/Yatras/Events/Kisan Camps/ Conferences at the field level. To support these activities Local Cable, FM Radio, Mobile App, Ads in Cinemas were also used.

- Bank organized 176 health check-up camps and 38 blood donation camps for the customers and staff members during the month of December.
- The 107th Foundation Day of our bank was celebrated in a Novel and Noble way by organizing 72 Organ Donation awareness Seminars & collection of 10831 Organ Donation Pledge Letters of Centralities and Customers.
- Placement of Traffic Barricades at important locations in throughout India attracted the attention of masses.

VIGILANCE

A study was conducted in 49 Centralised Credit Processing Cells [CCPCs] which have been set up in the bank to process and sanction loans under selective retail lending schemes. The purpose was to know the infrastructure available, availability of trained man power to handle the processing/sanctioning the retail loans, control and review mechanism etc to identify weaknessess and for making suggestions for improvements.

Another exercise for understanding the extent of use of CIBIL data by the branch in taking credit decisions has been undertaken.

With a view to understand the level of due diligence, a study of loans sanctioned under a campaign to extend retail portfolio has also been undertaken.

A study has also been undertaken to understand the level of reporting in Control Returns and its effective use by controllers.

The concurrent audit is one of the systems for detecting mistakes and a study was conducted to understand the effectiveness of concurrent audit system: accordingly suggestions were given to review the work done by the concurrent auditors.

“Vigilance Awareness Week 2017”: As per the directives received from CVC, “Vigilance Awareness Week 2017 was observed by bank from 30.10.2017 to 04.11.2017 in the right spirit and in line with this years’ theme “My Vision- Corruption free India”. On 30.10.17 pledge was administered to the staff working at various departments of Central Office. Similar functions were also arranged at all the 13 Zonal Offices, 59 Regional Offices and the Branches of the bank and Regional Rural Banks sponsored by our Bank.

Bank has sent 18.40 million SMS to customers thereby providing hyperlink to CVC site to take Integrity Pledge during the Vigilance Awareness Week. Bank was successful in uploading a total of 10,04,239 Mass Pledges in the CVC site. About 19.68 lakhs pamphlet’s on preventive vigilance activities were distributed all over India by our Bank as well as through RRB’s. Bank has conducted 8069 Gram Sabhas throughout the country at Rural and Semi Urban centers.

An all India online Quiz Competition covering issues relating to Preventive Vigilance was organized exclusively for the staff of our bank. Bank has also conducted debates, elocution competitions, slogan writing, lectures etc. which were organized in 184 schools and colleges at 9 specified centres viz. Patna, Siliguri, Jabalpur, Ahmedabad, Nasik, Pimpri, Chinchwad, Greater Mumbai, Thane & Navi Mumbai and at other 50 centres to create awareness for promoting integrity and eradicating corruption.

Bank has conducted 229 workshops/sensitization programmes, for the employees, relatives and other stake holders on policies/procedures of the organization and preventive vigilance measures. The town hall meetings for public/Customers/ staff were arranged at various places and Special Invitees from Judiciary, CVC, CBI, Police dept, Colleges etc have attended our programmes and addressed the gathering.

About 11800 banners/posters were displayed at various places at branches, petrol pumps, Railway Stations etc. across the country. 4788 Customer Grievance Redressal Camps were organized by various branches all over India. Radio Jingles on FM Channels at 21 centers across were relayed throughout the Vigilance Awareness Week. The message of Vigilance Awareness was also spread through Facebook, Twitter as well as You tube.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. MANPOWER:

At the end of March-2018, the staff strength of the Bank stood at 36,843 as against 37,044 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	Mar-17	Mar-18
Officers	16247	17166
Clerks	13001	12300
Sub-staff	7796	7377
Grand Total	37044	36843

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

(i) Norms For Transfer Of Specialist Officers In Scale I, II And III.

Certain provisions in the Transfer Norms of Specialist Officers in Scale I, II, and III have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 30.10.2017.

(ii) Central Bank Of India (Officers') Service Regulations, 1979- Amendments To Certain Regulations

The amendments to the relevant Regulations of Officers' Service Regulations (OSR) as a sequel to the last salary revision of Officers which came into effect from 01.11.2007 has been done..

(iii) Misleading Information On Social Media Groups - Whatsapp, Facebook, Etc.

All Branches/Offices are advised to refrain from creating and spreading any factually incorrect information on social media groups.

(iv) Payment of Bonus For The Financial Year 2016-17.

Bonus for the year 2016-17 i.e., from 1st April, 2016 to 31st March, 2017 @ 8.33% of the 'Salary/Wage' to all the eligible employees with the maximum of ₹ 7000/- has been paid.

(v) Group Medical Insurance Coverage For Employees:

Renewal of Group Medical Insurance for employees for the period 1/10/2017 upto 30/09/2018 has been done.

(vi) Group Health Insurance Policy For Retirees' For The Period 01.11.2017 To 31.10.2018.

- The Retirees' Group Health Insurance Policy is renewed for the period 1st November, 2017 upto 31st October, 2018
- There is a Change in TPA for IBA Group Health Insurance Policy for Retirees' for the period 2017-18 viz. Health India Insurance TPA Services Pvt. Ltd.

(vii) Promotion Of Digital Payments In Appraisal Process.

In line with Government's plan to increase Digital Transactions during F.Y. 2017-18, weightage for promotion of Digital Payments has been suitably incorporated in the appraisal process of our Bank Officers.

(viii) Staff Welfare Schemes Prevalent In The Bank- Major Decisions Of Staff Welfare Committee In Its Meeting Held On 18.09.2017 In Respect Of Staff Welfare Activity For The Financial Year 2017-18.

The Staff Welfare Committee met on 18.09.2017 to decide on Staff Welfare Schemes for the Financial Year 2017-18. As per the decision of the committee only the following three schemes were operative for the Financial Year 2017-18:

(a) Scheme for Relief to the family of employees who die in harness.

(b) Holiday Homes and Transit Homes -At present there are 8 functional Holiday Homes.

(c) Provision of Medical facilities to staff – Salary to existing part-time doctor and Cost of Medicine.

3. TRAINING:

As per the approved Training Plan, Training Calendar was prepared for the year 2017-18 and priority has been given to training on Credit (Retail, MSME and Agriculture), Recovery, Forex, Risk Management and Behavioral aspects.

All Training Colleges and ZSTCs have conducted Training Programme as per the Training calendar. Details of training activities at our Training Colleges and ZSTCs as well as External Institutes are given hereunder:

- Status of Staff Trained during the Financial Year (as on 31.03.2018):

	Total Strength	Trained till March-2018	% Covered till March-2018
Officers	17166	15568	90.69
Award Staff	19677	14850	75.47
Total	36843	30418	82.56

Special Training initiatives taken during the year 2017-18 are as under:-

- 39 newly promoted Scale II & III Branch Managers/Credit Officers of Hyderabad Zone attended “Training program on “MSME Advanced Credit Appraisal” at Andhra Bank Apex Training College from 12.06.2017 to 17.06.2017.
- 59 five star rated Branch Managers of FY 2016-17 attended 2 days training at NIBM Pune and 2 training at IMT Dubai in two batches, in the month of February 2018.
- The Induction Training Programme for newly recruited POs & AFOs held at our Training Colleges for the Financial Year 2017-18.
- The Induction Training programme for newly recruited Clerks held at Zonal Staff Training Centres for the financial year 2017-18.
- 26 courses on E-learning are available in E-learning portal managed by SPBT College.
- During the year 2017-18, 1552 Programme including Class room, Locational, Manthan and Special Training were conducted covering all staff members attending one or two training programmes each i.e. 30418 participants and 96220 man days by three training colleges and 15 Zonal Staff Training Centres. These apart 289 Officers in various scales were nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, IDBP NOIDA, BIRD, IIBF, ASCI, and IDRBT etc. Further 59 Five Star Branch Managers and 12 Officers have been sent for foreign training programme/ workshop/summits/exposure visit in the year 2016-17.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

- In the year 2017-18, recruitment process was held for 2019 posts encompassing Probationary Officers, Agriculture Finance Officers, HR Officers, IT Officers, Credit Officers, Risk Managers, Clerical Staff and Sub-staff.
- The promotional exercise has been made more motivating and as a corporate goal, it has been resolved to hold the promotion processes as far as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2017-18 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and employees/officers were elevated to higher cadre/ scale, out of which 103 sub-staff were promoted to clerical cadre 1133 clerks were promoted to Scale-I officers and 1160 officers were elevated to higher care/scale.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

- The Bank has implemented guidelines/ instructions received from Govt. of India/ Indian Bank’s Association on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs as admissible in the Reservation Policy.
- Shri. K. Ramulu, Hon’ble member of the National Commission for Scheduled Castes, Government of India visited Raipur from 04.01.2018 to 06.01.2018 in connection with the implementation of reservation policy.
- Shri Manhar Valji Bhai Zala, Chairman, National Commission for Safai Karmacharis held a meeting on 20.03.2018 at Mumbai with representatives of Safai Karmacharies and Bank executives for a discussion on the implementation of Schemes/ programs for Safai Karmacharis/ Manual Scavengers and implementation of “The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013”
- The Committee on Government Assurances (2016-17), Lok Sabha visited our office at Kolkata on 28th August, 2017 to discuss inter-alia with the representatives of Central PSUs about the vacant post in Financial Institutions.
- Smt. Manju Diler, Hon’ble Member of National Commission for Safai Karmacharis, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India visited Bubaneshwar Office on 21/09/2017 to discuss the Regional level issues of Safai Karmacharis/ Group ‘D’ Employees of the Bank and the Socia-Economic, living, working, service and educational condition of Safai Karmacharis/ Group ‘D’ and their dependents. Also visited our Patna Office on 22.12.2017 to review the self-Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers/ Safai Karmacharis and to study their social, economic and educational condition.

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.

CREDIT CARD OPERATIONS:

- The Bank has Credit Card base of 102514 & Prepaid Card base of 429423 as on 31st March 2018.
- The bank issues Credit Cards with major Card Association's viz. MasterCard, Visa and RuPay. Prepaid Cards are issued in association with MasterCard.
- Bank issues only EMV Chip based Credit Cards for customers.
- Bank has launched dedicated Web Portal for Credit card.
- Credit Card functionality is also developed on mobile banking.
- EMI option for on line purchases by Credit Card is developed and implemented.
- RuPay credit card with two variants (Rupay Platinum, RuPay Select) launched in July 2017.
- Bank has launched reloadable (open loop system) RuPay prepaid card on RuPay platform during the year.

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS:

- Total number of ATMs as on 31st March 2018 is 4886.
- Cash Replenishment by Bank staff is being done for 550 ATMs.
- Out of 4624 Branches which were opened upto 31.03.2015, 4378 Branches have been linked with ATM as on 31st March 2018.
- 62% of the Bank's ATMs are located in Rural & Semi-Urban areas.
- Average ATM Uptime during the year is 92%.
- Daily average hits per ATM is 90.
- Daily average cash dispensed is ₹ 101 crore.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- Owned funds stood at ₹ 100.67 crore as on March 31, 2018.
- During the financial year ended March 31, 2018, the total advances of the company stood at ₹ 1264.82 crore as against ₹ 1322.62 Crores as on March 31, 2017.
- The retails deposits and institutional deposits stood at ₹ 542.84 crore in March 31, 2018 as against ₹ 680.58 crore in March 31, 2017.
- The Net Profit of the Company have increased from ₹ 11.04 crore for the financial year ended March 31, 2017 to ₹ 16.84 crore for the financial year ended March 31, 2018 registering a Y-o-Y growth of 52.54%.
- Earnings per Share are ₹ 6.73 (₹ 10 per share) [Previous Year ₹ 4.42].
- NPA stands at ₹ 26.90 crore in March 2018 as against ₹ 21.48 crore in March 2017.
- Net NPA to Net Advances is at 1.33% as on March 2018.
- Return on Assets is 1.26%. [Previous year 0.85%].
- CAR works out at 18.76% as on 31st March 2018.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- The company earned a Net Profit after Tax of ₹ 2.58 crore for the year ended 31 March 2018 against Net Profit of ₹ 2.77 crore in the previous year.
- Segment-wise earnings: (Amounts in Rupees)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Fees from Executor Trusteeship	34,85,414	36,97,765
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,90,70,143	2,69,31,110
Other income (Interest)	2,73,56,199	3,02,88,904
Total	5,99,11,756	6,09,17,779

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD

- The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- Bank's financial year is the calendar year.
- The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- As at the end of December 2017, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwatcha 1 each value.
- Deposits of the Bank have increased by 25.87% and advances have increased by 28.83% over the previous year.
- Bank has made net profit of Kwacha 109.93 Mio. (₹ 69.84 crore) for the calendar year 2017.
- During the year the Bank declared dividend for the year 2017. Accordingly, our Bank received dividend of USD 953,838 equivalent to ₹ 6,19,94,7323 on 08/03/2018.

iv. Regional Rural Banks :

We have 3 RRBs as on 31st March 2018 in 3 states covering 48 districts with a network of 1629 branches.

(Amount in ₹ crore)

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Central Madhya Pradesh GB. Chhindwara (M.P).	25 / 455	6914.34	4146.42	583.05	4.91
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18 /1032	14429.14	7472.72	2616.39	(160.45)
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (W.B.)	5 /142	2785.08	1458.49	193.40	3.05
Total	**48 / 1629**	**24128.56**	**13077.63**	**3392.84**	**(152.49)**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society
- CSR Budget for the financial year 2017-18 was NIL as Bank had incurred loss during the financial year 2016-17.

WAY FORWARD

- Y-o-Y retail growth for FY 2018-19 is estimated at 10.96%. Retail credit to total advance is targeted at 28.58% by the end of FY 2018-19. To give boost to Retail credit, Bank has planned for three aggressive campaigns during the current FY 2018-19.

Sl no	Camp Type	Tentative period
1	Academic Season	May-July 2018
2	Monsoon Season	June-September 2018
3	Festive Season	September-December 2018

- Mobile App is being developed to facilitate Branch Managers to take Quick decision on the basis of easy identification of borrower , KYC authentication, Income verification etc. leading to reduction in TAT.
- Thrust is on Micro Enterprises for achieving Micro Enterprises target set by RBI and PMTF of 7.5% of ANBC. To achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/PMEGP Schemes and Cent Weaver Mudra Scheme.

AWARDS & ACCOLADES

- During the financial year 2017-18, Bank was awarded for Excellent Performance in SHG Credit Linkage for the Financial Year 2016-17 by Ministry of Rural Development, Government of India.
- During the Financial Year 2017-18, the Bank was also awarded various prizes for Excellent Implementation of Official Language Policy of Government of India.
- As per the annual report published by Brand Finance, on the world's most valuable Banking Brands 2018 in their February 2018 edition, Our Bank stood at 9th Rank amongst PSU Banks in India and as per the annual ranking of most valuable 500 banking brands our Bank stood on 391th Rank amongst the 500 Banks in the world.
- As per the "Most Trusted Brands 2017" Survey of Economic Times published in their February 14-20, 2018 Issue, our Bank progressed to 5th position in 2017 against the 6th position in 2016 amongst PSU Banks. As per the same survey under the category of "Best Service Brands" our bank has improved its rank to 17th in 2017 from 20th in the year 2016.
- Acknowledging the initiatives taken by the bank in Cyber security domain, especially in "Education and Awareness" area, Bank has been awarded with Skoch Order-of-Merit award as well as Skoch Award Gold.

CORPORATE GOVERNANCE

1) BANK'S PHILOSOPHY OF CORPORATE GOVERNANCE

- Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.

- The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2) BOARD OF DIRECTORS

A) Composition of the Board of Directors

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

During the year under review i.e. 2017-18, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2018	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2018		Directorship of other Companies as on 31.03.2018	Whether attended last AGM held on 30.06.2017
						Member	Chairman		
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, RMC, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	– Indo Zambia Bank Ltd. – Exim Bank – Export Credit Guarantee Corporation – Indian Institute of Banking & Finance	Yes
2.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	– Cent Bank Home Finance Ltd. – Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2018	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2018		Directorship of other Companies as on 31.03.2018	Whether attended last AGM held on 30.06.2017
						Member	Chairman		
3.	Shri P Ramana Murthy	Executive Director	From 17.02.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	– Cent Bank Home Finance Ltd. – New India Assurance Co. Ltd.	Yes
4.	Shri B S Shekhawat	Executive Director	From 09.10.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
5.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014 to 16.08.2017	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR, NOMINATION	NOMINATION TILL 16.08.2017	NIL	No
6.	Shri Govind Mohan	Government of India Nominee Director	From 17.08.2017	NIL	Finance and Economics	ACB RMC LVFC RC VC MRC HR NOMINATION	RC, NOMINATION	NIL	Not a Director on the date of AGM
7.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
8.	Shri S. Bandyopadhyay	Share-holders' Nominee Director	From 01.07.2015 to 17.03.2018	100	Administration	ACB, RMC, ITS, SRC, CSC, MRC, HR, LVFC, RCNCB, CRIWD	SRC TILL 17.03.2018 ACB TILL 09.02.2018	NIL	No
9.	Shri K.R. Patel	Share-holders' Nominee Director	From 01.07.2015	163	Professional	MCB, LVFC, ITS, SRC, RMC, MRC, CSC, HR, RCNCB, CRIWD	ITS	FITMEC SERVICES PVT LTD	No

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2018	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2018		Directorship of other Companies as on 31.03.2018	Whether attended last AGM held on 30.06.2017
						Member	Chairman		
10.	Shri N Nityananda	Part Time Non-official Director	From 21.06.2016	NIL	Chartered Accountant	ACB, RMC, LVFC, SRC, CSC, NOMINATION, RCNCB, CRIWD	ACB FROM 05.03.2018	NIL	No
11.	Dr. Atmanand	Part Time Non-official Director	From 27.12.2017	NIL	Economics	MC RMC LVFC NOMINATION	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	–	Management Committee of the Board
ACB	–	Audit Committee of the Board
RMC	–	Risk Management Committee
LVFC	–	Large Value Fraud Committee
CSC	–	Customer Service Committee
ITS	–	Information Technology Strategy Committee
SRC	–	Stakeholders Relationship Committee
RC	–	Remuneration Committee
VIG	–	Vigilance Committee
CAC	–	Credit Approval Committee
HR	–	Human Resources Committee
MRC	–	Monitoring of Recovery Committee
CRC	–	Capital Raising Committee
NOMINATION	–	Nomination Committee
RCNCB	–	Review Committee for Declaring Non Co-operative Borrower
CRIWD	–	Committee to review the Identification of Wilful Defaulter

Brief Profile of the New Directors

1. Shri B. S. Shekhawat, Executive Director – (D.O.B. 27.06.1962)

Shri B.S. Shekhawat was appointed as Executive Director in Central Bank of India by Government of India with effect from 09.10.2017. Shri Shekhawat is an Agriculture Science graduate with Hons., CAIIB and have completed post graduate certificate course in Management from IIM Bangalore. He started his career with Central Bank of India in the year 1986 as an Agriculture Finance Officer. During his long career of 31 years, he has worked in different geographies and locations in branches, as Regional Head at Jaipur and Ranchi Regions, Zonal Heads at Pune and Delhi Zones. He also headed Human Resources Department of the Bank for two years at its Corporate Office. Immediately prior to his elevation, he was heading Priority Sector and Financial Inclusion Departments of the Bank.

2. Shri Govind Mohan, Government of India Nominee Director (D.O.B. 21.09.1965)

Shri Govind Mohan is presently Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, looking after the Multilateral Relations and Investment Divisions where he is responsible for India's economic participation at various world level Groups including BRICS, G20, G24, UNDP etc. and promoting investments into India, and negotiations of investment agreements. Shri Govind Mohan is a member of India's higher Executive Service, namely, the Indian Administrative Service, has more than 25 years of experience at the middle and senior levels of policy making in State Governments and Union Government of India. He has worked in the State Government of Sikkim, his cadre of allotment, in various field and Secretarial capacities. Shri Mohan has also worked in the Ministry of Finance in Government

of India on issues like India's infrastructure development, Public Private Partnerships and Foreign Direct Investment and relationship with Multilateral Banks like Asian Development Bank and World Bank. Shri Mohan was the Minister (Economic) at the Embassy of India, Washington DC, between 2012 and 2015 and worked on enhancing India-US economic and commercial ties. He was assigned with the responsibility of Principal Resident Commissioner of Government of Sikkim in New Delhi and was also as nominee Director of Government of Sikkim and Chairman of the Board of Teesta Urja Limited, a State Government Undertaking. Govind Mohan holds an undergraduate degree in Electrical Engineering from Indian Institute of Technology (IIT), Benaras Hindu University, Varanasi, and a diploma in Management from Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad.

3. **Dr. Atmanand, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 30.06.1959)**

Prof(Dr.) Atmanand is the senior most Dean and Professor of Economics at MDI, Gurugram. In MDI he has worked as Dean of the prestigious MDI School of Energy Management School of Public Policy and Governance and Executive Post Graduate Programs. He is the founder Dean of MDI Murshidabad. He had the opportunity to act as In-charge Acting Director in MDI, Gurugram. He has been teaching, doing research and consultancy in the area of economics for more than 30 years. During a brief span of 5 years when the School of Energy Management was launched with the help of USAID and the Ministry of Power, GOI, he has turned the School into a country wide popular place of higher learning. Appreciating his devotion and involvement, Ministry of Power, Government of India, has issued a letter of appreciation putting on record his efficient and dedicated services. Besides playing a key and decisive role in MDI's intellectual and administrative functioning, he has worked as Independent Director in Steel Authority of India Limited (SAIL) under the Ministry of Steel, GOI. Appreciating his contribution in policy making, the Board of SAIL issued the letter of appreciation in the functioning of Audit Committee (Chairman), Risk Management Committee (Chairman) and others. He has held various national responsibilities including his association with Ministry of Ayush (Member), GOI, Ministry of Power, GOI, ATF, Cabinet Secretariat, GOI, State Finance Commission, Bihar. Besides doing extensive research, teaching and training he has authored 16 books and many research papers. His interest in banking sector made him do research and training in this area with emphasis on project finance, social development and economic environment of business.

Details of other Directors

1. **Shri Rajeev Rishi, Chairman & Managing Director (D.O.B.30.08.1959)**

Shri Rajeev Rishi has been a University Rank holder, National Merit Scholar and is a Law Graduate from Punjab University, Chandigarh. He is also a Sport Enthusiast and represented his college in Table Tennis and Chandigarh in National Roller Skating Meet.

Prior to his present assignment, as CMD of the Bank w.e.f. 01.08.2013 he was Executive Director in Indian Bank which responsibility he was holding since October 2010.

He started his banking career with Oriental Bank of Commerce as a Probationary Officer on 12.05.1979 and served for 3 decades in various positions and geographies. He has 25 years of field exposure in branches and regions. He was General Manager-Human Resources, Third Party Product Marketing & Board Secretariat from 2005 to 2010. He has successfully handled the HR integration in Global Trust Bank's merger with Oriental Bank of Commerce. He is a member of IBA Standing Committee on HR.

2. **Shri B. K. Divakara, Executive Director (D.O.B. 17.07.1960)**

Shri Divakara is a chartered accountant, cost accountant and a Company Secretary. He started his career as a Chartered Accountant in Corporation Bank in 1986. He was promoted as Chief Manager in 1997, AGM in 2000, DGM in 2007 and GM in 2010. He joined Central Bank of India as ED w.e.f. 23.01.2013. He has worked as a Zonal Head and also handled various portfolios such as Corporate Sanctions, Printing & Stationery, Official Language Policy Implementation, Support Services, ATM Mgt, Credit Rating, Fee Income, CDR, Loan Syndication etc.

3. **Shri P. Ramana Murthy, Executive Director (D.O.B. 16.05.1964)**

Shri P Ramana Murthy is a science graduate in Agriculture and CAIIB. He joined Allahabad Bank on 16.01.1989 as Agriculture Field Officer. He got elevated to the post of General Manager on 10.05.2014 and have been functioning as Field General Manager since 19.05.2014 before joining Central Bank of India as Executive Director w.e.f 17.02.2017.

Shri Murthy has undergone many prestigious training programs like Leadership for Corporate Excellence at Kelloggs School of Management, Chicago, USA and Leadership Excellence at IIM, Kolkata.

4. Dr. Saurabh Garg, Government of India Nominee Director – (28.07.1964)

Dr. Saurabh Garg is an eminent scholar. He has completed B. Tech from IIT-Delhi in Chemical Engg-Bio Technology. He has done MBA (Mgt. Finance) from IIM-Ahmedabad. He has received certification in Globalisation & Urban Development from London School of Economics & Political Science, London, UK. He has completed his Ph. D. from Paul Nitze School of International Studies, Hopkins University, Washington, USA.

Dr. Garg is also an IAS 1991 Orissa Cadre. After serving in Orissa State Cadre, he joined as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in April, 2002. During his tenure in State Cadre, he held various important portfolios like Project Director, DRDA, Kalahandi & Project Director, Energy Dept., during 1993-1996. He also held the post of MD, IDCOL Cement Ltd. during 1996-98. He worked as a Collector of Bargarh & Keonjhar Districts and also as a Director, Watershed Dev Deptt. He has been working as a Joint Secretary in Dept. of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 04.05.2012.

Details of awards received by Dr. Garg :

1988 – Gold Medal for Academic Excellence

1993 – Best All round probationer of 1991 IAS Batch

Details of Publications:-

2000 (Public Administration)

Some intervention and experiences in improving service through Government Delivery Systems 2010 (Finance)

Indian Infrastructure Vision – Financing challenges.

5. Shri Shekhar Bhatnagar, RBI Nominee Director (D.O.B. 17.07.1958)

Shri Bhatnagar is B.Sc., M.A. (Lucknow University) and MBA (In Finance) from FMS, New Delhi. He joined Reserve Bank of India (RBI) in 1984 as officer (Grade “B’) and worked in different capacities, in different departments of RBI like Currency Management, Banking, Department of Banking Supervision and Department of Non-Banking Supervision. He also worked as Regional Director, Reserve Bank of India in Kanpur, Uttar Pradesh. He is presently working as Chief General Manager-Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai.

6. Shri Supratim Bandyopadhyay, Shareholders’ Nominee Director (D.O.B.17.01.1958)

Shri Supratim Bandyopadhyay is a Science Graduate in Chemistry from Kolkata University and an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants of India.

He joined LIC of India in the year 1985 as a Direct Recruit Officer and has handled various portfolios/ responsibilities including Treasury functions, Fixed Income & Corporate Bond Investments, Equity Market Investments and Back Office functions etc. in his career span of over 30 years. With effect from June 2014 he took charge as MD & CEO of LIC Pension Fund Ltd. He is also on the board of Infrastructure Leasing & Financial Services Limited.

7. Shri Ketul R. Patel, Shareholders’ Nominee Director (D.O.B. 10.08.1974)

Shri Ketul Patel is a Commerce & Law Graduate from Gujarat University and a member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He also holds Diploma in Information Systems from ICAI.

Shri Patel is presently the Managing Partner of R.S. Patel & Co., a 47 year old accounting & consulting firm.

He was professional director on the board of largest Multi State Scheduled Coop. Bank of Gujarat. He was secretary to Chartered Accountants Association., Ahmedabad (CAA) from 1999-2001. He was also a member on the committee of Banking, Finance & Insurance of Gujarat Chamber of Commerce & Industry for a period of two years.

8. Shri N Nityananda, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 20.05.1955)

Shri N Nityananda is a Commerce Graduate, D.B.A., LLB, FCA and Gold Medalist in Post Graduate Diploma in Business Administration.

Shri Nityananda is a professional Chartered Accountant with more than 3 decades value addition services to clients, Government and Economy. He represented Karnataka at the Southern India level and National level for nearly 16 years (longest by any Kannadiga). He also represented India at the International Federation of Accountants (IFAC), New York, USA which is the apex body Accounting and Auditing in the world and in the South Asian Federation of Accountants (a member body of SAARC) at Karachi, Pakistan and chaired the mega international conference on 'Corporate Governance'. He has served the Trade, Commerce and Industry at State and National Level including as Advisor of Economic Affairs Committee, Chairman and Co-advisor of Central Taxes Committee of Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry (FICCI). He has also served on several important committees of Government of Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Bureau of Indian Standards (BIS).

B) Conduct Of Board Meetings

During the year, 14 Board Meetings were held on the following dates:

29.04.2017	28.06.2017	16.09.2017	28.12.2017	15.02.2018
13.05.2017	29.07.2017	30.10.2017	09.02.2018	17.03.2018
23.05.2017	11.08.2017	05.12.2017	09.02.2018	

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Rajeev Rishi	14	14	01.04.2017–31.03.2018
Shri B. K. Divakara	14	14	01.04.2017–31.03.2018
Shri P. R. Murthy	14	14	01.04.2017–31.03.2018
Shri B. S. Shekhawat	7	7	09.10.2017–31.03.2018
Dr. Saurabh Garg	2	6	01.04.2017–16.08.2017
Shri Govind Mohan	5	8	17.08.2017–31.03.2018
Shri Shekhar Bhatnagar	12	14	01.04.2017–31.03.2018
Shri S. Bandyopadhyay	14	14	01.04.2017–17.03.2018
Shri K. R. Patel	14	14	01.04.2017–31.03.2018
Shri N. Nityananda	13	14	01.04.2017–31.03.2018
Prof. (Dr.) Atmanand	2	5	27.12.2017–31.03.2018

3. SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

i) Management Committee of the Board:

- The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2018, it comprised 7 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 2 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director and one Part Time Non-Official Director, one position remains vacant. The Part-Time are rotated every six months.

- The Management Committee of the Board met 13 times during the year on the following dates:

29.04.2017	28.06.2017	16.09.2017	05.12.2017	21.03.2018
13.05.2017	29.07.2017	28.09.2017	28.12.2017	21.03.2018
16.06.2017	11.08.2017	30.10.2017	09.02.2018	

Attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From – To)
Shri Rajeev Rishi	13	13	01.04.2017 – 31.03.2018
Shri B. K. Divakara	13	13	01.04.2017 – 31.03.2018
Shri P. R. Murthy	12	13	01.04.2017 – 31.03.2018
Shri B. S. Shekhawat	5	5	09.10.2017 – 31.03.2018
Shri Shekhar Bhatnagar	12	13	01.04.2017 – 31.03.2018
Shri K. R. Patel	12	13	01.04.2017 – 31.03.2018
Prof. (Dr.) Atmanand	1	1	15.02.2018 – 31.03.2018

ii) Credit Approval Committee:

- Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto ₹ 400.00 crore, compromise / write off proposals upto ₹ 10.00 crore, premises proposals upto ₹ 15.00 lacs per annum (Rural Area), upto ₹ 25.00 lacs per annum (Semi-urban Area), upto ₹ 50.00 lacs per annum (Urban Area) and upto ₹ 1.00 crore per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Credit Monitoring, and Recovery.

- The Credit Approval Committee met 34 times during the year on the following dates:

13.04.2017	21.06.2017	10.08.2017	26.09.2017	10.11.2017
28.04.2017	29.06.2017	19.08.2017	28.09.2017	17.11.2017
12.05.2017	11.07.2017	30.08.2017	06.10.2017	23.11.2017
23.05.2017	20.07.2017	12.09.2017	12.10.2017	13.12.2017
09.06.2017	28.07.2017	21.09.2017	31.10.2017	22.12.2017
30.12.2017	05.01.2018	30.01.2018	07.02.2018	21.02.2018
05.03.2018	15.03.2018	27.03.2018	31.03.2018	

iii) Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;

- Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;

- Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;

- Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;

- Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;

- Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- Qualifications in the Draft Audit Report;
- To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. As on 31.03.2018, one position remains vacant in the ACB as there is no eligible member to be nominated in the Committee.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2018 is as under:

1	Shri N. Nityananda	Chairman
2	Shri B.K. Divakara	Member
3	Shri Govind Mohan	Member
4	Shri Shekhar Bhatnagar	Member

During the year, the Audit Committee met 12 times on the following dates:

13.05.2017	29.07.2017	29.09.2017	13.11.2017	05.12.2017	05.03.2018
23.05.2017	11.08.2017	30.10.2017	27.11.2017	09.02.2018	17.03.2018

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri S. Bandyopadhyay	12	12	01.04.2017–17.03.2018
Shri B.K. Divakara	12	12	01.04.2017–31.03.2018
Dr. Saurabh Garg	1	4	01.04.2017–16.08.2017
Shri Govind Mohan	3	8	17.08.2017–31.03.2018
Shri Shekhar Bhatnagar	10	12	01.04.2017–31.03.2018
Shri N. Nityananda	12	12	01.04.2017–31.03.2018

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

iv) Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, Government of India Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The objective of Risk Management Committee of the Board is to evaluate overall risks faced by the Bank and determining the level of risks which will be in the best interest of the Bank and to coordinate with the other risk managing entities to identity, monitor and measure the risk arising out of the Bank's operations.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

10.07.2017	16.09.2017	28.12.2017	21.03.2018

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Rajeev Rishi	4	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri B. K. Divakara	4	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri P.R.Murthy	3	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri B. S. Shekhawat	1	2	09.10.2017–31.03.2018
Dr. Saurabh Garg	1	1	01.04.2017–16.08.2017
Shri Govind Mohan	1	3	17.08.2017–31.03.2018
Shri S. Bandyopadhyay	3	3	01.04.2017–17.03.2018
Shri K. R. Patel	4	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri N. Nityananda	3	4	01.04.2017–31.03.2018
Prof. (Dr.) Atmanand	1	1	28.02.2018–31.03.2018

v) Remuneration Committee and Remuneration of Directors:

- The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two Independent Directors. During the Financial Year 2017-18, no meeting of the Remuneration Committee was held to consider performance linked incentive to Wholetime Directors.

- The Non Official Independent Directors / Non- Executive Director were paid sitting fees of ₹ 20,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 10,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.

- During the financial year 2017-18, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	Rupees in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	30.13
2.	Shri B. K. Divakara (ED)	23.70
3.	Shri P. R. Murthy (ED)	23.54
4.	Shri B. S. Shekhawat (ED)	10.93

- During the year under review, the Bank has paid ₹ 8,60,000/- (Rupees Eight Lakhs Sixty Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 11,20,000/- (Rupees Eleven lacs Twenty thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

vi) Nomination Committee :

In terms of the RBI Circulars nos. DBOD. No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with DBOD. No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011, Nomination Committee of the Bank has been constituted to undertake a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of existing elected director(s)/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act (i.e. Shareholder Director) based on the broad criteria i.e. (i) Educational qualification, (ii) Experience and field of expertise & (iii) Track record and integrity.

During the financial year 2017-18, meeting of the Nomination Committee was held on 28.06.2017 to determine the fit & proper criteria of Shareholder Directors namely - Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel and the committee accorded ‘fit and proper status’ to Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel who had been elected as a Shareholder Directors under Sec 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years w.e.f. 1st July 2015 to 30th June 2018.

vii) Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Supratim Bandyopadhyay was Chairperson of Stakeholders Relationship Committee (SRC) till 17th March, 2018. However, pursuant to his resignation from the post of Director of the Bank w.e.f close of working hours on 17th March, 2018, the position of Chairperson was vacant. Chairperson of SRC will be selected in the next meeting. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

29.04.2017	11.08.2017	30.10.2017	09.02.2018

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri S. Bandyopadhyay	4	4	01.04.2017–17.03.2018
Shri Rajeev Rishi	4	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri B.K. Divakara	4	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri P.R. Murthy	4	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri B.S. Shekhawat	2	2	09.10.2017–31.03.2018
Shri K.R. Patel	4	4	01.04.2017–31.03.2018
Shri N. Nityananda	4	4	01.04.2017–31.03.2018

The details of Investor Grievances for the year 2017-18 (01.04.2017 to 31.03.2018) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	NIL
3	Non Receipt of Dividend Warrants	67
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	51
5	Non Receipt of Refund Order	2
6	Non Receipt of Rejected DRF's	1
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	6
8	Total Grievances received	127
9	Total Grievances attended/resolved	127
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

4. Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue and Debenture Trustee Activities.

5. Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the financial year 2017-18, Bank has raised ₹ 5158.00 crore equity capital (including ₹ 323 crore received by the Bank on 29-12-2017) by issuance and allotment of 65,04,06,299 equity shares (comprising of 3,88,45,460 equity shares at an issue price of ₹ 83.15 per equity share including premium of ₹ 73.15 per equity share aggregating to ₹ 323 crore and 61,15,60,839 equity shares at an issue price of ₹ 79.06 per equity share including premium of ₹ 69.06 per equity share aggregating to ₹ . 4835 crore) of the face value of ₹ 10/- each aggregating to ₹ 5158 crore to President of India (Government of India) on preferential basis on 27-03-2018.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

6. Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

7. Code of Conduct

- The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Text of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

8. Other Disclosures

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.
- Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees. "Cent Vigil" is also available for Directors. Further, Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee subject to his/her prior approval on need basis. During the year 2017-18, no personnel has approached the Audit Committee on the subject-matter. This is further to affirm that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these

regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

- Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations"
- Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

9. Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year ended 30.09.2017 and the financial year ended 31.03.2018 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Separate posts of Chairman and CEO	Composition of the Board of our Bank is governed under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As of now, the Bank is having one post of Chairman & Managing Director.
5.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

10. General Shareholder Information

11th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Saturday, 30th June, 2018 at 11:00 AM at 9th Floor at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2017-18
2. Date of Book Closure: 27th June 2018 to 30th June, 2018 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2017-18

11. Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Tenth Annual General Meeting	30th June, 2017 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
2.	Ninth Annual General Meeting	30th June, 2016 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
3.	Eighth Annual General Meeting	30th June, 2015 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056

12. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2018-19 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2018

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Total		**5155.00**	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2018-19 to the Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2017	107.90	100.50	337009	9367.15	9075.15
May 2017	123.25	101.00	1418748	9649.60	9269.90
June 2017	104.90	85.00	886515	9709.30	9448.75
July 2017	100.50	85.90	1072109	10114.85	9543.55
August 2017	91.25	70.60	1530771	10137.85	9685.55
September 2017	104.00	71.15	4737884	10178.95	9687.55
October 2017	94.00	73.50	1812342	10384.50	9831.05
November 2017	94.00	77.30	1073639	10490.45	10094.00
December 2017	81.00	72.00	395431	10552.40	10033.35
January 2018	79.65	72.50	1156221	11171.55	10404.65
February 2018	74.60	63.80	510547	11117.35	10276.30
March 2018	87.90	62.65	5351065	10525.50	9951.90

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2017	107.10	101.00	1250117	30184.22	29241.48
May 2017	125.00	101.00	5351366	31255.28	29804.12
June 2017	104.65	85.00	39828424	31522.87	30680.66
July 2017	100.10	86.10	15997729	32672.66	31017.11
August 2017	91.15	70.60	4368337	32686.48	31128.02
September 2017	103.80	71.90	12594572	32524.11	31081.83
October 2017	93.95	73.00	4763303	33340.17	31440.48
November 2017	93.50	76.65	22494778	33865.95	32683.59
December 2017	81.00	72.30	1215461	34137.97	32565.16
January 2018	80.00	70.20	13173108	36443.98	33703.37
February 2018	74.65	63.55	1445337	36256.83	33482.81
March 2018	88.05	62.80	42168622	34278.63	32483.84

13. Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/ complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-49186270
Fax: 022-49186060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India,
9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

14. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2018

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	126585	93.5021	14290232	0.5458
501-1000	5132	3.7908	3984637	0.1522
1001-2000	1982	1.4640	2971535	0.1135
2001-3000	573	0.4233	1465083	0.0560
3001-4000	288	0.2127	1033198	0.0395

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
4001-5000	197	0.1455	932827	0.0356
5001-10000	288	0.2127	2112700	0.0807
10001 and above	337	0.2489	2591365543	98.9768
Total	135382	100.0000	2618155755	100.0000

ii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Life Insurance Corporation of India	262883360	10.04

iii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Life Insurance Corporation of India	262883360	10.04

iv) Shareholding pattern as on 31.03.2018

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2018						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government *	2262123970	0	1	0	2262123970	86.40
Clearing Member	7988607	0	320	0	7988607	0.31
Other Bodies Corporate	26670930	90	705	1	26671020	1.02
Directors	163	0	1	0	163	0.00
Financial Institutions	262883360	0	14	0	262883360	10.04
FII's	400	0	1	0	400	0.00
Government Companies	700	0	1	0	700	0.00
Hindu Undivided Family	1196426	0	3668	0	1196426	0.05
Nationalized Banks	244876	0	4	0	244876	0.01
Non Nationalized Banks	1458488	0	4	0	1458488	0.06
Non Resident Indians	416861	121600	665	1	538461	0.02
Non Resident (Non Repatriable)	150931	0	364	0	150931	0.01
Public	42753619	13858	129491	110	42767477	1.63
Trusts	101771	0	12	0	101771	0.00
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.25
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	5497230	0	15	0	5497230	0.21
Total	**2618020207**	**135548**	**135270**	**112**	**2618155755**	**100.00**

* As on 27.03.2018, the Bank allotted 65,04,06,299 equity shares in dematerialized mode to President of India (Government of India) on preferential basis which got listed and admitted to dealings on BSE & NSE w.e.f. 06.04.2018.

v) **Statement showing details of locked-in shares**

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
1	PRESIDENT OF INDIA	2262123970	86.40
	TOTAL	**2262123970**	**86.40**

vi) **Statement showing details of Depository Receipts (DRs)**

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) **Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.**

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
	NIL	NIL	NIL	NIL

ix) **Dematerialization of Shares**

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2018 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	112	135548	0.01
NSDL	83908	325466796	12.43
CDSL*	51362	2292553411	87.56
Total	**135382**	**2618155755**	**100.00**

* As on 27.03.2018, the Bank allotted 65,04,06,299 equity shares in dematerialized mode to President of India (Government of India) on preferential basis which got listed and admitted to dealings on BSE & NSE w.e.f. 06.04.2018.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

x) **Shares in Unclaimed Suspense Account:**

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2018 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	234	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	234	32,853

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2017-18.

Place : Mumbai
Date : April 24, 2018

Sd/-
[Rajeev Rishi]
Chairman and Managing Director

CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

a. We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow Statement of Central Bank of India for the year 2017-18 and to the best of our knowledge and belief:

   I. These Statements do not contain any material untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

   II. These Statements together, present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the financial year 2017-18, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee:

   I. Significant changes in internal control over financial reporting during the financial year 2017-18.

   II. There are no significant changes in accounting policies during the financial year 2017-18 and the same have been disclosed in the notes to the financial statements and,

   III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(B.K.SINGAL)
General Manager & CFO

(RAJEEV RISHI)
Chairman and Managing Director

Place : Delhi
Date : May 17, 2018

CERTIFICATE

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2018 as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation 2015.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA GAURAV LODHA)
PARTNER
M.No.507462

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA B. M. AGARWAL)
PARTNER
M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East **KOLKATA-700069**	**PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, **MUMBAI- 400021**
S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place, **NEW DELHI-110008**	**BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants, 21/168 Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, **MUMBAI 400 055**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report on the Standalone Financial Statements

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Central Bank of India (the "Bank") as at March 31, 2018 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018 and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information. Incorporated in these Standalone Financial Statements are the returns of 20 Branches audited by us and 2400 branches audited by Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of 2265 branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.94 per cent of advances, 21.67 per cent of deposits, 5.16 per cent of interest income and 19.09 per cent of interest expense.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Bank's Management is responsible for the preparation of these Standalone Financial Statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and circulars issued from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility of the management includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these Standalone Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the Standalone Financial Statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Standalone Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the Standalone Financial Statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Standalone Financial Statements.

5. We believe that the audit evidence that we have obtained is sufficient and appropriate to provide basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   a) the Balance Sheet, read with significant accounting policies and the notes thereon, is full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   b) the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   c) the Cash Flow Statement gives true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and also subject to the limitations of disclosures required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b) The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented by the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

   a) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

   b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

   c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA GAURAV LODHA)
PARTNER
M.No.507462

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA B. M. AGARWAL)
PARTNER
M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-18 ₹	As at 31-Mar-17 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	**26,181,558**	19,021,710
Reserves and Surplus	2	**153,673,778**	153,659,690
Share application Money pending allotment		**–**	6,830,000
Deposits	3	**2,948,388,573**	2,966,711,934
Borrowings	4	**57,061,162**	92,824,453
Other Liabilities and Provisions	5	**76,947,683**	94,971,655
TOTAL		**3,262,252,754**	**3,334,019,442**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**359,999,088**	750,867,551
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**32,285,265**	36,797,771
Investments	8	**1,026,316,122**	920,948,779
Advances	9	**1,565,421,771**	1,393,987,698
Fixed Assets	10	**43,433,811**	42,903,740
Other Assets	11	**234,796,697**	188,513,903
TOTAL		**3,262,252,754**	**3,334,019,442**
Contingent Liabilities	12	**1,193,978,648**	833,630,288
Bills for Collection	–	**144,860,670**	91,689,353
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

(CA GAURAV LODHA)
Partner
M.No.507462

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA B. M. AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

	PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-18 ₹	Year Ended 31-Mar-17 ₹
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**240,355,171**	246,614,083
	Other Income	14	**26,223,513**	28,756,440
	TOTAL		**266,578,684**	**275,370,523**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**175,185,079**	180,873,959
	Operating Expenses	16	**64,063,689**	63,610,278
	Provisions and Contingencies		**78,378,890**	55,277,265
	TOTAL		**317,627,658**	**299,761,502**
III.	**PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM**		**(51,048,974)**	**(24,390,979)**
	Less: Prior period Item		**–**	–
	Net Profit /(Loss) for the year after Prior period item		**(51,048,974)**	(24,390,979)
	Profit / (loss) brought forward		**(53,563,918)**	(25,335,556)
	TOTAL		**(104,612,892)**	**(49,726,535)**
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to :			
	Statutory Reserve		**–**	–
	Investment Reserve		**918,685**	3,837,383
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		**–**	–
	Staff Welfare Fund		**–**	–
	Revenue Reserve		**–**	–
	Fund in lieu of Insurance		**–**	–
	Proposed Dividend - Preference Capital		**–**	–
	Proposed Dividend - Equity Capital		**–**	–
	Dividend Tax		**–**	–
	Balance Carried Over to Balance Sheet		**(105,531,577)**	**(53,563,918)**
	TOTAL		**(104,612,892)**	**(49,726,535)**
EPS (Basic & Diluted) in ₹ (nominal value ₹ 10/- per share)			**(26.34)**	(13.35)
Principal Accounting Policies		17		
Notes to Accounts		18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA GAURAV LODHA)
Partner
M.No.507462

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA B. M. AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		**50,000,000**		50,000,000
500,00,00,000 shares of ₹ 10/- each (previous year 500,00,00,000 shares) of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	**26,181,558**		19,021,710	
2618155755 Equity Shares (previous year period 1902170964 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 2262123970 Equity shares (previous year period 154613979 Equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		**26,181,558**		**19,021,710**

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**20,635,979**		20,635,979	
Additions during the year	**–**		–	
		20,635,979		**20,635,979**
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**32,053,777**		32,923,455	
Additions on account of revaluation during the year	**–**		–	
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves	**751,349**		869,678	
Deductions during the year	**–**		–	
		31,302,428		**32,053,777**
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**10,172,698**		6,335,315	
Additions during the year	**918,687**		3,837,383	
		11,091,385		10,172,698
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	**118,658,639**		100,895,300	
Additions/ Adjustments during the year	**51,250,152**		17,763,339	
		169,908,791		118,658,639
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**24,702,513**		23,439,771	
Add : Transfer from Capital Reserves	**751,349**		869,678	
Additions during the year	**–**		393,064	
Less: Deductions during the year	**187,090**			
		25,266,772		24,702,513
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act		**1,000,000**		1,000,000
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(105,531,577)**		(53,563,917)
TOTAL		**153,673,778**		**153,659,690**

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	4,303,783		3,970,883	
ii) From Others	142,561,085		128,100,369	
		146,864,868		132,071,252
II. Savings Bank Deposits		**1,105,092,892**		1,031,024,978
III. Term Deposits				
i) From Banks	40,177,032		53,016,251	
ii) From Others	1,656,253,781		1,750,599,453	
		1,696,430,813		1,803,615,704
TOTAL		**2,948,388,573**		**2,966,711,934**
B. i) Deposits of Branches in India		**2,948,388,573**		2,966,711,934
ii) Deposits of Branches outside India		**–**		–

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	0		110,053	
ii) Other Banks	11,534		28,920,664	
iii) Other Institutions & Agencies	4,108,628		6,961,736	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	7,700,000		11,591,000	
v) Upper Tier II bonds	28,850,000		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	1,391,000		1,391,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	15,000,000		15,000,000	
		57,061,162		**92,824,453**
II. Borrowings outside India		**–**		–
TOTAL		**57,061,162**		**92,824,453**
Secured Borrowings included in I & II above		**Nil**		Nil

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018	AS AT 31-Mar-2017
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. Bills Payable	6,918,635	7,502,369
II. Inter Office Adjustments (Net)	5,526,439	–
III. Interest Accrued	7,760,143	8,133,757
IV. Deferred Tax Liability	–	–
V. Others (including provisions)	56742466	79,335,529
TOTAL	**76,947,683**	**94,971,655**

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		**15,054,784**		17,694,112
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	135,944,304		126,173,439	
In Other Accounts	209,000,000		607,000,000	
		344,944,304		733,173,439
TOTAL		**359,999,088**		**750,867,551**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	1,147,045		1,560,742	
b) In Other Deposit Accounts	13,045		10,797	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	–			
b) With Other Institutions	20,107,348		34,999,852	
		21,267,438		**36,571,391**
II. Outside India				
a) In Current Accounts	68,427		226,380	
b) In Other Deposit Accounts	10,949,400		–	
c) Money at Call & Short Notice	–		–	
		11,017,827		**226,380**
TOTAL		**32,285,265**		**36,797,771**
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	813,171,345		740,707,328	
ii) Other approved Securities	–		–	
iii) Shares	12,611,655		13,570,132	
iv) Debentures and Bonds	142,205,198		103,512,402	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	3,039,987		3,039,987	
vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	54,813,052		59,644,045	
		1,025,841,237		**920,473,894**
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		**474,885**		474,885
TOTAL		**1,026,316,122**		**920,948,779**
* Investments in India				
Gross Value	1,052,471,735		937,440,524	
Less:Provision for Depreciation	26,630,498		16,966,630	
Net Value		**1,025,841,237**		**920,473,894**
** Investments outside India				
Gross Value	475,100		475,100	
Less:Provision for Depreciation	215		215	
Net Value		**474,885**		**474,885**

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	12,108,770		16,294,564	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	705,309,854		658,991,181	
iii) Term Loans	848,003,147		718,701,953	
TOTAL		**1,565,421,771**		**1,393,987,698**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,464,606,458		1,298,846,409	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	4,163,297		2,640,519	
iii) Unsecured	96,652,016		92,500,770	
TOTAL		**1,565,421,771**		**1,393,987,698**
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	783,546,358		692,204,013	
ii) Public Sector	43,919,258		47,756,724	
iii) Banks	1,643		9,461	
iv) Others	737,954,512		654,017,500	
TOTAL		**1,565,421,771**		**1,393,987,698**
(II) Advances outside India		**–**		–

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	40,128,537		40,106,596	
Additions during the year (including Revaluation)	199,464		21,941	
Total	40,328,001		**40,128,537**	
Deductions / Adjustments during the year	–		–	
Depreciation to date	6,785,203		5,940,880	
Total		**33,542,798**		**34,187,657**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31st March of the preceding year	26,341,855		24,685,893	
Additions / Adjustments during the year	3,488,370		2,478,886	
Total	**29,830,225**		**27,164,779**	
Deductions / Adjustments during the year	769,138		822,924	
Total	**29,061,087**		**26,341,855**	
Depreciation to Date	19,170,074		17,625,772	
Total		**9,891,013**		**8,716,083**
TOTAL (I & II)		**43,433,811**		**42,903,740**

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	16,785,595		14,925,213	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	53,481,235		52,775,462	
III. Stationery and Stamps	199,846		179,363	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–		–	
V. Deferred Tax Assets	53,680,300		23,536,800	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	–		3,061,559	
VII. Others	110,649,721		94,035,506	
TOTAL		**234,796,697**		**188,513,903**

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		1,103,950		1,090,547
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		29,799,058		32,981,381
II. Liability for partly paid Investments		76,140		139,225
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		928,313,329		547,105,565
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	104,410,635		107,887,762	
b) Outside India	2,839,496		3,852,663	
		107,250,131		**111,740,425**
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		123,009,267		137,965,386
VI. Other item for which the bank is contingently liable		4,426,773		2,607,759
TOTAL		**1,193,978,648**		**833,630,288**

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-18 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-17 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	144,787,536	162,834,121
II. Income on Investments	71,373,632	73,718,485
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	20,585,442	6,388,242
IV. Others	3,608,561	3,673,235
TOTAL	**240,355,171**	**246,614,083**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	12,624,751	9,292,944
II. Profit on Sale of Investments (Net)	5,766,755	15,416,557
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	–	–
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(44,982)	(12,421)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	1,409,054	1,690,688
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	100,972	128,158
VII. Miscellaneous Income	6,366,963	2,240,514
TOTAL	**26,223,513**	**28,756,440**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	162,226,890	173,303,967
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	45,704	37,022
III. Others	12,912,485	7,532,970
TOTAL	**175,185,079**	**180,873,959**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	39,833,703	42,143,117
II. Rent, Taxes and Lighting	4,746,738	4,460,406
III. Printing and Stationery	362,698	437,860
IV. Advertisement and Publicity	241,456	333,285
V. Depreciation on Bank's property	2,603,090	2,573,712
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	10,622	8,160
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	198,592	299,163
VIII. Law Charges	171,272	199,825
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	663,447	469,346
X. Repairs and Maintenance	1,132,748	1,207,455
XI. Insurance	3,571,763	3,253,411
XII. Other Expenditure	10,527,560	8,224,538
TOTAL	**64,063,689**	**63,610,278**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. a) **Basis of Preparation:**

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) **Use of Estimates:**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2. **Transactions involving Foreign Exchange:**

2.1 The transactions are initially recorded on previous day's closing rate.

2.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the quarter end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

2.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.

2.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the quarter end rates notified by FEDAI.

2.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the quarter end rates notified by FEDAI and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. **Investments:**

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

i) Government Securities
ii) Other Approved Securities
iii) Shares
iv) Debentures and Bonds
v) Subsidiaries and sponsored institutions and
vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

3.2 **Basis of Classification:**

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity:

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 **Transfer of Securities between categories:**

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 **Valuation:**

a) Held to Maturity:

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

Investments in subsidiaries and associates are valued carrying cost less diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

b) Available for sale:

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.
iv)	Equity Shares	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or ₹.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Shares	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted : (Traded in last 15 days) at last Trade Price. b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted : At market price. b) Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹.1/- per VCF.
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading:

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost:

i) Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

ii) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

iii) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

3.6 Income Recognition:

i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from ‘Held to Maturity’ category, an equivalent amount is appropriated to the ‘Capital Reserve’.

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

3.7 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF):

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

4. Derivatives:

4.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/Liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit & Loss Account.

ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Assets/Liabilities are not marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities.

4.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.

ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank’s profit & loss account on final settlement.

iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.

iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head.

5. Advances:

5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

5.2 Partial Recovery in Non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest. However, where any borrowal account is required to be classified as Non-Performing from back date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

5.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.5 Financial Assets sold are recognized as under:

5.5.1 In case the sale to SC / ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

5.5.2 In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

5.5.3 In case of sale to SC / ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC / ARC.

6. Fixed Assets/Depreciation:

6.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

6.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

6.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

6.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

6.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

7. Employee Benefits:

Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

8. Recognition of Income and Expenditure:

8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

8.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

8.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guideline

9 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

10 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

B.S. SHEKHAWAT Executive Director	**P.RAMANA MURTHY** Executive Director	**B.K. DIVAKARA** Executive Director	**RAJEEV RISHI** Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**KETUL R. PATEL** Director	**N. NITYANANDA** Director	**PROF. (DR.) ATMANAND** Director

For LODHA & CO. Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W	**For S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.000478N	**For BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants F.R. No. 101569W
(CA GAURAV LODHA) Partner M.No.507462	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585	**(CA JYOTI BAGGA)** Partner M.No.087002	**(CA B. M. AGARWAL)** Partner M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

SCHEDULE-18 : NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2018 is ₹ 2618.16 crore increased from ₹ 1902.17 crore of previous year by issue of fresh 715984791 equity shares of ₹ 10 each in three allotments.

a. 9601536 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 94.15 on 18.08.2017

b. 55976956 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 94.15 on 16.11.2017 against Share Application Money of ₹ 583.00 crore, arising on extinguishment of 5830 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of the face value of ₹ 10.00 lakh each held by Government of India on 31.03.2017

c. 38845460 Equity Share of ₹ 10 each at premium of ₹ 73.15 and 611560839 Equity Share of ₹ 10 each at premium of ₹ 69.06 allotted to Government of India on Preferential Basis on 27.03.2018.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax:

3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2979.91 crore (previous year ₹ 3298.14 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

4. Premises:

4.1 Premises owned by the Bank includes properties costing ₹ Nil (previous year ₹ 1.63 Crore) for which registration formalities are still under progress.

4.2 Premises obtained on Lease by the Bank includes properties costing ₹ 0.64 Crore (previous year ₹ 0.64 Crore) for which registration formalities are still under progress.

4.3 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 75.13 Crore (previous year ₹ 86.97 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

5. Advances / Provisions

5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

6. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. (i) Capital

(₹ in crore)

Sl. No	Items	31.03.2018	31.03.2017
1	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	**7.01%**	8.62%
2	Tier 1 capital ratio (%)	**7.01%**	8.62%
3	Tier 2 capital ratio (%)	**2.03%**	2.32%
4	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**9.04%**	10.95%
5	Percentage of the shareholding of the Government of India	**86.40%**	81.28%
6	Amount of equity capital raised	**5158.00**	2136.79*
7	Amount of Additional Tier 1 capital raised; *of which Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS):* *Perpetual Debt Instruments (PDI):*	**NIL**	NIL
8	Amount of Tier 2 capital raised; *Of which* Debt capital instruments: Preference Share Capital Instruments:[*Perpetual Cumulative Preference Share* (PCPS) / *Redeemable Non Cumulative Preference Share* (RNCPS) /*Redeemable Cumulative Preference Share* (RCPS)]	**NIL**	500.00

*Includes capital funds of ₹ 100.00 crore received from Government of India on 31.03.2017 and the same has been kept in the newly opened Bank account namely, " Central Bank of India Share Application Money Account". Bank allotted the said shares to Government of India on 18th August 2017.

*Further, it also include equity capital of ₹ 583.00 crore, arising out of extinguishment of 5830 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of face value of ₹ 10.00 Lakh each held by Government of India and kept into Share Application Money Account pending allotment of shares. Bank allotted the said shares to Government of India on 16th November 2017.

b. (i) Investments

(₹ in crore)

		Items	31.03.2018	31.03.2017
1)	**Value of Investments**			
	i)	Gross Value of Investments	**105294.68**	93791.56
		a) In India	**105247.17**	93744.05
		b) Outside India	**47.51**	47.51
	ii)	Provisions for Depreciation	**2663.07**	1696.68
		a) In India	**2663.05**	1696.66
		Excess provision for depreciation (held at shifting) over current valuation	**0.00**	0.00
		b) Outside India	**0.02**	0.02
	iii)	Net Value of Investments	**102631.61**	92094.88
		a) In India	**102584.12**	92047.39
		b) Outside India	**47.49**	47.49
2)	**Movement of Provisions held towards depreciation on Investments**			
	i)	Opening Balance	**1696.68**	1027.21
	ii)	Add: Provisions made during the year	**1781.21**	768.49
	iii)	Less: Write Back/Utilized during the year	**814.82**	99.02
	iv)	Closing Balance	**2663.07**	1696.68

(ii)) Repo Transactions (in face value terms)

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2018
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	0.00	2140.00	124.76	0.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	4010.00	73915.00	32672.95	22910.73
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	Central Govt Recap Bonds	4835	0	0	4835	4835
ii)	State Govt Special Bond	2664	0	0	2664	0
iii)	PSUs	4884	18	0	4210	0
iv)	FIs	187	127	0	44	44
v)	Banks	333	0	0	0	0
vi)	Private Corporates	1789	120	245	611	707
vii)	Subsidiaries/ Joint Ventures/RRB/ Indo-Zambia	421	421	0	421	421
viii)	Others	8568	0	438	5132	6508
	TOTAL	**23681**	**686**	**683**	**17917**	**7680**
	Less: Provision held towards depreciation	2367	0	0	0	0
	NET	**21314**	**686**	**683**	**17917**	**7680**

Note: Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive

(iv) Non Performing Non-SLR Investments (including Matured Investments)

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2018	31.03.2017
Opening Balance	**560.14**	474.03
Additions during the year	**1643.39**	215.87
Reductions during the year	**119.05**	129.76
Closing balance	**2084.48**	560.14
Total provisions held	**1648.11**	389.41

c. **Derivatives**

(i) **Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap**

(₹ in crore)

	Items	31.03.2018	31.03.2017
i)	The Notional Principal of Swap agreements	25.00	25.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	0.00	0.00
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps		
	-- Foreign Bank	NIL	NIL
	-- Domestic Bank	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	0.00*	–0.15

* Figure is less than ₹ 1 lakh.

(ii) **Forward Rate Agreement / Currency Rate Swap**

(₹ in crore)

	Items	31.03.2018	31.03.2017
i)	The Notional Principal of Swap agreements	334.07	241.42
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	4.97	5.21
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps		
	-- Foreign Bank	NIL	NIL
	-- Domestic Bank	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	0.99	1.04

(iii) **Exchange Traded Interest Rate Derivatives:**

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
	Interest Rate Futures		
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective	NIL	NIL
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective”	NIL	NIL

(iv) Exchange Traded Currency Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives undertaken during the year		
	a) Currency Futures	11545.10	30741.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
ii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
iv)	Mark-to market value of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00

Disclosures on risk exposure in Derivatives

(v) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Currency Futures and Interest Rate Futures for Hedging the Interest Rate Risk in the Investment Portfolio and also for Market Making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc. as approved by the Board of Directors are in place.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
- If the swap is terminated before maturity, the Mark to Market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under interest paid/received on IRS.

Trading positions

- Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

Outstanding Forward Contract Merchant & Interbank as on 31.03.2018 (₹ in crore)

Outstanding as on 31.03.2018	**89846.96**
Hedging Position	**5463.05**
Trading Position	**84383.91**

(vi) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a)	For hedging	5463.05	0.00	6472.28	0.00
b)	For trading	84383.91	25.00	46961.10	25.00
ii)	Marked to Market Positions				
a)	Asset (+)	435.84	0.40	1247.55	0.00
b)	Liability (-)	454.35	0.15	1231.39	0.15
iii)	Credit Exposure [1]				
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	–	0.01	–	0.01
a)	On hedging derivatives	–	0.00	–	0.00
b)	On trading derivatives	–	0.01	–	0.01
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a)	On hedging	–	Max-0.00 Min-0.00	–	Max-0.00 Min-0.00
b)	On trading	–	Max - 0.04 Min - 0.01	–	Max-0.04 Min-0.01

d. Asset Quality

(a) Non Performing Assets

(₹ in crore)

	Items	31.03.2018	31.03.2017
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	11.10	10.20
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
a)	Opening balance	27251.33	22720.88
b)	Additions during the year	17071.24	10487.82
c)	Reduction during the year	6191.87	5957.37
d)	Closing balance	38130.70	27251.33
iii)	Movement of Net NPAs		
a)	Opening balance	14217.83	13241.80
b)	Additions during the year	6246.83	4459.77
c)	Reduction during the year	3086.79	3483.74
d)	Closing balance	17377.87	14217.83
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
a)	Opening balance	11862.53	8238.00
b)	Provisions made during the year	10824.41	6028.05
c)	Write off/ write back / Transfer	3085.63	2403.52
d)	Closing balance	19601.31	11862.53

(b) Particulars of Accounts Restructured :

(₹ in crore)

Sr No	Type of Restructuring → / Asset Classification → / Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	17	5	25	0	47	1389	245	2455	0	4089	17269	1065	2331	0	20665	18675	1315	4811	0	24801
		Amount outstanding	2957.87	603.32	2777.69	0	6338.88	124.82	41.15	124.28	0.00	290.25	4460.17	700.31	1682.01	0.00	6842.49	7542.86	1344.78	4583.98	0.00	13471.62
		Provision thereon	348.39	30.70	151.13	0	530.22	5.19	0.77	5.64	0.00	11.60	222.30	15.91	38.03	0.00	276.24	575.88	47.38	194.80	0.00	818.06
2	Fresh restructuring during the year#	No. of borrowers	0	0	0	0	0	21	4	2	0	27	432	51	61	0	544	453	55	63	0	571
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	3.40	0.98	0.00	6.69	25.57	20.28	20.08	0.00	65.93	27.88	23.68	21.06	0.00	72.62
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.05	0.00	0.18	0.92	0.07	0.06	0.00	1.05	1.04	0.08	0.11	0.00	1.23
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	1	0	-1	0	0	3	-3	0	0	0	25	-10	-15	0	0	29	-13	-16	0	0
		Amount outstanding	5.33	0.00	-5.33	0.00	0.00	1.81	-1.81	0.00	0.00	0.00	134	-88.37	-46.03	0.00	0.00	141.54	-90.18	-51.36	0.00	0.00
		Provision thereon	0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	11	-4.55	-6.16	0.00	0.00	11.60	-4.56	-7.04	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	-2				-2	-392				-392	-9720				-9720	-10114				-10114
		Amount outstanding	-182.24				-182.24	-61.34				-61.34	-921.99				-921.99	-1165.57				-1165.57
		Provision thereon	-11.39				-11.39	-1.73				-1.73	-16.56				-16.56	-29.68				-29.68
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-8	1	5	2	0	-38	23	6	9	0	-2032	1444	345	243	0.00	-2078	1468	356	254	0
		Amount outstanding	-1422.27	507.67	688.32	226.28	0.00	-15.71	14.64	0.34	0.73	0.00	-1481.40	679.73	797.21	4.46	0.00	-2919.38	1202.04	1485.87	231.47	0.00
		Provision thereon	-256.52	30.17	211.10	15.25	0.00	-0.78	0.72	0.02	0.04	0.00	-21.32	9.59	11.51	0.22	0.00	-278.62	40.48	222.63	15.51	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY $	No. of borrowers	-4	-5	-1	-2	-12	-913	-242	-2343	-9	-3507	-3781	-1052	-1106	-243	-6182	-4698	-1299	-3450	-254	-9701
		Amount outstanding	-967.58	-603.32	-688.17	-226.28	-2485.35	-16.95	-39.33	-13.49	-0.73	-70.50	-1024.53	-584.69	27.12	-4.46	-1586.56	-2009.06	-1227.34	-674.54	-231.47	-4142.41
7	Restructured Accounts as on 31.03.2018 (closing figures)	No. of borrowers	4	1	28	0	33	70	27	120	0	217	2193	1498	1616	0	5307	2267	1526	1764	0	5557
		Amount outstanding	391.11	507.67	2772.51	0.00	3671.29	34.94	18.05	112.11	0.00	165.10	1192.22	727.26	2480.39	0.00	4399.87	1618.27	1252.98	5365.01	0.00	8236.26
		Provision thereon **	63.63	30.17	357.67	0.00	451.47	0.51	0.74	1.42	0.00	2.67	124.89	9.66	34.53	0.00	169.08	189.03	40.57	393.62	0.00	623.22

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).
** provision held is figure of sacrifice provision
# Includes account restructured in earlier years however identified during current financial Year.
$ Includes recovery during current Financial Year restructured accounts .

(c) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales (₹ in crore)

	Items	31.03.2018	31.03.2017
i)	No. of accounts	2	NIL
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	105.33	NIL
iii)	Aggregate consideration	114.00	NIL
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	1.47	NIL
v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	10.14	NIL

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

The details of the book value of investments in security receipts is as under: (₹ in crore)

	Items	31.03.2018	31.03.2017
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	3116.96	3327.19
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	6.85	22.23
	Total	**3123.81**	**3349.42**

(d) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased: (₹ in crore)

		Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	a	No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b	Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	b	Aggregate outstanding	NIL	NIL

b. Details of Non Performing Financial Assets sold: (₹ in crore)

	Items	31.03.2018	31.03.2017
1	No. of accounts	NIL	NIL
2	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	Aggregate consideration received	NIL	NIL

(e) Provision on Standard Assets (₹ in crore)

Items	31.03.2018	31.03.2017
Provisions towards Standard Assets held	496.71	540.03

(f) Business Ratios

Sr. No.	Items	31.03.2018	31.03.2017
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	7.59	8.10
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	0.83	0.94
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	0.86	1.01
(iv)	Return on Assets **	(1.61)	(0.80)
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	1270.64	1181.33
(vi)	Profit/(Loss) per employee (₹ in lacs)	(13.86)	(6.49)

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.

g. Asset Liability Management

Maturity pattern of Total Deposits, Borrowings, Advances & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of March 31, 2018

(₹ in crore)

Period	Total Deposit	Total Advances	Total Investment	Total Domestic Borrowings *	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	1545.73	4165.65	–	1.15	184.66	366.27
2 days to 7 days	2372.28	1281.85	2146.35	32.08	297.91	14.97
8 days to 14 days	2949.26	247.72	249.78	–	33.24	8.18
15 days to 30 days	4257.60	6090.04	869.49	–	228.31	8.10
31 days to 2 months	8852.12	1420.61	282.23	–	–	25.82
Above 2 months to 3 months	8410.25	2531.03	506.89	32.07	20.01	22.52
Above 3 months to 6 months	13556.00	5344.50	2282.49	30.34	991.60	152.93
Above 6 months to 12 months	24490.57	7852.12	1477.18	64.08	528.21	522.14
Above 1 years to 3 years	135669.00	72159.29	4885.31	246.03	165.34	685.78
Above 3 years to 5 years	46371.63	19405.81	9005.48	6.26	25.94	57.06
Over 5 years	46364.42	36043.57	80926.42	–	0.78	–
Total	294838.86	156542.18	102631.62	412.01	2476.00	1863.78

Note : -

* Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been complied on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and has been relied upon by the Auditors.

h. Exposures

(i) Exposure to Real Estate Sector (₹ in crore)

	Category	31.03.2018	31.03.2017
a)	**Direct Exposure**		
	(i) Residential Mortgages -	22094.61	20084.89
	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented:		
	(individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	(13595.91)	(13077.11)
	(ii) Commercial Real Estate –	3803.25	4019.29
	Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space hotels land acquisition development and construction etc.)		
	Exposure includes non-fund based (NFB) limit:		
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities		
	(MBS) and other securitized exposures –		
	- Residential	0.00	0.00
	- Commercial Real Estate.	73.20	00.00
b)	**Indirect Exposure**		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	979.50	919.46
	TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	**26950.56**	**25023.64**

(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Items	31.03.2018	31.03.2017
i) Direct Investment in equity shares convertible bonds convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	557.92	747.86
ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs) convertible bonds convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	0.00	1.68
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	205.85	342.82
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.01
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	333.15	298.15
vi) Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii) Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix) Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x) All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	0.00	0.00
Total Exposure to Capital Market	**1096.92**	**1390.52**

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018	Exposure (net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017
Insignificant	1236.57	Nil	949.11	Nil
Low	444.44	Nil	1156.65	Nil
Moderate	53.37	Nil	126.00	Nil
High	33.79	Nil	46.07	Nil
Very High	24.23	Nil	2.54	Nil
Restricted	4.26	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	1796.66	Nil	2280.37	Nil

As the Bank's exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank no provision is considered necessary.

(iv) **Details of Single borrower limit/Group Borrowers Limit exceeded by the Bank for which necessary Board approval has been obtained.**

a. Single Borrower Limit exceeded by Bank

(₹ in crore)

Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Total Exposure	Exposure as % of Capital Fund	Amount Outstanding as on 31.03.2018	Outstanding as % of Capital Fund
Food Corporation of India	2920.56	6074.26	31.20	1353.85	6.95

b. Group Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

(v) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights Licenses Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) against charge over intangible security such as Rights Licences Authorization etc. are considered as unsecured.

The value of intangible security is ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

(vi) In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ 2,115.52 crore (Previous year ₹ 22,991.22 crore) were issued on risk sharing basis for a maximum period of 120 days ending July 30, 2018, thereby reducing the Bank's Total Advances as on March 31, 2018 to same extent.

(vii) Sale and transfer to / from HTM category

During the year ended Mar 312018 the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions and repurchase of Government securities by the government of India) had exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The market value of investments held in the HTM category was ₹ 69226 crore whose book value is ₹ 69556 crore as on March 31 2018 which includes investments in subsidiaries/ joint ventures carried at cost. Hence excess of book value over market value is ₹ 330 crore for which provision has not been made.

7. Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.91 crore (pevious year ₹ 0.12 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

8. I. Disclosure regarding concentration of Deposits Advances Exposures and NPAs:

8.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a) Total Deposits of twenty largest depositors	18098.73	25520.27
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	6.14%	8.60%

8.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a) Total Advances to twenty largest borrowers	23203.00	22282.75
(b) Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	13.07%	14.56%

Advances represents credit exposure as per RBI norms

8.3 Concentration of Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	33006	39591.09
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.54%	15.76%

Advances represents credit and investment exposure as per RBI norms

8.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a) Total Exposure to top four NPA accounts	6563.53	4429.82

II. Sectorwise advances:

(₹ in Crore)

S.No	Sector	31.03.2018			31.03.2017		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	34,191.98	2,515.62	7.36	33,518.56	2,578.56	7.69
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	13,241.66	2,299.01	17.36	11,346.26	1,932.99	17.04
3	Services	19,234.93	2,216.56	11.52	17,999.17	2,246.16	12.48
4	Personal loans	16,166.06	793.55	4.91	10,486.28	703.73	6.71
	Sub-total (A)	**82,834.63**	**7,824.74**	**9.45**	**73,350.27**	**7,461.44**	**10.17**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	–	–	–	–	–	–
2	Industry	57,886.75	25,775.72	44.53	54,859.69	16,115.61	29.38
3	Services	22,677.46	4,183.18	18.45	17,774.30	3,389.68	19.07
4	Personal loans	14,085.21	347.05	2.46	7,023.88	284.60	4.05
	Sub-total (B)	**94,649.42**	**30,305.96**	**32.02**	**79,657.87**	**19,789.89**	**24.84**
	Total (A+B)	**1,77,484.04**	**38,130.70**	**21.48**	**1,53,008.14**	**27,251.33**	**17.81**

III. A. Movement of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
Gross NPAs *as on 1st April 2017 (opening Balance)	27251.33		22720.88	
Additions (Fresh NPAs) during the year	17071.24		10487.82	
Sub Total (A)		**44322.57**		**33208.70**
Less:-				
(i) Upgradation	785.12		1183.46	
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2403.34		2378.28	
* Sale of NPA	79.80		0.00	
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	2606.53		2327.08	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	317.08		68.55	
Sub-total (B)		**6191.87**		**5957.37**
Gross NPAs as on 31st March 2018 (closing balance) (A-B)		**38130.70**		**27251.33**

B. Technical write-off and the recoveries:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	6954.63	4627.55
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	2606.53	2385.02
Sub-total (A)	**9561.16**	**7012.57**
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B) *	321.84	57.94
Closing balance as at March 31 (A-B)	**9239.32**	**6954.63**

*includes conversion to Regular write off of ₹ 5.58 crores (Previous year ₹ 2.28 crore)

IV. Overseas Assets NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitisation:

(₹ in crore)

S. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Loss	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL

*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here

VII. Intra-Group Exposures:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	Total amount of intra-group exposures	692.62	664.59
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures(there are only 6 companies in this category)	692.62	664.59
(c)	Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.29%	0.26%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	Nil	Nil

VIII. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF): (₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of amounts transferred to DEAF	61.69	32.72
Add: Amount transferred to DEAF during the year	23.17	29.17
Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	01.25	00.20
Closing balance of amounts transferred to DEAF	83.61	61.69

There are certain eligible credit balances in the nature of unlocated deposit which are not yet remitted pending reconciliation.

9. Liquidity Cover

LCR Disclosure (₹ in crore)

		31.03.2018		31.03.2017	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		90761.49		65177.71
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:				
(i)	Stable deposits	70192.60	3509.63	66905.03	3345.25
(ii)	Less stable deposits	175726.27	17572.63	162127.87	16212.79
3	Unsecured wholesale funding of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	48090.22	21432.50	52479.69	23576.73
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00
5	Additional requirements of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	8563.56	8701.25	4071.93	4197.77
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	21344.93	2148.50	18815.67	2118.17
6	Other contractual funding obligations	1316.66	1358.90	1564.23	1585.56
7	Other contingent funding obligations	24491.51	753.85	23881.59	725.11
8	**Total Cash Outflows**		**55477.26**		**51761.37**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	32815.47	0.00	8815.28	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	2277.90	2277.90	2428.47	2261.81
11	Other cash inflows	23674.46	17368.41	18192.44	12669.42
12	**Total Cash Inflows**	**58767.84**	**19646.31**	**29436.20**	**14931.23**
		Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**	
13	TOTAL HQLA	90761.49		65177.71	
14	Total Net Cash Outflows	35830.95		36830.14	
15	Liquidity Coverage Ratio (%)	253.30		176.97	

LCR Qualitative Disclosures:

<table>
<tr><th colspan="3">Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures</th></tr>
<tr><th colspan="2">Line items significant to LCR</th><th>Explanatory Notes</th></tr>
<tr><td>a</td><td>The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation</td><td>The main drivers of LCR results are :
1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR, the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF) & LCR. Other major heads impacting HQLA are investment in government securities/ guaranteed by government.
2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow.
3) Yet another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.</td></tr>
<tr><td>b</td><td>Intra-period changes as well as changes over time</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>c</td><td>The composition of HQLA</td><td>The HQLA comprises of the following:
1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 9% of NDTL (FALLCR) as per RBI guidelines
2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies.
3. Level 2A assets also comprises of bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies.
4. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies.
5. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.</td></tr>
<tr><td>d</td><td>Concentration of funding sources</td><td>Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).</td></tr>
<tr><td>e</td><td>Derivative exposures and potential collateral calls</td><td>Derivative exposure of the bank consists of the following:
1. OTC Derivatives
a) Forwards
b) Currency Swaps
c) Interest Rate Swap
2. Exchange Traded Derivatives
a) Currency Futures
b) Interest Rate Futures
Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed with the counterparties.</td></tr>
</table>

		For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market. All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/INR Swaps and Forwards. The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same. At present, bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.
f	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
g	Degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.
h	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
i	Other Information	Bank has done IBPC transaction (IBPC Borrowing) to the tune of ₹ 2115.52 Cr, which has been factored in the LCR Calculation.

10. Other Disclosures

Insurance Business :

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	No. of policies	Amount (₹ in crore)	No. of policies	Amount (₹ in crore)
Life	25659	11.03	25427	6.78
Non Life	201218	10.39	244012	10.00
Total		**21.42**		**16.78**

11. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 8. However the said income is not considered to be material.

b) Accounting Standard - 15 (Revised)

Defined Contribution Plan:

National Pension Scheme (NPS):-

During the year Bank has recognized ₹ 18.06 crore (Previous year ₹ 15.49 crore) as contribution to NPS in profit & loss account.

Defined Benefit Plan:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	1847.13	12484.08	1490.34	11153.04
Interest Cost	134.29	930.06	116.92	869.55
Current Service Cost	69.13	87.53	50.26	86.00
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit)	329.37	0	0	0
Liability Transfer in	0	0	0	0
Liability Transfer out	0	0	0	0
Benefit Paid	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
Actuarial (gain)/loss on obligations	(481.16)	1271.80	369.68	1276.68
Liability at the end of the year	1741.56	13821.17	1847.13	12484.08
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1656.73	12420.00	1493.19	10659.96
Expected return on Plan Assets	120.44	925.29	129.55	958.12
Contributions	490.40	859.08	204.15	1678.00
Transfer from Other Company	0	0	0	0
Transfer from to Company	0	0	0	0
Benefit paid	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	14.57	263.51	9.91	25.11
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2124.94	13515.58	1656.73	12420.00
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	495.73	(1008.29)	(359.77)	(1251.57)

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Expenses recognized in the Profit & Loss Account:	69.13	87.53	50.26	86.00
Current Service Cost	134.29	930.06	116.92	869.55
Interest Cost	(120.44)	(925.29)	(129.55)	(958.12)
Expected Return on Plan Assets	0	0	0	0
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	329.37	0	0	0
Recognition of Transition Liability	0	0	0	0
Actuarial (Gain) or Loss	(495.73)	1008.29	359.77	1251.57
Expenses Recognized in P & L	(83.38)	1100.59	397.40	1249.00
Actual Return on plan assets:				
Expected return on plan assets	120.44	925.29	129.55	958.12
Actuarial gains/(losses) on plan assets – Due to Experience	14.57	263.51	9.91	25.11
Actual return on plan assets	135.01	1188.80	139.46	983.23
Experience adjustments:				
Actuarial (gains)/losses on obligation – Due to experience	(511.99)	1029.93	318.59	1053.22
Actuarial (gains)/losses on plan assets – Due to experience	14.57	263.51	9.91	25.11

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	7.83	7.76	7.27	7.45
Rate of return on Plan Assets Current	7.83	7.76	7.27	7.45
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	0.50	0.50	0.50	0.50

Other long term benefits:

During the year bank has recognized expenses of ₹ 72.94 crore (Pervious year ₹ NIL) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

c) **Accounting Standard 17 – Segment Reporting**

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognised Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

BUSINESS SEGMENTS

(Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	10,239.35	9,864.04	8,335.47	9,512.76	8,083.04	8,160.26	-	-	26,657.86	27,537.06
Result	940.90	2,090.30	(8,752.66)	(5,613.16)	69.78	155.14	-	-	(7,741.99)	(3,367.72)
Unallocated Expenses									153.98	161.18
Operating Profit									(7,895.97)	(3,528.90)
Income Taxes									(2,791.07)	(1,089.80)
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(5,104.90)	(2,439.10)
Other Information:										
Segment Assets	146,513.22	152,959.41	79,499.55	96,187.54	86,963.40	74,001.25	-	-	312,976.17	323,148.20
Unallocated Assets									13,249.10	10,253.74
Total Assets									326,225.27	333,401.94
Segment Liabilities	149,296.72	154,779.06	75,908.17	85,288.91	83,034.84	75,382.83	-	-	308,239.73	315,450.80
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									308,239.73	315,450.80

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities Money Market operations and Forex operations.

iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures.

iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking.

v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vi) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

d) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

(a) **Key Managerial Personal–**

	Name	Designation
i)	Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. B. K. Divakara	Executive Director
iii)	Mr. P. R. Murthy (w.e.f. 17.02.2017)	Executive Director
iv)	Mr. B. S. Shekhawat (w.e.f. 09.10.2017)	Executive Director

(b) **Subsidiaries –**

i)	Cent Bank Home Finance Ltd.
ii)	Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) **Associates**

(i)	**Regional Rural Banks –**
i)	Central Madhya Pradesh Gramin Bank
ii)	Uttar Bihar Gramin Bank Muzzaffarpur
iii)	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank Cooch Behar
(ii)	Indo – Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons: (₹ In Lakhs)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2018	31.03.2017
Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director	30.13	28.70
Mr. B. K. Divakara	Executive Director	23.70	23.11
Mr. P. R. Murthy (w.e.f. 17.02.2017)	Executive Director	23.54	2.58
Mr. B. S. Shekhawat (w.e.f. 09.10.2017)	Executive Director	10.93	–
Dr. R. C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director	0.42	39.54
Mr. R. K. Goyal (upto 31.12.2016)	Executive Director	–	38.94
TOTAL		**88.72**	**132.87**

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 Related Party Disclosure issued by ICAI transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

e) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Particulars	**31.03.2018**	**31.03.2017**
Net Loss after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(5104.90)	(2439.10)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	1937882867	1827463465
Basic Earnings per Share (₹)	(26.34)	(13.35)
Diluted Earnings per Share (₹)	(26.34)	(13.35)
Nominal Value per Share (₹)	10	10

f) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 5368.03 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2018. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2018 are as under:

(₹ in crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	21.24	29.45
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	586.56	516.53
Provision for Leave Encashment	221.49	194.11	0.00	0.00
Provision for Investments	575.91	0.00	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	5213.37	2740.16	0.00	0.00
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.61
TOTAL	**6010.77**	**2934.27**	**642.74**	**580.59**
Net Deferred Tax Asset/Liability	**5368.03**	**2353.68**		

Net increase in Deferred tax assets for the year 2017-18 is ₹ 3014.35 crore (Previous year ₹ 1265.40 crore) has been recognized in profit & loss account.

g) Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31 2018 requiring recognition in terms of the Standard.

h) Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2018	31.03.2017
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	794.17	394.43
Provision towards NPA	10543.58	6215.97
Provision towards Standard Asset	6.31	(163.81)
Provision made for Taxes	(2791.07)	(1089.80)
Provision for Restructured Advances	(950.62)	320.73
Other Provisions	235.52	(149.79)
TOTAL	**7837.89**	**5527.73**

(ii) Floating Provisions

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
A	Opening balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	–	–
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	–	–
D	Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56

(iii) Countercyclical Provisioning Buffer: (₹ in crore)

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	–	–
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	–	–
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34

(iv) Movement of Provision for Claims against the bank but not acknowledge as debt:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening Balance	1.66	1.66
Additions during the year	–	–
Amount used during the year	–	–
Closing Balance	1.66	1.66
Timing of any resulting outflow	NA	N.A.

12. Details of Complaints

	Customer Complaints(excluding ATM & Central Card)	No. of complaints	
		31.03.2018	31.03.2017
a)	Pending at the beginning of the year	681	288
b)	Received during the year	10558	11000
c)	Redressed during the year	10585	10607
d)	Pending at the end of the year	654	681

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2018	31.03.2017
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil	Nil
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil	Nil
c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	Nil
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	Nil	Nil

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2018	31.03.2017
a)	Pending at the beginning of the year	0	0
b)	Received during the year	127	246
c)	Redressed during the year	127	246
d)	Pending at the end of the year	0	0

Complaints pertaining to ATM Transactions			
	Customer Complaints	31.03.2018	31.03.2017
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	2806	221
b)	No. of complaints Received during the year	165747	134206
c)	No. of complaints Redressed during the year	165636	131621
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	2917*	2806

*Out of which as on 15.04.2018 1093 complaints are pending and all are within turn around time.

Complaints pertaining to Central Card Transactions			
	Customer Complaints	**31.03.2018**	**31.03.2017**
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	0	11
b)	No. of complaints Received during the year	7962	7794
c)	No. of complaints Redressed during the year	7954	7805
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	8	0

13. Details of Letter of Comfort issued by banks and outstanding as on 31.03.2018

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Letter of Comforts issued during the year	1744.59	2948.85
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	2199.07	2971.23
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	819.09	1273.57

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

14. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 63.31 % (Previous Year 58.43%)

15. As per the information compiled by the Management the Vendors whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank are not registered under Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006. This is relied upon by the Auditors.

16. Unhedged Foreign Currency exposure:

Unhedged Foreign Currency exposure as on 31.03.2018: ₹ 4310.81 Crores (As on 31.03.2017 ₹ 18322.28 crore)

Provisions held as on 31.03.2018: ₹ 3.00 Crore (As on 31.03.2017 ₹ 41.53 Crore)

17. Provision for Frauds :

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2016-16 dated 18.04.2016 details of Fraud and Provision are as below:- (₹ in crore)

YEAR	No. of Frauds Reported	Amount Involved	Provision Made	Un-Amortised Provision	Un-Amortised Provision as on Date 31.03.2018
2017-18	209	1399.93	1399.93	NIL	NIL

(₹ in crore)

YEAR	No. of Frauds Reported	Amount Involved	Provision Made	Un-Amortised Provision	Un-Amortised Provision as on Date 31.03.2017
2016-17	186	801.54	801.54	NIL	NIL

18. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2017-18.

19. Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11dated April 29 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 17.03.2018.

20. RBI vide its circular DBR.No.BP.BC.101/21.01.18/2017-18 dated February 12 2018 issued a revised framework for resolution of Stressed Assets which supersedes the existing guidelines of SDR, Corporate Debt Restructuring Scheme, Flexible Structuring of existing long term project loans, Change in Ownership Outside SDR and S4A with immediate

effect. Under the revised framework, the benefits for accounts where any of these Schemes had been invoked but not yet fully implemented were revoked and accordingly, all accounts have been downgraded as per extant RBI norms on Income Recognition and Asset Classification.

S4A scheme was invoked and implemented in six accounts with outstanding balance of ₹ 559.18 crore. As such bank has kept provision of ₹ 105.84 crore against such six S4A implemented borrower accounts as on 31.03.2018.

21. Disclosure with respect to NCLT provisions:-

As per RBI Circular Nos. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No.BP.1906/ 21.04.048/2017-18 dated 23.06.2017 and 28.08.2017 respectively in respect of NPA Accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) the Bank has made additional provision of ₹ 1435 crore during the year ended March 31, 2018. Further as per RBI communication No. BP.8756/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 with respect to spreading of the provisions in accounts covered in 1 & 2 list covered under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) the Bank has availed the option of dispensation available and additional provisions of ₹ 627.46 crore will be provided in the quarter ending June 2018.

22. Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements and additional Gross NPA assessed by RBI for FY 2016-17 exceeded 15% of the published Net Loss after Tax and incremental Gross NPA respectively the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	27251.00
2.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	28910.80
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	1659.80
4.	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	14218.00
5.	Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	15514.80
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	1296.80
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	11862.00
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	12932.00
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	1070.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	(2439.10)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning	(3138.79)

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results for the year ended March 31, 2018.

23. In respect of two Gems and Jewellery borrower group where fraud was declared by some banks, the Bank has classified these accounts as NPA and fully provided for the entire funded exposure of ₹ 378.96 crore during the year ended March 31, 2018.

24. Priority Sector Lending Certificate (PSLC) sold / (purchased) under General Category. The details are as under:-

(₹ in crore)

SECTOR →	Agri		General		Micro		S&M Farmer		Total Quantity	Total
MONTH	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	Quantity (Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)	(Rs. Cr)	PROFIT/(LOSS)
SEPTEMBER 2017	(1,410.00)	16.63	(4,770.00)	23.79	3,287.50	(24.16)	-	-	**(2,892.50)**	**16.25**
NOVEMBER 2017	-	-	(250.00)	0.95	100.00	(0.42)	-	-	**(150.00)**	**0.53**
DECEMBER 2017	-	-	(5,150.00)	25.28	997.00	(4.98)	(2,000.00)	19.41	**(6,153.00)**	**39.72**
JANUARY 2018	-	-	(450.00)	1.30	300.00	(0.97)	-	-	**(150.00)**	**0.33**
FEBRUARY 2018	-	-	-	-	340.00	(0.89)	-	-	**340.00**	**(0.89)**
MARCH 2018	-	-	(3,300.00)	2.33	2,500.00	(2.90)	(4,700.00)	18.94	**(5,500.00)**	**18.37**
Grand Total	**(1,410.00)**	**16.63**	**(13,920.00)**	**53.65**	**7,524.50**	**(34.33)**	**(6,700.00)**	**38.35**	**(14,505.50)**	**74.30**

Note : - ve indicates sale of PSLC and +ve indicates purchase of PSLC.
Commission Rate for the above PSLC's ranges from 0.06% to 1.60%.

25. Disclosure with respect to spreading of MTM Losses

As per RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 RBI grants the banks an option to spread provisioning for MTM Losses on investments in AFS and HFT portfolio for the quarters ended 31st December 2017 and 31st March 2018 equally over the four quarters commencing with the quarter in which the loss has been incurred. The bank has availed this option and accordingly the Bank has charged depreciation of ₹ 346.21 crore related to quarter ended December 31, 2017 and March 31, 2018 and MTM losses to the tune of ₹ 450.82 crore is spread over to the subsequent quarters of ensuing financial year.

26. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

B.S. SHEKHAWAT Executive Director	**P.RAMANA MURTHY** Executive Director	**B.K. DIVAKARA** Executive Director	**RAJEEV RISHI** Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**KETUL R. PATEL** Director	**N. NITYANANDA** Director	**PROF. (DR.) ATMANAND** Director

For LODHA & CO. Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W	**For S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.000478N	**For BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants F.R. No. 101569W
(CA GAURAV LODHA) Partner M.No.507462	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585	**(CA JYOTI BAGGA)** Partner M.No.087002	**(CA B. M. AGARWAL)** Partner M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

CENTRAL BANK OF INDIA CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2018	31- 03- 2017
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before taxes	**(7,895.97)**	**(3,528.90)**
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	260.31	257.37
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	794.17	394.42
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	9,564.62	6,215.97
	Provision for Standard Assets	6.31	(163.81)
	Provision for Other items (Net)	263.86	170.95
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	4.50	1.24
	Dividend Received from Subsidiaries	(10.10)	(12.82)
	Sub total	**2,987.70**	**3,334.42**
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	(1,832.33)	30,487.00
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(3,576.33)	657.56
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(1,835.07)	(2,511.47)
	(Increase) / Decrease in Advances	(26,708.03)	34,394.85
	(Increase) / Decrease in Investments	(11,330.90)	(3,621.76)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(1,807.22)	197.62
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(293.85)	(1,090.91)
	Sub total	**(47,383.73)**	**58,512.89**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**(44,396.03)**	**61,847.31**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	4.12	3.06
	Purchase of Fixed Assets	(314.25)	(191.53)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	10.10	12.82
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(300.03)**	**(175.65)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	5,158.00	1,453.79
	Share Application Money	-	100.00
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**5,158.00**	**1,553.79**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**(39,538.06)**	**63,225.45**

CENTRAL BANK OF INDIA CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2018	31- 03- 2017
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	75,086.76	14,069.51
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,679.74	1,471.54
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**78,766.50**	**15,541.05**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	35,999.91	75,086.76
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,228.53	3,679.74
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**39,228.44**	**78,766.50**

Notes:

1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

B.S. SHEKHAWAT Executive Director	**P.RAMANA MURTHY** Executive Director	**B.K. DIVAKARA** Executive Director	**RAJEEV RISHI** Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**KETUL R. PATEL** Director	**N. NITYANANDA** Director	**PROF. (DR.) ATMANAND** Director

For LODHA & CO. Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W	**For S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.000478N	**For BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants F.R. No. 101569W
(CA GAURAV LODHA) Partner M.No.507462	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585	**(CA JYOTI BAGGA)** Partner M.No.087002	**(CA B. M. AGARWAL)** Partner M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2018

Table DF-1: Scope of Application

(i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Bihar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Indo-Zambia Bank Ltd. /Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Mn	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Mn
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance	250	13312
Cent Financial Services Ltd./ India	Providing investment banking products / services to corporate clients	50	440
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara/ India	Regional Rural Bank	2464	76791
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	4545	181027
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Bihar/ India	Regional Rural Bank	908	31511

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy

Computation, Bank has already appointed a consultant &a system integrator vendor for moving to advanced approach.

Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk:	
• Portfolios subject to standardized approach @9%	₹ 128335 mn
• Securitization exposures :	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
• Standardized duration approach;	
– Interest rate risk	₹ 10100 mn
– Foreign exchange risk (including gold)	₹ 41 mn
– Equity risk	₹ 7054 mn
(d) Capital requirements for operational risk:	
• Basic Indicator Approach	₹ 11318 mn
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1and Total Capital ratios:	
• Common Equity Tier 1	7.01%
• Tier 1	7.01%
• Total Capital ratio	9.04%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversee the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by Chief Risk Officer (General Manager); measures, control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At all zonal offices and Regional office, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Market Discipline & Disclosure policy, Intra group transaction and exposure policy, Operational risk policy, ALM policy and Market risk management Policy.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities' exposure norms, prudential limits and measures, monitoring and controlling the credit portfolio is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the loan portfolio, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department apart from processing and monitoring of accounts under CDR mechanism.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also available in the rating tool. Where parental support is available the same is also factored in rating, if corporate guarantee is available to the borrower.

Table DF-3 : Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Impaired :

The Working Group to review the existing prudential guidelines on restructuring of advances by banks/financial institutions in its report dated 20.07.2012 has observed that as per international accounting standards, accounts are generally treated as impaired on restructuring and recommended that similar practice should be followed in India. Ind AS 109 Financial Instruments contains guidance on the recognition, derecognition, classification and measurement of financial instruments including impairment and hedge accounting

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

(i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;

(ii) The account remains out of order for 90 days

(iii) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills Purchased and Discounted

(iv) In case of advances granted for Agricultural purposes

   a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops

   b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops

   (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

RBI vide its circular dated February 12, 2018 has issued revised framework for the resolution of stressed assets in view of enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Out of Order:

An account should be treated as "out of Order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters

Quantitative Disclosures:	₹ in Mn
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based*:	2881564
Non-fund based:	303879
*includes cash ,balances with banks , investments etc	
(b) Geographic distribution of exposures:	
• Overseas	11018
• Domestic	3174425

	₹ in Mn	₹ in Mn	₹ in Mn
(c) Industry Name	**Funded**	**Non-Funded**	**Investment**
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	1,963	1,434	0
A.1 Coal	708	1,414	0
A.2 Others	1,255	21	0
B. Food Processing (B.1 to B.5)	73,184	19,962	4,954
B.1 Sugar	25,900	4,315	4,344
B.2 Edible Oils and Vanaspati	14,072	11,294	0.07
B.3 Tea	2,384	34	0.67
B.4 Coffee	15	0	0
B.5 Others	30,813	4,318	610
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	1,894	0	0
C.1 Tobacco and tobacco products	104	0	0
C.2 Others	1,790	0	0
D. Textiles	64,806	16,647	2,192
D.1 Cotton	28,665	1,848	1,903
D.2 Jute	1,373	395	0
D.3 Man-made, of which	173	0	0
D.4 Others	34,594	14,403	289
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	1,260	0	0
E. Leather and Leather products	806	132	0
F. Wood and Wood Products	790	373	0
G. Paper and Paper Products	5,042	2,655	138
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	13,252	2,103	29
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	36,411	9,083	135
I.1 Fertilizers	11,331	91	0
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	9,926	6,015	94
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	4,851	813	19
I.4 Others	10,303	2,164	21
J. Rubber, Plastic and their Products	2,336	670	0

	₹ in Mn	₹ in Mn	₹ in Mn
(c) Industry Name	Funded	Non-Funded	Investment
K. Glass & Glassware	518	8	0
L. Cement and Cement Products	17,223	1,945	0
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	114,088	21,652	1,951
M.1 Iron and Steel	88,891	17,487	1,210
M.2 Other Metal and Metal Products	25,196	4,165	740
N. All Engineering (N.1 + N.2)	75,797	52,484	552
N.1 Electronics	34,649	1,710	207
N.2 Others	41,148	50,774	344
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	9,959	6,768	157
P. Gems and Jewellery	16,753	4,479	0
Q. Construction	62,238	13,142	2,812
R. Infrastructure (a to d)	428,667	51,207	64,981
R.a Transport (a.1 to a.6)	96,283	5,326	9,466
R.a.1 Roads and Bridges	63,484	2,216	9,466
R.a.2 Ports	6,846	600	0
R.a.3 Inland Waterways	1,078	0	0
R.a.4 Airport	10,663	70	0
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	14,164	2,440	0
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	48	0	0
b. Energy (b.1 to b.6)	233,031	8,585	51,766
b.1 Electricity (Generation)	116,590	7,430	0
b.1.1 Central Govt PSUs	6,914	0	0
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	27,733	3,739	0
b.1.3 Private Sector	81,943	3,691	0
b.2 Electricity (Transmission)	8,744	851	0
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	2,830	851	0
b.2.3 Private Sector	5,914	0	0
b.3 Electricity (Distribution)	88,123	303	51,766
b.3.1 Central Govt PSUs	0	0	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	87,550	1	51,766
b.3.3 Private Sector	573	302	0
R.b.4 Oil Pipelines	8,698	0	0
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	9,309	0	0
R.b.6 Gas Pipelines	1,567	0	0
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	9,733	380	0

	₹ in Mn	₹ in Mn	₹ in Mn
(c) Industry Name	**Funded**	**Non-Funded**	**Investment**
R.c.1 Solid Waste Management	800	0	0
R.c.2 Water supply pipelines	0	0	0
R.c.3 Water treatment plants	2,574	380	0
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	6,350	0	0
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	9	0	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	32,309	34,738	1190
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	0	0	0
R.d.2 Telecommunication towers	11,353	0	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	20,956	34,738	1190
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	36,799	740	0
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	9,393	545	0
R.e.2 Hospitals (capital stock)	4,245	0	0
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	5,057	150	0
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	17,423	45	0
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	370	0	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	311	0	0
R.e.7 Terminal markets	0	0	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	0	0	0
R.e.9 Cold Chain	0	0	0
R.f. Others, if any, please specify	20,513	1,438	3,630
S. Other Industries, pl. specify	67,373	4,654	4,45
All Industries (A to S)	993,100	209,398	79,415
Residuary other advances (to tally with gross advances)	1,033,628	42,187	0
Total	**2,026,728**	**251,585**	**79,415**

Industry exposure is more than 5% gross exposure

	Funded	Non-Funded
Infrastructure	428,667	51,207
Energy	233,031	8,585

(d) Residual maturity breakdown of Performing Assets:	
Day 1	309488
02days to 07days:	34282

	08days to 14days:	4975
	15days to 30days:	69595
	31days to 3months:	17028
	Above 2 months to 3months:	30379
	Above 3 months to 6 months	76270
	Above 6 months to 12 months:	93293
	Above 1 year to 3year	770446
	Above 3 years to 5 years	179425
	Over 5 Years	811932
	Total	**2397115**
(e)	**Amount of NPAs (Gross) –**	381307
	• Substandard	114570
	• Doubtful 1	78936
	• Doubtful 2	133835
	• Doubtful 3	37884
	• Loss	16082
	(f) Net NPAs	**173779**
	(g) NPA Ratios	
	• Gross NPAs to gross advances	21.48%
	• Net NPAs to net advances	11.10%
	(h) Movement of NPAs (Gross)	
	• Opening balance	272513
	• Additions	170713
	• Reductions	61919
	• NPA (Gross)	381307
	(i) Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	118625
	• Provisions made during the period	108244
	• Write-off	----
	• Write-back of excess provisions	30856
	• Closing balance	196013
	(j) Amount of Non-Performing Investments	20845
	(k) Amount of provisions held for non-performing investments	16481
	(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
	• Opening balance	16967
	• Provisions made during the period	17812
	• Write-off	NIL
	• Write back of excess provision	8148
	• Closing balance	26631

Table DF-4 :

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures	
a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.	
b. The Bank has recognized the ratings issued by seven External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research Pvtltd,SMERA rating Ltd, BRICKWORK and INFOMERICS to rate the exposures of its clients.	
c. These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.	
d. In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.	
Quantitative Disclosures:	**₹ in Mn**
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
• Below 100 % risk weight:	2271563
• 100 % risk weight	475602
• More than 100 % risk weight	438279
• Amount Deducted-CRM	130758

Table DF-5 : Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures	
• **Policies and processes for collateral valuation and management;**	
Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.	
• **A description of the main types of collateral taken by the bank;**	
Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.	
RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.	
Quantitative Disclosures:	**₹ in Mn**
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
• eligible financial collateral;	
• Fund based	110131
Non fund based	20627

Table DF-6 : Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures NIL	
Quantitative Disclosures:	**₹ in Mn**
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
– On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
– Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	NIL
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	NIL
(l) Aggregate amount of :	
– On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
– Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
– securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	NIL
– securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	NIL
(n) Aggregate amount of :	
– The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	NIL
– Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL

Table DF-7 : Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market rates, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are integrated treasury policy and Asset Liability Management Policy.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Bank is regularly submitting LCR returns and has also put inplace contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (₹ in Mn)
Interest Rate Risk	₹ 10100
Equity Position Risk	₹ 7054
Foreign Exchange Risk	₹ 41
TOTAL	**₹ 17195**

Table DF-8 : Operational risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEx' for external loss data base.

The Bank has appointed consultant and system integrator for moving to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2018 is ₹ 11318mn.

Table DF-9 : Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

   The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

   Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Qualitative Disclosures

Parameter of Change	**₹ in Mn**
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	1271
2. Market value of Equity: 200 bps change	8805

Table DF-10 : General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

(a) The bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality.

The bank has well defined market risk management policy.

The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.

Quantitative Disclosures:	**₹ in Mn**
Particulars	**Amount**
(b) Gross positive value of contracts	441
Netting Benefits	0
Netted current credit exposure	441
Collateral held	0
Net Derivative Credit Exposure	**1084**

(c) **₹ in Mn**

Item	**Notional Amount**	**Current credit Exposure**
Forward Forex contracts	40528	1192
Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	3368	396
Interest rate Contracts	250	0

Table DF-11: Composition of Capital

Part I: Template to be used only from March 31, 2018

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2018			Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Mn	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	26182	A1
2	Retained earnings	–104613	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	240857	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**162426**	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	0	
10	Deferred tax assets	0	
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0	
20	Mortgage servicing rights(amount above 10% threshold)	0	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	37438	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	
24	of which: mortgage servicing rights	0	

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2018			Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		**₹ in Mn**	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	
26	National specific regulatory adjustments7 (26a+26b+26c+26d)	0	
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**0**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**124988**	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	B1+B2
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2018			Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	**₹ in Mn**	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**0**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**0**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**124988**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	15000	C3
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	14620	C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPA etc)	6718	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**36338**	
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	240	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**240**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**36098**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**161086**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1782346**	
60a	**of which: total credit risk weighted assets**	**1425949**	
60b	**of which: total market risk weighted assets**	**214923**	
60c	**of which: total operational risk weighted assets**	**141474**	
	Capital ratios		
61	**Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**7.01%**	
62	**Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**7.01%**	
63	**Total capital (as a percentage of risk weighted assets)**	**9.04%**	
64	**Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)**	**7.38%**	
65	**of which: capital conservation buffer requirement**	**1.88%**	

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2018			Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		**₹ in Mn**	
66	**of which: bank specific countercyclical buffer requirement**	**0.00%**	
67	**of which: G-SIB buffer requirement**	**0.00%**	
68	**Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)**	**0.00%**	
Notional minima (if different from Basel III)			
69	Notional Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.38%	
70	Notional Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.88%	
71	Notional total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.88%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	36550	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	21930	

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in Millions)

		Balance sheet as in financial statements	Reference
		As on 31.03.2018	
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	26182	
	of which: Amount eligible for CET 1	26182	A1
	of which: Amount eligible for AT 1	0	B1
	Reserves & Surplus	153673	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	**179855**	
ii	**Deposits**	**2948389**	
	of which: Deposits from banks	44481	
	of which: Customer deposits	2903908	
	of which: Other deposits (pl. specify)	–	
iii	**Borrowings**	**57061**	
	of which: From RBI	0	
	of which: From banks	12	
	of which: From other institutions & agencies	4109	
	of which: Others (Outside india)	0	
	of which:Subordinated Debt	7700	C1
	of which:Upper Tier 2	28850	C2
	of which: Unsecreedem NC Basel III Bonds (Tier 2)	15000	C3
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	1391	
iv	**Other liabilities & provisions**	**76948**	
	Total	**3262253**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	359999	
	Balance with banks and money at call and short notice	32285	
ii	Investments:	1026316	
iii	Loans and advances	1565422	
	of which: Loans and advances to banks	2	
	of which: Loans and advances to customers	1565420	
iv	Fixed assets	43434	
v	Other assets	234797	
	of which: Goodwill and intangible assets	0	
	of which: Deferred tax assets	0	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	
	Total Assets	**3262253**	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	₹ 26,182
Par value of instrument	₹ 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others
Creditors, bonds, and PNCPS	
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	

SERIES DETAILS	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0
Par value of instrument	₹ 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors
and other Creditors	
Non-compliant transitioned features	Yes
If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Upper Tier - 2 capital instruments are given below

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. I)	Upper Tier II (Sr. II)	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA					
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09179	INE483A09195	INE483A09203	INE483A09211	INE483A09229	INE483A08015
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment						
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1200	1140	2000	2000	4000	1200
Par value of instrument	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends						
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. I)	Upper Tier II (Sr. II)	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA					
Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XIII	Lower Tier II Sr XIV
Issuer		
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483109187	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment		
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1080	2000
Par value of instrument	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	10.02.2009	21.12.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED
Original maturity date	10.04.2018	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.
Coupons / dividends		
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.35%	9.33%
Existence of a dividend stopper	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XIII	Lower Tier II Sr XIV
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS	
	SR I	SR II
Issuer		
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260	INE483A09278
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment		
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10000	5000
Par value of instrument	₹ 1.00 Mn	₹ 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013	07.03.2017
Perpetual or dated	DATED	DATED
Original maturity date	08.11.2023	07.05.2027
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	07.05.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.
Coupons / dividends		
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%	8.62%
Existence of a dividend stopper	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS	
	SR I	SR II
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.
Write-down feature	YES	YES
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the reserve bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")	These bonds, at the option of the reserve bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	1) It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. 2) Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. 3) Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO	NO
If yes, specify non-compliant features	–	–

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	TIER1	PDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	UPPER TIER 2 BONDS	As disclosed in Main features section
4.	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
5.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions As on 31.03.2018

Qualitative Disclosures		
1	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including: • differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and • Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	• Investments in equity of subsidiaries and joint ventures (a Joint Venture would be one in which the bank, along with its subsidiaries, holds more than 25 percent of the equity) are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes. • In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories (hereinafter called "categories"). Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose. Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures			**₹ in Mn**
		BOOK VALUE 31.03.2018	**FAIR VALUE 31.03.2018**
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments	3590	3590
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	–	–
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	-	–
	Publicly traded	–	–
	Privately held.	3590	3590
	JV In India (Cent Bank Home Finance)	219	219
	Associate Outside India (JV in Indo Zambia Bank Ltd)	475	475

Quantitative Disclosures		₹ in Mn	
		BOOK VALUE 31.03.2018	**FAIR VALUE 31.03.2018**
	RRBs	2771	2771
	Subsidiaries(Cent Bank Financial Services Ltd)	50	50
	Strategic Investments- Central Ware housing Corporation	21	21
	Strategic Investments-IFCI	40	40
	Strategic Investments-Other		
	FIs (IFCI, GSFC, JKFC, WBFC)	20	20
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	–	–
4	Total unrealised gains (losses)	–	–
5	Total latent revaluation gains (losses)	NIL	NIL
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	–	–
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	NA	NA

LEVERAGE RATIO DISCLOSURES AS ON 31.03.2018

LEVERAGE RATIO

The minimum risk-based capital requirements under Basel III will be supplemented by non-risked-based **Tier 1 leverage ratio.**

Table DF 17- Summary comparison of Accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	3045865
2	Less: Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	37527
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	16656
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	229107
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	200214
7	Other adjustments	0
8	Leverage ratio exposure	3454315

DF-18: Leverage ratio common disclosure template

		(Amount in ₹ mn)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3045865
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	37527
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	**3008338**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	548
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	16108
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**16656**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	229107
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	0
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**229107**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	818741
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(618527)
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**200214**
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	126513
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3454315
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio (per cent)**	**3.66%**

A.K.CHATTERJEE
Dy. General Manager-RMD

REVATHI THIAGARAJAN
General Manager-RMD

(B.K.DIVAKRA)
Executive Director

(P. RAMANA MURTHY)
Executive Director

(B. S. SHEKHAWAT)
Executive Director

(RAJEEV RISHI)
Managing Director & CEO

LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East **KOLKATA-700069**	**PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, **MUMBAI- 400021**
S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place, **NEW DELHI-110008**	**BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants, 21/168 Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, **MUMBAI 400 055**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors of Central Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Central Bank of India (the "Parent Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") and share of profit or loss of its associates at March 31, 2018 which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2018 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), in which are incorporated financial statements of Parent Bank, It's two subsidiaries and four associates.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group and its associates in accordance with the requirement of Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and recognized accounting policies and practices, including the applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

1. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

2. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's and its associates' preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's and its associates' internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Consolidated Financial Statements.

3. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Opinion

Based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted in Other Matter paragraph below, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2018;

(ii) in the case of Consolidated Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date of the Group and its Associates ; and

(iii) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Other Matters

(i) We did not audit the financial statements incorporated in the Consolidated Financial Statements of two subsidiaries whose financial statement reflect total assets of ₹ 1375.29 crore as at March 31, 2018, total revenue of ₹ 156.64 crore and net cash outflows of ₹ 9.80 crore for the year ended on that date and for two associates reflecting the share of net loss of ₹ 54.44 crore for the year ended March 31, 2018.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

(ii) In case of an associates Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, the share of profit of ₹ 1.07 crore is based on unaudited financial statement as furnished by the management. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to amount included in respect of this associate is based on unaudited financial statements.

(iii) In case of an associate Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year, share in profit has been taken for nine months ended December 31, 2017 based on audited financial statements for the calendar year ended December 31, 2017 and profit for three months ended March 31, 2018 is taken based on unaudited financial statements as furnished by the management. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to share of profit of ₹ 15.33 crore included in respect of this associate is based on these financial statements for the year ended March 31, 2018.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA B. M. AGARWAL)
PARTNER
M.No.033254

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-18 ₹	As at 31-Mar-17 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	**26,181,558**	19,021,710
Reserves and Surplus	2	**155,923,052**	156,262,574
Minorities Interest	2A	**398,088**	346,226
Share Application Money Pending Allotment		**–**	6,830,000
Deposits	3	**2,953,544,875**	2,973,092,266
Borrowings	4	**60,256,819**	96,233,038
Other Liabilities and Provisions	5	**77,188,594**	95,163,415
TOTAL		**3,273,492,986**	**3,346,949,229**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**360,001,196**	750,871,801
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**32,622,898**	37,077,881
Investments	8	**1,027,694,647**	922,765,612
Loans & Advances	9	**1,574,795,266**	1,404,639,642
Fixed Assets	10	**43,439,644**	42,910,404
Other Assets	11	**234,850,439**	188,594,993
Goodwill on Consolidation		**88,896**	88,896
TOTAL		**3,273,492,986**	**3,346,949,229**
Contingent Liabilities	12	**1,194,026,626**	833,678,266
Bills for Collection		**144,860,670**	91,689,353
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet.

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

(CA H. K. VERMA)
PARTNER
M.No. 055104

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA B. M. AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-18 ₹	Year Ended 31-Mar-17 ₹
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	**241,631,164**	247,749,599
Other Income	14	**26,204,076**	28,711,585
TOTAL		**267,835,240**	**276,461,184**
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**176,033,211**	181,664,503
Operating Expenses	16	**64,254,697**	63,782,732
Provisions and Contingencies		**78,499,996**	55,426,865
TOTAL		**318,787,904**	**300,874,100**
III. PROFIT/(LOSS)			
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year of the parent & subsidiaries before Minority Interest & Prior Period Item		**(50,952,664)**	(24,412,916)
Less: Prior Period Item		**(3,043)**	(5,865)
Less: Minority Interest		**(59,936)**	(25,806)
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year after deducting Minority's Interest & Prior Period Item		**(51,015,643)**	(24,444,587)
Add: Share of earnings/(loss) in Associates		**(380,386)**	(149,023)
Consolidated Profit/(Loss) for the year attributable to the Group		**(51,396,029)**	(24,593,610)
Add: Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		**(50,885,164)**	(22,369,074)
Profit Available for Appropriation		**(102,281,193)**	**(46,962,684)**
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		**–**	–
Investment Reserve		**918,685**	3,837,383
Revenue Reserve		**24,286**	12,081
Tax on Dividend		**6,555**	5,711
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		**57,146**	38,322
Appropriation of Deferred Tax Liability on Special Reserve as per NHB guidelines		**–**	27,212
CSR Reserves		**–**	1,771
Balance Carried over to the Balance Sheet		**(103,287,865)**	**(50,885,164)**
TOTAL		**(102,281,193)**	**(46,962,684)**
Earnings Per Share (In ₹)- Basic (Nominal Value ₹ 10/- per share)		**(26.52)**	(13.46)
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted (Nominal Value ₹ 10/- per share)		**(26.52)**	(13.46)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

B.S. SHEKHAWAT Executive Director | **P.RAMANA MURTHY** Executive Director | **B.K. DIVAKARA** Executive Director | **RAJEEV RISHI** Managing Director & CEO | **TAPAN RAY** Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA Director | **SHEKHAR BHATNAGAR** Director | **KETUL R. PATEL** Director | **N. NITYANANDA** Director | **PROF. (DR.) ATMANAND** Director

For LODHA & CO. Chartered Accountants F.R.No.301051E | **For PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W | **For S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.000478N | **For BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants F.R. No. 101569W

(CA H. K. VERMA) PARTNER M.No. 055104 | **(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585 | **(CA JYOTI BAGGA)** Partner M.No.087002 | **(CA B. M. AGARWAL)** Partner M.No.033254

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		**50,000,000**		50,000,000
500,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued Subscribed and Paid up Capital :		**26,181,558**		19,021,710
2618155800 Equity Shares (previous year 1902170964 equity shares) of ₹ 10/- each (includes 2262123970 Equity Shares (previous year 154613979 Equity Shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		**26,181,558**		**19,021,710**
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**20,759,131**		20,759,131	
Additions during the year	**–**		–	
		20,759,131		**20,759,131**
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**32,053,778**		32,923,456	
Additions on account of revaluation during the year	**–**		–	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	**(751,349)**		(869,678)	
Deductions during the year	**–**		–	
		31,302,429		**32,053,778**
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**10,172,698**		6,335,315	
Additions during the year	**918,685**		3,837,383	
		11,091,383		10,172,698
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	**118,658,639**		100,895,300	
Additions/Adjustments during the year	**51,250,152**		17,763,339	
		169,908,791		118,658,639
IV. Revenue and Other Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**24,329,723**		23,148,989	
Add: Transfer from Capital Reserves	**751,349**		869,678	
Addition during the year	**24,286**		405,145	
Less: Deductions during the year	**(187,090)**		–	
(*) Less: Opening Balance Adjustments	**–**		(94,089)	
		24,918,268		24,329,723
V Special Reserve U/S 36 (1)(viii)		**1,230,915**		1,173,769
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(103,287,865)**		(50,885,164)
TOTAL		**155,923,052**		**156,262,574**

(*) The adjustment is mainly on account of change in results of RRBs post audit. The consolidated financial statements of previous year was compiled based on unaudited financial statements of such RRBs.

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	373,588		321,726	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		**398,088**		**346,226**
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	**4,303,783**		3,970,883	
ii) From Others	**142,478,002**		127,996,864	
		146,781,785		131,967,747
II. Savings Bank Deposits		**1,105,092,892**		1,031,024,978
III. Term Deposits				
i) From Banks	**42,306,308**		55,791,734	
ii) From Others	**1,659,363,890**		1,754,307,807	
		1,701,670,198		1,810,099,541
TOTAL		**2,953,544,875**		**2,973,092,266**
B. i) Deposits of Branches in India		**2,953,544,875**		2,973,092,266
ii) Deposits of Branches outside India		**–**		–
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	**–**		110,053	
ii) Other Banks	**2,907,191**		32,039,249	
iii) Other Institutions & Agencies	**4,108,628**		6,961,736	
iv) Unsecured Reedeemable Bonds (Subordinated Debt)	**8,000,000**		11,881,000	
v) Upper Tier II Bonds	**28,850,000**		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	**1,391,000**		1,391,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	**15,000,000**		15,000,000	
		60,256,819		96,233,038
II. Borrowings outside India		**–**		–
TOTAL		**60,256,819**		**96,233,038**
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	**6,918,635**		7,502,369	
II. Inter Office Adjustments (Net)	**5,526,439**		–	
III. Interest Accrued	**7,760,143**		8,103,468	
IV. Deferred Tax Liailities (Net)	**–**		–	
V. Others(including provisions)	**56,983,377**	**77,188,594**	79,557,578	95,163,415
TOTAL		**77,188,594**		**95,163,415**

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		**15,056,892**		17,698,362
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	135,944,304		126,173,439	
In Other Accounts	209,000,000		607,000,000	
		344,944,304		733,173,439
TOTAL		**360,001,196**		**750,871,801**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	1,147,268		1,566,022	
b) In Other Deposit Accounts	350,455	**1,497,723**	285,627	**1,851,649**
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	–		–	
b) With Other Institutions	20,107,348		34,999,852	
		20,107,348		**34,999,852**
TOTAL - I		**21,605,071**		**3,6851,501**
II. Outside India				
a) In Current Accounts	–		226,380	
b) In Other Deposit Accounts	68,427		–	
c) Money at Call & Short Notice	10,949,400		–	
TOTAL - II		**11,017,827**		226,380
TOTAL (I+II)		**32,622,898**		**37,077,881**
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	**813,468,949**		741,004,932	
ii) Other approved Securities	–		–	
iii) Shares	**12,611,655**		13,570,132	
iv) Debentures and Bonds	**142,205,198**		103,512,402	
v) Investment in Associates	**3,244,310**		3,777,972	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	**54,828,052**		59,644,045	
		1,026,358,164		**921,509,483**
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	**–**		–	
ii) Associates	**1,336,483**		1,256,129	
		1,336,483		**1,256,129**
TOTAL		**1,027,694,647**		**922,765,612**
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	**1,052,988,662**		938,476,113	
LESS: Provision for Depreciation	**26,630,498**		16,966,630	
Net Investments		**1,026,358,164**		**921,509,483**
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	**1,336,483**		1,256,129	
LESS: Provision for Depreciation	**–**		–	
Net Investments		**1,336,483**		**1,256,129**
TOTAL		**1,027,694,647**		**922,765,612**

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A i) Bills Purchased and Discounted	**12,108,770**		16,294,564	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	**706,785,403**		660,396,248	
iii) Term Loans	**855,901,093**	**1,574,795,266**	727,948,830	1,404,639,642
TOTAL		**1,574,795,266**		**1,404,639,642**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	**1,473,979,953**		1,309,498,353	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**4,163,297**		2,640,519	
iii) Unsecured	**96,652,016**	**1,574,795,266**	92,500,770	1,404,639,642
TOTAL		**1,574,795,266**		**1,404,639,642**
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	**796,105,458**		705,310,065	
ii) Public Sector	**43,919,258**		47,756,724	
iii) Banks	**1,643**		9,461	
iv) Others	**734,768,907**	**1,574,795,266**	651,563,392	1,404,639,642
TOTAL		**1,574,795,266**		**1,404,639,642**
(II) Advances outside India		**–**		–

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	**40,128,537**		40,106,596	
Additions during the year (including revaluation)	**199,464**		21,941	
Total	**40,328,001**		**40,128,537**	
Deduction/Adjustments during the year	**–**		–	
Total	**40,328,001**		**40,128,537**	
Depreciation to date	**6,785,203**		5,940,880	
TOTAL..... I		**33,542,798**		**34,187,657**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	**26,373,484**		24,716,664	
Additions/Adjustments during the year	**3,489,485**		2,480,698	
Total	**29,862,969**		**27,197,362**	
Deductions/Adjustments during the year	**(771,191)**		(823,878)	
Total	**29,091,778**		**26,373,484**	
Depreciation to date	**19,194,932**		17,650,737	
TOTAL.... II		**9,896,846**		**8,722,747**
TOTAL.... (I + II)		**43,439,644**		**42,910,404**

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	**16,833,027**		14,945,208	
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	**53,502,038**		52,821,130	
III. Stationery and Stamps	**199,846**		179,363	
IV. Deferred Tax Assets	**53,575,850**		23,443,616	
V. Inter office adjutments (Net).	**–**		3,061,561	
VI. Others	**110,739,678**		94,144,115	
		234,850,439		188,594,993
TOTAL		**234,850,439**		**188,594,993**

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2018		AS AT 31-Mar-2017	
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**1,106,450**		1,093,047
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		**29,842,036**		33,024,359
II. Liability for partly paid Investments		**76,140**		139,225
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**928,313,329**		547,105,565
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	**104,410,635**		107,887,762	
b) Outside India	**2,839,496**		3,852,663	
		107,250,131		111,740,425
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		**123,009,267**		137,965,386
VI. Other items for which the bank is contingently liable		**4,429,273**		2,610,259
TOTAL		**1,194,026,626**		**833,678,266**

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-18 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-17 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	**146,009,458**	163,917,064
II. Income on Investments	**71,427,065**	73,767,956
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**20,585,442**	6,388,242
IV. Others	**3,609,199**	3,676,337
TOTAL	**241,631,164**	**247,749,599**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**12,657,307**	9,323,573
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	**5,766,755**	15,416,557
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	**1,409,054**	1,690,688
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	**(44,917)**	(12,412)
V. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	**–**	–
VI. Miscellaneous Income	**6,415,877**	2,293,179
TOTAL	**26,204,076**	**28,711,585**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	**162,207,541**	173,272,028
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	**911,046**	843,086
III. Others	**12,914,624**	7,549,389
TOTAL	**176,033,211**	**181,664,503**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	**39,900,472**	42,212,011
II. Rent, Taxes and Lighting	**4,766,150**	4,479,501
III. Printing and Stationery	**363,888**	438,870
IV. Advertisement and Publicity	**241,820**	333,911
V. Depreciation on Bank's property	**2,604,989**	2,576,928
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	**13,930**	11,519
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	**201,056**	302,344
VIII. Law Charges	**186,076**	216,489
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	**665,475**	471,712
X. Repairs and Maintenance	**1,133,762**	1,208,221
XI. Bad Debts Written Off	**731**	5,130
XII. Insurance	**3,572,072**	3,253,827
XIII. Other Expenditure	**10,604,276**	8,272,269
TOTAL	**64,254,697**	**63,782,732**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 a) Basis of Preparation

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, The Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the consolidated financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2 Consolidation Procedures

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries and 4 Associates [including 3 RRBs]) have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)

b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/ losses as per Accounting Standard 21 “Consolidated Financial Statement” issued by the ICAI.

c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

d. The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit is taken based on unaudited figures.

e. The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company’s separate Financial Statements except as otherwise stated.

2.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

i. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and

ii. The minority share of movements in equity since date of parent – subsidiary relationship came into existence.

3 Transactions involving Foreign Exchange

3.1 The transactions are initially recorded on previous day’s closing rate

3.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the quarter end as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

3.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.

3.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the quarter end rates notified by FEDAI.

3.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the quarter end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

4 Investments

(A) Parent Bank

4.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

i) Government Securities
ii) Other Approved Securities
iii) Shares
iv) Debentures and Bonds
v) Subsidiaries and sponsored institutions and
vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

4.2 Basis of Classification

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity:

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading:

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale:

Investments that cannot be classified in the above categories.

4.3 Transfer of Securities between categories

The transfer / shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.4 Valuation

a) Held to Maturity

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

Investments in subsidiaries and associates are valued at acquisition cost.

b) Available for sale

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) / Primary Dealers Association of India (PDAI).	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.	
iv)	Equity Shares	a)Quoted:	At market price.
		b)Unquoted:	At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or ₹.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.

v)	Preference Shares	a)	Quoted :	At market price.
		b)	Unquoted:	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a)	Quoted :	(Traded in last 15 days) at last Trade Price.
		b)	Unquoted:	On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a)	Quoted :	At market price.
		b)	Unquoted:	At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹.1/- per VCF.		
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.		

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

4.5 Determination of Cost

i) Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

ii) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

iii) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

4.6 Income Recognition

i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4.7 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing/Lending.

(B) Subsidiaries

4.8 In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

5 Derivatives

5.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market, resultant gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account.

ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.

ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit and loss account on final settlement.

iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.

iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

6 Advances

6.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

6.2 Partial Recovery in Non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest. However, where any borrowal account is required to be classified as Non-Performing from back date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

6.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries (CGTSI) / Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).

6.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

6.5 Financial Assets sold are recognized as under:

i) In case the sale to Securitisation Company (SC) / Asset Reconstruction Company (ARC) is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

ii) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

iii) In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6.6 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.

6.7 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

7 Fixed Assets/Depreciation

(A) Parent Bank

7.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters, etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

7.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

7.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount charged to Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

7.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

(B) Subsidiaries

7.6 In case of subsidiaries, depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

8 Employee Benefits

8.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

8.2 Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

8.3 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, the Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administered by the Life Insurance Corporation of India. Company's contribution in respect of Employees' Provident Fund is made to Government Provident Fund and is charged to the Statement of Profit and Loss. The provision of leave encashment liability is calculated on the balance privilege leave of the employees as at the year end.

9 Recognition of Income and Expenditure

9.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

9.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

9.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

9.4 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).

9.5 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges etc. are recognized on receipt basis.

9.6 In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from Debenture and Security Trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from Debenture Trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

10 Income Tax

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

11 Earnings per Share

The basic and diluted earnings per share have been computed by dividing the Net Profit / Loss attributable to the equity share holders for the period by the weighted average number of equity shares outstanding during the reporting period.

12 Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries can not be ascertained, have been accounted in nominal account “Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest” and “Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities”.

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

13 Provisions, Contingencies and Contingent assets

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

B.S. SHEKHAWAT Executive Director	**P.RAMANA MURTHY** Executive Director	**B.K. DIVAKARA** Executive Director	**RAJEEV RISHI** Managing Director & CEO	**TAPAN RAY** Chairman
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**KETUL R. PATEL** Director	**N. NITYANANDA** Director	**PROF. (DR.) ATMANAND** Director

For LODHA & CO. Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W	**For S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.000478N	**For BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants F.R. No. 101569W
(CA H. K. VERMA) PARTNER M.No. 055104	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585	**(CA JYOTI BAGGA)** Partner M.No.087002	**(CA B. M. AGARWAL)** Partner M.No.033254

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1 Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements

1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two Subsidiaries (collectively referred to as "the Group") and share of Profit / Loss in four Associates consisting of three Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2018	Ownership interest as at March 31, 2017
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

1.2 The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2018, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken for nine months ended 31.12.2017 based on audited financial statements for the calendar year ended 31.12.2017 and profit for three months ended 31.03.2018 based on unaudited financial statements as furnished by the management. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.

1.3 The accumulated share of profit/loss of the Parent Bank in the associates has been added / reduced to/from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated Reserves of the Group.

1.4 Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received / liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of Assets and Liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.

1.5 Financial Statements of Subsidiaries and Associates are audited by other Auditors except one Associates namely Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar which is unaudited, certified by the Management.

2 In the preparation of consolidated financial statements, wherever, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, adjustments have not been made as in the opinion of Management of the Bank the same are not material.

3 PARENT BANK

3.1 Capital:

3.1.1 Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2018 is ₹ 2618.16 crore increased from ₹ 1902.17 crore of previous year by issue of fresh 715984791 equity shares of ₹ 10 each in three allotments.

a. 9601536 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 94.15 on 18.08.2017

b. 55976956 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 94.15 on 16.11.2017 against Share Application Money of ₹ 583.00 crore, arising on extinguishment of 5830 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of the face value of ₹ 10.00 lakh each held by Government of India on 31.03.2017

c. 38845460 Equity Share of ₹ 10 each at premium of ₹ 73.15 and 611560839 Equity Share of ₹ 10 each at premium of ₹ 69.06 allotted to Government of India on Preferential Basis on 27.03.2018

3.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are regularly being done, however certain entries are in progress:

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing and other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The Management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3 Income Tax / Deferred Tax:

3.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2979.91 crore (previous year ₹ 3298.14 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

3.4 Premises:

Premises owned by the Bank includes properties for which registration formalities were under progress are ₹ Nil (previous year ₹ 1.63 Crore).

Premises obtained on Lease by the Bank includes properties for which registration formalities were under progress are ₹ 0.64 Crore (previous year ₹ 0.64 Crore).

In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit and Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 75.13 Crore (previous year ₹ 86.97 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

3.5 Advances / Provisions:

3.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

3.5.3 Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements and additional Gross NPA assessed by RBI for FY 2016-17 exceeded 15% of the published Net Loss after Tax and incremental Gross NPA respectively, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	27251.00
2.	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	28910.80
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	1659.80
4.	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	14218.00
5.	Net NPAs as on March 31,2017 as assessed by RBI	15514.80
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	1296.80
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	11862.00
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	12932.00
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	1070.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	(2439.10)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning	(3138.79)

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results for the year ended March 31 2018.

3.6 Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.91 crore (pevious year ₹ 0.12 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

4 Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

4.1 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy

No. 9 of Schedule 17. However, the said income is not considered to be material.

4.2 Accounting Standard 15 (Revised) - Employee Benefits

4.2.1 **Employee Benefits:**

i) **Defined Contribution Plan:**

National Pension Scheme (NPS):-

During the year Bank has recognized ₹ 18.06 crore (Previous year ₹ 15.49 crore) as contribution to NPS in profit and loss account.

ii) **Defined Benefit Plan:**

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	1847.13	12484.08	1490.34	11153.04
Interest Cost	134.29	930.06	116.92	869.55
Current Service Cost	69.13	87.53	50.26	86.00
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit)	329.37	0	0	0
Liability Transfer in	0	0	0	0
Liability Transfer out	0	0	0	0
Benefit Paid	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
Actuarial (gain)/loss on obligations	(481.16)	1271.80	369.68	1276.68
Liability at the end of the year	1741.56	13821.17	1847.13	12484.08
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1656.73	12420.00	1493.19	10659.96
Expected return on Plan Assets	120.44	925.29	129.55	958.12
Contributions	490.40	859.08	204.15	1678.00
Transfer from Other Company	0	0	0	0
Transfer from to Company	0	0	0	0
Benefit paid	(157.20)	(952.30)	(180.07)	(901.19)
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	14.57	263.51	9.91	25.11
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2124.94	13515.58	1656.73	12420.00
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	495.73	(1008.29)	(359.77)	(1251.57)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Expenses recognized in the Profit and Loss Account:				
Current Service Cost	69.13	87.53	50.26	86.00
Interest Cost	134.29	930.06	116.92	869.55
Expected Return on Plan Assets	(120.44)	(925.29)	(129.55)	(958.12)
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	0	0	0	0
recognized	0	0	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	329.37	0	0	0
Recognition of Transition Liability	0	0	0	0
Actuarial (Gain) or Loss	(495.73)	1008.29	359.77	1251.57
Expenses Recognized in P & L	(83.38)	1100.59	397.40	1249.00

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Actual Return on plan assets:				
Expected return on plan assets	120.44	925.29	129.55	958.12
Actuarial gains/(losses) on plan assets – Due to Experience	14.57	263.51	9.91	25.11
Actual return on plan assets	135.01	1188.80	139.46	983.23
Experience adjustments:				
Actuarial (gains)/losses on obligation – Due to experience	(511.99)	1029.93	318.59	1053.22
Actuarial (gains)/losses on plan assets – Due to experience	14.57	263.51	9.91	25.11
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	7.83	7.76	7.27	7.45
Rate of return on Plan Assets Current	7.83	7.76	7.27	7.45
Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition Rate Current	0.50	0.50	0.50	0.50

Other long term benefits:

During the year bank has recognized expenses of ₹ 72.94 crore (Pervious year ₹ NIL) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

4.2.2 The Cent Bank Home Finance Ltd, the subsidiary, provides for Gratuity covering eligible employees. To fund its liability, the Company has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India, to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit and Loss Account and the Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2018. The same has been provided for the year ended 31.03.2018.

4.3 Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	10,239.35	9,864.04	8,335.47	9,512.76	8,204.57	8,265.94	4.14	3.38	26,783.52	27,646.12
Result	940.90	2,090.30	(8,752.66)	(5,613.16)	50.00	144.94	1.85	1.11	(7,759.91)	(3,376.81)
Unallocated Expenses									159.98	163.76
Operating Profit / (Loss)									(7,919.89)	(3,540.57)
Income Taxes									2,780.29	1,081.21
Extraordinary profit/(loss)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit / (Loss)									(5,139.60)	(2,459.36)
Other Information:										
Segment Assets	146,513.22	152,959.41	79,499.55	96,187.54	88,069.90	75,293.37	17.53	0.86	314,100.20	324,441.18
Unallocated Assets									13,249.10	10,253.74
Total Assets									327,349.30	334,694.92
Segment Liabilities	149,296.72	154,779.06	75,908.17	85,288.91	83,927.32	76,408.34	6.63	7.18	309,138.84	316,483.49
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									309,138.84	316,483.49

i) Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible.

ii) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognized Treasury Operations, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Business as Primary Reporting Segments. There are no Secondary Reporting Segments.

iii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.

iv) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.

v) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts / Partnership Firms, Companies and Statutory bodies, which are not included under Retail Banking.

vi) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vii) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

viii) Allocation of cost:

a. Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.

b. Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

4.4 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel

S. No	Name	Designation
i)	Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. B.K.Divakara	Executive Director
iii)	Mr. P.R. Murthy (w.e.f. 17.02.2017)	Executive Director
iv)	Mr. B.S. Shekhawat (w.e.f. 09.10.2017)	Executive Director

b. Associates:-

(I) Regional Rural Banks-

i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara, M P

ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur, Bihar

iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar , West Bengal

(II) Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons: (₹ in Lakh)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2018	**31.03.2017**
Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director	30.13	28.70
Mr. B.K. Divakara	Executive Director	23.70	23.11
Mr. P.R. Murthy (w.e.f. 17.02.2017)	Executive Director	23.54	2.58
Mr. B.S. Shekhawat (w.e.f. 09.10.2017)	Executive Director	10.93	–
Dr.R.C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director	0.42	39.54
Mr. R.K. Goyal (upto 31.12.2016)	Executive Director	–	38.94
TOTAL		**88.72**	**132.87**

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 Related Party Disclosure issued by ICAI transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

4.5 Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.03.2018	31.03.2017
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	(5139.60)	(2459.36)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	1937882867	1827463465
Basic Earnings per Share (₹)	(26.52)	(13.46)
Diluted Earnings per Share (₹)	(26.52)	(13.46)
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

4.6 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group)

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 5368.03 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2018.

Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2018 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred tax Liability	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Parent Bank:-				
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	21.24	29.45
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	86.56	516.53
Provision for Leave Encashment	221.49	194.11	0.00	0.00
Provision for Investments	575.91	0.00	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	5213.37	2740.16	0.00	0.00
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.61
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	4.71	4.30	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.03	0.02	0.00	0.00
Others	0.00	0.00	2.13	2.65
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	13.62	11.64
CentBank Financial Services Ltd. (Net)	**0.57**	**0.65**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**6016.08**	**2939.24**	**658.49**	**594.88**
Net Deferred Tax Asset/Liability	**5357.59**	**2344.36**		

Net increase in Deferred tax assets for the year 2017-18 is ₹ 3013.23 crore (Previous year ₹ 1264.40 crore) has been recognized in profit and loss account.

4.7 Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets of the Bank is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2018, requiring recognition in terms of the Standard.

5 Other Disclosures:-

5.1 Corporate Social Responsibility:

During the year Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, has spent ₹ 0.33 crore (Pervious year ₹ 0.27 crore) towards Corporate Social Responsibility under section 135 of Companies Act 2013 and rules thereon.

5.2 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 63.31 % (Previous Year 58.43%)

5.3 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

5.4 RBI vide its circular DBR.No.BP.BC.101/21.01.18/2017-18 dated February 12 2018 issued a revised framework for resolution of Stressed Assets which supersedes the existing guidelines of SDR, Corporate Debt Restructuring Scheme, Flexible Structuring of existing long term project loans, Change in Ownership Outside SDR and S4A with immediate effect. Under the revised framework, the benefits for accounts where any of these Schemes had been invoked but not yet fully implemented were revoked and accordingly, all accounts have been downgraded as per extant RBI norms on Income Recognition and Asset Classification.

S4A scheme was invoked and implemented in six accounts with outstanding balance of ₹ 559.18 crore. As such bank has kept provision of ₹ 105.84 crore against such six S4A implemented borrower accounts as on 31.03.2018.

5.5 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹ 1.43 crore to the trusts / beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹ 1.33 crore as at 31.03.2017 and has increased to ₹ 1.43 crore as at 31.03.2018. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹ 0.16 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06. It has kept the above funds in current account with its bank.

5.6 In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ 2,115.52 crore (Previous year ₹ 22,991.22 crore) were issued on risk sharing basis for a maximum period of 120 days ending July 30, 2018, thereby reducing the Bank's Total Advances as on March 31, 2018 to same extent.

5.7 As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Parent Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

5.8 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI / 2010-11 / 494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6 / 31.02.008 / 2010-11dated April 29 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 17.03.2018.

5.9 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

5.10 Disclosure with respect to NCLT provisions:-

As per RBI Circular Nos. DBR No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No.BP.1906/ 21.04.048/2017-18 dated 23.06.2017 and 28.08.2017 respectively in respect of NPA Accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) the Bank has made additional provision of ₹ 1435 crore during the year ended March 31 2018. Further as per RBI communication No. BP.8756/21.04.048/2017-18 dated April 2 2018 with respect to spreading of the provisions in accounts covered in 1 & 2 list covered under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) the Bank has availed the option of dispensation available and additional provisions of ₹ 627.46 crore will be provided in the quarter ending June 2018.

5.11 In respect of two Gems and Jewellery borrower group where fraud was declared by some banks, the Bank has classified these accounts as NPA and fully provided for the entire funded exposure of ₹ 378.96 crore during the year ended March 31, 2018.

5.12 Disclosure with respect to spreading of MTM Losses:-

As per RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 RBI grants the banks an option to spread provisioning for MTM Losses on investments in AFS and HFT portfolio for the quarters ended 31st December 2017 and 31st March 2018 equally over the four quarters commencing with the quarter in which the loss has been incurred. The bank has availed this option and accordingly the Bank has charged depreciation of ₹ 346.21 crore related to quarter ended December 31, 2017 and March 31, 2018 and MTM losses to the tune of ₹ 450.82 crore is spread over to the subsequent quarters of ensuing financial year.

5.13 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

B.S. SHEKHAWAT Executive Director	**P.RAMANA MURTHY** Executive Director	**B.K. DIVAKARA** Executive Director	**RAJEEV RISHI** Managing Director & CEO	**TAPAN RAY** Chairman
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**KETUL R. PATEL** Director	**N. NITYANANDA** Director	**PROF. (DR.) ATMANAND** Director

For LODHA & CO. Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W	**For S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.000478N	**For BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants F.R. No. 101569W
(CA H. K. VERMA) PARTNER M.No. 055104	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585	**(CA JYOTI BAGGA)** Partner M.No.087002	**(CA B. M. AGARWAL)** Partner M.No.033254

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ in Crore)

		PARTICULARS	31- 03- 2018	31- 03- 2017
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**			
	Net Profit/(Loss) before taxes		**(7,913.90)**	(3,523.09)
	I	**Adjustments for:**		
		Depreciation on fixed assets	**260.50**	257.69
		Depreciation on investments (including on matured debentures)	**794.17**	394.44
		Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	**9,566.65**	6,219.53
		Provision for Standard Assets	**5.51**	(162.98)
		Provision for Other items (Net)	**263.96**	172.91
		(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	**4.49**	1.24
		Sub total	**2,981.38**	**3,359.74**
	II	**Adjustments for :**		
		Increase / (Decrease) in Deposits	**(1,954.74)**	30,622.92
		Increase / (Decrease) in Borrowings	**(3,597.62)**	703.19
		Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(1,826.94)**	(2,561.05)
		(Increase) / Decrease in Advances	**(26,582.21)**	34,211.29
		(Increase) / Decrease in Investments	**(11,287.07)**	(3,569.42)
		(Increase) / Decrease in Other Assets	**(1,808.19)**	203.63
		Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	**(301.02)**	(1,099.63)
		Sub total	**(47,357.80)**	**58,510.93**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**(44,376.42)**	**61,870.67**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**			
		Sale / Disposal of Fixed Assets	**4.13**	3.06
		Purchase of Fixed Assets	**(314.36)**	(191.68)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		**(310.23)**	**(188.62)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**			
		Share Capital (Including Share Premium)	**5,158.00**	1,453.79
		Share Application Money	**-**	100.00
		Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	**(3.25)**	(8.75)
		Dividend Tax	**(0.66)**	(1.78)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		**5,154.09**	**1,543.26**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**		**(39,532.56)**	**63,225.31**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31- 03- 2018	31- 03- 2017
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**75,087.18**	14,070.20
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**3,707.79**	1,499.45
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**78,794.97**	**15,569.65**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**36,000.12**	75,087.18
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**3,262.29**	3,707.79
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**39,262.41**	**78,794.97**

Notes:

1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

B.S. SHEKHAWAT Executive Director	**P.RAMANA MURTHY** Executive Director	**B.K. DIVAKARA** Executive Director	**RAJEEV RISHI** Managing Director & CEO	**TAPAN RAY** Chairman
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA Director	**SHEKHAR BHATNAGAR** Director	**KETUL R. PATEL** Director	**N. NITYANANDA** Director	**PROF. (DR.) ATMANAND** Director

For LODHA & CO. Chartered Accountants F.R.No.301051E	**For PATHAK H D & ASSOCIATES** Chartered Accountants F.R.No.107783W	**For S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants F.R. No.000478N	**For BORKAR & MUZUMDAR** Chartered Accountants F.R. No. 101569W
(CA H. K. VERMA) PARTNER M.No. 055104	**(CA B.P. CHATURVEDI)** Partner M.No.015585	**(CA JYOTI BAGGA)** Partner M.No.087002	**(CA B. M. AGARWAL)** Partner M.No.033254

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

नोट्स / Notes

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

11th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, ________________ resident of ________________ in the district of ________________ in the State of ________________ being a shareholder/shareholders of Central bank of India hereby appoint Shri/Smt. ________________ resident of ________________ in the district of ________________ in the State of ________________ or failing him/her, Shri/Smt. ________________ resident of ________________ in the district of ________________ in the State of ________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 11th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 AM on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and at any adjournment thereof.

Signed this ________________ day of ________________ 2018.

Signature of the Proxy

Please affix revenue stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name ________________

(in Block Letters)

Address ________________

____

____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:

   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.

   b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.

   c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.

3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Monday, 25th June, 2018, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.

4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.

9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in ‘Form B’.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

11th Annual General Meeting – Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 AM

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters) Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

Signature of the Member/Proxy/
Representative Present

Day and Date	Saturday, 30th June, 2018
Place	Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

11th Annual General Meeting – Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 AM

Place: Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

नोट्स / Notes

नोट्स / Notes

नोट्स / Notes

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in

हमें लाइक करें:
Like us on: https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai

हमें फॉलो करें:
Follow us on: https://twitter.com/centralbank_in

केन्द्रीय कार्यालय : चन्दरमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई – 400 021, महाराष्ट्र

Central Office: Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra